लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 13 में अंक 21 से 24 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room FB-025
Acc. No. 28
Dated 9/6/06

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र. ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

ललिता अरोड़ा
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 13 पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)

अंक 23, सोमवार, 29 अगस्त, 2005/7 भाद्र, 1927 (शक)

विषय **कॉलम**

सभा पटल पर रखे गये पत्र 1-2

राज्य सभा से संदेश 2

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण 3

कृषि संबंधी स्थायी समिति

विवरण 3-4

वित्त संवंधी स्थायी समिति

तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन 4

कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

(एक) बारहवां प्रतिवेदन 4

(दो) साक्ष्य 5

विशेषाधिकार के प्रश्न से संबंधित सूचना के बारे में 5-6

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा 6

श्री शिवराज वि. पाटील 6-14

श्री मदन लाल शर्मा 14-23

(दो) देश में कोयला खानों में बार-बार होने वाली दुर्घटनाएं, विशेष रूप से सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) के अंतर्गत सौंदा कोलियरी में हुई दुर्घटना, जिसके फलस्वरूप चौदह कोयला कर्मकारों की मृत्यु हुई

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 24

डा. दासरि नारायण राव 24-30

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी 30-31

श्री धर्मेन्द्र प्रधान 31

श्री बसुदेव आचार्य 31-34

कार्यमंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 34

विशेषाधिकार समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव 35

विषय	कॉलम

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 35

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सी.आर.पी.एफ. में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में 36-48

(दो) प्रस्तावित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान को कथित रूप से भुवनेश्वर से कोलकाता स्थानांतरित किये जाने के बारे में 48-52

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को फसल बीमा की देय बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किये जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर 53

(दो) जम्मू-कश्मीर में बसोहली-बनी-बधरवाह रोड को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

चौधरी लाल सिंह 53

(तीन) महाराष्ट्र में दौन्ड-भिगवान और मनमाड-दौन्ड रेलवे लाइन के दोहरीकरण के साथ पुंतम्बा और शिरडी के बीच नई रेल लाइन का शीघ्र निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री बालासाहेब विखे पाटील 54

(चार) देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के मानक को बनाये रखने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स द्वारा नेशनल बोर्ड सर्टिफिकेट का डिप्लोमा जारी किये जाने की प्रथा को बंद किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 54-55

(पांच) चंडीगढ़ में आधुनिक विज्ञान शहर (साइन्स सिटी) और एक तारामंडल (प्लेनेटेरियम) की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल 55

(छह) कोट्टूर-हरिहर रेल लाइन परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री जी. करुणाकर रेड्डी 55-56

(सात) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पाये गए एल.पी.जी. के स्रोत की जांच किये जाने की आवश्यकता

श्री वीरेन्द्र कुमार 56

(आठ) सुल्तानगंज बिहार को धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान के रूप में विकसित करने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री सुशील कुमार मोदी 57

(नौ) जयपुर-लोहारू-रींगस-सीकर तथा फुलेरा-रींगस-रिवाड़ी मीटरगेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

श्री सुभाष महरिया 57-58

विषय **कॉलम**

(दस) छत्तीसगढ़ की वन आधारित अर्थव्यवस्था के अनुरक्षण के लिए इसे विशेष पैकेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले 58-59

(ग्यारह) उन स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, को केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता

श्री पी. करुणाकरन 59

(बारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अलवारा झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार 60

(तेरह) बिहार में बोधगया में आई.टी.डी.सी. के अशोक होटल के विनिवेश में कथित अनियमितताओं की सी.बी.आई. से जांच कराये जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी.. 60

(चौदह) बिहार में गया को पर्यटन महत्व के स्थान के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 61

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या को हल करने के लिए क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी के इंडिया मार्का हैन्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक 61-62

(सोलह) मीनांबाकम हवाई अड्डे के विस्तार के प्रयोजन के लिए इससे लगे गांव को खाली कराये जाने के स्थान पर श्री पेरम्बुदूर में एक नए हवाई अड्डे का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री ए. कृष्णास्वामी 62

(सत्रह) पंजाब के फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सडकों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री जोरा सिंह मान.. 62-63

(अठारह) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री सुनिल कुमार महतो 63-64

(उन्नीस) बिजनौर से लखनऊ तक एक रेलगाड़ी आरम्भ किये जाने तथा बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रासिंगों पर हाइड्रोलिक गेट लगाये जाने की आवश्यकता

श्री मुंशी राम 64-65

(बीस) बोंगाई गांव ताप विद्युत स्टेशन का एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रबन्ध ग्रहण किये जाने की आवश्यकता

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी 65

सरकारी विधेयक

(एक) हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005

विचार के लिए प्रस्ताव

श्री हंस राज भारद्वाज 66-67

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' 67-72

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी 73-77

श्रीमती सुस्मिता बाउरी 77-79

श्री शैलेन्द्र कुमार 79-81

श्री राजाराम पाल 81-82

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन 82-84

श्री भर्तृहरि महताब 84-90

श्री किन्जरपु येरननायडु 90-92

श्री टोकचोम मैन्या 92-93

श्री किशन सिंह सांगवान 93-98

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 98-99

श्रीमती सी.एस. सुजाता 100-101

प्रो. एम. रामदास 101-105

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 105-108

श्री पी.एस. गढ़वी 108-109

श्री तूफानी सरोज 109-110

श्रीमती नीता पटेरिया 110-119

खंड 2 से 7 तथा 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

(दो) विस्थापित व्यक्ति दावे तथा अन्य विधि निरसन विधेयक, 2005

विचार के लिए प्रस्ताव

श्री माणिक राव होडल्या गावित 120

श्री संतोष गंगवार 121

चौधरी लाल सिंह 121-124

विषय	कॉलम

खंड 2 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

(तीन) आप्रवास (वाहक दायित्व) संशोधन विधेयक, 2005

विचार के लिए प्रस्ताव

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल 125

श्री संतोष गंगवार 125

श्री के.एस. राव 126-127

श्री वरकला राधाकृष्णन 127-131

खंड 2 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

(चार) श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विधेयक, 2005

विचार के लिए प्रस्ताव

श्री कपिल सिब्बल 132

श्री संतोष गंगवार 132

डा. रामचन्द्र डोम 132-135

श्री वरकला राधाकृष्णन 135-137

श्री के.एस. राव 137-139

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 139-140

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 140-149

खंड 2 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

(पांच) भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2005

विचार के लिए प्रस्ताव

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह 149

डा. रामकृष्ण कुसमरिया 149-151

श्री के.एस. राव 151-153

श्री लक्ष्मण सेठ 153-155

श्री शैलेन्द्र कुमार 155-157

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 157-158

विषय **कॉलम**

श्री बिक्रम केशरी देव 158-160

श्री वरकला राधाकृष्णन 160-162

श्री संतोष गंगवार 162

श्री बृजकिशोर त्रिपाठी 163

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर 163-164

चौधरी लाल सिंह 164-170

खंड 2 से 5 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव

रेल अभिसमय समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प

और

रेल (संशोधन) विधेयक, 2005

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री आर. वेलु 171

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 171-190

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी आचारी

लोक सभा

सोमवार, 29 अगस्त, 2005/7 भाद्र, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय मैं, श्री एस. जयपाल रेड्डी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1)(एक) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नव नालन्दा महाविहार, नालन्दा के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2828/05]

(3)(एक) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्युजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्युजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्युजियम्स, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2829/05]

पूर्वाह्न 11.02 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश देना है:-

"मुझे लोकसभा को यह सूचना देने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार 22 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में लाभ के पदों संबंधी समिति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है:-

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा से श्री एडुआर्डो फेलेरियो की सेवानिवृति के फलस्वरूप लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति में हुई रिक्ति के लिए राज्य सभा से एक सदस्य का निर्वाचन किया जाए, और यह प्रस्ताव करती है कि एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रणाली के अनुसार सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को चुनकर इस संयुक्त समिति की रिक्ति को भरने की कार्यवाही करे।"

मुझे लोक सभा को यह भी सूचना देनी है कि उपरोक्त प्रस्ताव के अनुसरण में प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज, राज्य सभा सदस्य उक्त समिति के लिए विधिवत निर्वाचित हुए हैं।

पूर्वाह्न 11.02½ बजे

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

विवरण

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई.डी.बी.आई.) के बारे में समिति के 10वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (तेरहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिश पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही तथा अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट अंतिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण; और

(2) 'एच.पी.सी.एल.-पाइपलाइन के निर्माण पर निष्फल व्यय' के बारे में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के 5वें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिश पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण।

पूर्वाह्न 11.02¾ बजे

कृषि संबंधी स्थायी समिति

विवरण

[अनुवाद]

प्रो. रामगोपाल यादव (सम्भल): महोदय, मैं कृषि संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कृषि मंत्रालय (कृषि एवं सहकारिता विभाग) की 'अनुदानों की मांगों (2004-2005)' के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के पहले प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित कृषि संबंधी समिति (2004-2005) के पांचवें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्यवाही को दर्शाने वाला समिति का विवरण; और

(2) कृषि मंत्रालय (पशुपालन और डेयरी विभाग) की 'अनुदान की मांगों (2004-2005)' के संबंध में कृषि संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित कृषि संबंधी समिति (2004-2005) के सातवें की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई आगे की कार्यवाही को दर्शाने वाला समिति का विवरण।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

तेईसवां और चौबीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): महोदय, मैं वित्त संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के संबंध में पहले प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 23वां प्रतिवेदन; और

(2) बीमांकक विधेयक, 2005 के बारे में 24वां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.03½ बजे

कार्मिक लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

(एक) बारहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मैं न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2004 के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(दो) **साक्ष्य**

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मैं न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 2004 के संबंध में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

विशेषाधिकार के प्रश्न से संबंधित सूचना के बारे में

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): इससे पहले यह आइटम लें, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने प्रिविलेंज नोटिस दिया था। गुरुदास कामथ साहब की स्टैंडिंग कमेटी की यूनॉनिमस रिपोर्ट आई। दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ने उसको क्रिटिसाइज किया और कंडेम्न किया। इस सदन के सदस्यों ने भी इस बारे में सवाल उठाया है तो महोदय, मेरे प्रिविलेंज मोशन को स्वीकार करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह मिला है और यह मेरे विचाराधीन है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैंने भी एक विशेषाधिकार के प्रश्न से संबंधित सूचना दी थी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: दिल्ली की चीफ मिनिस्टर ने उसको क्रिटिसाइज किया और कडेम्न किया। इस सदन के सदस्यों ने भी इस बारे में सवाल उठाया है तो महोदय मेरे प्रिविलेंज मोशन को स्वीकार करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मेरे विचाराधीन है और हम इस बारे में प्रक्रिया के अनुसार चलेंगे। परन्तु बात केवल इतनी है कि मुझे इस बारे में समाचार पत्रों से जानकारी मिली।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: श्री मल्होत्रा ने इसका पहले ही प्रचार कर दिया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने अभी-अभी इस पर अपनी टिप्पणी दी है।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): महोदय, मैंने भी विशेषाधिकार की सूचना दी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह मुझे प्राप्त नहीं हुई। परन्तु मैं इसकी जांच करूंगा।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर दिलाना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि इस पर वक्तव्य दिया जाये:

> "जम्मू-कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के विस्थापित परिवारों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाये गए कदम।"

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): अध्यक्ष महोदय, 1990 के दशक में जम्मू और कश्मीर राज्य में आतंकवाद के कारण कश्मीरियों को घाटी से जम्मू, दिल्ली और अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ा। कुल 55,476 पंजीकृत कश्मीरी प्रवासी परिवारों में से 34088 परिवार जम्मू में, 19,338 परिवार दिल्ली में और 2050 परिवार अन्य राज्यों में रह रहे हैं। जम्मू में 5778 परिवार तथा दिल्ली में 230 परिवार सरकार द्वारा संचालित कैम्पों में रह रहे हैं जिन्हें पानी बिजली साफ-सफाई आदि जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई है।

केन्द्र और राज्य सरकारों ने यह सुनिश्चित करने के हरसम्भव उपाय किये हैं कि जरूरतमंद परिवारों को उचित मात्रा में भरण-पोषण और सहायता उपलब्ध करायी

[श्री शिवराज वि. पाटील]

जाए। जम्मू में 14869 परिवारों को प्रति परिवार, प्रतिमाह 3000 रुपये की नकद राहत तथा सूखा राशन प्रदान किया जा रहा है। दिल्ली में, 4100 परिवारों को, कैम्प में न रहने वाले प्रवासियों को मासिक, प्रति परिवार 3200/- रुपए की नगद राहत तथा कैम्पों में रहने वालों को सूखे राशन के साथ, प्रति परिवार 2400/- रु. प्रदान किए जा रहे हैं। अन्य राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, जहां कश्मीरी प्रवासी रह रहे हैं, भी उनके द्वारा निर्धारित मात्रा के अनुसार प्रवासियों को राहत प्रदान करते रहे हैं।

जम्मू में प्रवासियों को नकद सहायता और राशन प्रदान करने के लिए लगभग 50.00 करोड़ रुपये वार्षिक खर्च किये जाते हैं। राहत प्रदान करने के लिए 1990 से लेकर कुल 586.37 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। सुरक्षा से संबंधित व्यय के तहत केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर राज्य सरकार को व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है। दिल्ली में रह रहे प्रवासियों को राहत प्रदान करने का खर्च, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाता है और यह लगभग 15.00 करोड़ रुपये वार्षिक है।

राहत के अतिरिक्त, जम्मू में प्रवासियों के कैंपों में आधारभूत सुविधायें प्रदान करने के लिए 1990 से किये गये खर्च का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपये)

(i)	नागरिक सुविधायें	13.28 रुपए
(ii)	कैंपों/स्कूलों के लिए अनुदान	59.20 रुपए
(iii)	एक कमरे के मकानों का निर्माण	20.15 रुपए
(iv)	आधारभूत सुविधाओं में सुधार	5.49 रुपए
	कुल	98.12 रुपए

सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए हैं कि शिक्षा सत्र 2005-06 के दौरान कश्मीरी प्रवासी विद्यार्थियों को दाखिले की तारीख लगभग 30 दिन तक बढ़ाई जाए, न्यूनतम पात्रता आवश्यकता के अध्यधीन निर्दिष्ट (कट ऑफ) प्रतिशतता में 10 प्रतिशत तक छूट दी जाए, प्रवेश क्षमता पाठ्यक्रम-वार 5 प्रतिशत तक बढ़ाई जाए, तकनीकी/व्यावसायिक संस्थानों में योग्यता कोटे में कम से कम एक सीट आरक्षित की जाए तथा अधिवास संबंधी आवश्यकता हटाने सहित शैक्षणिक रियायतें दी जाएं।

घाटी में प्रवासियों की अपने निवास स्थानों को सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के लिए भारत सरकार ने प्रौद्योगिक आधार पर शेखपुरा, जिला बड़गाम में दो शयन कक्ष वाले 200 फ्लैटों के निर्माण के लिए 20.00 करोड़ रुपए की एक परियोजना अनुमोदित की है। खीर भवानी और मट्टन में मकानों और उपासना स्थलों का पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार करने के लिए राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया है।

कश्मीरी प्रवासी जब तक घाटी में अपने घरों को लौटते हैं तब तक उन्हें अस्थाई रूप से ठहराने के लिए राज्य सरकार ने मट्टन में 1.08 करोड़ रुपए खर्च करके तीन कमरों के 18 फ्लैटों का निर्माण पूरा कर लिया है। खीर भवानी में एक-कमरे के 100 मकानों के निर्माण और अन्य सुविधाओं पर 7.70 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं।

माननीय प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने नवम्बर, 2004 में जम्मू और कश्मीर का दौरा किया और राज्य के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पुर्निर्माण योजना घोषित की। इस योजना में, पर्यटन, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग जैसे सेक्टरों में रोजगार और आय अर्जन पर जोर देते हुए राज्य के आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने की पहलें शामिल हैं। इस योजना में, जम्मू क्षेत्र और दिल्ली में कैम्पों में रह रहे सभी परिवारों के लिए दो-कमरे वाले मकानों का निर्माण करके प्रवासी परिवारों के राहत और पुनर्वास की भी व्यवस्था शामिल है। माननीय प्रधान मंत्री की घोषणाओं के अनुसार, राज्य-योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान क्रमशः 32.00 करोड़ रु. और 30.00 करोड़ रु. की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। दिल्ली में, 234 परिवारों को रियायती दरों पर डी.डी.ए. फ्लैट आबंटित किए गए हैं।

माननीय प्रधान मंत्री ने कश्मीरी प्रवासियों के लिए, विशेष रूप से उनकी विकास संबंधी, मुख्यतः कैम्पों में रहन-सहन की दशा, जीविका के साधन, शिक्षा, स्वास्थ्य

और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, जरूरतों को शामिल करने हेतु एक पुनर्वास योजना तैयार करने के लिए एक अंतर मंत्रालयी टीम के गठन की भी घोषणा की। इस टीम ने, दो-कमरे वाले मकानों के निर्माण, 1000 नौकरी के अवसरों के सृजन, प्रवासियों की वापसी को सुकर बनाने हेतु कश्मीर घाटी में आधारभूत ढांचे में सुधार/उसकी व्यवस्था, स्वास्थ्य की देखभाल, सुलभ ऋण की व्यवस्था, उद्यम संबंधी विकास कार्यक्रम और 1000 कुटीर/लघु उद्योगों की स्थापना करने के साथ-साथ विभिन्न उपायों की सिफारिश की है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: माननीय अध्यक्ष जी, कश्मीरी पंडितों का वहां से निष्कासन, वहां से निकलना और वर्ष 1989-1990 के बीच दो-तीन रातों में जो घटनाएं हुई, वे न केवल दिल दहलाने देने वाली हैं बल्कि यूनाइटेड नेशन्स ने जैसे कहा है कि वहां एथनिक क्लीनजिंग और जेनोसाइड का सबसे बदतरीन तरह का उदाहरण है। पिछले पांच हजार वर्षों में कश्मीरी घाटी कश्मीरी पंडितों से विहीन नहीं हुई थी। जब सिंकदर बुद्ध शिकन या औरंगजेब का राज हुआ था तब भी कश्मीरी पंडित इस प्रकार से वहां से निकलने के लिए मजबूर नहीं हुए थे। अभी वहां से थोड़े से लोगों को छोड़कर पूरी की पूरी कश्मीर घाटी में से कश्मीरी पंडित बाहर निकल आए हैं और जम्मू, दिल्ली या देश के अन्य हिस्सों में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। शिवराज पाटिल जी का जवाब सुनकर मुझे बहुत निराशा हुई, जो आंकड़े दिए हैं, वे आंकड़े ही सिद्ध करते हैं कि समस्या कितनी भीषण है और उसका हल हम किस प्रकार से कर रहे हैं। कुल मिलाकर जिक्र किया गया कि 24,000 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है, जिसमें से 50 करोड़ रुपए एक साल में कश्मीरी पंडितों का खर्च किए जा रहे हैं। कश्मीरी पंडितों पर खर्च करने से पहले, मैं यह कहना चाहता हूं पाटिल जी, आम तौर पर यह चर्चा सब जगह है और कश्मीरी पंडितों में भी है कि उनको कश्मीर घाटी में वापस भेजा जाए। और जो सुविधाएं यहां मिल रही हैं या जम्मू में मिल रही हैं, उन्हें धीरे-धीरे समाप्त कर दिया जाए या सुविधाएं देनी बंद कर दी जाएं क्योंकि कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में लौटना है। हम सब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं और वे भी चाहते हैं कि वे घाटी में वापस लौटें। लेकिन क्या आज वे वापस जा सकते हैं? वहां आज क्या वातावरण है? पिछले दिनों हुर्रियत के कुछ नेताओं ने उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद ऐसा हुआ कि उनमें से कुछ कश्मीरी पंडित घाटी में वापस लौट सकें।

अध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले चार आतंकवादी तंजीमों ने खुलेआम घोषणा की है कि वहां कश्मीरी पंडित वापस न आयें, अगर आयेंगे तो हम उन पर प्रतिबंध लगाते हैं। अगर कश्मीर पंडित वापस आना चाहते हैं तो उसके लिये चार शर्तें लगाई गई हैं। पहली, कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा आजादी की मुहीम चलाये जाने में वे शामिल हों, दूसरी, कश्मीरी पंडित यह कहें कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तीसरी, सेनाओं द्वारा की जा रही गतिविधियों को आतंकवादी गतिविधियां माना जाये और चौथी, अगर कश्मीरी पंडित वापस आना चाहते हैं तो देश से द्रोह करें और इस्लाम धर्म कबूल करें। इन शर्तों के माने बिना कश्मीरी पंडित वापस नहीं लौट सकते हैं। ऐसी स्थिति में कश्मीरी पंडितों को वहां मरने के लिये भेजना क्या गृह मंत्री जी के लिये मुनासिब होगा? सरकार की क्या योजना है? सरकार ने अपने वक्तव्य में बताया है कि कश्मीरी पंडितों के लिये 250 क्वार्टर बनाये जा रहे हैं, जिन पर सरकार 16 करोड़ रुपया खर्च कर रही है। लगभग 5 लाख कश्मीरी वहां से निकाले गये हैं, क्या इतने लोगों के लिये 250 क्वार्टर पर्याप्त होंगे? क्या वे सुविधायें, जो कश्मीरियों को यहां मिल रही थीं, बंद कर दी जायेंगी? यहां की सुविधाओं को और बढ़ाने की बात की जानी चाहिये थी, न कि उन्हें बंद करने की।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने सुषमा स्वराज रिपोर्ट का जिक्र किया है जो कश्मीरी पंडितों के अपग्रेडेशन के लिये थी। सरकार बताये कि उक्त रिपोर्ट में क्या सिफारिशें की गई हैं, और उन पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ? हमारी मांग है कि उस रिपोर्ट पर फौरी तौर से कार्यवाही की जाये। उस रिपोर्ट पर की गयी कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन सभा के पटल पर रखा जाये। सरकार द्वारा बताया गया है कि कश्मीरियों के लिये 1000 नौकरियों का प्रबंध किया जायेगा। वर्ष 1989-90 में 30 हजार के लगभग कश्मीरी नौकरी में थे जब वे वहां से निकलकर आये। उन 30 हजार में से आज 3 हजार रह गये हैं। या तो कुछ मर गये हैं या कुछ रिटायर हो गये हैं और सरकार कह रही है कि वह 1000 नौकरियों का प्रबंध करेगी, बाकी कश्मीरी

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

पंडित क्या करेंगे? उनकी नौकरियों का क्या होगा? अभी सरकार हीलिंग टच की बात कर रही है। यह हीलिंग टच किनके लिये हैं - क्या आतंकवादियों के लिये है। आतंकवादियों को हीलिंग टच देने के लिये साढ़े तेरह हजार करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च किया जा रहा है परन्तु कश्मीरी पंडितों के लिये सरकार प्रतिवर्ष केवल 50 करोड़ रुपये खर्च करती रहेगी और केवल 1000 नौकरियों का प्रबंध करेगी। आतंकवादियों के लिये प्रतिवर्ष 24000 नौकरियों का प्रबंध करेगी और कहा जा रहा है कि यदि वे बंदूक छोड़ कर वापस आ जायें तो इतनी नौकरियां देंगे। आतंकवाद छोड़ने के नाम पर उन लोगों को 3 लाख रुपया दिया जा रहा है लेकिन जो लोग आतंकवाद का शिकार हुये हैं, उनके लिये केवल साल में 50 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है। सरकार ने साल में प्रतिमाह 2500-3000 रुपये या अब 3200 रुपये की बात कही है। क्या एक परिवार का गुजारा 3200 रुपये में हो सकता है? मेरी मांग है कि प्रति परिवार कम से कम 5000 रुपये दिया जाये।

अध्यक्ष महोदय, कश्मीरी पंडितों के लिये एक कठिनाई और आ रही है। जो लोग बीमार होकर आ रहे हैं, उनके लिये कोई मैडिकल क्लेम नहीं है, कोई मैडिकल की व्यवस्था नहीं है। मेरी मांग है कि कम से कम उन लोगों के लिये मैडिकल इन्श्योरेंस का इंतजाम करना चाहिये ताकि वे लोग ठीक प्रकार से रह सकें। इसके अलावा उनकी जितनी सम्पत्ति थी, उनकी बागात की जितनी लैंड थी, उन पर कब्जा हो गया है। मै आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि कम से कम इस बात का पता तो करें कि कश्मीरी पंडितों की वहां जितनी प्रोपर्टीज थी, मकान, मन्दिर और बागान थे, क्या उन सब पर कब्जा हो गया है? कुछ पर आतंकवादियों ने और कुछ पर सरकार ने कब्जा कर लिया है, मेरी ऐसी जानकारी है कि जिस सम्पत्ति पर सरकार ने कब्जा किया, उसका कोई मुआवजा नहीं दिया गया।

[अनुवाद]

"अतः पंडितों की भूमि और सम्पत्तियों पर से सभी तरह के अतिक्रमणों को हटाया जाना चाहिए। उनकी सम्पत्तियों को शरणार्थियों की सम्पत्ति के रूप में भौतिक रूप से उपायुक्त के संरक्षण में रखा जाना चाहिए और इसे इंटरनेट पर विधिवत अधिसूचित किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

किसी को पता नहीं है, कोई पैसा नहीं मिल रहा है और कोई नहीं बता पा रहा है कि उनकी प्रोपर्टीज पर फलां आदमी ने कब्जा कर लिया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, वे **'एथनिक क्लीनजिंग'** शब्द का प्रयोग कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मधुसूदन जी यह आपकी बात सही नहीं है। मल्होत्रा जी, मैंने आपको आपको बोलने की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। मधुसूदन जी यह तरीका ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: इन्हीं लोगों ने हमें इन शब्दों के प्रयोग करने से रोका था। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको सभा की कार्यवाही नहीं चलानी है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप गुजरात की बात करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप उसे छोड़िये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वहां जो उनकी जमीनें थीं, उन पर स्कूल बना दिये गए। उन्हें उसका कम्पैनसेशन तो दें, कोई मुआवजा तो दें। उन्हें वहां कोई मुआवजा नहीं मिला।

[अनुवाद]

अतिक्रमण, आय का नुकसान, वैध आय का भुगतान न किया जाना, फसल का हिस्सा और अन्य देयों के अनसुलझे मामलों की जांच के लिए जम्मू में ही एक

न्यायाधिकरण स्थापित किया जाना चाहिए। कश्मीरी पंडितों की सम्पत्तियों की बिक्री के सौदों को रद्द घोषित किया जाना चाहिए। ऐसे मामले जिनमें राज्य सरकार ने जानबूझकर या अनजाने में कश्मीरी पंडितों की खाली सम्पत्तियों का उपयोग प्रत्यक्षतः लोक हित के उद्देश्य से किया है उसे रद्द किया जाना चाहिए। सभी विस्थापित लोगों, कृषि कार्य, व्यापार और स्वरोजगार में लगे लोगों को शारीरिक, वित्तीय और मानसिक प्रताड़ना झेलने के लिए उन्हें पर्याप्त क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। आतंकवादियों के लिए प्रस्तावित हीलिंग टच पालिसी के प्रोत्साहनों को कुछ अधिक बढ़ाकर विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए भी राहत नीति (हीलिंग टच पालिसी) बनायी जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा एक अध्यादेश पारित किया जाना चाहिए ताकि कश्मीरी पंडित अपने सभी पूजास्थलों और अपनी सम्पत्तियों पर कब्जा पा सकें।

[हिन्दी]

इसके बारे में मैं विशेष तौर पर कहना चाहता हूं कि कश्मीर के अंदर कम से कम दो हजार मंदिर और दूसरे स्थान इस समय आतंकवादियों के कब्जे में हैं या वहां पर कोई और गतिविधियां चल रही हैं। वे सारे मंदिर...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव केवल वित्तीय सहायता के बारे में है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कश्मीरी पंडितों को शरणार्थी या आंतरिक रूप से विस्थापित लोग घोषित किया जाना चाहिए। सर्वोपरि बात यह है कि इस देश को यह स्वीकार करना चाहिए कि कश्मीरी पंडित एक बड़े विनाश से होकर गुजरे हैं। देश को इस जनसंहार और जातीय सफाए की - मैं इसे दोहरा रहा हूं - एक राष्ट्रीय शर्म की घटना घोषित करना चाहिए। इसके तथ्यों के संबंध में एक श्वेत पत्र लाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं यहां कहना चाहता हूं कि आपने जो घोषणाएं की हैं, वे किसी भी तरह से, एक परसैन्ट भी, उनकी समस्याओं को हल नहीं करतीं। इन्हें पूरा करने के लिए, आतंकवादियों और दूसरे लोगों को जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उससे कहीं ज्यादा सुविधाएं आज वहां कश्मीरी पंडितों को दी जानी चाहिए तथा कश्मीर समस्या का कोई भी हल कश्मीरी पंडितों को बीच में लिये बिना नहीं होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दायरे में नहीं आता।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप वहां हुर्रियत से बातचीत चला रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों से बात नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: कालिंग अटैन्शन फाइनेन्शियल असिस्टैन्स के बारे में है।

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू): ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस कालिंग अटैन्शन पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय: इस पर आपने भाषण नहीं करना है। आपने नोटिस नहीं दिया है।

श्री मदन लाल शर्मा: मैं मल्होत्रा साहब का भी धन्यवाद अदा करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने 11 बजे नोटिस दिया है।

श्री मदन लाल शर्मा: मैं यह कालिंग अटैन्शन लाने के लिए मल्होत्रा जी का भी धन्यवाद करता हूं। यदि इस पर हाउस में कोई बहस रखी जाती और सारे हाउस को बोलने का मौका मिलता तो मैम्बर्स अपने-अपने ख्यालात का इजहार करते, लेकिन मैं केवल सप्लीमैन्टरी पूछूंगा। मैं पहले दो-तीन बातों की जानकारी चाहता हूं। जब से कश्मीरी पंडितों का माइग्रेशन हुआ है, वे सारे मेरी कांस्टीटुएंसी में आबाद हुए हैं। मल्होत्रा साहब ने सप्लीमैन्टरी प्रश्न पूछने के बजाय यहां तकरीर की और बहुत सारी बेबुनियाद बातें हाउस में रखीं, जिन्हें क्लियर करना मैं लाजिमी समझता हूं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह कौन सी बात कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आपकी बात रिकार्ड में आ गई है। आपकी बात रिकार्ड से बाहर नहीं की गई है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने कोई बात रिकार्ड से नहीं निकाली है। उनकी बात भी रिकार्ड पर है। वह नहीं मानेंगे, वह अपनी बात बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल शर्मा: मल्होत्रा जी का मुझे ऐहतराम है, वह सीनियर मैम्बर हैं, उन्हें इसका हक पहुंचता है कि जहां कहीं भी ज्यादती होती हैं, उसके बारे में हाउस के अंदर चर्चा की जानी चाहिए और इन्होंने पहले यहां जिस बात की चर्चा की, उससे बात नहीं बनती। कालिंग अटैन्शन में फाइनैन्शियल असिस्टैन्ट के बारे में बात थी, लेकिन इन्होंने कश्मीर को यहां कम्युनलाइज करना चाहा और कहा कि वहां सैकड़ों मंदिरों के ऊपर आज आतंकवादियों का कब्जा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सीमा से बाहर चले गए है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को रोक दूंगा। माननीय मंत्री जी अपनी बारी आने पर उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: मल्होत्रा साहब, अगर ऐसे मंदिरों के नाम बता दें और यह बात साबित कर दें तो मैं आज ही लोक सभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। इन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वहां 12 सौ मंदिर तोड़े गये, यह होम मिनिस्टर साहब का जवाब है।...*(व्यवधान)*

श्री मदल लाल शर्मा: आपके समय में जब गवर्नर साहब की वहां हुकूमत थी, तो आपके दौरे हुकूमत में भी कश्मीरी माइग्रेन्ट्स परेशानियों का सामना करते रहे। आपने उनके लिये क्या किया, मैं यह भी जानना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं खड़ा हूं और आप बोले जा रहे हैं। आपको अध्यक्षपीठ को संबोधित करना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप उन्हें छोड़िये, यह बहुत अहम मुद्दा है।

[अनुवाद]

मैं जानता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। मुझे यह पता लगा है कि वे अधिकतर आपके निर्वाचन क्षेत्र से हैं। इसलिए ऐसा प्रश्न पूछिए जो उनकी सहायता करे। माननीय मंत्री जी यहां हैं और वे उसका उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। आपकी मदद की जरूरत नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री मदन लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आप मुझे माफ करें, लेकिन मैं साफ करना चाहता हूं कि आज तक वादी के अंदर कोई ऐसा मंदिर नहीं, जिस पर उग्रवादियों का कब्जा हो। दूसरा, इन्होंने यह कह दिया कि मौजूदा यूपीए सरकार को एक साल और चौदह महीने हो गए, इस दौरान तीन बार माननीय प्रधान मंत्री जी कश्मीर तशरीफ ले गए और उन्होंने जो पैकेज कश्मीर को दिया, उसके अंदर कश्मीरी माइग्रैन्ट्स के लिए क्या कहा, इन्होंने वे आंकड़े भी बताए और माननीय गृह मंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया। लेकिन मैं अपनी सरकार, प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का मशकूर हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सीमा से बहुत आगे निकल गए हैं। मैंने इसलिए अनुमति दी है क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है। आप शांत रहिये।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल शर्मा: मैं प्रधान मंत्री जी का मशहूर हूं कि न सिर्फ उन्होंने यह वादा किया कि उन्हें वापस लाने के लिए क्वार्टर बनाए जाएंगे, बल्कि जो उनके माइग्रैन्ट क्वार्टर्स यहां खस्ता हालत में हैं, उनको दुरुस्त करने के लिए और जम्मू शहर के अंदर जहां जहां वे कैम्पों में आबाद हैं, वहां एडीशनल एकोमोडेशन बनाने का भी वादा किया है। इससे पहले जब मल्होत्रा जी की पार्टी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो उन छः सालों में कश्मीरी माइग्रैन्ट्स की बेहतरी और बहबूदी के लिए कौन

से इकदामात उठाए गए? आज ये कह रहे हैं कि उनकी हालत बहुत खस्ता है।...(*व्यवधान*)

मैं ऑनरेबल गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी ने जम्मू में कश्मीरी माइग्रेन्ट्स के लिए जो एडीशनल एकोमोडेशन बनाने की बात कही थी, वह कब तक तैयार हो जाएगी और उसका फायदा उन लोगों को कब तक मिलेगा? इसके साथ ही ये बड़ी चिन्ता करते हैं। बॉर्डर के माइग्रैन्ट्स भी आए थे, वे सात साल तबाह और बरबाद हुए और अभी हमारी सरकार ने 78 करोड़ रुपये का पैकेज उनके लिए दिया। आपको उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। आप हाउस को मिसलीड करके गलत जानकारी इस सदन में देने जा रहे हैं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि हम दायरे से बाहर जाते हैं तो ऐसा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक संवेदनशील मामला है, मल्होत्रा जी मैं आपको नहीं रोकता परंतु स्वभाविक रूप से ये बातें इसके दायरे से बाहर हैं।

[हिन्दी]

यह भी बियॉन्ड द स्कोप ही था।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): श्रीमन्, ऐसा बताया जाता है कि यहां जो प्रश्न उठे हैं, 1989-90 में उत्पन्न हुए, इस तिथि को याद रखना बहुत उपयुक्त होगा। सम्माननीय सदस्य मल्होत्रा जी की ओर से बहुत सारे प्रश्न उपस्थित किये गये हैं। मैं उन सबके जवाब यहां दे सकूंगा या नहीं, मुझे पता नहीं, क्योंकि उन्होंने बाद में जो लिस्ट पढ़ी है, वह पूरी ध्यान में रखकर, उसका उत्तर देना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। यदि वह लिस्ट अगर मेरे पास दे दें, तो मैं लिखित रूप से उसके उत्तर भेज दूंगा। बाकी जो प्रश्न अहम उठाए गए हैं, उनके बारे में सदन में जवाब देना मैं जरूरी समझता हूं।

पहला सवाल यह है कि जो उधर से दिल्ली या दूसरे प्रांतों में आए हुए लोग हैं, कश्मीर से निकलकर जम्मू में गए हुए लोग हैं, क्या हम उनकी सुविधाएं बंद करने जा रहे हैं? यहां ऐसा कहा गया कि हम वे सुविधाएं बंद करने जा रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि इस प्रकार से सुविधाएं बंद करना मुश्किल है, इस प्रकार सुविधाएं बंद नहीं की जा सकतीं। आज जबकि वे यहां रह रहे हैं, एकदम उनकी सुविधा बंद करके उन्हें वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। सुविधा बंद करने का तो सवाल ही यहां नहीं उठता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें और सभी लोगों को बहुत खुशी होगी कि वे लोग वापिस अपने घर जा सके, अपने खेतों में, अपनी दुकानों पर या अपने उद्योग-धंधों में वापिस जा सकें, लेकिन उनको जाने से रोकने का, उन्हें मजबूर करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता और इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार का कोई काम नहीं किया जाएगा। यहां बताया गया है कि बहुत से लोग, करीब तीन सौ लोग नौकरियां छोड़ कर यहां आए हैं और जो आए हैं वे सभी के सभी नौकरियां नहीं मांग रहे हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, अपना उद्योग, अपनी दुकान और अपना प्रोफेशन चलाकर अपनी खुद की मदद करते हैं। हमारी सरकार का और जम्मू-कश्मीर की सरकार का हमेशा प्रयास रहेगा कि उन लोगों को जिस प्रकार की मदद दी जानी जरूरी है, उन्हें दी जाए। कश्मीर से जो लोग जम्मू गए हैं, वहां पर दुकान, उद्योग और प्रोफेशन चलाने के लिए गए हैं या और कोई दूसरा काम करने के लिए गए हैं, उन्हें मदद देने का केंद्र सरकार का और जम्मू-कश्मीर की सरकार का हमेशा प्रयास रहेगा।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या उन्हें नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाएगा?

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं अभी इस बात पर आता हूं। जम्मू कश्मीर राज्य को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने के लिए, माली हालत सुधारने के लिए 24 हजार करोड़ रुपये की मदद देने की बात कही गई है। जहां तक नौकरी देने की बात है, उसके लिए एक तरीका यह है कि एक विशेष स्कीम बनाकर उन्हें नौकरी दी जाए। दूसरा तरीका यह है कि प्लानिंग की डैवलपमेंटल एक्टीविटी शुरू से करके, उन्हें नौकरियां दी जा सकती हैं। हम मानते हैं कि जब एक हजार लोगों को हमें काम देना है तो इसका मतलब यह हुआ कि एक हजार नौकरियां निकाल कर काम देंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरी जगह पर जो नौकरियां निकलती हैं, उससे उन्हें वंचित किया जाएगा। अगर 24 हजार करोड़ रुपए डैवलपमेंट के लिए खर्च हो रहे हैं, तो उससे एम्प्लायमेंट पोटेंशियल जरूर क्रियेट होगा और एम्प्लायमेंट पोटेंशियल उन लोगों को भी दिया जाएगा, जिन्हें उसकी जरूरत होती है, हमें इस बात को भूलना नहीं चाहिए।

अभी यह कहा गया है कि हम हीलिंग टच दे रहे हैं और तीन लाख रुपए आतंकवादियों को दे रहे हैं। हम आतंकवादियों और कश्मीरी पंडितों की तुलना नहीं करना

[श्री शिवराज वि. पाटील]

चाहते हैं। हम यह नहीं कहना चाहते कि आतंकवादी को यह दे रहे हैं तो कश्मीरी पंडितों को यह देंगे। यह गलत बात है। आतंकवादी अलग हैं और कश्मीरी पंडित अलग हैं। कुछ लोग अपने आइडियल से आतंकवादी बने हैं, कुछ नौकरियां नहीं मिलने से और कुछ अपने मन से आतंकवादी बन गए हैं। अब जबकि वे वापस आना चाहते हैं तो सरकार ऐसा सोच रही है कि एक बार वापस आने के बाद वे फिर से आतंकवादी न बने, इसलिए उन्हें किसी एक क्षेत्र में ट्रेनिंग दे कर काम में लगाया जाए और तीन लाख या साढ़े तीन लाख रुपए की रकम इसीलिए दी जा रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा जी, आप बैठ जाइए। पहले आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐसा कहना दुरुस्त नहीं होगा कि कोई आतंकवादी एक वैपन लेकर आ रहा है, विस्फोटक उसके पास है और वह उसे डिलीवर कर रहा है - ये सभी अलग बातें हैं। इस आधार पर मदद की जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। यहां कहा गया है कि पंडितों के घर और जमीन को किसी दूसरे को दिया जा रहा है - यह गलत बात है। मैं वहां गया था और उनके प्रतिनिधि मुझसे मिले थे। यहां भी उनके प्रतिनिधि मिलते रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि हम किसी विशेष पार्टी के लोगों से मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी पंडित से मिलने के लिए तैयार नहीं हैं - ये बातें सही नहीं हैं। मैं कई बार उन लोगों से मिल चुका हूं और कश्मीर में भी मिला हूं। उनके साथ हमारा पत्र व्यवहार भी होता रहता है और जो भी उनकी मुश्किलें हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश हम करते रहे हैं। हमारी सरकार की नीति यह है कि जो भी कश्मीर से आकर हमसे बात करना चाहता है, तो हम उन्हें सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं। जो वे करना चाहते हैं, वही हम करना चाहेंगे, उन्हें हम मदद करना चाहेंगे। किसी से बात करने को हम मना नहीं करते हैं। आपका ऐसा कहना कि कश्मीर के पंडितों से हम मिलने के लिए तैयार नहीं है, गलत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी जो जमीन या घर है, यदि उसे किसी ने किसी दूसरे को बेचा है, वहां उस बारे में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है और उसकी वजह से ओनरशिप या पजैशन ट्रांसफर हुआ है, तो वह नहीं माना जाएगा। उसके लिए, खासकर वहां की सरकार ने कानून बनाया है कि जो लोग अपना घर या जमीन कश्मीर में छोड़कर जम्मू गए हैं या जम्मू से दिल्ली गए हैं, उनके घरों का अगर ट्रांसफर होगा, तो वह ट्रांसफर इल्लीगल माना जाएगा। ऐसा कानून पहले सो बना हुआ है। उस कानून में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा ट्रांजैक्शन तब तक लीगल और कानूनी वैध नहीं माना जाएगा, जब तक कि दूसरा नोटीफिकेशन नहीं हो जाता। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी जमीन पर, जो वहां के रहने वाले किसी पंडित की है या किसी और की है, उसे लैंड एक्वीजीशन एक्ट के तहत ही एक्वायर किया जा सकता है और कंपैन्सेशन देकर ही एक्वायर किया जा सकता है। बिना कंपैन्सेशन दिए उसे एक्वायर नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में खड़ा होकर बता रहा हूं कि किसी की जमीन यदि भारत सरकार या जम्मू-कश्मीर की सरकार ने किसी काम के लिए ली है, और कंपैन्सेशन नहीं दिया है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसे कंपैन्सेशन दिलाने का काम करूंगा। यह कानून है, कोई भी सरकार, चाहे भारत सरकार या जम्मू-कश्मीर की सरकार...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उसे कैसे पता लगेगा कि उसकी जमीन बेच दी गई है। आप ऐसी सारी जानकारियों को इंटरनेट पर उपलब्ध करा दें। उसे पता ही नहीं लगता कि उसकी जमीन बेच दी गई है। उसे दूसरे लोग बताते हैं, तब पता लगता है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

मंत्री महोदय, आपको प्रत्येक बात का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बात जारी रखिए।

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह कॉलिंग-अटेंशन मोशन है। इस पर मुझे केवल एक क्वैरी का जवाब देना है, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति की जमीन जम्मू-कश्मीर सरकार ने या भारत सरकार ने हस्तगत की है, एक्वायर की है, तो उसका कंपैन्सेशन देने की जिम्मेदारी हमारी है। इस प्रकार का व्यक्ति जिसकी जमीन किसी सरकार ने बिना मुआवजा दिए ले ली हो, वह कोर्ट में जाकर भी मुआवजा मांग सकता है। इतना ही नहीं है, एक्वीजीशन प्रोसीडिंग्स के खिलाफ, यदि जमीन ली गई है, तो सरकार के ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। इस बात का हमें ध्यान रखना

चाहिए। इसलिए आपको इसे इस प्रकार नहीं उठाना चाहिए कि ऐसी जमीन ली जा रही है।

महोदय, आपने पूछा कि जो रिपोर्ट आई है, उसमें क्या है? मेरे पास यह एक्शन टेकन रिपोर्ट है। सुश्री सुषमा चौधरी की रिपोर्ट में जो मुद्दे उठाए गए हैं, उन सबका जवाब देना, तो मेरे लिए यहां मुश्किल होगा। यदि माननीय सदस्य चाहें, तो मैं उन्हें लिखित रूप में उत्तर भेज दूंगा।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप रिपोर्ट को टेबल पर ले कर दीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: ऐसा नहीं है।...*(व्यवधान)* आप हर बात पर यहां उठ कर बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, चूंकि आपने इसे उठाया है तो उन्होंने कहा है कि ये आपको यह उपलब्ध करा देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह बहुत अव्यवस्थित है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: नहीं, यह अव्यवस्थित नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: यह अव्यवस्थित है। आप केवल एक ही वाक्य में इसे नहीं पूछ सकते।

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, आपको नियम अच्छी तरह से ज्ञात हैं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। उन्होंने इसमें से नहीं पढ़ा है। जब तक ये उसमें से न पढ़ें तब तक आप उसे सभा पटल पर रखने के लिए नहीं कह सकते।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, उन्हें इसे सभा पटल पर रखने दें।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है 'नहीं'।

मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, माननीय सदस्य मेरी बात में व्यवधान डालते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप मुझे सम्बोधित करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, उन्होंन बहुत से प्रश्न उठाए हैं। मुझसे एक प्रश्न का उत्तर देने की आशा की जाती है। उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं मैं उन सभी का उत्तर दे रहा हूं और केवल इतना ही नहीं, मैं लिखित में भी यह कह रहा हूं कि मैं उन्हें उत्तर दूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप जिसका उत्तर देने के लिए बाध्य हैं वह उन्हें दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में है।

श्री शिवराज वि. पाटील: अब, वे मुझसे इसे सभा पटल पर रखने के लिए कह रहे हैं। यह सही नहीं है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसमें गोपनीय क्या है?

श्री शिवराज वि. पाटील: इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं है। यहां नियम और प्रक्रिया नामक कुछ चीजें हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, यह इस प्रकार से नहीं चल सकता। मुझे खेद है। आपको प्रक्रिया अच्छी तरह से ज्ञात है। हम बहुत सख्ती से नियमों का पालन कर रहे हैं। मैंने लंबे समय के लिए आपको बोलने की अनुमति दी है।

मंत्री महोदय, आप अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, माननीय सदस्य को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वे छह साल तक सत्ता में रहे हैं।

जब वे छह साल तक सत्ता में रहे तो लोग यह जानना चाहते हैं कि इन्होंने उनके लिए क्या किया। जब वे सत्तापक्ष में थे तो उन्होंने कुछ नहीं किया और जब वे विपक्ष में चले गए तो उन्होंने आलोचना करनी आरम्भ कर दी। हम जानना चाहते हैं कि छह वर्ष की कालावधि में क्या किया गया। यदि यह मामला लोगों, हमारे भाइयों-बहनों, जो किन्हीं परिस्थितियों के कारण दुखी हैं, की सहायता करने की इच्छा से उठाया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह कहने जा रहा हूं कि वहां बैठकर उन्होंने जो भी औचित्यपूर्ण सुझाव दिए है हम उनकी सहायता करने की दृष्टि से उन पर निश्चित

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

रूप से विचार करेंगे। लेकिन यदि ये यहां बैठकर सरकार की छवि धूमिल करने की दृष्टि से इसे एक राजनैतिक मामले के रूप में उठाऐंगे तो उन्होंने एक राजनैतिक उत्तर ही मिलेगा और राजनैतिक उत्तर यह है कि हमने इस समय तक यह कार्य किया है। हम उनसे पूछने के हकदार हैं और यदि हम नहीं हैं तो दूसरे उनसे यह पूछने के हकदार हैं कि इन्होंने छह साल की अवधि में उनके लिए क्या किया। क्या छह साल की अवधि उनके लिए कुछ करने हेतु पर्याप्त नहीं थी? हमें उन लोगों की पीड़ा के बारे में राजनैतिक खेल नहीं खेलना चाहिए। उनकी वास्तव में सहायता करने हेतु कुछ करें और हम निश्चित रूप से उनकी सहायता करने के लिए कुछ करेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, हम उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं।

[हिन्दी]

इन्होंने उनके लिए कम्पन्सेशन बढ़ाने की बात नहीं की है और न ही कोई एश्योरेंस दिया है, इसलिए हम सभा से बाहर जा रहे हैं।

पूर्वाह्न 11.41 बजे

(इस समय, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मुझे यह कहने की अनुमति दें कि एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं और वे कहते हैं कि बहुत से मंदिर ध्वस्त किए गए हैं। यह सत्य नहीं है। मैं इससे इन्कार करता हूं।

पूर्वाह्न 11.42 बजे

(दो) देश में कोयला खानों में बार-बार होने वाली दुर्घटनाएं, विशेष रूप से सेन्ट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सी.सी.एल.) के अंतर्गत सौंदा कोलियरी में हुई दुर्घटना, जिसके फलस्वरूप चौदह कोयला कर्मकारों की मृत्यु हुई

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा अगले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करेगी, श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता। हमें 20 मिनट के अन्दर सभी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर चर्चा पूरी कर लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला मंत्री जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"देश में कोयला खानों में बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं, विशेष रूप से सेन्ट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) के अंतर्गत सौंदा कोलियरी में हुई दुर्घटना, जिसके फलस्वरूप चौदह कोयला कर्मकारों की मृत्यु हुई तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): महोदय, कोयले का खनन्...

अध्यक्ष महोदय: श्री मेहता, आपको वक्तव्य मिल गया है। क्या वक्तव्य नहीं मिला है?

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अध्यक्ष महोदय, मुझे स्टेटमेंट मिल गया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तब, हम इसे सभा पटल पर रखा गया मान सकते हैं।

***डा. दासरि नारायण राव:** महोदय, कोयले के खनन को विश्वभर में एक खतरनाक कार्य माना गया है। तथापि, सुरक्षा पर लगातार जोर दिए जाने के कारण पिछले कुछ वर्षों के दौरान सुरक्षा की स्थिति बेहतर होती गई है। वर्ष 1975 में देश में कोयला खानों में 222 घातक दुर्घटनाएं हुई थीं जो वर्ष 2004 में घटकर 90 तक हो गई हैं। इसी अवधि के दौरान मृतकों की संख्या भी 664 से घटकर 99 रह गई है। कोल इंडिया के मामले में मृतक दर जो कि 1975 में प्रत्येक मिलियन टन कोयला उत्पादन व प्रत्येक तीन लाख लोगों पर 2.62 थी वह भी वर्ष 2004 में घटकर

*सभा पटल पर रखा माना गया।

क्रमशः 0.22 और 0.20 पर आ गई है। सांघातिकताओं की संख्या वर्ष 2001 में 105 से घटकर वर्ष 2004 में 70 रह गई है। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. के संबंध में, सांघातिकताएं वर्ष 2001 में 25 से घटकर वर्ष 2004 में 14 हो गई हैं।

चालू वर्ष में कोल इंडिया के संबंध में जुलाई के अंत तक दुर्घटनाओं में 54 व्यक्तियों और सिंगरेनी के मामले में 9 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सी.सी.एल.) के बरका सयाल क्षेत्र की पुरानी बंसगारा इन्क्लाइन, सेंट्रल सौंदा कोलियरीज की भूमिगत खदानें 15-6-2005 अर्थात 14 जून, 2005 को रात्रि पाली के अंत में आंशिक रूप से डूब गई। ऊपरी सीम से नीचे की सीम में पानी के बहाव के कारण छत गिर गई जहां डिपिलरिंग का प्रचालन प्रगति पर था। 14 जून, 2005 की रात्रि पाली में 45 व्यक्ति इस खान में कार्य कर रहे थे। हालांकि, रात्रि पाली के अन्त में अन्य सभी व्यक्ति बाहर आ गए परन्तु काम कर रहे 12 लोडर तथा 2 पर्यवेक्षक दुर्घटना में फंस गए और उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी।

जलमग्न क्षेत्र से पानी को निकालने के साथ-साथ बचाव तथा ढूंढ निकालने की तत्काल कार्रवाई की गई। जलमग्न क्षेत्र में पानी को निकालने तथा फंसे हुए व्यक्तियों को ढूंढ निकालने की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए सी.सी.एल. मुख्यालय, सी.आई.एल. मुख्यालय तथा कोयला मंत्रालय में कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए। जलस्तर, जो 252 मीटर (रिडयूस्ड लेवल) तक बढ़ गया था, को 227.20 मीटर (रिडयूस्ड लेवल) तक लाया गया जब शव निकाले गए। जीवित व्यक्तियों को बचाने के लिए नौसेना के गोताखोरों की सेवाएं भी ली गई परन्तु खनिकों की अमूल्य जिन्दगी को नहीं बचाया जा सका।

कोयला मंत्रालय ने विभागीय जांच कराने के लिए सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इंस्टीच्यूट लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष निम्नानुसार है:

(i) दुर्घटना खनित क्षेत्र में विशाल खड़ी छत के गिरने के कारण हुई, जिसके परिणामस्वरूप हवाई विस्फोट हुआ। स्ट्राटा के कमजोर क्षेत्र में छत गिर गई जिसके परिणामस्वरूप काफी समय से पड़ी सीम की जलमग्न पुरानी खदानों से केव्ड क्षेत्र के माध्यम से पानी प्रवेश कर गया। पुरानी पड़ी सीम का डिपिलिरिंग से पहले और उसके दौरान पानी न निकाला जाना जलमग्नता का प्रमुख कारण है।

(ii) सी.सी.एल. के कर्मचारियों की ओर से लापरवाही और कर्तव्यत्याग भी रहा।

श्रम मंत्रालय के अन्तर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी.जी.एम.एस.), जो देश में खानों से संबंधित सुरक्षा संविधियों को लागू करने के लिए एक सांविधिक निकाय है, ने खान अधिनियम, 1952 के अधीन दुर्घटना की जांच की है और इस महीने श्रम मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

श्रम मंत्रालय ने खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अंतर्गत अदालती जांच का भी आदेश दिया है। इस संबंध में एक औपचारिक अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जाएगी।

सी.सी.एल. ने प्रभावित परिवारों को 10.32 लाख रु. से 11.86 लाख रु. तक के मुआवजा का भुगतान किया है। प्रत्येक मृतक के एक आश्रित को रोजगार भी दिया गया है। मृतक के परिवार को कंपनी के क्वार्टर में रहने की भी अनुमति दे दी गई है।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री ने प्रत्येक परिवार को प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 1.00 लाख रु. की अनुग्रह राशि स्वीकृत की है। सी.आई.एल. ने प्रत्येक परिवार को 1.00 लाख रु. की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मंजूर की है। मृतक के परिवार 3 से 4 लाख रु. तक के बीच भविष्य निधि और पेंशन के हकदार हैं।

कोयला खनन की प्रक्रिया में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। विभिन्न स्तरों पर कोयला खानों में सुरक्षा के सभी पहलुओं पर सतर्कता बरतने और मानीटर करने के लिए एक संस्थात्मक व्यवस्था की गई है। सुरक्षा मानीटरिंग के सभी स्तरों पर कामगारों के प्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है।

इसके अलावा, सुरक्षा संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार अन्य अनेक कदम उठाने पर भी बल दे रही है जैसे:-

(i) खानों में सुरक्षा पर सम्मेलन, (ii) सुरक्षा प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, (iii) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय व द्विपक्षीय समीक्षाएं, (iv) कार्यरत व्यक्तियों का प्रशिक्षण, (v) सुरक्षा सप्ताहों और सुरक्षा अभियानों का आयोजन

[डा. दासरि नारायण राव]

और (vi) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार।

भूमिगत खानों में दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नई प्रौद्योगिकियां अपनाई जा रही हैं। इनमें वैज्ञानिक रूफ सपोर्ट सिस्टम उपलब्ध कराना, रूफ बोल्टिंग तथा रूफ स्टिचिंग पद्धतियों का अधिक प्रयोग, आधुनिक यंत्रीकृत ड्रिलिंग मशीनों को शुरू करना, साइड डिस्चार्ज लोडर (एस.डी.एल.) को प्रारंभ करने के माध्यम से लोडिंग प्रचालनों का यंत्रीकरण और कामगारों को खनन संबंधी खतरों से बचाने के लिए लोड हाल डम्परों (एल.एच.डी.) को आरंभ करना, अत्यधिक कैप्टिल इन्टेन्सिव कम्प्यूटरकृत सतत खनन संबंधी पर्यावरणीय टेलीमॉनिटरिंग प्रणाली (ई.टी.एम.एस.) शामिल हैं।

महोदय, बंसगारा इन्क्लाइन में दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मानवीय भूल के कारण थी जैसाकि विभागीय जांच और डी.जी.एम.एस. द्वारा सामने आया है। जब मैंने अगले दिन उस स्थल का दौरा किया, तो कामगारों के साथ किए गए विचार-विमर्श से मानवीय भूल की संभावना मुझे स्पष्ट रूप से लगी। मैंने तुरन्त विभागीय जांच और संबंधित अधिकारियों को निलम्बित करने के आदेश दिए। कुल मिलाकर, 5 पदाधिकारियों जिनमें क्षेत्र के महाप्रबंधक शामिल हैं, को निलम्बित कर दिया गया है। यथासमय सभी संबंधितों को उपयुक्त दण्ड दिया जाएगा ताकि सभी स्तरों पर जवाबदेही को लागू किया जा सके और दुर्घटनाएं होने के मानवीय कारकों को समाप्त किया जा सके।

महोदय, सरकार उन कोयला खनिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो सभी मुश्किलों में देश की सेवा कर रहे हैं। मैं सम्मानित सदन को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इस संबंध में सभी प्रयास किए जाएंगे। अंत में, मैं इस सम्मानित सदन में इस महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता और श्री एस. सुधाकर रेड्डी को और अपने कोयला खनिकों की सुरक्षा की प्रतिबद्धता दोहराने का हमें अवसर प्रदान करने के लिए अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री जी के स्टेटमेंट को पढ़ा है। कोयला मंत्रालय सुरक्षा के मामले में गम्भीर नहीं है। जब कोई घटना घटती है तो नीचे से ऊपर तक, चाहे वह मैनेजर हो, जनरल मैनेजर हो, चाहे कोल इंडिया के चैयरमेन हों, चाहे कोयला मंत्री जी हों या कोयला मंत्री के सचिव हों सभी दौड़ लगाने लगते हैं। पंद्रह-बीस दिन तक तो अफरा-तफरी मची रहती है, लेकिन पंद्रह-बीस दिन बीत जाने के बाद जो सुरक्षा के उपाय करने चाहिए, वह उपाय नहीं किए जाते हैं। इसके प्रति कोयला मंत्रालय गम्भीर नहीं है। साथ ही साथ, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पार्लियामेंट की स्टैन्डिंग कमेटी ऑन लेबर ने एक रिपोर्ट कोयला खदानों में लगातार घटने वाली दुर्घटनाओं पर काबू पाने के संबंध में दी है, लेकिन आज तक लेबर कमेटी की उस रिपोर्ट का अनुपालन नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिये। हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि लेबर कमेटी की उस रिपोर्ट की सिफारिशों पर कहां तक अमल किया गया है? स्टेटमेंट में बताया गया है कि घटनाओं में कमी आयी है। यदि दुर्घटनाओं की संख्या 100 में से 90 रह गयी है तो इसका मतलब यह नहीं है कि दुर्घटनाएं बिलकुल बंद हो गयी हैं। जिस कोलियरी में ये घटना घटी थी, उसके बारे में मै आपको और माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि वह मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में पड़ती है। वहां दुर्घटना के पश्चात माननीय मंत्री जी के साथ मैं भी गया था। यहां के हजारों मजदूरों ने कहा था कि आज से नौ साल पहले जो कांठडारी कोयलरी बंद की गयी थी, सेंट्रल सौंदा की बंसगारा कोयलरी, एक दुर्घटना के चलते, आठ साल पहले बंद कर दी गई थी। सन् 2004 में सुरक्षा महानिदेशक से निर्देश लेकर कोयला खदान को फिर से चालू किया गया। उन्होंने कहा था कि इसे निर्देशों के मुताबिक ही चालू किया जाए, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब कोयला खदान चालू की गई, तो मजदूरों को काम पर भेजा गया। मजदूर लगातार हड़ताल करते रहे, वहां जाने से कतराते रहे, लेकिन वहां के मैनेजर, प्रोजैक्ट ऑफिसर और जीएम द्वारा धमकी देकर उनको खदान में भेजा गया। मई में श्री सुरेश मेहता, माइनिंग सरदार ने मैनेजर और प्रोजैक्ट ऑफिसर को लिखकर दिया कि यहां कोई घटना घट सकती है, इसलिए इसे बंद कर दिया जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अध्यक्ष महोदय, पहले मेरी बात सुन ली जाए, उसके बाद मैं प्रश्न पूछूंगा।...*(व्यवधान)* घटना के बाद वहां कोयला राज्य मंत्री गए। मैं और कई माननीय सदस्य भी गए थे। वहां के तमाम मजदूरों ने एक-एक करके घटना का जिक्र किया।...*(व्यवधान)* श्री सुरेश मेहता ने घटना से एक महीने पहले मैनेजर और प्रोजैक्ट ऑफिसर को लिखकर दिया था कि वहां की चांदनी गर्म हो रही है, जो हाथी दाडी खान बंद की गई है, उसके बीच की दीवार कमजोर हो गई है, इसलिए वहां कभी भी घटना घट सकती है, लेकिन उस पर भी पदाधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया। घटना से तीन दिन पहले तमाम मजदूरों ने मैनेजर से कहा कि बीच की चांदनी गर्म हो रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। जांच चल रही है। आप और क्या चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां भाषण देने का समय नहीं है, आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: पदाधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहां एकाएक घटना घटी, जिसमें 14 मजदूरों की मृत्यु हो गई। वह कोयलरी जो एक घटना घटने के बाद नौ साल बंद रही, फिर उसे किस परिस्थिति में चालू किया गया। घटना घटने का कारण यह है कि उसमें जो बालू की भराई होनी चाहिए, वह नहीं होती, पिलर ठीक से नहीं लगाए जाते।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि ध्यानाकर्षण प्रस्तावों का सही तरीके से प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो मुझे भविष्य में सभी ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को रोकना पड़ेगा। वरिष्ठ सदस्य भी इसका सही तरीके से प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आप बहुत आगे जा रहे हैं। मल्होत्रा जी द्वारा भी ऐसा किया गया है। श्री मेहता, उन्होंने विस्तृत उत्तर दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: मैं प्रश्न पूछ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी घटना दोबारा न दोहराई जाए, उसमें हर साल सैंकड़ों मजदूरों की जान जाती है, कोयला मंत्रालय द्वारा इस बारे में कौन से उपाय किए गए हैं? जिन लोगों के चलते दुर्घटना हुई, जो इसके लिए जवाबदेह हैं, यह ठीक है कि उन्हें सस्पैंड किया गया है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि वे जिम्मेदार हैं।...*(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि जो लोग 14 मजदूरों की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें डिसमिस करके उन पर हत्या का मुकदमा चलाया जाए।

हमने दुर्घटना के समय मांग की थी कि इसकी कोर्ट ऑफ इन्क्वारी की जाए।...*(व्यवधान)* जो कहा गया कि कोर्ट ऑफ इन्क्वारी करने का प्रस्ताव है, कोर्ट ऑफ इन्क्वारी कब की जाएगी और इस तरह की व्यवस्था कब तक की जाएगी ताकि ऐसी दुर्घटना फिर से न घटे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको एक मिनट की जगह दस मिनट दिए गए हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी (नालगौंडा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कोयला मंत्री ने ठीक ही कहा है कि कोयला खनन को विश्व में सबसे खतरनाक व्यवसाय समझा जाता है। नि:संदेह, गत कुछ वर्षों में दुर्घटनाएं कम हुई हैं परन्तु बहुत गम्भीर और घातक दुर्घटनाएं अभी भी हो रही हैं। सिंगारेनी कोलियरीज और अन्य कोलियरीज में बहुत बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। प्रश्न यह नहीं है कि 2001 में कितनी दुर्घटनाएं हुई और 2004 में कितनी हुई थीं। आधुनिक विश्व में आधुनिक उपकरण होने पर यह आवश्यक है कि सभी आधुनिक उपकरण होने चाहिएं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि जब ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं तो क्या हमारे पास बचाव कार्यों के लिए और कोयला खानों से पानी निकालने के लिए आधुनिक मशीनरी है।

दूसरे, यह सच है कि काफी मुआवजा दिया जा रहा है परन्तु मुआवजा निश्चय ही एक परिवार को पति अथवा पिता वापस नहीं दिला सकता। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी दुर्घटना न हो।

[श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी]

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई कदम उठाये गए हैं।

जहां तक सजा का संबंध है तो मंत्री महोदय ने कहा है कि सजा दी जाएगी। उन अधिकारियों को क्या सजा दी गई जिन्हें अभी तक जिम्मेदार ठहराया गया है।

श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 2002 में एक उप-समिति गठित की थी जिसके सभापति श्री गुरूदास दासगुप्त थे और खानों में दुर्घटनाएं रोकने के लिए कुछ सिफारिशें की गई थीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस उप-समिति की सिफारिशों पर कोई कदम उठाये गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री धर्मेन्द्र प्रधान, कृपया केवल एक प्रश्न पूछिये।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब ये पुरानी कोयला खदानें और छोटे-मोटे दूसरे काम चल रहे हैं, उस बीच में, उसी स्थान के ऊपर प्रदेश लेबल पर कैनाल वर्क होता रहता है। जब आप सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए चिन्तित होने की बात कह रहे हैं, तो क्या प्रदेश सरकारों से आपने अपने मास्टर प्लान के बारे में कुछ चर्चा करने का प्रयास किया है? यदि नहीं, तो क्या उस विषय पर आप प्रकाश डालेंगे? क्या प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार, दोनों के सेफ्टी विभाग मिलकर उस इलाके की सेफ्टी के बारे में सोचेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य। कृपया केवल एक प्रश्न पूछिए अधिक नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, कोयला खानों में, विशेषकर भूमिगत खानों में शायद ही दुर्घटनाएं होती हैं। सेंट्रल कोलफिल्ड्स लिमिटेड की भूमिगत खानों में से एक खान में ऐसी दुर्घटना हुई है जिनमें 14 खान कर्मियों की जानें चली गईं। अनेक आनुषंगिक खानों में सुरक्षा श्रेणी के स्टाफ की कमी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सुरक्षा श्रेणी स्टाफ की उन रिक्तियों को भरने के लिए कदम उठाए हैं। यह पहला प्रश्न है।

दूसरा यह कि बालू भराई का काम सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसका कारण है उस विशेष कोयला खान में स्तंभों को हटाया जाना। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कुछ उपाय करने पर विचार कर रही है, जैसे बालू भरना, स्तंभों को हटाना, छत गिरने से पर्याप्त सुरक्षा जिसकी विशेषकर भूमिगत खानों में जरूरत है जिससे कि उन खानों में दुर्घटना रहित प्रणाली स्थापित की जा सके।

अध्यक्ष महोदय: अब, माननीय मंत्री जवाब देंगे।

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, माननीय सदस्य श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता दुर्घटना स्थल पर मौजूद थे। दूसरे ही दिन मैंने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और बचाव कार्यों के दौरान मैं लगातार उनके संपर्क में रहा। हमने दुर्घटना स्थल पर ही पांच अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर दिया और तुरंत ही कोयला मंत्रालय ने सी.एम.पी.डी.आई. की अध्यक्षता ने एक समिति का गठन भी किया। रिपोर्ट भी आ गई है। डी.जी.एम.एस. ने भी एक समिति गठित की है। श्रम मंत्रालय ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की मांग की है और अधिसूचना जारी होने वाली है। ये दोनों रिपोर्टें आ गई हैं। दोनों रिपोर्टों के आधार पर, शुरू में हम से जो भी निर्णय लेने की उम्मीद की गई, हमने वह निर्णय लिया। उनके निष्कर्ष भी मेरे पास हैं।

बांसगारा के पैनल 11 में यह दुर्घटना एक बड़े क्षेत्र में फैली हुई उस छत के गिरने से हुई थी जहां का कोयला निकाला जा चुका था तथा खुदाई के साथ ही स्तंभों को हटाने का काम चल रहा था। रिपोर्ट में पहले ही इसका उल्लेख किया जा चुका है कि यह दुर्घटना सी.सी.एल. के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई। श्रम मंत्रालय को डी.जी.एम.एस. की रिपोर्ट का क्रियान्वयन करना होगा। जैसे ही कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का कार्य खत्म हो जाएगा फिर जो भी सजा देनी होगी, उस पर विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा है कि यह एक बंद पड़ी खान है। लेकिन यह सत्य नहीं है। यह बंद पड़ी हुई खान नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है।

डा. दासरि नारायण राव: जी हां, यह एक पैनल है। यह एक क्षेत्र है क्योंकि 18 नवम्बर, 2000 से अगस्त, 2004 तक पैनल 'क' के स्तंभों को हटाने का काम चल रहा था। उसी खान में सितम्बर, 2002 से 2004 तक पैनल 'ख' में स्तंभों को हटाने का काम किया गया। पैनल 11 के बारे में उन्होंने पानी निकालने की स्थिति का जायजा

लिया था और नवम्बर, 2003 में उन्होंने डी.जी.एम.एस. से अनुमति लेने के लिए आवेदन किया था तथा अनुमति प्राप्त की थी। उन्होंने 13 दिसम्बर, 2004 को काम शुरू किया। लेकिन हुआ यह कि जब अन्य क्षेत्रों में, अन्य पैनलों में काम चल रहा था तभी बताया गया कि यह एक बंद पड़ी खान है। विस्तृत रूप से जांच करने के बाद उन्होंने कहा कि उसी खान में कुछ हिस्सों में काम चल रहा था।

हमारे माननीय सदस्य ने जो दूसरा प्रश्न पूछा उसके बारे में उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि कोई घटना होने वाली है। उनके द्वारा प्रयुक्त शब्द, 'चांदनी गर्म हुआ' है। जब कभी कुछ गिरता है या कोई आवाज होती है तो वे कहते हैं कि 'चांदनी गर्म हुआ'। उन्होंने बताया कि एक सरदार को सूचना दी गई थी लेकिन दुर्भाग्यवश वह सरदार भी उन मृतकों में सम्मिलित था। इसलिए, हम यह पता नहीं लगा सकते कि वहां क्या हुआ।

श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी ने आधुनिकीकरण के बारे में बात की है। उनका कहना सही है। आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि कोयला खान विशेष रूप से दुर्घटना संभावित क्षेत्र होता है। यदि आप विकसित देशों में भी तीन लाख श्रम-शिफ्टों के ब्यौरे देखें तो यू.एस.ए. जैसे विकसित देशों में भी दुर्घटना से होने वाली मृत्यु दर 0.47 है। फ्रांस में यह 0.32 है। ऑस्ट्रेलिया में 0.44 है, चीन में एक के बाद एक दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन जहां तक भारत का संबंध है, दुर्घटना की दर 0.29 है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सावधानी नहीं बरतेंगे। इसके बावजूद हमने हर प्रकार उपाय किए है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): क्या आप दुर्घटना की दर से संतुष्ट है?

अध्यक्ष महोदय: नहीं, श्री बृज किशोर त्रिपाठी, मैं फिर आपको कोई मौका नहीं दूंगा।

डा. दासरि नारायण राव: आप कैसे कह सकते हैं कि हम संतुष्ट हैं। क्या कोई दुर्घटनाओं से संतुष्ट होगा? हम सभी उपाय कर रहे हैं। यह दुर्घटना-संभावित क्षेत्र है। कोल इंडिया के पास 305 खानें हैं जिसमें से 96 खानों में मशीनों का प्रयोग किया जा रहा था जबकि 455 करोड़ रुपये की लागत से दसवीं योजना के दौरान 80 खानों का मशीनीकरण किया गया है। शेष खानों का मशीनीकरण अगली योजना के दौरान किया जाएगा। जांच-सेवाएं पूरी तरह क्रियान्वित की जा रही हैं। पहले ये नहीं थीं। दुर्घटना के बाद इनका क्रियान्वयन हुआ है। दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मैं इस विषय पर केन्द्रीय नेताओं से चर्चा करना चाहता हूं। मैंने सभी केन्द्रीय नेताओं तथा कोल इंडिया के प्रबंधन की एक बैठक इस माह की 4 तारीख को बुलाई थी। इन सभी विषयों पर विचार करने के लिए हमने स्थायी समिति की बैठक 13 सितम्बर, को बुलाई थी।

एक अन्य बात है। श्री धर्मेन्द्र प्रधान तथा श्री बसुदेव आचार्य, दोनों ने सुरक्षा उपायों के बारे में पूछा है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं। 13 सितम्बर को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में मैं इन सुरक्षा उपायों पर चर्चा करूंगा। हम श्रमिकों का भी ध्यान रखने वाले हैं। आप जानते हैं कि मैं और यह सरकार, दोनों, किस प्रकार श्रमिकों के लिए काम कर रहे हैं। हम श्रमिकों की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंतित है।

अध्यक्ष महोदय: उस नहर के बारे में क्या हुआ? उन्होंने नहर के बारे में पूछा है। नहर की खुदाई से पहले आप राज्य सरकार के साथ परामर्श करें। आप इसका ध्यान रखें।

डा. दासरि नारायण राव: महोदय, यह अच्छी बात है।

पूर्वाह्न 11.59 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन के सम्बंध में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद सं. 10 पर विचार करेगी। श्री गुलाम नबी आजाद। वे उपस्थित नहीं हैं। श्री संतोष गंगवार।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा दिनांक 25 अगस्त, 2005 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 25 अगस्त, 2005 को सभा में प्रस्तुत किए गये कार्य मंत्रणा समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.59½ बजे

विशेषाधिकार समिति के पहले प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा दिनांक 25 अगस्त, 2005 को सभा में प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 25 अगस्त, 2005 को सभा में प्रस्तुत किये गये विशेषाधिकार समिति के पहले प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 12.00 बजे

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005*

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन):

मैं प्रस्ताव करती हूं कि:

[अनुवाद]

"मैं प्रस्ताव करती हूं कि 'किशोर न्याय' (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2000 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि किशोर न्याय (बालको की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 में संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन: मैं विधेयक प्रस्तुत करती हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खंड-2 दिनांक 29-8-05 में प्रकाशित।

अपराह्न 12.01 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) सी.आर.पी.एफ. में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्रीमती सुमित्रा महाजन। मैं छह या सात विषयों के लिए अनुमति दे सकता हूं क्योंकि आज प्रश्नकाल नहीं है। तत्पश्चात, दिन के अंत में अन्य विषयों की अनुमति दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): अध्यक्ष जी, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल हमारे यहां का मुख्य पुलिस बल है और समय आने पर, रक्षा के लिए पूरे हिन्दुस्तान में दौड़ता रहता है, कहीं भी कोई आपदा आ जाए, हम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की सहायता लेते हैं और वह बहुत अच्छा काम भी करता है। इस बल में वर्ष 1985 से महिलाओं को भी लेना प्रारम्भ हो गया और आज करीब 3500 महिलाएं इस पुलिस बल में कार्यरत हैं। इस बल में 40 से ज्यादा महिलाएं क्लॉस-वन ऑफिसर्स हैं। इस पुलिस बल ने पूरे हिन्दुस्तान का मनोबल बढ़ाया है, कुछ ऑफिसर्स के कारण या कुछ तत्वों के कारण यह पुलिस बल बदनाम होता जा रहा है। वहां कुछ क्लॉस-वन महिला ऑफिसर्स ने शिकायत की थी *...वहां महिलाओं का ह्रासमेंट होता है, वहां महिलाओं के साथ कुछ ऐसी हरकतें होती हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नामों से बचा जाना चाहिए। कृपया नाम छोड़ दीजिए।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन वहां 82 और 99 बटालियन की महिला ऑफिसर्स ने शिकायत की थी कि वहां महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, एब्यूजमेंट होता है, उनके साथ अश्लील हरकतें होती हैं। इस प्रकार की शिकायत के बाद वहां एक कंपलेंट कमेटी बनी जो पहले ही बनानी चाहिए थी। कंपलेंट कमेटी बनाई गयी लेकिन उस महिला को उसमें न्याय नहीं मिला। कंपलेंट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

है कि जिन अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया गया है वह सर्वथा सत्य और सही है। रिपोर्ट में यह कहने के बाद भी अधिकारियों पर कुछ एक्शन नहीं हुआ और उन अधिकारियों के प्रमोशन होते चले गये। इसके बाद महिलाओं को प्रेस में भी जाना पड़ा और वे महिला आयोग में भी गयीं। कुछ महिलाएं ऐसी थी जिन्होंने यह कहा कि हमारा नाम न लिया जाए। यह बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि अगर हमारा नाम आ जाएगा तो हमें और परेशान किया जाएगा और हमें रोज के काम में परेशानी उठानी पड़ेगी - यह कहते हुए उन्होंने कहा कि हमारा नाम मत लेना, लेकिन हां, वहां पर महिलाओं का ह्रासमेंट होता है। अध्यक्ष जी, हमने डॉमैस्टिक वायलेंस बिल पास किया, उसमें हमने सेंसेटाइजेशन की बात की और कहा कि थाने में अत्याचार सामान्यतः महिलाओं के साथ होता है। अभी भी हमने कहा है कि दिल्ली पुलिस बीट पर भी महिला पुलिस को रखेगी। अध्यक्ष जी, हम सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट का बचाव करने में एक महिला पुलिस अधिकारी ने अपनी भी गंवाई है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे विश्वास है कि आपके द्वारा उठाए गए विषय से हर कोई सहमत होगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार आपके द्वारा उठाए गए विषय की ओर उचित ध्यान देगी। आपने इस विषय को उचित रूप से सभा में उठाया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष जी, महिला आयोग और कंप्लेंट कमेटी को कहे हुए साल भर हो गया कि अधिकारी दोषी हैं, फिर भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहूंगी कि सी.आर.पी.एफ. में ऐसा होता चला जाए, जिनको हमारी महिलाएं रक्षक मानती हैं, जिन्हें रक्षक के नाते देखती हैं, उनकी अगर यह स्थिति हो जाए, तो सामान्य महिलाओं के कितने भी बिल पास करें, कितने भी अधिकार उन्हें दे दें, जो हिंदू सेक्सेशन यहां भी होना है, तो उसका क्या फायदा मिलेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही सरकार को इस ओर ध्यान देने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: महोदय, उसके लिए कुछ टाइम बाउंड होना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, मुझे लगता है आप उत्तर देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: एक साल हो गया, मगर साल भर के अंदर कुछ नहीं हुआ।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप चाहते थे कि वे जवाब दें। मैंने उन्हें जवाब देने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): माननीय सदस्या ने जिस बिंदु को उठाया है सरकार उस पर बहुत गंभीर है और बहुत संवेदनशील है। मैं माननीय सदस्या से अनुरोध करता हूं कि बहुत जल्दी ही आपको पता लगेगा कि इस संबंध में गंभीर कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी, आपने कोई नोटिस नहीं दिया है। हमें कोई नई प्रक्रिया स्थापित नहीं करनी चाहिए। आप कल एक नोटिस दे सकती हैं और इस विषय को उठा सकती हैं।

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत): ठीक है, महोदय।

श्री खगेन दास (त्रिपुरा-पश्चिम): धन्यवाद, महोदय। मैं सरकार का ध्यान मानवाधिकार विधि नेटवर्क की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहूंगा।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपको तो जवाब मिल गया।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: अध्यक्ष महोदय, एक्शन की बात तो की, लेकिन इसमें जो इन्वाल्वड व्यक्ति हैं, उसको इन्होंने एक्सेटेन्शन तक दिया।

[अनुवाद]

यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय: वे इस विषय पर भी ध्यान देंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन: एक्शन क्या लिया जाएगा, अगर इस मानसिकता से कार्य हो रहा है।...*(व्यवधान)*

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: हम इसे जरूर देखेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसके लिए कहा है। वे इस विषय पर ध्यान देने के लिए सहमत हैं। वे यहां बैठकर किसी चीज को निष्क्रिय नहीं कर सकते। वे इस विषय को देखेंगे।

श्री खगेन दास: महोदय, मैं सरकार का ध्यान मानवाधिकार विधि नेटवर्क की रिपोर्ट की ओर दिलाना चाहूंगा कि सुनामी त्रासदी के आठ महीनों के पश्चात भी द्वीप के पीड़ितों का पुनर्वास अभी भी दूरस्थ सपना है। जीवित बचे लोग अभी भी टीन के अस्थायी घरों में रह रहे हैं। बच्चों के लिए किसी प्रकार की कापी-किताबें नहीं हैं। वहां दूषित जल की आपूर्ति की जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि लोग आस-पास पड़ी लकड़ियों से अपना घर बनाना चाहते थे क्योंकि यह पाया गया है कि सुनामी के दौरान कोई भी परम्परागत मकान क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। अधिकारी अब द्वीप में कंकरीट निर्माण पर जोर दे रहे हैं। आदिवासी नेताओं के अनुसार कंकरीट निर्माण और ढांचा पारिस्थितिकीय आपदा है। यह भी बताया गया है कि गांवों में बिजली नहीं है। वहां ईंधन की कमी है, लोगों को तथा भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ईंधन तथा नावों की कमी है। द्वीप के पीड़ितों का सम्पर्क अभी भी शेष विश्व से कटा हुआ है। यह पता चला है कि सरकार ने अक्तूबर 2005 से आदिवासियों को निशुल्क राशन की आपूर्ति समाप्त करने का निर्णय लिया है। यदि ऐसा होता है तो निकोबार वासियों पर इसका गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। अतः मैं सरकार से यह आग्रह करता हूं कि वह इस विषय पर तुरंत ध्यान दे और उचित कार्रवाई करे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभार प्रकट करता हूं कि एक बहुत गंभीर समस्या पर आपने सदन का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति दी। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में कुपोषण से आदिवासी बच्चों के मरने की शिकायतें निरंतर मिलती रहती हैं और इसलिए दिसंबर 2003 में बेग कमेटी बनी थी, जिसकी जिम्मेदारी थी कि महाराष्ट्र में कोई आदिवासी इलाके का बच्चा कुपोषण का शिकार न हो। उसकी जान जाए। सरकार यह व्यवस्था सुनिश्चित करे, लेकिन मुझे बेहद अफसोस है कि इस संबंध में कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। मुंबई हाईकोर्ट में अमरावती के विनय पाटकर ने जनहित याचिका दायर की। उस जनहित याचिका में था - थाउजेंड्स डाई आफ हंगर। महोदय, इस संबंध में राज्य सरकार से हाईकोर्ट ने पूछा और हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया, स्टेट एडमिट्स थाउजेंड्स डाई। यह राज्य सरकार ने खुद स्वीकार किया कि हजारों बच्चों की जानें गई हैं, आदिवासी इलाकों में बच्चे कुपोषण का शिकार हुए हैं और उनकी जानें गई हैं।

अध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय: सब गम्भीर मामले हैं।

श्री रामजीलाल सुमन: सरकार का ध्यान आकर्षित करने के बावजूद भी अभी तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। हाई कोर्ट ने भारत सरकार और राज्य सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि पूरे महाराष्ट्र में इंटीग्रेटिड चाइल्ड डैवलपमैंट स्कीम (आई.सी.डी.एस.) को लागू किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: यहां राज्य सरकार का मामला उठाया नहीं जाता।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। राज्य सरकार स्वीकार कर रही है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप राज्य सरकार की इस तरीके से यहां आलोचना न करें। सैंटर ने क्या करना है, वह कहिए।

[अनुवाद]

आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: हाई कोर्ट ने सैंटर से कहा है कि वह इंटीग्रेटिड चाइल्ड डैवलपमैंट स्कीम पूरे हिन्दुस्तान में लागू करे।...*(व्यवधान)*

श्री अनंत गुढे (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में अनेकों बच्चे बीमारी के शिकार हो गए हैं। मुझे भी यह मामला उठाने की इजाजत दी जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामजीलाल सुमन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हजारों बच्चे कुपोषण का शिकार हैं।...*(व्यवधान)* अप्रैल से लेकर जुलाई तक हजारों बच्चे मर गए। सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि चाइल्ड डैवलपमैंट स्कीम को लागू किया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अन्यथा मैं शून्य काल स्थगित कर दूंगा। रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: गुढ़े जी, यह सही नहीं है। आपने नोटिस देने का भी कष्ट नहीं किया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप किसी अन्य माननीय सदस्य द्वारा उठाए जा रहे विषय का लाभ उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री रमाकांत यादव के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह सही बात नहीं है। मैं हाउस एडजर्न करके चला जाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जानबूझकर अध्यक्षपीठ की अवमानना कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस देने का भी कष्ट नहीं किया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभी विषय महत्वपूर्ण हैं। ये माननीय सदस्य एक महत्वपूर्ण विषय उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप इसके बारे में अभी सोच रहे हैं। उन्होंने जब यह सवाल उठाया, क्या उस समय आपने इसके बारे में सोचा?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एसोसिएट करने के लिए नोटिस देना पड़ता है। जो नोटिस देता है, वह ही एसोसिएट करता है। मैं आपको चांस नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। यदि आप सभी अवसरों का दुरुपयोग करते हैं तो मैं शून्य काल स्थगित कर दूंगा।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको इससे पहले कभी ऐसे बोलने का मौका नहीं मिला?

...(*व्यवधान*)

श्री रमाकान्त यादव (आजमगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे क्षेत्र की समस्या को सुनने के लिए अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे लोक सभा क्षेत्र आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में भयंकर बाढ़ से पूरा क्षेत्र तबाह हो गया है। पचास से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है। हजारों पशु मारे गए एवं हजारों किसानों और गरीबों के मकान ध्वस्त हो गए। सारी फसलें बरबाद हो गईं। 15 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। वहां की सारी नदियां घाघरा, तमसा, मझुई, मगई, वेसव और कुंवर सभी में तूफानी प्रकोप आया। किसानों की सम्पूर्ण जीविका तबाह हो गई है। ऐसी स्थिति बिगड़ गई है कि सहायता के लिए फौज को बुलाना पड़ा। जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। सरकार की तरफ से किसी भी प्रकार की सहायता लोगों को नहीं मिल रही है। ऐसे विकट स्थिति में लोगों को बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता, खाने क लिए अनाज, अनेकों मकानों का पुनर्निर्माण और नुकसान हुई फसल का पूरा मुआवजा देने की आवश्यकता है। मेरा प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वह राष्ट्रीय आपदा कोष से तत्काल कम से कम एक सौ करोड़ रुपए की सहायता भेजने की कृपा करें और भारत सरकार बाढ़ से हुए नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए एक केन्द्रीय जांच समिति यहां से आजमगढ़ रवाना करे और तत्काल उसका प्रतिवेदन मंगा कर हमारे क्षेत्र और जिले की जनता की पूरी सहायता करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुशील कुमार मोदी - आपने दो विषयों पर नोटिस दिए हैं। केवल एक विषय पर बोलने की अनुमति दी गयी है। आप बाढ़ संबंधी विषय उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, बिहार का एक हिस्सा बाढ़ और शेष हिस्सा सूखे से प्रभावित है। वहां की 70 परसेंट आबादी और किसान बाढ़ या सूखे से प्रभावित हैं। इससे हजारों एकड़ जमीन की फसल बरबाद हो गई है। दो दर्जन से ज्यादा स्थानों पर तटबंध टूट गए हैं। सात जिले बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 36 लोगो की मौत हो गई है। केवल किशनगंज में टेलाघाट प्रखंड में भयंकर बाढ़ में 25 लोग डूब कर मर गए। वहां नाव पलट गई जिससे 25 लोग डूब कर मर गए।

इसी तरह 27 अगस्त को जमालपुर थाने के भलुआहा गांव में एक नाव के पलटने से सात लोग डूब गए और सीतामढ़ी में दो बच्चों की बाढ़ के पानी में डूबकर मौत हो गई। मोतिहारी शहर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी शहर के अंदर प्रवेश कर गया। सीतामढ़ी शहर में भी लखनदेई का बायां तटबंध टूट गया और रविवार को ओराई में तटबंध सात जगह टूट गया जिससे सीतामढ़ी शहर में पानी प्रवेश कर गया। शिवहर में बाढ़ की स्थिति गंभीर है, लगभग दो दर्जन स्थानों पर तटबंध टूट गए हैं। मधुबनी के भुतहीबलान का तटबंध, फूलपराश में माधोपुर के निकट बह गया। कमलाबलान पश्चिमी तटबंध चार जगह से और पूर्वी तटबंध एक जगह पर टूट गया है यानि बिहार के सात जिले बाढ़ से प्रभावित हैं लेकिन अभी तक कोई केंद्र की टीम बिहार में नहीं गई है और न ही बिहार के महामहिम राज्यपाल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि तत्काल केन्द्र सरकार द्वारा, वहां जो बाढ़ और सूखे से नुकसान हुआ है, उसका आकलन करने के लिए केन्द्रीय टीम को भेजे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में नाव की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां तत्काल नावों की व्यवस्था की जाए और बड़े पैमाने पर राहत कार्य चलाए जाएं क्योंकि सरकार ने घोषणा की थी कि एक क्विंटल गेहूं और दो सौ रुपए नकद दिये जाएंगे। लेकिन कहीं पर कोई भी रिलीफ का कार्य नहीं चलाया जा रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि केंद्र सरकार तुरंत केंद्र की टीम को वहां पर भेजने की व्यवस्था करे और शेष बिहार को सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित इलाकों में युद्ध स्तर पर बाढ़ राहत का कार्य शुरू किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. अरूण कुमार शर्मा - उपस्थित नहीं।

*श्री पी. मोहन (मदुरै): महोदय, मैं तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश के दूसरे समुद्र तटीय क्षेत्रों में सुनामी के शिकार हुए युवाओं की दुर्दशा पर इस सम्माननीय सभा में प्रकाश डालना चाहता हूं। ये शिक्षित युवा जिन्होंने नौकरी के लिए आवेदन किया था और जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे थे, अचानक सुनामी आने के कारण अपने-अपने क्षेत्रों में अपना घर-बार और सम्पत्ति गंवा बैठे और इस तरह इस आपदा से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इस सुनामी आपदा ने 26 दिसम्बर, 2004 की सुबह दक्षिण के समुद्र तटीय क्षेत्रों को पूरी तरह तबाह कर दिया और ऐसा तांडव मचाया कि लोग अपने परिवारजनों से बिछड़ गये और अपनी रोजी-रोटी से हाथ धो बैठे। हर तरफ मौत और विनाश का दृश्य था। यद्यपि केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, कई स्वैच्छिक संगठनों ने तुरन्त मदद पहुंचाने का काम किया लेकिन उनकी मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई हैं।

माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक परीक्षाओं के ऐन पहले सरकार ने स्थिति की गंभीरता को समझते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला किया। ऐसा इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि छात्र-छात्राएं इस आपदा से बहुत अधिक भयभीत और तनावग्रस्त हो गये थे। यद्यपि स्कूलों में अंतिम परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया पर उसी अवधि में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को स्थगित नहीं किया गया। इस आपदा के कारण लोगों ने अपने मकान, दस्तावेज, प्रमाणपत्र, पुस्तकें, मवेशी, रोजी-रोटी के साधन सब कुछ खो दिया। कुछ जगहों के तो नामोनिशान तक मिट गये। इसलिए इस बात की महती आवश्यकता है कि केन्द्र सरकार सुनामी आपदा ग्रस्त युवाओं को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में बैठने के लिए कम से कम दो वर्ष की ढील दे। यहां पर इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि सुनामी आपदा के शिकार अधिकतर वे लोग हैं जो समाज के दलित वर्गों से हैं, मछुआरे समुदाय से हैं अथवा पिछड़े वर्गों से हैं। यद्यपि ये युवा सुशिक्षित हैं फिर भी शोक और सदमें के वक्त संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाएं आयोजित कराये जाने के कारण इन्हें सरकारी नौकरियां प्राप्त करने के अवसर नहीं मिल सके। इनमें से कुछ तो निर्धारित अधिकतम आयु सीमा भी पार कर गये हैं। कुछेक का तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने का अंतिम अवसर था लेकिन परीक्षा से संबंधित अध्ययन सामग्री के बह जाने के कारण वे इस परीक्षा में बैठने से वंचित रह गये। इसके अलावा, वे सुनामी के कारण जानमाल को हुए नुकसान की वजह से सदमा और दुःख में पहले से ही थे। इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि संघ लोक सेवा आयोग एक विशेष अधिसूचना जारी कर इन युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की ढील दे।

मैंने रोजगार समाचार पत्रों जैसे स्रोतों से इस आशय की खबरें जुटायी हैं कि जम्मू और कश्मीर के अभ्यर्थियों को इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए पांच वर्षों तक की छूट दी गयी है। इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह जम्मू और कश्मीर की तर्ज पर देश में सुनामी प्रभावित युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष तक की छूट देने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से बात करे। ऐसा इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि कुछ युवाओं ने अपने अंतिम अवसर को गंवा दिया और अधिकतम आयु सीमा पार हो जाने के कारण वे बाद की परीक्षाओं में भी नहीं बैठ सके। अतः संघ लोक सेवा आयोग को चाहिए कि वह सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को अधिकतम आयु सीमा में दो वर्ष की छूट प्रदान करे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, श्री सिंह, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अध्यक्ष और अध्यक्षपीठ के बीच इस तरह चक्कर न लगायें। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इन बातों को सीखना चाहिए कि सभा में किस तरह आचरण किया जाये। यह कोई टहलने की जगह नहीं है।

कृपया उन 'अवसरों' का दुरुपयोग न करें जिन्हें मैंने आपको उपलब्ध कराया है और आप जिन्हें 'शून्यकाल' के नाम से पुकारते हैं। यह भाषण देने का समय नहीं है। आप तीन, चार, पांच या छह वाक्यों में कोई बहुत महत्वपूर्ण मामला ही उठा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, 25 अगस्त, 2005 को समाचार पत्रों में छपी यह खबर कि नयी चीनी मिलें जो स्थापित की जा रही हैं, उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशानुसार उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त, गन्ना का आबंटन नहीं करेंगे जिससे देश के चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला पश्चिम उत्तर प्रदेश के लाखों

*मूलत तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री मुंशी राम]

किसान जो गन्ने का उत्पादन करते हैं, उनके लिये भारी संकट उत्पन्न हो गया है। किसान तभी खुशहाल रह सकता है, जब उसके उत्पादन का मूल्य, उत्पादन में आने वाली लागत से अधिक हो। आज तक गन्ना उत्पादन करने वाला किसान चन्द मिल मालिकों एवं इससे संबंधित उद्योगपतियों के हाथों में खेलता रहा है। वह अपनी मनमर्जी का मूल्य गन्ना उत्पादन करने वाले किसानों को देते थे। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1998 में एक आदेश जारी कर चीनी उद्योगों को लाइसेंस नीति से मुक्त किया गया परन्तु उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा भारत सरकार के इस आदेश को निरस्त करते हुये यह आदेश जारी किया गया कि आई.डी.आर. एक्ट के तहत लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही चीनी मिलें स्थापित हो सकती हैं। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा यह भी आदेश जारी किया गया कि वर्ष 1998 में डी-लाइसेंस शुगर पालिसी इंडस्ट्रियल रेगुलेशन अधिनियम की धारा 29-बी के विपरीत है। इससे उत्तर प्रदेश में होने वाले 5 हजार करोड़ रुपये के निवेश को भारी झटका लगा है। इस वित्त वर्ष में 16 संभावित चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन के लिये लगाई जा रही हैं। इस क्षेत्र के किसानों को उनके द्वारा किया जाने वाला गन्ना उत्पादन का सही मूल्य मिल सकता था। इससे किसान इस आदेश के बाद वंचित रह जायेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट, उत्तर प्रदेश द्वारा यह आदेश जन एवं किसान विरोधी है, जिसमें सब से बड़ी गलती उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त की है, जिन्होंने न्यायालय को विस्तार एवं सही जानकारी किसानों के हित में नहीं दी।

अध्यक्ष महोदय, इसलिये इस आदेश के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार एवं भारत सरकार उच्च न्यायालय को सही विवरण देकर उपरोक्त आदेश को निरस्त करायें अथवा कानून बनाकर किसानों का हित सुरक्षित करें तथा यह भी कि उत्तर प्रदेश गन्ना आयुक्त के द्वारा चन्द मिल मालिकों के हित में चुप रहकर तथा किसान हित में न्यायालय में पैरवी न करने के लिये स्पष्टीकरण मांगे। एक माह बाद चीनी मिलों द्वारा गन्ने की पिराई प्रारम्भ की जानी है। किसान हित में अति शीघ्र न्यायालय एवं सरकार द्वारा आदेश जारी कराया जाये जिससे पश्चिम उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन करने वाला किसान सुरक्षित रहेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। भविष्य में जब कभी हम अविलम्बनीय लोक महत्व के मामले उठायें तो हम विषय विशेष पर ही केन्द्रित रहें ताकि कई दूसरे विषयों को भी इस कालावधि में उठाया जा सके।

माननीय सदस्य श्री बृज किशोर त्रिपाठी जी आप मामले की संवेदनशीलता से अवगत हैं। एक वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य होने के नाते आप अपने मुद्दे को सभा में उठाते समय इन बातों को ध्यान में रखेंगे।

अपराह्न 12.23 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन - *जारी*

(दो) प्रस्तावित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान को कथित रूप से भुवनेश्वर से कोलकाता स्थानांतरित किये जाने के बारे में

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रस्तावित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पूर्ववर्ती राजग सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान की तर्ज पर उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में एक भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना का निर्णय किया था। लेकिन अब इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इसे कोलकाता में स्थापित किया जाये। इससे उड़ीसा के लोगों की आशाओं और भावनाओं को ठेस पहुंची है। इससे राज्य में आंदोलन की स्थिति पैदा हो गयी है। पूरा राज्य इस बात से आंदोलित है।

महोदय, आप जानते हैं कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस बारे में निर्णय लिया था और राज्य सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान हेतु भुवनेश्वर में जगह भी निर्धारित कर ली। इससे पूर्वी क्षेत्र को कुछ प्रोत्साहन मिलता? यद्यपि उड़ीसा में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है फिर भी यह एक उपेक्षित राज्य बना रहा है। यह इसलिए उपेक्षित होता रहा है क्योंकि भारत सरकार हमेशा ही उड़ीसा राज्य की उपेक्षा करती रही है। जब भी केन्द्र में कांग्रेस की सरकार होती है उड़ीसा राज्य की उपेक्षा की जाती है, और यह इसका ताजा उदाहरण है। पूर्ववर्ती राजग सरकार ने उड़ीसा को इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान का उपहार दिया था। हम किसी राज्य के विरुद्ध नहीं हैं और चाहते हैं कि सभी राज्यों में सुधार हो और उनका विकास हो।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है श्री त्रिपाठी, आपने अपनी बात कह दी है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: पश्चिम बंगाल के बारे में भी हमारी भावनाएं और संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन यह सरकार दोनों राज्यों के लिए समस्याएं पैदा कर रही है। यह उन दो राज्यों के बीच वैमनस्य पैदा कर रही है जिनके आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। इसलिए भारत सरकार को अपना यह निर्णय वापस ले लेना चाहिए। पूर्व में जिस राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान को उड़ीसा में स्थापित करने का निर्णय लिया गया था उसे लागू किया जाना चाहिए। सरकार को भुवनेश्वर में इस विशेष राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान के निर्माण इत्यादि के लिए निधियां प्रदान करने की दिशा में सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव को बोलने की अनुमति देता हूं और किसी को नहीं।

...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: हम इस पर सरकार की प्रतिक्रिया चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये, आप भी बैठिये।

[अनुवाद]

डा. प्रसन्न कुमार पारसाणी (भुवनेश्वर): माननीय सदस्य ने यहां पर अभी जो कुछ कहा है मैं स्वयं को उससे संबद्ध करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय: चूंकि यह मामला काफी संवेदनशील है इसलिए श्री बृज किशोर त्रिपाठी इसे यहां उठाना चाहते थे। मैंने उन्हें मामला उठाने की अनुमति दी है। हमें हर रोज एक नयी प्रक्रिया की परंपरा नहीं डालनी चाहिए। जिन सदस्यों ने सूचना दी है उन्हीं को संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है। आप द्वारा व्यक्त भावनाओं को पूरी तरह रिकार्ड किया गया है और उन्हें मान्यता प्रदान की गई है इसीलिए मैंने आपको बोलने की अनुमति प्रदान की है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सरकार द्वारा किसी राज्य को क्या लाभ दिये जाते हैं हमारा इस पर कोई प्रतिवाद नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सूचना दिए बिना कोई भागीदार नहीं बन सकता।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: लेकिन इसे उड़ीसा की कीमत पर क्यों किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कह चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: मेरा मुद्दा यह है कि उड़ीसा की कीमत पर कुछ राज्यों को लाभ क्यों दिया जाए? कोलकाता में अनेक संस्थान हैं और हम नहीं चाहते कि उनमें से किसी एक को भी कोलकाता से स्थानांतरित किया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बासुदेव आचार्य, आप किसी अन्य मुद्दे पर अपनी बात कह सकते हैं, परन्तु इस विषय पर नहीं।

...*(व्यवस्था)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, सरकार को शीघ्र प्रतिक्रिया देनी चाहिए क्योंकि समूचा राज्य उत्तेजित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने पहले इस विषय पर माननीय प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हमें सरकार से यह प्रतिक्रिया चाहिए कि वे इस पर विचार करेंगे। यह पूरे राज्य की यह भावनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना वक्तव्य दे चुके हैं।

...*(व्यवस्था)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: महोदय, सरकार को इस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: हर विषय पर प्रतिक्रिया देने के लिए मैं उन्हें विवश नहीं कर सकता। मंत्री महोदय भी यहां उपस्थित हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: पूरा राज्य उत्तेजित है। महोदय, मंत्री महोदय यहां उपस्थित हैं।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं इस विषय में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि मैं इस विषय को संबंधित मंत्री के संज्ञान में लाऊंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, कृपया संक्षेप में कहें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, पिछले 15 वर्षों से प. बंगाल राज्य में कोयले के संबंध में रायल्टी का पुनःनिर्धारण नहीं किया गया है। तर्क यह दिया गया था कि प. बंगाल सरकार ने कोयले पर उपकर लगा दिया है जिसके कारण रायल्टी का पुनःनिर्धारण नहीं किया गया है। तथापि अन्य कोयला उत्पादक राज्यों में रायल्टी का तीन बार पुनःनिर्धारण किया जा चुका है। रायल्टी के पुनःनिर्धारण नहीं किए जाने के कारण प. बंगाल को 2000 करोड़ रु. से अधिक की हानि हो रही है।

*(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय: इस व्यवधान को कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए।

श्री बसुदेव आचार्य: प. बंगाल के संबंध में, पिछले 15 वर्षों से रॉयल्टी का पुनःनिर्धारण नहीं किया गया है जबकि अन्य राज्यों के संबंध में ऐसा किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें न कि माननीय सदस्य को।

श्री बसुदेव आचार्य: हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने प. बंगाल सरकार द्वारा कोयले पर उपकर लगाए जाने के निर्णय को उचित ठहराया है।

महोदय, मैं सरकार से यह मांग करता हूं कि प. बंगाल में कोयले पर दी जाने वाली रायल्टी का पुनःनिर्धारण किया जाना चाहिए और प. बंगाल को पिछले 15 वर्षों से रायल्टी का पुनःनिर्धारण न किए जाने की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना मुद्दा पूरी तरह से स्पष्ट कर चुके हैं।

अब मैं श्री गिरधारी लाल भार्गव का नाम पुकार रहा हूं क्योंकि वे एक आदर्श सदस्य हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बहुत संक्षेप में बोल रहा हूं।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपको हर वक्त हम बोलने का मौका देंगे। इन लोगों को आपसे कुछ सीखना चाहिए और हमें भी सीखना चाहिए।

श्री गिरधारी लाल भार्गव: मैं जयपुर से संबंधित कोई बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि केन्द्रीय कर्मचारियों का जो कष्ट हैं, वह मैं आपके सामने बता रहा हूं। प्रसार भारती, दूरदर्शन और आकाशवाणी में तकनीकी और कार्यक्रम संबंधी कर्मचारियों को कई वर्ष पहले विशेष वेतन वृद्धि दी गई थी। लेकिन प्रसार भारती के अन्य कर्मचारियों को कोई वेतन वृद्धि अभी तक नहीं दी गई है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तरह का भेदभाव समाप्त किया जाए और इस संबंध में तुरंत कार्रवाई की जाए।

इसी तरह से वर्ष 2003 में जो छठा वेतन आयोग गठित होना था, वह अभी तक गठित नहीं हुआ है। इसके पहले वर्ष 1993 में पांचवां वेतन आयोग गठित हुआ था, जिसके दस वर्ष बाद यानी वर्ष 2003 में छठा वेतन आयोग गठित हो जाना चाहिए था, जो अभी तक गठित नहीं हुआ है। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि छठा वेतन आयोग तुरंत गठित किया जाना चाहिए।

मैं आपकी जानकारी में एक तथ्य और लाना चाहता हूं कि अप्रैल, 2004 से जो भी कर्मचारी केन्द्र सरकार में काम करेगा, उसके लिए पेंशन की राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। इसलिए मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि आकाशवाणी, दूरदर्शन के कर्मचारियों के लिए विशेष वेतन वृद्धि, छठे वेतन आयोग का गठन और वर्ष 2004 के बाद केन्द्र सरकार मे आने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन का न दिया जाना, इन तीनों विषयों के बारे में जो मैंने यहां निवेदन किया है, इस संबंध में केन्द्र सरकार निश्चित रूप से ध्यान देगी। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जब तक हम हैं, आपको हर वक्त बोलने का समय मिलेगा।

अपराह्न 12.30 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे। मैं उन्हें आज मामले उठाने की अनुमति दे रहा हूं।

(एक) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में किसानों की फसल बीमा की देय बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): महोदय, किसानों के लिए बनी फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को फायदा नहीं हो रहा है जितना सरकार ने चाहा था। मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के किसानों को 2004 वर्ष के बीमे का अभी तक भुगतान नहीं किया गया है जिसके कारण किसानों को बहुत आर्थिक परेशानी हो रही है। अमरेली के किसानों को इस कार्य के लिए फसल बीमा योजना कार्यालय के कई बार चक्कर काटने पड़ते हैं। देखा गया है कि फसल बीमा योजना के लिए कई औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं जिन्हें गरीब और अनपढ़ किसान पूरा करने में असमर्थ होते हैं जिसका फायदा बीमा योजना के लोग उठाते हैं।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली के किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत लंबित भुगतान तुरंत किया जाए और फसल बीमा योजना को सरल बनाया जाए और भुगतान का समय तय किया जाए जैसा कि बीमा प्रीमियम का समय तय है वैसे ही बीमा भुगतान का समय निश्चित होना चाहिए।

(दो) जम्मू कश्मीर में बसोहली-बनी-बधरवाह रोड के शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, जम्मू कश्मीर में बसोहली-बनी-बधरवाह सड़क को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

इस सड़क का उद्घाटन वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस उद्देश्य से किया था कि इस क्षेत्र का सम्पर्क पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों तथा देश के अन्य हिस्सों से हो जाएगा। इस क्षेत्र के लोगों की इच्छा थी कि इस सड़क को शीघ्र पूरा किया जाय, परन्तु इस सड़क को पूरा किये जाने का सपना अभी भी साकार नहीं हुआ है। यद्यपि इस सड़क पर कुछ निर्माण कार्य तो हुए है किंतु यह अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों को अनेक कठिनाइयां हो रही हैं। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस सड़क को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जाए।

(तीन) महाराष्ट्र में दौन्ड-भिगवान और मनमाड-दौन्ड रेलवे लाइन के दोहरीकरण के साथ पुंतम्बा और शिरडी के बीच नई रेल लाइन का शीघ्र निर्माण किये जाने की आवश्यकता

अध्यक्ष महोदय: श्री बालासाहिब विखे पाटील चूंकि वे पहले ही नोटिस दे चुके हैं, इसे सभा पटल पर रखा माना जाए।

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव)*: मैं रेल मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे निम्नलिखित परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करें।

(1) पुनतम्बा-शिरडी (16.40 कि.मी.) के बीच नयी रेल लाइन बनाए जाने के संबंध में परियोजना में तेजी लाए जाने की आवश्यकता है जिससे कि इसे शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सके।

(2) दौन्ड-भिगवान रेल मार्ग का दोहरीकरण और

(3) मनमाड-दौन्ड रेल मार्ग का दोहरीकरण तथा विद्युतीकरण परियोजना। यह एक महत्वपूर्ण खंड है। यात्री और माल दोनों प्रकार के यातायात में वृद्धि के कारण तथा इस मार्ग पर सुपर फास्ट रेल गाड़ियों के चलने के कारण भी इस परियोजना को शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

(चार) देश में आयुर्विज्ञान शिक्षा के मानक को बनाये रखने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन्स द्वारा नेशनल बोर्ड सर्टिफिकेट का डिप्लोमा जारी किये जाने की प्रथा को बंद किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): महोदय, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की स्थापना देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षा के स्तर पर व्याप्त विषमताओं का मूल्यांकन करने तथा उसे दूर करने के उद्देश्य से की गयी थी। तदुपरांत, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड ने डी.एन.बी. (डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड) प्रमाण पत्रों को जारी करना शुरू कर दिया और यह निदेश दिया कि उन्हें मेडिकल कॉलेजों तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे संस्थानों द्वारा जारी स्नातकोत्तर तथा पोस्ट-डॉक्टरेट डिग्री के समकक्ष माना जाए। यह भारी अनियमितता है क्योंकि राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध नहीं है और ना ही वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध है। न्यायालयों ने

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

भी यह कहा है कि डी.एन.बी. प्रमाण पत्रों को ऐसे मेडिकल कालेजों तथा संस्थानों से जो कि वैधानिक निकायों से संबद्ध हैं द्वारा जारी प्रमाण पत्रों तथा डिग्रियों के समकक्ष नहीं माना जा सकता। अतः सरकार को शीघ्र इस प्रथा को बंद करना चाहिए क्योंकि इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आ रही है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे इस विषय में शीघ्र कार्रवाई करें।

(पांच) चंडीगढ़ में आधुनिक विज्ञान शहर (साइंस सिटी) और एक तारामंडल (प्लेनेटेरियम) की स्थापना किये जाने की आवश्यकता

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): चंडीगढ़ शिक्षा के क्षेत्र में एक उत्कृष्ट शहर के रूप में विकसित हो रहा है। पंजाब विश्वविद्यालय, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबॉयलज तथा विभिन्न अन्य संस्थानों ने चंडीगढ़ को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान पर ला खड़ा किया है। सी.एस.आई.ओ. ने भी नैनोटैक्नोलोजी के क्षेत्र में अपार सफलता प्राप्त की है। तथापि, इन सबके बावजूद वहां स्कूल स्तर पर विज्ञान को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थियों में वैज्ञानिक उत्कंठा को विकसित करने हेतु अभी भी बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अतः इस संबंध में सरकार से अनुरोध करता हूं कि चंडीगढ़ को एक आधुनिक विज्ञान शहर के रूप में स्थापित किया जाए जिसमें सभी वैज्ञानिक गतिविधियों के साथ-साथ एक तारामंडल भी हो।

(छह) कोट्टूर-हरिहर रेल लाइन परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए और अधिक धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री जी. करुणाकर रेड्डी (बेल्लारी): महोदय, कोट्टूर-हरिहर रेल लाइन दो तटों, पूर्व और पश्चिम के बीच एक महत्वपूर्ण सम्पर्क का कार्य करती है। पूरा होने पर यह लाइन सभी तीन पत्तनों मंगलौर, चेन्नै और विशाखापट्नम के लिए लौह अयस्क के आवागमन को सम्भव बनाएगी और वापसी में यह उर्वरक, कोयला, सीमेंट व अन्य उत्पादों को ला सकती है। इसकी नींव का पत्थर लगभग 10 वर्ष पूर्व रखा गया था और इसका कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस लाइन को, जो कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य है, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केन्द्र ने वर्तमान बजट में इस लाइन के लिए केवल 3 करोड़ रुपये आबंटित किए हैं। इस परियोजना को गति प्रदान करने हेतु तत्काल 20 करोड़ रुपये आबंटित किए जाने चाहिएं।

सत्यनारायणपेट रेलवे गेट, अर्थात एल.सी. संख्या 114, बेल्लारी शहर में सड़क ऊपरी पुल के निर्माण हेतु तत्कालीन रेल राज्य मंत्री ने वर्ष 2004 में आधारशिला रखी थी लेकिन अभी तक उसका कार्य आरम्भ नहीं हुआ है।

मैं केन्द्र से इन परियोजनाओं के तेजी से शीघ्र समापन हेतु अधिक धनराशि आबंटित करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि ये दोनों प्रस्ताव बहुत महत्वपूर्ण हैं।

(सात) मध्य प्रदेश के सागर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पाये गए एल.पी.जी. के स्रोत की जांच किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सागर (म.प्र.) के राहतगढ़ नामक स्थान में एक व्यक्ति द्वारा सात वर्ष पहले पानी के लिए बोरिंग कराई गई थी। पानी की तलाश में कराए गए बोर से धरती से चार साल से लगातार एल.पी.जी. गैस निकल रही है तथा इस प्राकृतिक गैस से घरेलू कार्यों के अतिरिक्त अन्य कमर्शियल कार्य भी चल रहे हैं। तीन वर्ष पहले खनिज विभाग के कुछ लोग वहां गए थे। उन्होंने कहा था कि थोड़ी बहुत गैस है, कुछ समय के बाद बंद हो जाएगी, पर गैस अब तक न तो बंद हुई है और न ही उसकी लौ धीमी पड़ी है। इस क्षेत्र के दो तीन और बोर से भी गैस निकली है।

उल्लेखनीय है कि 7-9 वर्ष जबलपुर में आए भूकंप से जबलपुर, दमोह सागर तक का क्षेत्र भूकंप से प्रभावित हुआ था। अतः चार साल से लगातार निकल रही गैस अब आश्चर्य से कहीं ज्यादा बढ़ कर प्राकृतिक गैस विभाग की अनदेखी की वजह से चर्चा में है। इसके स्रोत तलाशने और इस गैस से होने वाले खतरों के बारे में अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस क्षेत्र में दो पैट्रोल पंप एवं एक एल.पी.जी. गैस के गोदाम भी हैं। कहीं ये कोई बड़ी दुर्घटना अथवा भूकंप जैसे त्रासदी के लक्षण तो नहीं। कहीं इस तरह के स्रोतों से दुर्घटना होने की संभावना तो नहीं?

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि भूगर्भ शास्त्र विभाग तथा प्राकृतिक गैस विभाग को निर्देशित कर इस मामले की गहराई से इंवेस्टीगेशन करवाने का सहयोग करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

(आठ) सुल्तानगंज बिहार को धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थान के रूप में विकसित करने के लिए आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): महोदय, बिहार के सुल्तानगंज में लाखों लोग प्रतिवर्ष श्रावण माह में कॉवर लेकर देवघर स्थित बैजनाथ धाम में जल चढ़ाते हैं। यह मेला एक माह तक चलता है। 80 मील की यात्रा कर देश-विदेश के लगभग 25 लाख लोग सुल्तानगंज से जल भर देवघर जाते हैं। रास्ते में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, जिससे तीर्थ यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतः केंद्र सरकार सुल्तानगंज के धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व की पर्यटन सूची में शामिल करे। केंद्र सरकार मूलभूत सुविधाओं के लिए आर्थिक सहायता करे एवं इस मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए।

(नौ) जयपुर-लोहारू-रींगस-सीकर तथा फुलेरा-रींगस-रिवाड़ी मीटरगेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुभाष महरिया - सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***श्री सुभाष महरिया** (सीकर): महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की ओर दिलाते हुए बताना चाहता हूं कि फूलेरा-रींगस-रेवाड़ी एवं जयपुर-रींगस-सीकर-लोहारू रेल लाइन आज भी मीटर गेज है। मैं जानकारी देना चाहूंगा कि रेल विभाग ने सन् 1970 में जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की, उसकी रेट आफ रिटर्न 15 प्रतिशत से ऊपर आई, पुनः 1998 में एक रिपोर्ट रेल विभाग ने बनाई, उसमें भी मीटर गेज को ब्रॉडगेज में बदलना न्यायसंगत ठहराया गया। अतः निवेदन है कि जयपुर से लोहारू वाया रींगस-सीकर एवं फूलेरा से रेवाड़ी वाया रींगस को अविलम्ब मीटर गेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तित किया जाए।

महोदय, रेल विभाग भी आर्थिक रूप से फायदे में रहेगा एवं देश की रक्षा में लगे सीकर एवं झुन्झुनू जिले के सैनिक, जिनकी वीरता का कोई सानी नहीं है, उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी। मैं शेखावाटी क्षेत्र के सीकर संसदीय क्षेत्र से चुन कर आता हूं जहां के लोग देश के हर कोने में व्यापारिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन्हें भी बड़ी राहत मिलेगी तथा खाटूश्यामजी, सालासरजी धाम, शाकुम्बरी माता एवं जीणमाता धार्मिक स्थल होने से, जहां देश के हर कोने से करोड़ों लोग दर्शनों के लिए आते हैं, उन्हें भी आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा जहां तक खनिजों का संबंध है इनका शेखावाटी क्षेत्र में भारी दोहन होता है। अतः इन लाइनों के मीटर गेज से ब्रॉडगेज में परिवर्तन से शेखावाटी क्षेत्र का समग्र विकास भी संभव होगा।

(दस) छत्तीसगढ़ की वन आधारित अर्थव्यवस्था के अनुरक्षण के लिए इसे विशेष पैकेज उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): महोदय, यह सर्वविदित है कि पर्यावरण संतुलन, हमारे देश में जहां आज भी बहुसंख्य लोग प्रकृति आधारित अर्थव्यवस्था पर जीवन यापन कर रहे हों, अत्यंत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूं। मेरा राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति बहुल राज्य है। हमारे यहां 42 प्रतिशत वन क्षेत्र है जबकि राष्ट्रीय वन नीति 33 प्रतिशत वन क्षेत्र की वकालत करती है। निसंदेह पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हमारे 42 प्रतिशत वन क्षेत्र का अत्यंत महत्व है और इसे बचाए रखना आवश्यक है। परन्तु यह भी देखना होगा कि इस कार्य के कारण हमारे नागरिकों, विशेषकर हमारी 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के विकास पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसे कौन मुआवजा देगा। इससे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व के राज्यों के विकास कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं।

मा. सर्वोच्च न्यायालय ने भी वन धारित राज्यों को अपने वन संरक्षण के बदले में विशेष पैकेज देने का आदेश दे रखा है। मा. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2003 के अनुसार विकसित राज्यों ने पर्यावरण संतुलन बिगाड़ा है, इसकी भरपाई करने वाले वनधारित राज्यों को भी बदले में विशेष मुआवजा पैकेज दिया जाना चाहिए जिससे कि वे राज्य वनसंरक्षण में गंभीर रहें और साथ ही ऐसे राज्य पैकेज के माध्यम से मिली धनराशि से अपने वनवासियों और अन्य नागरिकों का विकास कर सकें।

---

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्री पुन्नू लाल मोहले]

अत: केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराकर विकसित राज्य द्वारा वनधारित छत्तीसगढ़ राज्य सहित अन्य राज्यों को विशेष पैकेज मुहैया कराया जाए।

(ग्यारह) उन स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्होंने गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था, को केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पी. करुणाकरन - सभा पटल पर रख दीजिए।

***श्री पी. करुणाकरन** (कासरगोड़): महोदय, गोवा के स्वाधीनता सेनानियों का संघर्ष 1955 में आरम्भ हुआ था। भारत के विभिन्न भागों से सैकड़ों लोगों ने इस संघर्ष में भाग लिया था। केरल में सौ से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया था जिनमें से 62 जीवित हैं। इस संघर्ष को गोवा को पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराने हेतु स्वतंत्रता संघर्ष माना गया था। केरल सरकार पहले से ही इस संघर्ष में भाग लेने वालों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन प्रदान कर रही है। केरल को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में, जिन्हें राज्य से पेंशन मिल रही है उन्हें केन्द्र से भी पेंशन मिल रही है। उच्च न्यायालय के एक निर्णय में भी यह स्पष्ट किया गया है कि 'जिन्हें राज्य से यह पेंशन मिल रही है वे केन्द्र से भी स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेने के योग्य हैं। उन्होंने सरकार को बहुत से अभ्यावेदन दिए हैं परन्तु उनको यह कारण दर्शाते हुए अस्वीकार कर दिया गया कि उनके छिपने या जेल में होने का कोई प्रमाणपत्र नहीं है। चूंकि यह संघर्ष 1955 में हुआ था अत: किसी को छिपने या जेल जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और स्वयं भारत सरकार ने इस संघर्ष को समर्थन दिया था। वे लोग राज्य से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और यह उनके इस संघर्ष में सम्मिलित होने का अखंड्य सबूत है।

अत: मैं सरकार से गोवा स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले इन लोगों को केन्द्रीय एस.एस.एस. पेंशन स्वीकृत करने का अनुरोध करता हूं।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(बारह) उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में अलवारा झील को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में स्थित अलवारा झील का समुचित विकास अभी तक नहीं हुआ है। ठंड के मौसम में यहां विदेशी पक्षियों का आगमन होता है। हजारों एकड़ भूमि में जल भराव से खेती को बहुत बड़ा नुकसान होता है। केन्द्र सरकार कौशाम्बी के ऐतिहासिक महत्व को समझे। गौतम बुद्ध ने यहां नौ वर्ष तक वास किया था। आज यहां स्थित किला खंडहर का रूप लिए हुए है। यह विदेशी पर्यटकों एवं बौद्धिक धर्माचारियों की स्थली है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि अलवारा झील को विकसित कर कौशाम्बी व झील को देश के पर्यटन मानचित्र पर लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

(तेरह) बिहार में बोधगया में आई.टी.डी.सी. के अशोक होटल के विनिवेश में कथित अनियमितताओं की सी.बी.आई. से जांच कराये जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी (गया): माननीय अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र गया के अंतर्गत बोधगया में आई.टी.डी.सी. का होटल अशोका है, जिसकी सालाना आय रु. 1,98,00000/- (रुपए एक करोड़ अट्ठानवे लाख) थी, उसका टेंडर मात्र रु. 2,01,00000/- (रुपए दो करोड़ एक लाख) में बिका। निविदा, एक खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए की गई है। विनिवेश के सारे नियम-कानूनों को ताक पर रखते हुए उस व्यक्ति ने अपने लाभ के लिए उस होटल को अपने नाम से करा लिया है।

होटल का क्षेत्रफल 7 एकड़ है। सारी जमीन का मूल्य लगभग 17 करोड़ 92 लाख रुपए है। यह निविदा, दोपहर बाद, 3 बजे खोली गई और रात के 8 बजे इसका फैसला कर दिया गया। निविदा लेने वाले व्यक्ति ने भारत सरकार के श्रम कानून के विपरीत होटल के अधिकांश कर्मचारियों को निकाल दिया है, जिससे वे और उनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और कइयों की मृत्यु हो चुकी है।

अत: मैं इस सदन के माध्यम से, केन्द्र सरकार से यह मांग करता हूं कि विनिवेश के इस सारे प्रकरण की सरकार सी.बी.आई. से जांच कराए।

(चौदह) बिहार में गया को पर्यटन महत्व के स्थान के रूप में विकसित किये जाने की आवश्यकता

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव - उपस्थित नहीं।

[अनुवाद]

चूंकि वे पहले ही इसकी सूचना दे चुके हैं अतः इसे सभा पटल पर रखा माना जाए।

[हिन्दी]

***श्री राम कृपाल यादव** (पटना): महोदय, बिहार राज्य में बोध गया, प्राचीन एवं महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों में प्रमुख है। यहां प्रत्येक दिन हजारों विदेशी पर्यटक आते हैं। अगर केन्द्र सरकार बोध गया का समुचित विकास खुद करे, तो वहां से फॉरेन एक्सचेंज की अधिक कमाई हो सकती है। साथ ही साथ क्षेत्र का भी विकास होगा। गया एवं पटना में आधारभूत सुविधाएं यानी गया और पटना का हवाई अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हो और सड़क मार्ग भी अच्छा हो, तो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों के अलावा घरेलू पर्यटकों को भी आकर्षित किया जा सकता है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि गया के विकास के लिए समुचित ध्यान दे और वहां केन्द्र की सहायता से योजनाओं को प्रारूप देकर कार्यान्वयन करने की सुनिश्चित व्यवस्था करे।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पेयजल की गंभीर समस्या को हल करने के लिए क्षेत्र में अच्छी क्वालिटी के इंडिया मार्का हैन्ड पम्प लगाये जाने की आवश्यकता

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य में विशेषकर उन्नाव जनपद के ग्रामीण अंचलों में पीने के पानी का भारी अभाव है। यहां पर लोग स्वच्छ पानी के अभाव में संदूषित पानी को पीने के लिए मजबूर हैं जिसके परिणामस्वरूप वे तरह-तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। उन्नाव जनपद एक बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। हालांकि प्रशासन की ओर से इंडिया मार्का हैंडपम्प उन्नाव संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत लगाने का प्रावधान किया गया है, लेकिन क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत को देखते हुए इनकी संख्या बिल्कुल नगण्य है तथा क्षेत्र में जो इंडिया मार्का हैंडपम्प लगाए जा रहे हैं, उनकी गुणवत्ता भी निम्न स्तर की है तथा इसके लिए जो मानक निर्धारित किए गए हैं, उनका अनुपालन भी नहीं किया जा रहा है।

अतः मेरा सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव संसदीय क्षेत्र के अन्तर्गत पीने के पानी की भारी किल्लत को ध्यान में रखते हुए वहां पर केन्द्रीय धनराशि से उत्तम गुणवत्ता के इंडिया मार्का हैंडपम्प लगवाए जाने हेतु कारगर कदम उठाए।

(सोलह) मीनांबाकम हवाई अड्डे के विस्तार के प्रयोजन के लिए इससे लगे गांव को खाली कराये जाने के स्थान पर श्री पेरम्बुदूर में एक नए हवाई अड्डे का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, चेन्नै स्थित घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों का विस्तार किया जाना है जिसके लिए प्राधिकरण ने मेरे निर्वाचन क्षेत्र श्रीपेरूम्बुदूर में स्थित कुछ गांवों को खाली किए जाने की सूचनाएं जारी की हैं। ये गांव अवसंरचना और उपजाऊ भूमि के साथ अच्छी तरह से सुस्थापित हैं। ये गांव 50 वर्षों से अधिक समय से आबाद हैं। मेरा सुझाव यह है कि विमानपत्तनों के निकट स्थित इन गांवों को हटाए जाने के स्थान पर श्रीपेरूम्बुदूर, जो कि हुन्डई, सेंट गोबेन जैसी बहुत सी एफ.सी.आई. कंपनियों की उपस्थिति के कारण एक तेजी से उभरता हुआ शहर है, में हजारों एकड़ खाली भूमि उपलब्ध है जिसका उपयोग वहां घरेलू विमानपत्तन के निर्माण हेतु किया जा सकता है।

इसलिए, मैं नागर विमानन मंत्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वे श्रीपेरूम्बुदूर में एक घरेलू विमानपत्तन आरम्भ करें तथा मिनाम्बकम विमानपत्तन के निकट के गांवों को विस्थापन से बचाएं।

(सत्रह) पंजाब के फिरोजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

***श्री जोरा सिंह मान** (फिरोजपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने निर्वाचन क्षेत्र फिरोजपुर-पंजाब में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के संबंध में कुछ तथ्यों को सदन के सामने रखना चाहता हूं।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण का हिन्दी अनुवाद।

[श्री जोरा सिंह मान]

श्रीमान्, प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना एक बहुत अच्छी योजना है जो कि भू.पू. प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वर्ष 2000 में शुरू की थी। इसके अन्तर्गत पहले 1000 से अधिक आबादी वाली जगहों पर सड़कें बनाई गईं और फिर 500 से अधिक आबादी वाली जगहों पर सड़कें बनाई गईं और अब 250 से अधिक आबादी वाली जगहों की सडकों की सूची ली गई है, परन्तु अध्यक्ष महोदय, मेरा क्षेत्र फिरोजपुर हिन्द-पाक सीमा और सतलुज दरिया के साथ-साथ होने के कारण बहुत पिछड़ा हुआ है। यहां पर बहुत सारी ऐसी सड़कें अभी भी बनने से रह गई हैं जिनकी आबादी 1000 से भी अधिक है और इस आबादी को कोई पक्का रास्ता भी नहीं है। पता नहीं संबंधित विभाग ने ये क्यों छोड़ दी हैं, जबकि यहां सड़कें बनना बहुत जरूरी है। इन सड़कों के लिए, जो पास हो चुकी हैं, इनके लिए फंड केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी जमा कराए। कुछ सड़कों को चौड़ी करने के प्रपोजल भी उपायुक्त, फिरोजपुर की तरफ से भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजे गए हैं। उनके लिए भी फंड जल्दी से जल्दी जारी किए जाएं।

इन सड़कों के प्रस्ताव के लिए प्रशासन द्वारा आबादी 1991 की जनगणना के अनुसार ली गई है। अब 15 साल बाद यह आबादी तीन गुना गढ़ गई है। इसलिए इन प्रस्तावों को मौजूदा आबादी के हिसाब से बनाया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील कुमार महतो - उपस्थित नहीं।

इसे सभा पटल पर रखा माना जाए।

(अठारह) झारखंड के जमशेदपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जुगसलाई रेलवे क्रॉसिंग पर एक उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

***श्री सुनिल कुमार महतो** (जमशेदपुर): मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के जुगसलाई रेलवे फाटक पर आये दिन यातायात जाम होत्ते रहते हैं और कई गंभीर दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इस फाटक पर जो रेलवे लाईन है, वह मुख्य रेल मार्गों में से एक है एवं इसी रेलवे फाटक पर से ग्रामीण क्षेत्र के लोग जमशेदपुर शहर की फैक्ट्रियों में मजदूरी करने रोज आते हैं। इस रेलवे फाटक का जो सड़क मार्ग है, वह काफी व्यस्त रहता है, क्योंकि कई शहरों का यातायात इसी सड़क से होकर जाता है। इस सड़क पर रात के ग्यारह बजे तक यातायात चलता है, परन्तु जुगसलाई रेलवे फाटक के स्थान पर एक ऊपरी पुल बना दिया जाए तो लोगों को राहत मिलेगी और यातायात के आने-जाने में काफी सुगमता होगी।

आप के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि जमशेदपुर शहर में टाटा एवं चक्रधरपुर रेलवे प्रखंड में स्थित जुगसलाई पर एक ऊपरी पुल बनाने हेतु शीघ्र कदम उठाए।

(उन्नीस) बिजनौर से लखनऊ तक एक रेलगाड़ी आरम्भ किये जाने तथा बिजनौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में रेलवे क्रासिंगों पर हाइड्रोलिक गेट लगाये जाने की आवश्यकता

श्री मुंशी राम (बिजनौर): अध्यक्ष महोदय, उत्तरी भारत के क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर मैं माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं, जिसके लिए मैं कई पत्रों द्वारा माननीय रेल मंत्री जी से मांग कर चुका हूं। प्रमुख मांगों में मेरे लोक सभा क्षेत्र बिजनौर के अंतर्गत मौज्जमपुर-नारायण जंक्शन से पूर्व जम्मू तवी-हावड़ा मुख्य लाइन से मौज्जमपुर-गजरौला डाईवर्जन की मांग। बिजनौर चांदपुर रेलवे स्टेशन के पूर्व एवं पश्चिम दिशा में पड़ने वाले रेलवे क्रासिंगों पर छोटे मानव-चालित फाटकों को हाइड्रोलिक में बदले जाने की आवश्यकता जिसके कारण यातायात में भारी अवरोध एवं जाम लगा रहता है। जिला बिजनौर मुख्यालय से होते हुए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए एक स्वतंत्र रेलगाड़ी चलाये जाने की आवश्यकता है। इस रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले केवल बिजनौर के ही नहीं परन्तु आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी लाभ मिलेगा।

मैं इस सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उपरोक्त मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री एस.के. बैसीमुथियारी - उपस्थित नहीं।

---

*सभा पटल पर रखा माना गया।

इसे सभा पटल पर रखा माना जाए।

(बीस) बोंगाई गांव ताप विद्युत स्टेशन का एन.टी.पी.सी. द्वारा प्रबन्ध ग्रहण किये जाने की आवश्यकता

***श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी** (कोकराझार): बोंगाइगांव ताप विद्युत घर (बी.टी.पी.एस.) सालाकारी, कोकराझार जिले में है जो कि बोड़ोलैंड क्षेत्र (असम) में है। यह 1200 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय पूंजीगत संपत्ति है। यह एक विद्युत उत्पादक औद्योगिक इकाई है। इसकी स्थापना वर्ष 1980 में कोकराझार जिले के जनजातीय-बहुल सालाकारी नामक क्षेत्र में की गई थी। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 4x60=240 मेगावाट है। इसका उद्देश्य निचले असम के सर्वाधिक पिछड़े और वंचित जनजातीय क्षेत्र को सभी क्षेत्रों में विकसित किए जाने के उद्देश्य से की गई थी। इस परियोजना की विभिन्न इकाइयां अलग-अलग समय पर आरम्भ की गई थीं।

इकाई-I मार्च 1981 में शुरू की गई थी; इकाई-II अप्रैल, 1982 में शुरू की गई थी; इकाई-III मई, 1985 में शुरू की गई थी और इकाई-IV जून, 1986 में शुरू की गई थी, इनके आरम्भ होने के बाद से ये सभी चारों इकाईयां वर्ष 1990 में इन्हें बंद किए जाने तक बहुत सुचारू रूप से चल रही थीं।

स्थानीय लोगों द्वारा गत कई वर्षों से असम की राज्य सरकार और ए.एस.ई.बी. से इस विद्युत उत्पादन परियोजना को पुनरुज्जीवित कर पुनः चलाने के लिए समुचित कदम उठाए जाने की अपीलों और मांग के बावजूद इस संबंध में अभी तक कुछ भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है।

मैं व्यापक जनहित में भारत सरकार से विद्युत मंत्रालय और एन.टी.पी.सी. को शीघ्रातिशीघ्र बी.टी.पी.एस. का अधिग्रहण करके 1200 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय पूंजीगत सम्पत्ति को बचाने के लिए आवश्यक आधिकारिक आदेश जारी करने हेतु समुचित कदम उठाने व प्रभावी अनुवर्ती कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधायी कार्य पर विचार करेगी। मद सं. 14।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

अपराह्न 12.48 बजे

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, राज्य सभा द्वारा यथा पारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, (संशोधन) विधेयक, 2004 राज्य सभा द्वारा पारित किया गया तथा मैं इस सदन से इस विधेयक पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। हमने संसदीय स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों में से बड़ी संख्या में संशोधनों को इस विधेयक में शामिल किया है तथा राज्य सभा द्वारा इन्हें सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है।

महोदय, जैसा आप को ज्ञात है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 में कानून के समक्ष समानता और लिंग समानता की गारंटी दी गई है। 18 दिसम्बर, 1979 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने संबंधी करार के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट आकेदेशित किया गया है कि राज्य पक्ष महिलाओं को कानून के समक्ष और सभी सिविल मामलों में समानता प्रदान करेंगे। मानवाधिकारों की यूनिवर्सल घोषणा में भी महिलाओं को व्यापक समान न्याय की गारंटी दी गई है।

हमारी सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ विशेषकर भेदभावपूर्ण कानून को समाप्त करके और एक नया कानून जो मकान और भूमि जैसी परिसम्पत्तियों के स्वामित्व में बराबर का अधिकार देता है, बनाकर महिलाओं को सभी क्षेत्रों में पूर्ण विधिक समानता देने का आश्वासन दिया गया है। यह विधेयक इस दिशा में हमारा एक प्रयास है।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 सहदायकी सम्पत्ति में भागीदारी के अंतरण के संबंध में है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से पुत्रियों के साथ भेदभाव करता है क्योंकि उन्हें पुत्रों की भांति सहदायिका नहीं बनाया गया है। इस प्रावधान को भारत के विधि आयोग ने भेदभावपूर्ण प्रावधान माना जो कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन करता है। आयोग ने हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम

[श्री हंस राज भारद्वाज]

के भेदभावपूर्ण प्रावधानों का स्वतः अध्ययन किया और "महिलाओं के सम्पत्ति अधिकार : हिंदू लॉ के अंतर्गत प्रस्तावित सुधार" संबंधी अपनी 174वीं रिपोर्ट मई, 2000 में केंद्र सरकार को प्रस्तुत कर दी। सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विचार किया और मिताक्षरा लॉ द्वारा नियंत्रित संयुक्त हिंदू पारिवारिक सम्पत्ति में पुत्रियों को समान अधिकार देने का निर्णय किया।

इस संबंध में मैं इस सभा को ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कुछ राज्यों ने पहले ही अधिनियम में स्थानीय संशोधन कर दिए हैं। वे हैं : हिंदू उत्तराधिकार (आंध्र प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1986, हिंदू उत्तराधिकार (तमिलनाडु संशोधन) अधिनियम, 1990, हिंदू उत्तराधिकार (कर्नाटक संशोधन) अधिनियम, 1994 और हिंदू उत्तराधिकार (महाराष्ट्र संशोधन) अधिनियम 1994।

केरल सरकार ने केरल संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1975 का अधिनियमन करके पुरुषों के जन्म के अधिकार को पूरी तरह समाप्त कर दिया और सहदायकी में परिवर्तन करने के बजाय संयुक्त हिंदू परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया।

इस विधेयक के द्वारा हम विवाहित तथा अविवाहित दोनों पुत्रियों को सहदायकी सम्पत्ति में भागीदारी का हक देने के लिए धारा 6 में संशोधन कर रहे हैं। हम उनके बच्चों का इस सम्पत्ति में प्रथम श्रेणी वारिस के रूप में वर्गीकरण भी कर रहे हैं। हम लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अधिनियम से धारा 4(2) और धारा 23 और 24 का लोप कर रहे हैं।

यह विधेयक बहुत प्रगतिशील कदम है और मैं इस सभा से अनुरोध करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, राज्य सभा द्वारा यथा पारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस विषय पर एन.डी.ए. की ओर से बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सर्वप्रथम अपनी ओर से इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी सुधारवादी उपाय और उससे संबंधित विधेयक सदन के समक्ष लाए गए हैं, लाए जा रहे हैं अथवा आज जिस हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम पर चर्चा हो रही है, हम बिना संकोच और शंका के इसके समर्थन में सामने आए हैं। अपने कुछ सुझाव और शंकाएं व्यक्त करते हुए आखिर में हमारा यही अनुरोध रहेगा कि माननीय मंत्री जी उन पर विचार करेंगे, क्योंकि हम किसी भी अधिनियम या एक्ट को फाइनल नहीं मान सकते, समय के साथ उनमें सुधार की आवश्यकता होती है। आज के सुझाव बाद के लिए हो सकते हैं या अगर मंत्री जी के ध्यान में रहे, तो उसमें और अनेक बातें आ सकती हैं।

मुझे लगता है कि इस विषय पर पूरा सदन एकमत होगा। दिक्कत तब आती है जब हम सदन में बहस करते हैं, लेकिन बाहर समाचार जाता है कि कोई व्यक्ति विशेष अथवा दल विशेष ही सुधार के कार्य कर रहा है, सदन के अन्य सदस्यों की उसमें भागीदारी नहीं है। इससे मन में बहुत कष्ट होता है। इसलिए पूरी संसद को श्रेय जाना चाहिए। मैं अपनी ओर से माननीय मंत्री जी को विशेष बधाई दूंगा कि वे इसे रिकार्ड समय पर लेकर आए। यह स्टैंडिंग कमेटी में गया और इसकी रिकमैंडेशन्स आई। जिस स्वरूप में विधेयक प्रस्तुत हुआ, इसमें बहुत ज्यादा तर्क की गुंजाइश नहीं बचती, क्योंकि मुख्य रूप से विषय है कि एनसैस्ट्रल प्रॉपर्टी में को-पार्सनर्स बर्थ, जैसे पुत्री के जन्म लेते ही उसे पुत्र के समकक्ष अधिकार दिए जाने का जो प्रावधान रखा गया है, लगता है उसी के इर्द-गिर्द पूरे विधेयक का ताना-बाना है।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.54 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उल्लेख कर रहा था कि 20 दिसम्बर, 2004 को राज्य सभा में विधेयक का प्रस्तुतीकरण हुआ, 16 अगस्त, 2005 को विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा हुई, माननीय सदस्यों के विचार आए, उसके बाद विधेयक प्रस्तुत करने के बाद भी कुछ संशोधन आए। इस संबंध में मेरा अनुरोध है, मंत्री जी ने उल्लेख किया कि विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राज्य सरकार से सलाह-मशवरा किया गया।

उसके तदनुरूप विधेयक ड्राफ्ट हुआ और विधेयक प्रस्तुत हुआ। इस संबंध में जो धारा 4(2) है, जिसमें जमीन से संबंधित है कि उसका फ्रागमेंटेशन नहीं होगा, मूल रूप से इसे लाया गया है। जिस समय विधेयक पुरःस्थापित हुआ है, धारा 2 में धारा 6 का जो संशोधन

का प्रस्ताव आया था जबकि बाद में जो संशोधित हुआ है, उसमें धारा 4 की उपधारा (2) है, उसमें माननीय मंत्री जी ने 16 अगस्त को उसको इनकौरपोरेट किया है, सदन ने इसे पास भी किया है लेकिन चिंता का विषय यह है कि देश के विशेष रूप से उत्तर भारत के जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और बिहार तथा अन्य राज्यों में भूमि के संबंध में जोत का बंटवारा न हो और इसके अतिरिक्त जोत के टेन्योर होल्डर्स कौन होंगे क्योंकि हर राज्य में विशेषकर उत्तर भारत में अपने-अपने कानून बनाये गये थे जिसमें यह था कि जो जोतदार हैं, खेती वाले व्यक्ति हैं, उनकी अनुपस्थिति में, उनके बाद, उनके पुत्र का अधिकार होगा। इस, संबंध में राज्य सरकारों से भी राय लिये जाने की आवश्यकता प्रतीत होती है क्योंकि अभी तक तो संभव नहीं हो सका है क्योंकि 16 अगस्त के बाद आज हम यहां इस डिबेट में शरीक हो रहे हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि इस बिन्दु को ध्यान में रखा जाए ताकि अगर वे उत्तर प्रदेश का उदाहरण लें कि यू.पी. जमींदारी अबोलिशन एंड लैंड रिफार्म्स एक्ट जो उसके भीतर है, आज भी जो लैंड का सक्सैशन गवर्न हो रहा है, वह उसके जरिये से हो रहा है। तो वे कौन-कौन से संशोधन उनको लेकर आने हैं जो कंसीक्वेंशियल होंगे ताकि लैंड के संबंध में भी यूनिफॉर्मिटी आ जाए, यह अनुरोध मेरा माननीय मंत्री जी से प्रारंभ में रहेगा।

दूसरा विषय जिसके बारे में इस सदन में भी चिंता व्यक्त की गई है, अभी यह विषय आएगा, कई माननीय सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और स्टैंडिंग कमेटी ने भी कई स्थानों का उल्लेख किया गया है कि हमारे इतने वर्षों से लगातार हिन्दू समाज के अंदर जहां मिताक्षरा और दायभाग प्रमुख रूप से दो विधियां प्रचलित थीं और देश के अधिकांश भाग में मितासरा कानून लागू था। समय और काल की परिस्थिति के अनुरूप जो एक सामाजिक बुराई घर कर गई थी और वह सामाजिक बुराई दहेज को लेकर थी कि जब पुत्री का विवाह होता था तो उसमें दहेज के रूप में माता-पिता अपनी-अपनी आर्थिक हैसियत के अनुसार कन्या को कन्या दान के रूप में, उपहार के रूप में देते थे लेकिन जो ससुराल पक्ष है, उसमें कई स्थानों पर, इसमें यह नहीं कहा जा सकता कि यह यूनिवर्सल है, लेकिन और अधिक दहेज की मांग लेकर अपनी ससुराल मे लड़की को जो प्रताड़ना दी जाती थी और जब दहेज हत्या के मामले आए तो इसके कारण कई अधिनियम बने, धारा 304 (बी) इंडियन पैनल कोड में उसे शामिल किया गया। डाउरी प्रोवीजन एक्ट इसी माननीय संसद के पास किया गया ताकि इस सब पर प्रतिबंध लगे और उसका उत्पीड़न न हो तथा सी.आर.पी.सी. में भी संशोधन लाया गया। लेकिन इतने प्रतिबंधात्मक कानून पारित किये जाने के बाद भी मैं आज भी अपने क्षेत्र से जब दिल्ली पहुंचता हूं और दिल्ली के अखबार में 'अमर उजाला' नई दिल्ली, 29 अगस्त के इसी पृष्ठ 10 पर दो समाचार सामने-सामने आते हैं कि दहेज के लिए पति और सास ने महिला को जिंदा जलाया। "दहेज का दानव" यह अमर उजाला से मैंने कोट किया है, केवल इसका हैडिंग पढ़ा है। इसी के साथ ही फिर एक समाचार यह भी है: 'पुलिसवाली को सताने वाले मां-बेटे गिरफ्तार', यह फरीदाबाद जिले के होडल तहसील का है। पुलिस की कांस्टेबल है, उस तक को उसके पति और सास उसका उत्पीड़न कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है। यह फरीदाबाद का केस है। यानी कि एक ही पृष्ठ पर दो-दो दहेज के समाचार हमें देखने को मिलते हैं। इसका रैफरेंस मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष इसलिए ला रहा हूं कि जब दहेज की निश्चित राशि के लिए इतनी प्रताड़ना और वहां लड़की की जान तक का खतरा रहा है और जिसके कारण से डाउरी प्रोवीजन एक्ट लाया गया, आई.पी.सी. और सी.आर.पी.सी. में संशोधन हुआ, उसके बावजूद भी ये परिस्थितियां अभी विद्यमान हैं और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में पुत्री को बराबर के हक का अधिकार हम कर रहे हैं जिसका स्वागत जहां-जहां प्रगतिशील विचारधारा होगी, उसका वहां स्वागत निश्चित रूप से होगा।

अपराह्न 1.00 बजे

लेकिन जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां जागरूकता नहीं है, जानकारी नहीं है, वहां दोनों दिशाओं में में करना होगा, एक तो पुत्री के उस अधिकार को जिसे आज यह माननीय संसद बहस के बाद मान्यता प्रदान करेगी, उसे यह जानकारी मिले कि उसे यह अधिकार प्रदान किया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जितने कानून बनते हैं, उनकी जानकारी आम आदमी को नहीं हो पाती है। आज भी हम लोग संसद में अनेक कानून पास करते हैं, लेकिन उन कानूनों में आम आदमी को क्या वैधानिक अधिकार दिए गए हैं, चाहे वह मोटर एक्सीडेंट के मामले में क्षतिपूर्ति का अधिकार हो या दूसरे अन्य अधिकार, उनकी जानकारी उनको नहीं होती है, जिसके कारण उस की वजह से भी उन्हें कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि इसके प्रोहिबिशन के लिए यदि मंत्री जी आई.पी.सी. या क्रिमिनल प्रोसिजर कोड में कोई संशोधन करना आवश्यक समझें तो वह सदन के सामने लाया जाए और उसका पूरा सदन

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

सर्वसम्मति से स्वागत करेगा क्योंकि यह इस हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, जिसमें हम पुत्रियों के सशक्तीकरण का काम करने जा रहे हैं, को निश्चित रूप से बल प्रदान करेगी।

महोदय, कई बार यह विचार आता है कि इसका दायरा कहां तक बढ़ेगा, जैसा कि मैंने शुरू में ही उल्लेख किया है, पहले लैण्ड इसमें शामिल नहीं थी लेकिन जब हमने कानून पास किया तो उसमें लैण्ड भी शामिल हुई, लेकिन जहां वसीयत का अधिकार है और जो धारा 30 में उल्लेख आया है, क्योंकि ऐसी एक रिकमेंडेशन भी आई थी कि इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि वसीयत की एक निश्चित अवधि हो। पुत्री का यह जो अधिकार है, यह परिवार की पैतृक सम्पत्ति में होना है और किसी व्यक्ति या परिवार के मुखिया की जो स्वर्जित सम्पत्ति है, उसमें उसको वसीयत करने का पूरा अधिकार है। लेकिन जो पैतृक सम्पत्ति है, जिसमें हम जन्म से ही को-पार्सनर हैं, उसमें पुत्री भी शामिल है। आज जो हमारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम है, उसमें पुत्री का यह अधिकार केवल गैर-वसीयती सम्पत्ति में ही लागू होगा और जहां वसीयत का प्रावधान है, उस सम्पत्ति में यह अधिकार उपलब्ध नहीं होगा। अब अगर इसमें कुछ अस्पष्टता हो तो माननीय मंत्री जी इसे जब सदन में रिप्लाई दें, तो स्पष्ट करेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि इन दोनों में क्या अन्तर है और वास्तव में हम उनको कितना लाभ पहुंचाने जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आने वाले समय में वसीयतनामों की बाढ़ आ जाए और वसीयतनामा करके पुत्री को इस अधिकार से वंचित किया जाए। इसलिए हमारी यह जो मंशा है कि पुत्री को सशक्त होना चाहिए, उसको भी पूरे अधिकार मिलने चाहिए, वह कितना कुछ हम पूरी कर पाएंगे, इस दिशा में माननीय मंत्री जी को विचार करना चाहिए।

आज आपने उल्लेख किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 में जो ऑब्लीगेशन और मूल अधिकार दिए गए हैं, उनको हम आज तक रेक्टीफाई नहीं कर पाए हैं, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं और यू.एन.ओ. का वर्ष 1979 का जो रिज्योल्युशन है - इन सबको देखते हुए यह कार्यक्रम लाया गया है। इसमें कहीं यह उल्लेख नहीं है कि यह केवल हिन्दू महिला के लिए होना चाहिए। हमारा देश एक बहुधर्मी और बहुभाषी देश है, जहां समाज में बहुत से सेक्ट्स हैं। इस बिल की मंशा तभी पूरी होगी, जब इक्वलिटी बिफोर लॉ के सिद्धांत के तहत यह इस देश की हर बेटी के लिए उपलब्ध हो, फिर चाहे वह मुस्लिम बेटी हो, ईसाई बेटी हो, पारसी बेटी हो या यहूदी बेटी हो। ये सभी इस देश के नागरिक हैं, उनको भी हमें इसमें समान रूप से लाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि यह काम एक ही दिन में पूरा हो जाएगा क्योंकि यहां भी मिताक्षरा हैं, दायभाग हैं, कहीं स्मार्त हैं और कहीं-कहीं भिन्न-भिन्न स्थानीय परम्पराएं प्रचलित हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट से बराबर भारत सरकार को यह निर्देश मिलता रहता है और हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 44 भी यह ऑब्लीगेशन करता है क्योंकि यह एक सिविल लॉ है।

इसके पहले जो रोजगार गारंटी बिल हमने पास किया या घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण विधेयक पास किया, ये सब सिविल लॉज हैं। इसलिए देश के भीतर समान रूप से कानून होना चाहिए, जिसके बारे में हम लोग कामन सिविल कोड की बात करते हैं। वृहद दृष्टिकोण लेकर हमें पूरे समाज के बारे में सोचना चाहिए और पूरे समाज के लिए समान रूप से कानून लाने पर विचार करना चाहिए। उसके लिए कंसेंसस बनानी की बात भी आई है कि इस बारे में आम सहमति बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में भी इस संबंध में काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया है। उसमें भी यह बात है कि इसके लिए आम सहमति बनाने जा रहे हैं। वह सहमति कैसी होगी उसके बारे में मैं अपने भाषण के शुभारम्भ में बता चुका हूं। आशा करता हूं कि आगे भी माननीय सदस्य इस बारे में आग्रह करेंगे। इस तरह से सदन में एक मानसिकता बनेगी, देश के अंदर चर्चा करके एक वातावरण बने, उस दिशा में हमें और आगे जाने की आवश्यकता होगी।

इस बिल के बारे में स्टेंडिंग कमेटी से भी कुछ सिफारिशें आई हैं। मैं समझता हूं मंत्री जी को उन पर भी विचार करना चाहिए। आपने अधिकांश सिफारिशें स्टेंडिंग कमेटी की इसमें जोड़ी हैं, लेकिन बाकी पर आप आगे इस बिल में संशोधन लाकर कि इसमें कैसे और सुधार हो, उन्हें मान सकते हैं। इस तरह से स्टेंडिंग कमेटी की जो इच्छा रही है, उसकी भी पालना हो जाएगी।

आज के इस अवसर पर मैं पुनः एन.डी.ए. और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुरुआत करते हुए पुरजोर शब्दों में इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके लिए पूरा सदन बधाई का पात्र है और मैं मंत्री जी को भी बधाई प्रेषित करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी (बापतला): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं विनम्रता पूर्वक स्वीकार करती हूं कि जैसे ही मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई तो मैं यहां न केवल गर्व महसूस कर रही हूं बल्कि मैं भावुक हुई हूं। भावुक इसलिए हूं क्योंकि बहुत पहले, यहीं 1986 में आंध्र प्रदेश में एक बहुत प्रगतिशील विचारक मुख्य मंत्री स्वर्गीय श्री एन.टी. रामाराव द्वारा ऐसा ही संशोधित विधान लागू किया गया था जिन्होंने यह समझते हुए कि ऐसे विधान से महिलाओं के साथ जो घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न हो रहा है उससे उन्हें छुटकारा मिलेगा इस विधेयक को पुरःस्थापित किया था। मुझे उस महान नेता की पुत्री के रूप में गर्व हो रहा है जिसने प्रगतिशीलता का परिचय देते हुए क्षेत्रीय स्तर पर यह विधान लागू किया। आज मैं डा. मनमोहन सिंह की अध्यक्षता वाली इस संप्रग सरकार का हिस्सा हूं और श्रीमती सोनिया गांधी के महान नेतृत्व में ऐसा ही विधान राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जा रहा है। यह महिलाओं की भलाई को ध्यान में रख रहा है।

महोदय, विधेयक की बात करें तो हम सब जानते हैं कि लैंगिक समानता का सिद्धांत हमारे संविधान की प्रस्तावना में रखा गया है। ठीक ही जैसा कि हम सब जानते हैं कि संविधान में विभिन्न अनुच्छेद हैं जो बहुत जोरदार ढंग से लैंगिक समानता की वकालता करते हैं और यह भी वकालत करते हैं कि पुरुषों और महिलाओं को बराबर अवसर दिए जाने चाहिएं। इन सांविधिक उपायों के होते हुए भी लैंगिक असमानता बहुत गहरे बैठी हुई है और विभिन्न रूपों में स्वयं को प्रकट कर रही है और यह उन कानूनों में भी परिलक्षित होती है जो हिंदू संयुक्त परिवारों से संबंधित संपत्ति के विरासत और उत्तराधिकार को नियंत्रित करते हैं।

यह जड़ों तक पहुंची हुई गहरी लैंगिक असमानता ऐसी नहीं है जो आज पैदा हुई है बल्कि यह बहुत पुरानी है क्योंकि हमारे कानून, उत्तराधिकार से संबंधित हिंदू लॉ का जन्म कर्मशास्त्रों से हुआ है जो कि हमारे प्राचीन शास्त्र हैं। यहां तक कि विधिक सिद्धांतों के मिताक्षरा और दया भाग विचाराधारा भी 12वीं शताब्दी ईस्वी में जन्मे थे। उन्होंने हमारे अधिकांश हिन्दू उत्तराधिकार कानूनों को नियंत्रित किया है।

इन दो विचारधाराओं के अलावा भी देश के विभिन्न भागों में अन्य स्कूल भी विद्यमान हैं। यदि दया भाग पूर्वी भारत में चल रहा था तो हम सबको पता है कि मिताक्षरा पश्चिमी और उत्तरी भारत में चलता था। पश्चिमी भारत के कतिपय क्षेत्रों में उत्तराधिकार की मयूखा पद्धति और भी थी जबकि दक्षिण में मरुमक्काटाया, अलियासांतना और नम्बूदरी प्रणाली चलती थी। कुछ क्षेत्रों में हमारे यहां मिताक्षरा पद्धति भी थी। परन्तु उत्तराधिकार के बहुत से बहुपक्षीय कानूनों जो कि बहुत भिन्न प्रकृति के थे, के होते हुए भी जब सम्पत्ति कानूनों की बात आती है तो महिलाओं के साथ भेदभाव लगातार हो रहा है।

पहला कानून जो महिलाओं की विरासत के अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है वह है हिंदू लॉ ऑफ इंडेरिटेंस एक्ट, 1929। सम्पत्ति के बंटवारे, हस्तांतरण, विरासत और दत्तक-ग्रहण संबंधी कानून में थोड़ा परिवर्तन करते हुए इस जैसा ही कानून था महिलाओं का सम्पत्ति अधिकार अधिनियम, 1937। बाद में श्री बी.एन. राव की अध्यक्षता में गठित हिंदू लॉ समिति ने हिंदू कोड बिल, 1947 तैयार किया और पुरःस्थापित किया। परन्तु जैसा हम सब जानते हैं इस हिंदू संहित विधेयक का समाज के विभिन्न रूढ़िवादी वर्गों द्वारा घोर विरोध हुआ। वर्ष 1951 में इसे समाप्त कर दिया गया और अंत में प्रयासों के पश्चात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में पुरःस्थापित हुआ। महोदय मैं कानून बनाने वालों की निष्ठा पर प्रश्न नहीं करती परन्तु इस अधिनियम ने लैंगिक भेदभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जो कि हमारे समाज में पूरी तरह विद्यमान था। आज हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के खण्ड 6 में संशोधन करने हेतु हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 पुरःस्थापित किया जा रहा है। यह केवल स्वागत योग्य कदम ही नहीं है बल्कि एक प्रगतिशील विधान भी है।

किंतु जहां मैं संशोधन विधेयक का समर्थन करती हूं वहीं कुछ ऐसी कमियां हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। संशोधित विधेयक में विवाहित महिलाओं को पैतृक सम्पत्ति में बराबर का हकदार बनने से बाहर रखा गया है। यह कानून लागू होने से पूर्व महिलाओं के विवाहित होने के बारे में है। अभी भी मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि यह लैंगिक भेदभाव का बहुत जबर्दस्त उदाहरण है। जब दिल्ली उच्च न्यायालय के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो कि विधि आयोग के सदस्य भी हैं, से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने कहा: "आयोग ने यह महसूस किया कि महिलाओं को उनकी शादी के अवसर पर काफी दहेज मिलता था।" लेकिन यदि हम लड़कियों और लड़कों, दोनों, की शादियों

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

को देखें तो पायेंगे कि दोनों प्रकार की शादियां समान रूप से खर्चीले ढंग से सम्पन्न होती हैं और लड़कों या बेटों को प्राप्त उपहार लड़कियों के प्राप्त उपहार के समान होते हैं। कभी-कभी भारत के कुछ भागों में हम बहुओं को भी उपहार देते हैं। इसलिए, आप विभेद नहीं कर सकते और यह नहीं कह सकते कि लड़कियों की शादी पर लड़कों की शादी की अपेक्षा ज्यादा खर्च किया जाता है। तथापि, एक बार तय किया गया दहेज लड़कियों के सम्पत्ति पर अधिकार को समाप्त नहीं करता। यदि हम अधिकार को याद करें तो लड़कियों को अधिकांश अचल सम्पत्ति नहीं दी जाती है। इसलिए, मैं समझता हूं कि इस असमानता का भी अवश्य ही उल्लेख किया जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा यह है कि गोद ली गई लड़कियों की स्थिति विधेयक में स्पष्ट नहीं की गई है। जब हम एक बच्चे को गोद लेते हैं और उसे घर में लाते हैं तो हम बच्चे को मात्र शरण नहीं देते है बल्कि हम बच्चे को भावनात्मक आश्रय भी देते हैं। बच्चा यह सोचते हुए बड़ा होता है कि यह घर उसका है और घर के मालिक उसके अपने माता-पिता है। लेकिन बाद में बच्चे से यह कहना कि सम्पत्ति में उसका कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि वह एक गोद ली हुई बच्ची है, उसे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ देता है। गोद लिये गए बच्चों के साथ भी अपने बच्चों जैसा ही व्यवहार करना चाहिए। कानून में इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।

इस विधेयक में केवल पैतृक सम्पत्ति की चर्चा है और स्व-अर्जित सम्पत्ति को इससे बाहर रखा गया है। यह भी उचित नहीं है लेकिन पैतृक सम्पत्ति में आज तेजी से बिखराव हो रहा है क्योंकि आज के समय में छोटा परिवार दिनों-दिन प्रचलन में आ रहा है। इसलिए, स्व-अर्जित सम्पत्ति को इसमें सम्मिलित न करके लड़के-लड़की में समानता की बात, जिसकी हम चर्चा करते रहते एक सोच ही रह जाएगी और यह एक सच्चाई नहीं बन पायेगी। इस पहलू का भी उल्लेख होना चाहिए।

आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु या कर्नाटक में कानून में एक बड़ी असामनता यह है कि सम्पत्ति में लड़कियों को संयुक्त उत्तराधिकारी बनाकर उन महिलाओं का हिस्सा जो मृत व्यक्तियों की सम्पत्ति पर निर्भर है, या महिला उतराधिकारी जो मृतकों जैसे माता या पत्नी की सम्पत्ति पर आश्रित है, उनका हिस्सा कम होता जा रहा है। इसका कारण यह है कि पिता के साथ ही साथ लड़कियों और लड़कों को भी सम्पत्ति में हिस्सा मिल जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब सम्पत्ति में उसके हिस्से को लड़कों और लड़कियों के बीच बांट दिया जाता है। इसलिए, यह पत्नी, जो मृतक पर आश्रित है, के हिस्से को खत्म करना है। इसके बदले में यदि विधेयक में कुछ ऐसा उपाय किया जाए जिसमें एक महिला को तब तक सम्पत्ति या आय में पूरा अधिकार हो जब तक वह जीवित है, तो यह अच्छा होगा। इसका समाधान भी अवश्य ही निकाला जाना चाहिए।

व्यक्ति की अपरिवर्तित वसीयत अधिकार में छेड़छाड़ नहीं की जाती है। सैद्धांतिक रूप से इस अधिकार को पुरुष-महिला विभेद से दूर माना जाता है लेकिन सच्चाई कुछ भिन्न है। महिलाओं के साथ निश्चित रूप से भेद-भाव किया जाता है और जिन राज्यों में सम्पत्ति में उनका हिस्सा नहीं होता वहां महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता है। जब एक हिन्दू विधि आयोग ने इस मुद्दे पर लोगों की राय जाननी चाही तो पाया गया कि 63 प्रतिशत लोगों ने माना कि सम्पत्ति के स्थानांतरण के मामले में वसीयत सम्बंधी अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध होना चाहिए ताकि लड़की को भी सम्पत्ति में हिस्सा मिल सके। इस प्रश्न का भी समाधान किया जाना चाहिए।

हम में से अधिकांश को कृषि भूमि के सम्बंध में आशंकाएं हैं। हम सभी जानते हैं कि ग्रामीण भारत में ग्रामीण सम्पत्ति का यह महत्वपूर्ण रूप है और कृषि भूमि जैसी सम्पत्ति में महिलाओं को हिस्सा न देकर हम लिंग-समानता नहीं ला सकते जिसके लिए हम प्रयासरत हैं नहीं हम सामाजिक और आर्थिक विकास कर सकते हैं। कृषि भूमि रूपी सम्पत्ति ने एक लड़की को हिस्सा देकर हम न केवल उसके गरीबी के खतरे को कम कर रहे हैं बल्कि उसके परिवार को भी गरीबी के खतरे से बचा रहे हैं। इसके साथ ही हम उसके सशक्तिकरण के लिए भी कार्य कर रहे हैं और उसके समक्ष एक व्यापक आजीविका विकल्प दे रहे हैं तथा घरेलू हिंसा से भी उसे बचा रहे हैं।

हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, 2005 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में व्याप्त असंतुलन को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं किया गया है। इसका भी हल खोजा जाना चाहिए। कृषि भूमि में महिलाओं को हिस्सा देने से उन्हें दूर रखने के लिए भूमि के विखंडन का बहाना किया जा सकता है। लेकिन यहां भी हमें यह याद रखना चाहिए कि भूमि का विखंडन पुरुष उत्तराधिकारियों के कारण भी होता है। यह समस्या भूमि की चकबंदी

करके तथा संयुक्त/सहकारी कृषि से हल की गई थी। इसलिए लड़कियों को कृषि भूमि में हिस्से से बाहर रख कर हम लिंग समानता की समस्या को खत्म नहीं कर सकते जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं। इस पहलू का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

केन्द्र सरकार के लिए यह कहना आसान है कि भूमि का स्थानांतरण या सम्पत्ति का स्थानांतरण राज्य का विषय है और केन्द्र सरकार को इसमें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन महोदय, यदि संसद इस सम्बंध में कोई कानून भी पारित कर देती है तो भी इस कानून की न्यायिक जांच प्रक्रिया को पास करना कठिन होगा। यदि संसद इस विषय पर चर्चा कर सकती है, यदि यह कानून लागू किया जाता है, यदि राज्यों में यह कानून लागू होता है, यदि वे ऐसा कोई कानून बनाते है जिसमें कृषि भूमि सम्पत्ति में हिस्से के रूप में लड़कियों को दी जा सकती है तो यह एक स्वागत योग्य कदम होगा।

अंत में, हमारे सामाजिक आदर्शों में पुरुषों का प्रभाव या उनका पक्षपात प्रदर्शित होता है और महिलाओं को दबाव देकर उनको अपनी सम्पत्ति का हिस्सा पुरुष उत्तराधिकारियों जैसे भाइयो, पति या परिवार के अन्य सम्बन्धी के पक्ष में देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कई महिला संगठनों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके विरुद्ध अपनी आवाज उठायी है। उन्होंने यह अनुरोध किया है कि इसका समुचित उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार का विशिष्ट उपाय किया जाए जिसमें बलपूर्वक या दबाव में किसी महिला के लिए गए हस्ताक्षर को अमान्य करार दिया जाए तब यह महिलाओं के लिए राहत की बात होगी।

इस प्रकार अवसर प्रदान करने के लिए एक बार पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं यह स्वीकार करता हूं कि यह मेरे लिए बहुत ही भावानात्मक क्षण रहा क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं और जैसा कि मैंने बताया है कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसने इस कानून को क्रियान्वित किया। मैं बलपूर्वक यह कहना चाहूंगा कि यह पहला राज्य या जिसने इस प्रकार का संशोधित कानून लागू किया। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए आपको पुनः धन्यवाद।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्व प्रथम मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री, श्री हंसराज भारद्वाज जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी जिन्होंने हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005 को विचारार्थ तथा पारित करने के लिए इस माननीय सभा में पेश किया। इस विषय पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का धन्यवाद देना चाहूंगी।

मैं इस विधेयक के पक्ष में बोलना चाहती हूं। यह विधेयक एक नया विधान बनाने के संबंध में है जो सम्पत्ति, जैसे मकानों, भूमि में समान हक दिलाता है। इसलिए, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मन से इसका समर्थन करता हूं। लेकिन यह अंत नहीं है। उनको बहुत थोड़ी राहत दी जा सकती है। हमारे देश में महिलाएं कई मामलों में सबसे ज्यादा दुःखी हैं। वे अपने जीवन में एक दम स्वतंत्र नहीं है। वे हमेशा पुरुषों पर आश्रित हैं और उनके अधीन हैं। जब वह बच्ची होती है तो पिता पर आश्रित होती है, एक महिला के रूप में पति पर आश्रित होती है और बुढ़ापे में हर चीज के लिए लड़कों पर आश्रित होती है। हम भारत की नारी जो देश की कुल आबादी की 50 प्रतिशत है, इस प्रकार का जीवन बिता रही हैं। फिर हम कैसे सोच सकते हैं कि और कह सकते हैं कि हमारा देश विकास की ओर जा रहा है? लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। इसका कारण यह है कि हमारे देश में महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए बहुत से संगठन कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें भी देश की महिलाओं के विकास के लिए कई कार्यक्रमों के बारे में सोच रही हैं तथा तैयार कर रही है।

हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक नाम एक विधेयक संप्रग सरकार द्वारा न्यूनतम साझा कार्यक्रम के आधार पर उठाया गया एक प्रगतिशील कदम है। वस्तुतः प्रस्तावित विधेयक महत्वपूर्ण है और लिंग-समानता की दिशा में एक कदम है तथा हिन्दुओं में प्रचलित पैतृक उत्तराधिकार की प्रणाली का उन्मूलन है। मैं महसूस करता हूं कि मिताक्षर संयुक्त परिवार में लड़की या बच्ची को सहदायाद बनाना ही पर्याप्त नहीं है। अब मिताक्षरा संयुक्त परिवार प्रणाली का उन्मूलन बहुत आवश्यक है क्योंकि यह नियमों के कानून पर उत्तराधिकार के संबंध में एक प्राचीन हिन्दू संधि है जो महिलाओं के उत्थान की विरोधी है।

विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तनों से कृषि भूमि में महिलाओं के समान अधिकार के महत्वपूर्ण मुद्दे का समाधान नहीं होता। इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि एक संशोधन किया जाए जिसमें यह साफ-साफ कहा गया हो कि सम्पत्ति में समान अधिकार संबंधी इस विधेयक के

[श्रीमती सुस्मिता बाउरी]

प्रावधान कृषि भूमि पर भी लागू होंगे और इसके विरुद्ध किसी भी कानून पर प्रभावी होगा।

मेरे लम्बे अनुभव के दौरान मैंने पाया है कि वसीयत और उपहार दस्तावेज बालिकाओं को उत्तराधिकार से वंचित करने के लिए होते हैं चाहे वह हिन्दू संयुक्त परियार हो या स्व-अर्जित सम्पत्ति की बात हो। एक खंड होना चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि परियार के महिला सदस्यों को उनके समान अधिकारों से रहित न किया जाए।

मैं महसूस करती हूं कि यह विधेयक पुरुष-महिला समानता सम्बंधी न्याय पाने की दिशा में तथा वर्तमान विधान में महिलाओं की अधिनस्थता को समाप्त करने के लिए एक आवश्यक कदम है।

इसलिए, मैं अपनी पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (एम) की ओर से इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, 2005 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। बोलने से पहले इस बिल का समर्थन करने या न करने के विषय में एक शंका जरूर उत्पन्न हो रही है, लेकिन फिर भी जब राज्य सभा से यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ है, तो इस सदन में भी पारित हो जाएगा। इस सदन में पैतृक संपत्ति में स्त्रियों को बराबरी पर लाने वाला यह विधेयक प्रस्तुत हुआ है। इस संबंध में जो वर्ष 1956 का विधेयक था, उसमें संशोधन कर माननीय मंत्री जी हमारे बीच आए हैं।

जहां तक इस विधेयक का संबंध है, इसे विभिन्न प्रांतों की सरकारों ने अलग-अलग तरीके से इस विधेयक को प्रस्तुत किया है। जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में केवल कृषि योग्य भूमि में केवल बेटे को ही भूमि देने की बात कही गई है। वहां महिला को देने की बात नहीं कही गई है। इस प्रकार तमिलनाडु और दूसरे प्रान्तों के अलग-अलग विधेयक हैं लेकिन मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि चाहे लोक सभा और विधान सभा में महिला आरक्षण की बात हो या घरेलू हिंसा विधेयक हो या हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक हों, इन्हें लाकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यू.पी.ए. सरकार केवल महिला वोट बैंक की राजनीति कर रही है। कभी-कभी इन विधेयकों को लाने से शंकाएं होती है। व्यावहारिक रूप में जब हम समाज के बीच जाते हैं तो कुछ और स्थिति उत्पन्न होती है। आप इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास कर देंगे लेकिन व्यावहारिकता में ग्रामीण क्षेत्रों या शहरों में जब चल या अचल सम्पत्ति के बंटवारे का मामला आता है तो खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लेकर जबर्दस्त विवाद होता है चाहे खेती की बात हो या कृषि योग्य भूमि की बात हो या मकान की बात हो, इसे लेकर तरह-तरह के विवाद होते हैं और इतना गहरा विवाद होता है कि वह हिंसा का रूप लेता है। बेटा बाप का मर्डर कर देता है और भाई भाई का मर्डर कर देता है। इस तरह की तमाम विसंगतियां हमारे समाज में फैली हैं। समाज में बुराइयां भी हैं और कुरीतियां भी हैं। चाहे सती प्रथा कानून हो, दहेज प्रथा संबंधी कानून हो या विधवा विवाह या बाल विवाह संबंधी कानून हो, हम ऐसे तमाम विधेयक लाए हैं लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि समाज मे इन विधेयकों को कितनी मजबूती प्रदान की गई है, कितने अधिकार दिए गए हैं, यह सोचने की जरूरत है। मैंने इसके पहले इस सदन में कहा था कि आज जरूरत इस बात की है कि वे महिलाएं जो हमारी बहू, बेटियां और बहनें हैं, उनको शिक्षित करने की जरूरत है। इनकी शिक्षा को अनिवार्य करके, उन्हें स्वावलम्बी बनाया जाए। जब हम उन्हें रोजगार से जोड़ देंगे तो इन सभी विधेयकों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और उसी दिन हमारी महिलाएं स्वावलम्बी और मजबूत हो जाएंगी तथा अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। इस विधेयक को लेकर इस बात पर शंका है कि समाज में कभी-कभी लोग कहते हैं कि बेटियों का विवाह होने के बाद जब वह ससुराल चली जाती है तो घर से पराया हो जाती है और वे दूसरे घर की बेटी, बहू कहलाती हैं जहां उन्हें पूरे अधिकार मिलते हैं। पति के मरने के बाद महिला को अधिकार मिलते हैं। वह फिर बेटे को चल-अचल सम्पत्ति का अधिकार देती हैं। इस प्रकार की आशंका है कि कहीं इस बंटवारे से परिवार के बीच में विखंडन न हो, कहीं परिवार न बंटें। परिवार में खास तौर पर भाई-बहन में, बाप-बेटे, भाई-भाई में झगड़ा उत्पन्न न हो जाए, इस तरह की शंकाएं इस विधेयक से उठती हैं। मैं कहूंगा कि इसे लागू करें तो अविवाहित जो बेटी है, उनको अगर अधिकार दिया जाए तो ठीक है लेकिन जो विवाहित है, यदि उसे अधिकार देंगे तो तरह-तरह की बातें और शंकाएं उठेंगी। मैंने पहले भी कहा है कि समाज में एक कहावत है कि जब बेटी का विवाह हो जाता है तो बेटी दूसरे घर की बहू हो जाती है। इन बुराइयों को देखते हुए इस विधेयक में

कोई ऐसा मुद्दा न आए, ऐसी विसंगति, बुराई न आएं जिससे परिवार खंडित हों।

आपने घरेलू हिंसा विधेयक पेश किया। इससे साफ जाहिर होता है कि हम पाश्चात्य सभ्यता को जन्म दे रहे हैं। हमने देखा कि विदेशों में कहीं शादी का कोई मतलब नहीं है। अफेयर हुआ, बच्चे पैदा हुए, पता लगा कि मां कहीं, पिता कहीं और बच्चे अनाथ हो जाते हैं।

इसलिए इस तरह के विधेयक द्वारा जनता के अंदर जागरूकता पैदा करने की जरूरत है और समाज के अंदर जो बुराइयां और कुरीतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करके इस विधेयक को अच्छी तरह से लागू करें। जनता में बहुत ही सूझबूझ के साथ जन-जागरण और जागरूकता पैदा करके इसे प्रस्तुत करें तो मेरे ख्याल से इसकी उपयोगिता सिद्ध होगी।

इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा कुछ न कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 2005 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में माननीय मंत्री जी ने संशोधन किया है, पूर्व विधेयक में पुत्रियों को शहरी भूमि और शहर के मकानों पर तो पहले ही अधिकार था केवल कृषि योग्य भूमि पर उन्हें अधिकार नहीं मिला था। भारत कृषि प्रधान देश है, आज इसकी जनसंख्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। खेतों का आकार बहुत छोटा होता जा रहा है, ऐसी स्थिति में जहां भाइयों-भाइयों के बंटवारे से जमीन के टुकड़े इतने छोटे होते जा रहे हैं कि हल और बैल को वहां ले जाना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में क्या हम महिलाओं को भी यह अधिकार देकर उन खेतों के आकार को और छोटा करने का काम नहीं करेंगे?

जहां तक महिलाओं के सशक्तीकरण की बात है, उन्हें कोई विधेयक लाकर सशक्त नहीं किया जा सकता, मजबूत नहीं किया जा सकता। जहां तक बेटियों के पैतृक सम्पत्ति पर अधिकार की बात है, भारत भावना प्रधान देश है, यहां बहनों और भाइयों के जो सम्बन्ध हैं, उसके बारे में इतिहास गवाह है। अभी थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया था, रक्षाबंधन के पवित्र त्यौहार में बहनें भाइयों को रक्षाबंधन का धागा बांधती हैं और उसके संरक्षण की भाई सौगंध लेता है। कहीं यह विधेयक पैतृक सम्पत्ति बंटवारे के ले करके भाई-बहन के संबंधों में लंबी दरार न डाल दे। इसलिए यह विधेयक लाने से पहले काम्पलीकेशन्स के बारे में समाज से आम राय ली जानी चाहिए।

भारत गांवों का देश है, मेरा मानना है कि इस देश में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं। उनमें समान आचार संहिता लागू होनी चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब को छोड़कर नार्थ-ईस्ट स्टेट्स में पहले से ही बेटियों को ही पैतृक जमीन पूरा-पूरा अधिकार है, बेटों को कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस विधेयक को लाने से पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उनसे भी राय ली जानी चाहिए। जहां तक बेटियों को सम्पत्ति देने का मामला है, यह कोई नयी बात नहीं है, जिस पिता के बेटे नहीं है, जो बाप अपनी बेटी को सम्पत्ति देना चाहता था, इस विधेयक को लाए बगैर भी अपनी बेटी को सम्पत्ति देने का अधिकार रखता था। मेरी आशंका है यह कानून ला कर, निश्चित तौर पर परिवार में सम्पत्ति के बंटवारे को ले करके जो भावनाएं भाई-बहनों के साथ हैं, उनमें कहीं बड़े पैमाने पर कोई कमी न आ जाए, इसके बारे में पहले विचार करने की आवश्यकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में गोद लिये गये पुत्र के अधिकार के बारे में जो प्रबंध किया गया है, उसमें संशोधन लाये जाने की आवश्यकता है। जो व्यवस्था पहले की गई थी, उसे और सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि यह विधेयक उन विधेयकों के समान - संविधान में समानता का अधिकार, महिला आरक्षण विधेयक के मामले में जो व्यवस्था की गई है - उन पन्नों पर न रह जाये। इस विधेयक को धरातल पर ठीक से लागू किये जाने की आवश्यकता है। आज देश की आजादी के 58 साल बाद भी राज्य सरकारें तो क्या, केन्द्र सरकार भी पूरी ईमानदारी के साथ विधेयकों को अक्षरशः लागू करने में नजर नहीं आती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुये इतना जरूर कहूंगा कि इस विधेयक को पारित करने से पहले समाज में इस देश के विभिन्न वर्गों और धर्मों के सभी लोगों में आम सहमति बनाये जाने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

[श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन]

"अडुपुडम पेंगालुम्कु पडिप्पेडारकू

पट्टांगल आलवाडुम सत्तांगल सेवाडुम

पारिनिल रंगे नाडथा वंधूम

एटुम एरिविनिल आनुम्कुपेन,

इलायापिलाय कान एन्ड्रयू कमियादी

उपाध्यक्ष महोदय: आप तमिल में बोल रही हैं। आपने बोलने से पहले सूचना नहीं दी है।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: महोदय, मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद करूंगी।

ये पंक्तियां महाकवि भारती की कविता से ली गई हैं। यह तमिल भाषा में एक कहावत है। इसका अर्थ है कि एक बार ऐसी प्रथा थी कि जो महिलाएं घरेलू कामकाज करती थीं उन्हें शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं थी। उनसे समाज के दासों जैसा व्यवहार किया जाता था। महाकवि भारती जैसे महान कवि जिन्होंने जहां एक ओर स्वतंत्रता आंदोलन में जनता में जोश पैदा करने हेतु कई कविताएं लिखीं, वहीं महिलाओं की दासता से मुक्ति के लिए भी आवाज उठाई। इसके बाद ही महिलाओं को सम्मान दिया गया और शिक्षित किया गया और अब हमें यह कहने में गर्व महसूस होता है कि अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं हैं जहां महिला विशेषज्ञ नहीं हैं। हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, ब्रिटेन की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती मार्गेट थेचर, माननीय सोनिया जी, आई.पी.एस. अधिकारी किरण बेदी तथा अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला आदि जैसी महिलाओं की अब अंतहीन सूची है। इस समय सम्पत्ति में बराबर का हक देना आवश्यक है तथा इसका श्रेय संप्रग सरकार को है। माननीय सोनिया जी की अध्यक्षता में ही सरकार इस तरह की उपलब्धि हासिल कर सकती है। इससे पहले हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 में लागू हुआ था। इस अधिनियम में 26 संशोधन किए गए। इसके बाद यह अधिनियम 1956 में लागू किया गया। इससे पहले हिन्दुओं में परम्परागत कानून का अनुपालन किया जाता था और पैतृक सम्पत्ति में से हिन्दू महिलाओं को कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। वर्ष 1929 में हमारे महान द्रविड़ आंदोलन के प्रणेता तनताई ई.वी.रा. पेरियार ने तमिलनाडु में चेंगलपट्टू में आयोजित बैठक में घोषणा की थी कि महिलाओं को सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा दिया जाना चाहिए।

इसके बाद हमारे माननीय प्रिय डा. कलैंगनार ने 1990 में इस अधिनियम को लागू किया जिसके अंतर्गत महिलाओं को सम्पत्ति में बराबर का हिस्सा दिया गया तथा तमिलनाडु की जनता प्रसन्नता से उस अधिनियम का अनुपालन कर रही है। इसके बाद कई राज्यों में यह अधिनियम लागू किया गया। महिलाओं की योग्यता तथा बलिदान करने की प्रकृति को जानते हुए माननीय सोनिया जी ने संशोधन प्रस्तुत किए और हम निश्चित रूप से इस सम्माननीय सभा में इस विधेयक को पारित करेंगे। निःसंदेह, हमें आशा है कि हमें 50 प्रतिशत सम्पत्ति मिलेगी। इसके साथ ही हम राज्य विधानमंडलों में 50 प्रतिशत आरक्षण न मांग कर 33 प्रतिशत आरक्षण मांगते हैं। हमारे माननीय डा. कलैंगनार भी इस बात पर बल देते हैं और मुझे आशा है कि यह सम्माननीय सभा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देते हुए महिला आरक्षण विधेयक पारित करेगी। इससे निश्चित रूप से महिलाओं को सामाजिक कार्य करने में मदद मिलेगी।

हमारे माननीय डा. कलैंगनार स्वाभिमान विवाह संबंधी विधेयक लाने के प्रति अति सावधान हैं। स्वाभिमान विवाह सादे ढंग से होने वाले विवाह हैं जहां मंत्र नहीं पढ़े जाते तथा इस तरह के विवाहों में अनावश्यक खर्चे से बचा जाता है। इससे निश्चित रूप से गरीब परिवारों को सहायता मिलेगी। इससे नारी-जाति को दहेज प्रथा की बुराई से छुटकारा मिलने में भी मदद मिलेगी।

महिलाओं को सम्पत्ति में बराबर का हक देकर नारी-जाति को दहेज तथा इस तरह की अन्य बुराइयों से निकलने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। इसलिए, मैं द्रमुक पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करती हूं। मुझे विश्वास है कि यह सम्माननीय सभा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर महिला आरक्षण विधेयक भी पारित करेगी...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन: यदि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं तो हमें इस सम्माननीय सभा में इस विधेयक में सभी संशोधन करने चाहिए। मैं एक बार फिर अपनी पार्टी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, माननीय कानून और न्याय मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक में भाग लेने की अनुमति प्रदान करने का धन्यवाद। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन मुख्यतः तीन पहलुओं से

संबद्ध है। पहला, जन्म से ही बेटी, पुत्र की भांति सम्पत्ति में सह-उत्तराधिकारी बन जाती है। दूसरे पहलू के अंतर्गत सह-उत्तराधिकार सम्पत्ति में उसे वही अधिकार प्राप्त होगा जैसा कि यदि वह पुत्र होती। तीसरा, इस सह-उत्तराधिकार सम्पत्ति के संबंध में उन्हीं दायित्व के अध्याधीन होगा जो कि पुत्र के संबंध में है। संयुक्त हिन्दू परिवार में हिस्से का बंटवारा मिताकक्षर कानून द्वारा होता है। माननीय मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है - हमें बताया गया है कि वह धारा 4(2), धारा 23, धारा 24 वापस ले रहे है और उन्होंने यह भी कहा कि धारा 6 का भी संशोधन किया जा रहा है।

आरंभ में, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन करके पुरुष और महिला के बीच समानता स्थापित करने का सरकार का इरादा प्रशंसनीय है लेकिन प्रस्तावित संशोधन अपर्याप्त है। मैं इसके कारणों पर आता हूं। यदि हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, 2005 को अधिनियमित किया जाता है तो अस्समानता का प्रमुख स्रोत अर्थात् कृषि भूमि में हिस्से का अधिकार अछूता रह जाएगा। दूसरा, पुरुष की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में पुत्री का हिस्सा बढ़ाते समय अन्य श्रेणी-एक के उत्तराधिकारियों जैसे उस व्यक्ति की विधवा और मां का हिस्सा कम हो जाएगा। तीसरा, इससे पुरुष का वसीयत करके अपने महिला उत्तराधिकारी को दाय और सम्पत्ति से वंचित करने का अधिकार बना रहेगा। अतः, मैं तो यही कहूंगा कि यह व्यापक संशोधन करने का एक खोया हुआ अवसर है।

जैसाकि बताया गया है, लिंग समानता के लिए हमें कृषि भूमि को अन्य सम्पत्ति के बराबर लाने, संयुक्त परिवार सम्पत्ति को समाप्त करने तथा वसीयत को आंशिक रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है। मैं ये तीन सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, निःसंदेह, माननीय मंत्री ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 4(2) में संशोधन करने का उल्लेख किया है। लेकिन मैं तो कहूंगा कि इस खण्ड को हटा देने से इस देश की नारी-जाति को कृषि भूमि पर स्वतः अधिकार नहीं मिलेगा। असंशोधित हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में लिंग असमानता के दो स्पष्ट और एक निहित स्रोत है। पहला, धारा 4(2) कृषि भूमि में महत्वपूर्ण हित्ताधिकार से विमुक्त करती है। इसमें उत्तराधिकार तय करने संबंधी सम्पत्ति कानूनों, कृषि जोत का विभाजन अथवा ऐसी जोत में पट्टेदारी अधिकारों को सौंपने के उपबंधों का उल्लेख नहीं किया गया है जिसका अर्थ है पट्टेदारी कानून में विनिर्दिष्ट अंतरण के क्रम के अनुसार पट्टेदारी भूमि में हिस्सा देना। मुझे आशा है कि मैंने अपनी बात स्पष्ट कर दी है क्योंकि मैं इस देश के उत्तरी राज्यों का उल्लेख कर रहा हूं जहां अभी भी पट्टेदारी कानून विद्यमान है। पट्टेदारी कानून प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। दक्षिणी तथा अधिकांश मध्य और पूर्वी राज्यों में यह कानून अंतरण के विषय पर मौन है। इसलिए यह माना जा सकता है कि उत्तराधिकार के मामले में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का अनुपालन होगा। कुछ राज्यों में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम अथवा स्वीय विधि के साथ विनिर्दिष्ट पट्टेदारी कानून लागू होगा। लेकिन उत्तर-पश्चिमी राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में भी पट्टेदारी कानून हस्तांतरण के क्रम का उल्लेख करेगा और इनमें अत्यधिक लिंग असमानता है। यहां पुरुष पैतृक वंशानुक्रम में पुरुष वंशज की प्राचीन मिताकक्षरा प्रणाली को प्राथमिकता दी गई है जहां उत्तराधिकारियों के क्रम में महिलाओं का दर्जा बहुत कम है और महिलाओं को केवल सीमित सम्पदा मिलती है और पुनर्विवाह होने पर उनकी भूमि चली जाती है, निःसंदेह इस उपबंध को माननीय मंत्री ने इस विधेयक में संशोधित कर दिया है। लेकिन इस विधेयक में अभी भी अन्य खण्ड है कि उसे भूमि को जोतना होगा। यदि भूमि को कम से कम एक या दो वर्ष तक खाली छोड़ा जाता है तो वह उस भूमि का अधिकार खो देती है। इस तरह यह संशोधन इसमें नहीं है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस बात पर विचार करें। विशेषरूप से उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 'काश्तकार' को इतने व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है कि हस्तांतरण के इस असमान क्रम में हर तरह की कृषि भूमि सम्मिलित हो जाती है।

महोदय, मैं अब दूसरी बात पर आता हूं। सम्पत्ति में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम हिस्से का अधिकार प्राप्त है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन बिना वसीयत किए मरने वाले पुरुष की पृथक सम्पत्ति उसके पुत्र, पुत्रियों, विधवा तथा मां में समान रूप से बंटेगी। दयाभाग्य प्रथा के अधीन यदि पहली बात लागू होती है तो यह नियम पैतृक सम्पत्ति पर भी लागू होता है। लेकिन यदि पहली बात मिताक्षरा प्रथा द्वारा लागू होती है तो संयुक्त परिवार अथवा सम्पत्ति की अवधारणा कायम रहेगी। यद्यपि पुत्र, पुत्रियां, विधवा तथा मां समान हिस्से की हकदार है लेकिन पुत्र, सह-उत्तराधिकारी का पिता की सम्पत्ति में हिस्से के अलावा संयुक्त परिवार की सम्पत्ति में स्वतंत्र हिस्से में प्रत्यक्ष अधिकार है तथा महिला

[श्री भर्तृहरि महताब]

उत्तराधिकारियों का दिवंगत पुरुष के थोड़े से भाग पर ही अधिकार है। मिताक्षरा सहदायाद अधिकार के अधीन पुत्र बंटवारे की मांग कर सकता है जबकि पुत्री ऐसा नहीं कर सकती है।

यहां सहदायाद सम्पत्ति परिवार की पुश्तैनी सम्पत्ति होती है और पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र को मिलती है। अब इस संशोधन के बाद पुत्री सहदायाद हो जाएगी और इसके साथ-साथ वह बंटवारे की मांग भी कर सकती है।

भारत में हमारे यहां अत्यन्त विचित्र व्यवस्था हैं हमारे पास कई उत्तराधिकार कानून हैं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, जो 1956 में लागू किया गया था, पर अन्य उत्तराधिकार कानून विवाह अधिनियम जैसे कई कानून आधारित हैं। लेकिन उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम इस देश का सबसे अच्छा कानून माना जाता था लेकिन 49 वर्षों के विकास के पश्चात महिलाओं के सशक्तिकरण के 49 वर्षों के पश्चात समाज के कमजोर वर्गों के एक बड़े भाग के सशक्तिकरण के पश्चात हम इस पर पुनः चर्चा कर रहे हैं। लड़कियों अथवा महिलाओं को अपना अल्प हिस्सा प्राप्त करने के लिए बंटवारे का इन्तजार करना पड़ता था। अब इस संशोधन विधेयक के अनुसार इसमें संशोधन किया जाएगा।

चूंकि 1956 के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के पारित होने के पश्चात 5 राज्यों ने पहले ही कानून में संशोधन कर लिया है जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी किया है। यहां मैं केरल में वर्ष 1975 का उल्लेख करना चाहता हूं जब महिलाओं के हित के लिए संशोधन लाया गया था। निसन्देह आन्ध्र प्रदेश पहला राज्य था बाद में 1986 में इस कानून में संशोधन किया गया। कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश में संयुक्त परिवार सम्पत्ति में लड़कियों को भी सहदायाद के रूप में सम्मिलित किया जबकि केरल ने संयुक्त परिवार सम्पत्ति को पूरी तरह समाप्त कर दिया लेकिन किसी भी राज्य ने कृषि भूमि सम्बन्धी प्रावधानों को संशोधित नहीं किया।

यह विधेयक, जिस पर आज इस सभा में विचार किया जा रहा है, महाराष्ट्र में किए गए संशोधनों पर आधारित है। इस विधेयक में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन लिंग असमानताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। सबसे पहले इसमें कृषि भूमि में असमानता जो ग्रामीण सम्पत्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, का समाधान नहीं किया गया है। दूसरे इस विधेयक में कुछ महिलाओं को छोड़कर अन्य महिलाओं के पक्ष में है। यद्यपि इस संशोधन के पारित होने से अविवाहित पुत्रियों का हिस्सा बढ़ेगा और आने वाले समय में उनको लाभ मिलेगा और कुछ सम्पत्तियों जहां पिता वसीयत नहीं करता में लड़कियों को सीधे अधिकार मिल जाएगा। इससे पहले दर्जे की महिला वारिस का जैसे उस व्यक्ति की पत्नी और अन्य महिला माता का हिस्सा कम होगा चूंकि दिवंगत पुरुष से मिलने वाली सहदायाद उन्हें नहीं दी गई है।

अन्य शब्दों में, इस संशोधन से पुत्र पुत्री के बीच की असमानता तो दूर होगी परन्तु पुत्रियों और घर की अन्य महिलाओं के बीच असमानता बढ़ेगी। इस प्रकार प्रस्तावित संशोधन दोषपूर्ण है और मेरी राय में यह संयुक्त परिवार सम्पत्ति को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में किया गया प्रयास होगा जैसाकि केरल में किया गया है।

तीसरा यह विधेयक वसीयत करने का निर्बाध अधिकार है। इसे सम्पत्ति के आधे अथवा दो तिहाई तक सीमित किया जाए जैसाकि हमारे देश की और यूरोप में भी विधिपरक व्यवस्था में भी पाया जाता है और वह सही दिशा में उठाया गया एक कदम होगा।

यह विधेयक विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। 2000 के 174वें प्रतिवेदन में इसकी कमियों को बनाया गया था जैसाकि सहदायाद सम्पत्ति किसी परिवार की पैतृक सम्पत्ति होती है और पिता की मृत्यु के पश्चात पुत्र को मिल जाती है अब पुत्री को भी परिवार के सहदायाद के रूप में शामिल किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पुत्री को भी उन सदस्यों में गिना जाएगा जो हिस्सेदार होंगे और पैतृक सम्पत्ति में बराबर का भाग प्राप्त करेंगे।

इससे क्या होगा? क्या इससे मुकदमों की संख्या अधिक होगी? वह इस संशोधन के पारित होने के पश्चात परिवार का कर्त्ता बन जाएगी। वह एक पुत्र के समान परिवार की कर्त्ता बन जाती है तो इसके साथ-साथ मुकदमेबाजी की संख्या में वृद्धि की आशंका होगी और संयुक्त परिवार बिखरने की सम्भावना होगी। ये मामले प्रकृति में महत्वहीन है। यद्यपि कई लोगों को इस पर आशंका है मैं समझता हूं कि जब हम बालिका भ्रूण हत्या पर होने वाली राशि जो लिंग का पता लगाने के लिए पूरे देश में हर जगह मौजूद आधुनिक उपकरणों और मशीनरी के उपलब्ध होने पर खर्च किए जाने पर विचार करे तो यह बिल्कुल नगण्य लगती हैं।

इस समाज पर तब तक कोई कानून प्रतिबंध नहीं लगा सकता है जब तक हम बालिका भ्रूण की रक्षा करने के लिए स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं। इससे मुझे याद आता है जब हम अपने धर्मग्रन्थों की बात करते हैं, पुराने कानून की बात करते हैं जो इस देश में ही नहीं विश्व के अन्य भागों में विद्यमान है। मनु की कोई पुत्रियां नहीं थी न ही राम अथवा कृष्ण की थी। कौरवों की एक बहन थी पाण्डवों की कोई बहन नहीं थी। ईसा मसीह जोसेफ और मेरी का एक ही पुत्र था। अधिकतर धर्मग्रन्थ पुरुषों ने ही लिखे हैं। यह समाज पिछले कई हजारों वर्षों से पुरुष प्रधान समाज रहा है।

परिवर्तन काफी धीमी गति से हो रहे हैं लेकिन जब आप 21वीं शताब्दी की बात कर रहे है तो ये परिवर्तन धीमी गति से न होकर तेजी से होने चाहिए। मुझे आशंका है कि यह विधेयक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है जैसाकि मैंने कहा है कि इससे बड़ी संख्या में बालिका भ्रूण हत्या को प्रोत्साहन मिलेगा। एक बार इस विधेयक के प्रभावी होने से पुत्री को भी परिवार का कर्त्ता बनाया जाएगा। जैसाकि मैंने पहले भी उल्लेख किया है। इस पहल का अधिक प्रभाव हमें इस देश के उत्तर भाग में देखने को मिलेगा क्योंकि जनगणना में बार-बार बताया गया है कि उत्तर भारत के विभिन्न भागों में बालिका अनुपात काफी नीचे हो रहा है।

मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं क्या उन्होंने इस पहलू पर राज्य सरकारों के साथ बातचीत की है। केवल कानून में ही संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि उन्हें बताना होगा कि बालिका भ्रूण हत्या को रोकने के लिए समाज को शिक्षित करने के लिए क्या-क्या परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

अब मैं अपने अन्तिम पहलू पर आता हूं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जैसाकि माननीय मंत्री ने कहा है कि बिट्रिश कानून का प्रतिबिम्ब है।

अपराह्न 2.00 बजे

उस समय इसका निवेदन किया गया था। लेकिन अब समय बदल गया है। समय की गति को ध्यान में रखते हुए हमारे कानूनों के साथ समाज को भी बदला जाना चाहिए। जब हम प्रगतिशील कानून बनाने के बारे में सोच रहे हैं महिलाओं के सशक्तीकरण किए जाने की आवश्यकता है यह समय की मांग है हमें उन सभी कमियों को दूर करने के बारे में सोचना चाहिए जिससे सामान्य रूप से समाज को और विशेषरूप से महिलाओं को नुकसान न हो।

जैसाकि हम सभी जानते हैं हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 कानून के समक्ष समानता की गारन्टी देते हैं जैसाकि माननीय मंत्री जी ने कहा है। मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि श्री एन.टी. रामाराव ने अपनी विद्वता से अपने कार्यकाल के दौरान इस अधिनियम को प्रख्यापित किया था। वह आन्ध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे जिन्होंने इस अधिनियम को प्रख्यापित किया था। श्री के. करूणनिधि दूसरे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बालिकाओं को समान अधिकार दिये थे। इसे 1990 में प्रभावी किया गया था। इसके पश्चात कर्नाटक और महाराष्ट्र ने भी उस कानून को लागू किया था। केरल में पहले से यह कानून प्रचलित था। अतः मैं कहना चाहता हूं कि हमें मौका नहीं खोना चाहिए छोटे मोटे संशोधन है जिन्हें किया जाना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस संशोधन को त्रुटिरहित बनाए। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह संयुक्त परिवार सम्पत्ति को समाप्त करे जैसाकि 1975 में केरल में किया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक 2005 का समर्थन करता हूं मैं आज बहुत प्रसन्न हूं क्योंकि यह कानून आंध्र प्रदेश में स्वर्गीय श्री एन.टी. रामाराव, तेलुगू देशम के संस्थापक और आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ने लागू किया था। उस समय मैं वहां की विधान सभा का सदस्य भी था। आज मैं प्रसन्न हूं कि यह पूरे देश में लागू होगा। इसलिए मैं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के इस संशोधन विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए माननीय विधि मंत्री को बधाई देना चाहता हूं।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 कानून के समक्ष समानता और लिंग भेद न करने की गारन्टी देते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 18 दिसम्बर 1979 में स्पष्ट कहा गया था कि देश में सभी सिविल मामलों में कानून के समक्ष महिलाओं के साथ पुरुषों के सामान व्यवहार किया जाएगा। सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषणापत्र में भी महिलाओं के साथ पर्याप्त समान न्याय की गारन्टी दी गई है।...(*व्यवधान*)

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं आपका आभार नहीं लेता हूं क्योंकि यह सच है कि संयुक्त परिवार व्यवस्था 1975 में केरल में पूरी तरह से समाप्त हो गया था जबकि चार वर्ष पहले एन.टी. रामाराव ने इस पर

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

कानून बनाया था। मैंने उस चर्चा में भी भाग लिया था।...(*व्यवधान*)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राधाकृष्णन, जब आपकी बारी आएगी तो आप जो कहना चाहते हैं कह सकते हैं कृपया व्यवधान मत डालिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु: केरल सरकार ने संयुक्त परिवार व्यवस्था समाप्त कर दी थी हमने इसे लागू किया था। किसी ने भी उस समय इस पर विचार नहीं किया था अतः हम हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का संशोधन विधेयक लाने के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू करने के लिए भी श्री एन.टी. रामाराव की प्रशंसा करते हैं देश में 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के पहले ही हमने महिलाओं के लिए 9 प्रतिशत आरक्षण कर दिया था। श्री एन.टी. रामाराव ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण आरम्भ किया था। उसके बाद भूतपूर्व मुख्यमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री एच.डी. देवगौडा ने कर्नाटक में इसे आरम्भ किया था। हमें इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। हमने परिवार कोर्ट, महिला पुलिस स्टेशन और महिलाओं के लिए पृथक महिला विश्वविद्यालय आरम्भ किए।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि इसका क्रियान्वयन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है।

हमने आंध्र प्रदेश में 1986 में, तमिलनाडु में 1990 में और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में 1994 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में संशोधन किया था। इन राज्यों में क्रियान्वयन की स्थिति क्या है? जहां कहीं भी इस अधिनियम को क्रियान्वित किया गया है वहां महिलाएं काफी खुश हैं। यदि कुछ राज्यों में इसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण हैं और वे इसे क्रियान्वित क्यों नहीं कर पाये हैं?

हमें सभी महिलाओं को अच्छी शिक्षा देनी है। कल्पना करें कि यदि हम महिलाओं को शत-प्रतिशत साक्षर बना देते हैं तो वे अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं। यह विधान एक प्रगतिशील विधान है। एक बार यदि महिलाओं को पूरी शिक्षा दे दी जाती है तो वे इस विधान के तहत अपने अधिकारों की मांग रख सकती हैं। हमें इसकी सराहना करनी होगी। इस बात में दम है। यदि कल संयुक्त हिन्दू परिवार में कोई विसंगति आ जाती है तो कल क्या होगी। मैं इन सारी बातों से सहमत नहीं हूं। यह एक प्रगतिशील विधान है। यदि इसमें कोई विसंगति है या कोई कमी है तो भविष्य में हमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन करना पड़ेगा।

इस परिदृश्य में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री को सूचित करना चाहता हूं कि इसका क्रियान्वयन वाला हिस्सा ही बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके अलावा, भारत सरकार को देश की महिलाओं के बीच शत-प्रतिशत साक्षरता लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना चाहिए। तभी वे जानकारी रख सकती हैं और तभी वे अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम हो सकती हैं। आंध्र प्रदेश में हमने यह काम कर लिया है। हमने स्नातकोत्तर स्तर तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की है। वर्ष 1986 में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन के बाद हम केवल मूकदर्शक बनकर नहीं बैठे हैं। बल्कि हमने महिलाओं को कई सुविधाएं दी हैं जैसे - 100 प्रतिशत साक्षरता। उसी प्रकार हमने महिलाओं को प्राथमिकता दी है। इसलिए, भारत सरकार को देश में महिलाओं को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इसी प्रकार से कदम उठाने चाहिए।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं 16 अगस्त, 2005 को राज्य सभा में यथापारित हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। वर्तमान संशोधन के रूप में इस प्रकार के एक प्रसंशनीय विधान को लाने के लिए मैं माननीय विधि और न्याय मंत्री के लिए अपना आभार व्यक्त करने के लिए सत्ता पक्ष के अन्य माननीय सदस्यों के साथ अपने को जोड़ता हूं। हम सभी जानते हैं कि यह संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के माननीय सभापति तथा माननीय प्रधानमंत्री के सक्षम नेतृत्व में ही संभव हो पाया है।

सर्वप्रथम मैं यह तथ्य सामने रखना चाहता हूं कि इस ग्रह, धरती पर निवास करने वाली मानव जाति की दोनों जातियों, पुरुषों और महिलाओं, को इस संशोधन की उत्कट अभिलाषा थी। गणित, खगोल विद्या और खगोल भौतिकी के छात्र के रूप में, मेरे लिए यह पृथ्वी इस ब्रह्मांड में एक बिंदु के समान है और इस ग्रह पर निवास करने वाली मानव जाति की विश्व में केवल दो ही जातियां हैं - पुरुष और महिला। यह बात बिल्कुल सत्य है कि कोई भी इस तथ्य से इंकार नहीं कर सकता कि पुरुषों और महिलाओं के अधिकार तथा कर्तव्य हर मामले में

समान होने चाहिए। एक के अभाव में दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। यह बड़ी दिलचस्प बात है कि यही कानून का शासन है।

महोदय, वर्तमान विधेयक में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा-4 की उप धारा-(2) के विलोपन तथा धारा-23 और धारा-24 के पूर्ण विलोपन का प्रावधान है तथा उपशीर्षक खंड-1 के अंतर्गत अधिनियम की अनुसूची में संशोधनों के साथ-साथ प्रस्तावित वर्तमान संशोधन विधेयक द्वारा अधिनियम की धारा-6 के प्रतिस्थापन का देश में सभी वर्ग के लोगों के द्वारा बहुत स्वागत किया गया है।

महोदय, मैं अत्यंत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि यह उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की उपलब्धि ही है जहां जनता की इच्छा शक्ति और विवेक सर्वोपरि होता है। कृपया उन पुराने दिनों को याद कीजिए जब हमारे समाज में महिलाओं को सती प्रथा तथा कई अन्य प्रकार के अत्याचारों का सामना करना पड़ता था। आज हमें विश्व को यह बताने में गर्व महसूस हो रहा है कि "कृपया यहां देखिए।" यह वह देश है जहां, झांसी की रानी, रानी पद्मिनी, सरोजनी नायडू, श्रीमती इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा जैसी महिलाओं ने जन्म लिया और आज मैडम सोनिया जी इस राष्ट्र को नेतृत्व प्रदान कर रही हैं।"

महोदय, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के सही अर्थों में क्रियान्वयन के बाद अब वह दिन दूर नहीं जब हमारी मां और बहनों को भी सही अर्थों में बराबर का दर्जा प्राप्त हो जाएगा जो दर्जा हमारे पिता और भाइयों को मिला हुआ है और इस अर्थ में हम सभी को समान अधिकार और उत्तरदायित्व भी प्राप्त होगा।

अंत में इस विधेयक पर विचार करने और इसे पास कराने में होने वाली चर्चा में मुझे भाग लेने की अनुमति देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और पूरे मन से हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): उपाध्यक्ष महोदय, जैसे दूसरे माननीय सदस्यों ने हिन्दू सक्सैशन एक्ट पर अपने विचार रखे, मेरी पार्टी भी इस बिल का समर्थन करती है।

अपराह्न 2.11 बजे

(**श्री वरकला राधाकृष्णन** *पीठासीन* हुए)

श्री भारद्वाज, जो हमारे प्रदेश से भी हैं, बड़े काबिल मंत्री हैं और ज्वाइंट हिन्दू फैमिली से बिलॉग करते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी मालूम है। इसलिए मैं ज्यादा लम्बी बात नहीं कहना चाहूंगा। 1925 में जो हिन्दू एक्ट था, उसे बदलकर 1956 में हिन्दू सक्सैशन एक्ट आया। 1956 के बाद आज 2005 में इसमें अमैंडमैंट हो रही है। बीच में कुछ माइनर अमैंडमैंट्स हुईं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाओं को शिक्षा की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से अधिकार दिए जाएं, वे बराबर की हकदार हैं, लेकिन कुछ कानून इस तरह पास हो रहे हैं कि उनको पावर देने की बजाए वोट की राजनीति हो रही है। यह हार्ड फैक्ट है कि 1956 में जब कानून पास हुआ, पैतृक सम्पत्ति में बेटी, विधवा को राइट मिले, मिलने चाहिए, लेकिन लाखों लिटिगेशन, मुदकमे कोर्ट में पचास सालों से चल रहे हैं। उस कानून के पास होने से बहनों, भाइयों और संयुक्त परिवारों में झगड़े हुए जिसकी वजह से सामाजिक ढांचे में बहुत बिखराव आया। कुछ परिवार, कुछ बहनें, जो सामाजिक परम्परा से बंधी हुई थीं, उन्होंने स्वेच्छा से अपने भाइयों को जमीन दे दी, लेकिन कुछ बहनें, पुत्रियां शादी के बाद जब अपने पति के लालच में जमीन लेने के लिए आगे बढ़ी, तो टकराव पैदा हुए, मुदकमे चले। मैं भारद्वाज जी से कहना चाहता हूं कि लाखों केसों में से शायद ही ऐसा कोई केस मिले, जिसमें किसी बहन ने गांव में खुद जाकर जमीन पर हल चलाया हो। वह पति के घर रहती है और अपने बच्चों का पालन-पोषण करती है, लेकिन भाई के बराबर जाकर खुद खेती नहीं करती। इसका परिणाम यह हुआ कि भाइयों द्वारा जमीन खरीदकर उसे पैसे दे दिए गए। लड़की को तो कुछ नहीं मिलता, उसका पति ही सब कुछ ले लेता है। वास्तव में 1956 के बाद सामाजिक तौर पर इतना बड़ा टकराव हुआ, अब तो उसे जन्म से ही अधिकार मिल गए। यह अच्छी बात है, हम इसका विरोध नहीं करते, उसे मिलना चाहिए, लेकिन वास्तविकता को भी पहचानना चाहिए। मिताक्षरा प्रणाली जो हिन्दुओं में है, तीन-चार राज्यों को छोड़कर सारे देश में इसका असर पड़ेगा। वैस्ट बंगाल, आसाम और उड़ीसा, इन तीन-चार प्रदेशों को छोड़कर यह कानून लगभग पूरे देश में लागू होगा। सैकड़ों सालों से हम महिलाओं की तरक्की के लिए, उनके उद्धार के लिए कानून बना रहे हैं, सती प्रथा को रोकने के लिए हमने कानून बनाया, विधवा-विवाह

[श्री किशन सिंह सांगवान]

रोकने के लिए कानून हमने बनाया, बाल-विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून हमने बनाया, दहेज निरोधक कानून हमने बनाया, कितने ही कानून हमने महिला सशक्तीकरण के लिए बनाए हैं, लेकिन वे सभी कानून लगभग निष्क्रिय हैं, प्रभावी नहीं है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, तब तक कानून ठीक तरीके से इम्पलीमेंट नहीं होगा, केवल कागजों में कानून बना देने से किसी को न्याय या अधिकार नहीं मिल जाते हैं। कानून का फायदा तभी होता है जब जनता जागरूक हो, जनता उसे मान्यता दे वर्ना सारा सामाजिक ढांचा बिगड़ जाता है। अभी मौजूदा जो कानून हम पास करने जा रहे हैं, आप देखना कि पूरे देश में एक बार इसकी प्रतिक्रिया होगी तथा पूरी उथल-पुथल मचेगी, झगड़े बढ़ेंगे और बहुत तरह के दुष्परिणाम भी सामने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा भारद्वाज जी से अनुरोध है कि आपकी इच्छा से हम सहमत हैं, सारा देश सहमत है लेकिन दूसरा जो हमारा सामाजिक ढांचा है, उसे तोड़कर अगर कोई कानून आप बनाएंगे तो वह प्रभावी नहीं होगा, उसके गंभीर और दुष्परिणाम सामने आएंगे। इन सभी पहलुओं पर सोच-समझकर हमें यह कदम उठाना चाहिए।

सभापति जी, मैं आपके नोटिस में यह बात लाना चाहता हूं कि जो हिन्दू कोड बिल है, हिन्दू लॉ है, उसमें कई बार अमेंडमेंट हुई हैं। क्या हमारी मुस्लिम बहनें नहीं हैं? क्या हमारी ईसाई बहन-बेटियां नहीं हैं? उनके लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? केवल हिन्दू महिलाओं के लिए ही क्यों किया जा रहा है? यह जो भी किया जा रहा है, मैं भारद्वाज जी से स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूं कि इसमें जो बिल यानी वसीयत का राइट है, जब तक बिल का राइट रहेगा क्या हमारी बहनें जिनके लिए हम ये कानून बना रहे हैं, उनको क्या इससे कोई फायदा होगा? हिन्दू सक्सैशन एक्ट में वसीयत का हरेक को राइट दिया गया है और ज्यों ही वसीयत का पता लगेगा, हमारा सामाजिक ढांचा इस प्रकार का है कि जैसे ही पता लगेगा, फौरन लोग अपने बेटों और अपनी पत्नी के नाम वसीयत कराना शुरू कर देंगे तो बेटियां फिर रह जाएंगी। फिर इससे क्या फायदा हुआ? मुस्लिम परिवारों को एक-तिहाई प्रोपर्टी का, बिल का राइट है, बाकी का है ही नहीं। वहां तो मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को पहले ही कोई हक नहीं मिलता। इन सारी चीजों पर हमें सोचना चाहिए। मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं कि हमारे हिन्दू समाज में, हिन्दू परिवार के केवल उन्हीं परिवारों में जहां वैध संतान हैं और जिनकी शादी वैध तरीके से हुई है, उनको तो उत्तराधिकार का हक हासिल है और होना भी उन्हीं को चाहिए लेकिन जो बच्चे लीगल मैरिज से अलग पैदा होते हैं, उनके बारे में इस बिल में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जो गोद लिये हुए हैं, उनके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जो विधवा हैं, उनके लिए इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। जो वैध संतान होती हैं, वे ही मनुष्य की संतान मानी जाती हैं। जो अवैध संतान हैं, वे महिला की संतान मानी जाती हैं। महिला की प्रोपर्टी में से उनका राइट आता है। जो इललैजिटिमेट बच्चे हैं, पुत्र और पुत्रियां हैं, केवल उनको गुजारा-भत्ता लेने का अधिकार है, सम्पत्ति में अधिकार नहीं है। इस बारे में हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। सौतेले बेटे-बेटियों का क्या होगा? उनके बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं है। जिनको गोद लिया जाता है, उनके लिए इसमें क्या कानून बनेगा? ग्राउंड लैवल पर आम परिवार को इसी प्रकार की दिक्कतें आती हैं, उनका स्पष्टीकरण इसमें होना चाहिए। अब जैसे मैंने वसीयत का जिक्र किया, अब जैसे कानून पास होगा क्योंकि सामाजिक ढांचा ऐसा नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री हंस राज भारद्वाज: सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति केवल अपनी स्वअर्जित सम्पत्ति की ही वसीयत कर सकता है, को-पार्सनरी की वसीयत नहीं होती है। ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं। जो स्वअर्जित सम्पत्ति है, उसमें हमने कोई हिस्सेदारी नहीं दी है। उसे हमने उस आदमी पर ही छोड़ा है कि वह अपने बुढ़ापे में अपनी सम्पत्ति किसे देना चाहता है। इसके बारे में आप ख्वामख्वाह कन्फ्युजन में न रहें। इस बिल में केवल जेन्डर बायस को दूर करने के लिए, बेटे और बेटी की समानता के लिए प्रयास किया गया है और कुछ नहीं। इसके आगे आज यह जो बिल और एडाप्शन वाली बातें कह रहे हैं, उनका इस बिल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप केवल यह देखिए कि बेटे और बेटी में माता-पिता भेदभाव न करें। आप इसी बात पर सोचिए। एडाप्शन का इससे कोई मतलब नहीं है।

श्री किशन सिंह सांगवान: मैं इसी की बात कर रहा हूं। वर्ष 1956 में यह जो उत्तराधिकार कानून बना था उसमें रिहायशी मकान और हाउसहोल्ड के बारे में प्रावधान हैं, लेकिन इस एमेंडमेंट में उनका जिक्र नहीं है। पैतृक सम्पत्ति के बारे में इसमें कई खामियां हैं, जिनके बारे में मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री हंस राज भारद्वाज: इसमें लैण्ड और प्रापर्टी दोनों शामिल हैं।

श्री किशन सिंह सांगवान: मैं इसी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। यह उत्तराधिकार का कानून कितनी बार एमेंड किया गया - कभी बेटी को पिता की सम्पत्ति में, कभी पत्नी को पति की सम्पत्ति में और कभी माता की सम्पत्ति में बेटे को हिस्सा देने के लिए एमेंडमेंट किए गए। अगर एक बार फैसला करके एमेंडमेंट किया जाए तो समाज का एक मानसिक ढांचा बन जाए। वर्ष 1956 में कानून पास किया गया और उसके झगड़े आज तक चल रहे हैं। अब यह कानून जो आप पास करने जा रहे हैं, वह सदियों तक चलेगा और साथ ही उससे सम्बन्धित झगड़े चलते रहेंगे। परिवारों में, भाई-बहनों में झगड़े होंगे। इसलिए मेरा सुझाव है कि एक बार पूरी तरह से सहमति से कानून पास कराएं ताकि हमारा सामाजिक ढांचा रोजाना न बिगड़े। आजकल कानून राजनीतिक नजरिए से पास किए जाते हैं जैसे शाहबानों प्रकरण में मुस्लिमों का वोट लेने के लिए कानून पास किया गया। उसका क्या परिणाम हुआ, यह आपके सामने है। आज तक मुस्लिम महिलाएं अपने अधिकारों से वंचित हैं।

मेरा एक निवेदन दहेज के बारे में है। मैं यह मानता हूं कि यह बिल लाने से दहेज पर कुछ अंकुश अवश्य लगेगा लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है, वह है भ्रूण हत्या का मामला जिसके लिए आज पूरा देश चिन्तित है। आज लड़के-लड़कियों में जो लिंग अनुपात है, वह कम होता जा रहा है। इस कानून के बनने से यह अन्तर और बढ़ेगा क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी है। आज तो मशीनों का युग है और जब यह पता लगेगा कि गर्भ में जो बच्चा है, वह लड़की है तो भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मैं यह चेतावनी आपको देना चाहता हूं। इन सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाइए, सारा देश आपके साथ है।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): महोदय, यह व्यवस्था का एक प्रश्न है। इस समय सदन में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही है, लेकिन सदन में कोरम का अभाव है। मैं कोरम का प्रश्न उठा रहा हूं। सदन में कोरम पूरा करा लिया जाए, उसके बाद चर्चा की जाए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण बिल है। इस बिल को इस तरीके से पास कराना उचित नहीं है।...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं कोरम का प्रश्न उठा रहा हूं, इस समय सदन में कोरम नहीं है, आप इसे देख सकते हैं, आप काउण्ट करवा लीजिए। सदन में कोरम का अभाव है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब, गणपूर्ति की घंटी बजाएं...

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: मैं एक बात पूरी तरह साफ कर देना चाहता हूं। जब गणपूर्ति की घंटी बज रही हो, तो कोई आवाज न हो, कोई चर्चा न हो और कोई राय न दी जाए। जब तक मामले पर निर्णय नहीं हो जाता कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। किसी को कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अब गणपूर्ति की घंटी बज रही है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही वृतांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब कार्यवाही के लिए गणपूर्ति पर्याप्त है। श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): सभापति महोदय, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005 पेश करने पर मैं विधि मंत्री भारद्वाज जी को बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं अपने दल सी.पी.आई. की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बिल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय कदम है। जैसा कि संविधान मे है कि पुरुष और महिला दोनों के समान अधिकार प्राप्त है इसलिए दोनों को समान हक मिलना चाहिए, यह बिल इस बात का प्रयास है।

अभी कुछ दिन पहले हमने महिलाओं से सम्बन्धित घरेलू हिंसा रोकने सम्बन्धी बिल पास किया था। उससे भी पहले कई विधेयक महिलाओं के सम्बन्ध में पास हो चुके हैं, जैसे दहेज प्रथा उन्मूलन विधेयक है, बाल विवाह रोकने सम्बन्धी विधेयक है। लेकिन ये सारे कानून जो जमीन पर लागू होने चाहिए थे, वे नहीं हो पाए हैं। आज दहेज प्रथा उन्मूलन कानून के बावजूद हमें अखबारों में बराबर पढ़ने को मिलता है कि अमुक जगह कोई महिला दहेज की वेदी पर बलि चढ़ा दी गई। शायद ही कोई दिन ऐसा होता होगा, जब इस तरह का समाचार हम न पढ़ते हों। सरकार द्वारा यह जो विधेयक लाया गया है, मेरा मानना है कि जिस तरह दहेज की वेदी पर

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता]

महिलाओं की बलि चढ़ाई जाती है, उसमें कमी आएगी और महिलाओं को अधिकार मिलेगा। सरकार द्वारा पेश इस विधेयक के सेक्शन 42 में कहा गया है कि महिलाओं को सम्पत्ति में अधिकार मिलेगा। मैं विधि मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि महिलाओं को कृषि भूमि पर भी अधिकार मिलना चाहिए और उसमें भी उन्हें शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर वे इससे वंचित होंगी तो उनके साथ अन्याय होगा।

लगातार कोशिश करने के बाद जब एन.डी.ए. की सरकार थी तब भी, आज जब यू.पी.ए. की सरकार है, जिसका हम वामदल भी समर्थन कर रहे हैं, महिलाओं को लोक सभा और विधान सभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी विधेयक संसद में पेश और पारित नहीं हो सका है। इस बारे में अभी तक आम सहमति नहीं बन सकी है, जिसके चलते यह विधेयक यहां पेश नहीं हो सका है। मेरा सरकार से निवेदन है कि अगर वह वास्तव में महिलाओं को अधिकार देना चाहती है, उन्हें आगे बढ़ाना चाहती है, तो जितनी जल्दी हो सके वह इस सम्बन्ध में 33 प्रतिशत आरक्षण देने सम्बन्धी लम्बित पड़े विधेयक को संसद में पेश करे और पास कराए। इससे महिलाओं को लोक सभा में और विधान सभाओं में समुचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और उनका हक मिलेगा। हमारे देश में कुल आबादी का आधा यानी 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। इसलिए सरकार अपनी इच्छाशक्ति से सारी बाधाओं को दूर करके महिला आरक्षण सम्बन्धी विधेयक जल्द से जल्द संसद में लाए।

पैतृक सम्पत्ति सम्बन्धी विधेयक पर कई माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचारों को यहां प्रकट किया है। कुछ का कहना है कि इससे आपसे में झगड़े शुरू हो जाएंगे। मेरा मानना है यह खयाल पुराना है। अगर आप महिलाओं को बराबर पर लाना चाहते हैं, तो उन्हें अधिकार देना होगा। इसीलिए यह विधेयक यहां लाया गया है, लेकिन यह विधेयक जमीन पर लागू होना चाहिए। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि संसद के वर्तमान सत्र की समाप्ति के बाद सरकार देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाए और इस कानून को कैसे जमीन पर लागू किया जाए, इस दिशा में आवश्यक कार्यवाही करे। मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं। इसमें वर्तमान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में कुछ धुंधली असमानताओं को समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। इसके बावजूद भी हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं के विरुद्ध अन्य अनुचित और विभेदकारी प्रावधानों के बारे में व्यापक चर्चा नहीं है। इस सम्बन्ध में अखिल भारतीय प्रजातांत्रिक महिला एसोसियेशन, जिस संगठन का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, ने अन्य महिला संगठनों के साथ पहले ही विधि मंत्री को एक संयुक्त ज्ञापन दिया है जिसमें संयुक्त हिन्दू परिवार के उन्मूलन, कृषि भूमि पर समान अधिकार देने तथा वर्तमान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में कुछ अन्य परिवर्तनों के बारे में अनुरोध किया गया है।

इसमें एक बड़ी कमी यह है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं को सम्पत्ति में दिए गए समान अधिकार में कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में कृषि भूमि का एक बड़ा हिस्सा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के दायरे से बाहर है। महोदय, आपको ज्ञात है कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4(2) में कृषि भूमि (जोतों) विखंडन को रोकने, अधिनियम सीमा का निर्धारण, और इन जोतों में अभिधृति अधिकार देने के लिए राज्य को विशेष राज्य-कानून बनाने की अनुमति है जिसका परिणाम यह होता है कि राज्य का कानून हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के किसी भी कानून से ऊपर हो जाता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाण, पंजाब और कश्मीर जैसे राज्यों में संगत कानून महिलाओं को अभिधृति उत्तराधिकार में समान अधिकार नहीं देता। जैसा कि आप जानते हैं कई मामलों में अभिधृति का अधिकार मालिकाना अधिकार के बराबर हो जाता है। न्यायालय ने अभिधृति अधिकारों के विकास से संबंधित राज्य भूमि सुधार अधिनियम को रोक रखा है यद्यपि इसमें महिलाओं को इन अधिकारों को हासिल करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, यहां तक कि भूमि सुधार के लिए बने कानूनों में भी महिलाओं को भूमि पर समान अधिकार नहीं दिया गया है और उन की दासता वाली स्थिति में सुधार लाने का मौका भी नहीं दिया गया है।

इसलिए, मेरी मांग है कि इसमें एक संशोधन किया जाना चाहिए जिसमें यह साफ-साफ कहा गया हो कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, जो महिलाओं को सम्पत्ति में बराबर का अधिकार देता है, कृषि भूमि के लिए भी लागू होगा और इसके विरुद्ध बने किसी भी नियम से

ऊपर होगा। मेरा संशोधन इस बात से संबंधित है। मुझे उम्मीद है कि इस देश के महिला संगठनों की भारी मांग पर सरकार तथा माननीय मंत्री जी भी ध्यान देंगे।

इसमें एक और खामी है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15, जिसमें यह बताया गया है कि किसी हिन्दू महिला की सम्पत्ति कैसे बांटी जाएगी, में भी कुछ विभेदक प्रावधान हैं। इसमें कहा गया है कि प्रथम उत्तराधिकारियों के अभाव में एक महिला हिन्दू की सम्पत्ति उसके पति के उत्तराधिकारियों की होगी और यदि ये उत्तराधिकारी भी मौजूद न हो तो यह सम्पत्ति उसकी मां और पिता को मिलेगी। तथापि, माता और पिता के न होने पर यह सम्पत्ति उसके पिता के उत्तराधिकारियों की होगी और यदि उसके पिता के भी उत्तराधिकारी न हों तो यह सम्पत्ति उसकी मां के उत्तराधिकारियों की होगी। स्थानांतरण की यह व्यवस्था सही और समान नहीं है।

सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अधिनियम की इस खामी पर ध्यान दे और इस कमी में सुधार के लिए उचित कदम उठाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): माननीय सभापति महोदय, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005 पर चर्चा में भाग लेते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मेरी पार्टी पी.एम.के. जो महिलाओं के सशक्तिकरण और आर्थिक विकास में विश्वास करती है, अंतर्मन से इस विधेयक का समर्थन करती है। हमारे संस्थापक अध्यक्ष महोदय हमेशा ही यह आवाज उठाते रहे हैं कि महिलाओं को, जो समाज के एक महत्वपूर्ण अंग हैं और कुल आबादी में उनकी संख्या आधी है, उन्हें समान अधिकार, बराबर का हिस्सा, समान न्याय, समान वेतन और सभी क्षेत्रों में समानता मिलनी चाहिए। इस विधेयक में महिलाओं को पुरुषों के साथ समानता दिलाने का प्रयास किया गया है।

संप्रग सरकार इस संशोधन विधेयक को पारित कर सामाजिक विधान के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण स्थान पाने जा रही है। पिछले एक सप्ताह में संप्रग सरकार ने महिला विधेयक के विरुद्ध घरेलू हिंसा निषेध विधेयक पारित किया है जबकि वीरवार को ही राष्ट्रीय रोजगार गारंटी विधेयक नामक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण विधान पारित किया है। अब हम महिला आरक्षण विधेयक पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। इसलिए, यह सरकार देश के इतिहास में एक मील का पत्थर स्थापित कर रही है विशेषकर सामाजिक विधान के सम्बंध में जिसे पूर्व में छोड़ दिया गया था। उस संदर्भ में मेरी पार्टी और मैं महसूस करते हैं कि यह विधेयक महिलाओं की उन्नति के लिए एक रास्ता प्रदान करता है यद्यपि इस विधेयक का कोई गंभीर असर होने वाला नहीं है। कोई भी समाज चाहे वह विकसित हो या विकासशील हो सभ्य समाज या विकसित समाज होने का दावा तब तक नहीं कर सकता जब तक इसकी आधी महिला आबादी का विकास नहीं होता। यदि किसी प्रकार के भेद-भाव का संकेत मिलता है या महिलाओं के विरुद्ध किसी भी कमजोरी का संकेत मिलता है तब हम एक विकसित सभ्य समाज या विकसित समाज होने का दावा नहीं कर सकते।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में कई विभेदकारी प्रावधान है अतः संप्रग सरकार के सहयोगियों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने से पूर्व कहा था कि "यदि हम इस देश की प्रगति के लिए कार्य करना चाहते हैं तो हमें विभेदकारी सभी विधानों को खत्म करना होगा जो देश के सांविधिक पुस्तक में विद्यमान हैं। न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इनकी सही अभिव्यक्ति हुई है जिसमें कहा गया है कि "सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पूर्ण वैधानिक समानता को सच्चाई में बदला जाएगा, विशेषकर विभेदकारी विधानों को समाप्त कर तथा वैसे नए विधानों को बनाकर जो महिलाओं को, मिसाल के तौर पर मकानों, भूमि आदि में, समान मालिकाना हक प्रदान करते हैं।"

इसलिए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुरूप माननीय विधि मंत्री आज अपने प्रतिबद्धताओं में से एक का क्रियान्वयन कर रहे हैं जो हमने इस देश के समक्ष किया था। इस देश की महिलाओं के साथ हमने इस बात का भी वादा भी किया था कि हम इस विधेयक को पारित कर हिन्दू परिवार में लड़कों और लड़कियों के बीच समानता लाएंगे।

इस विधेयक में दो महत्वपूर्ण संशोधन, धारा 6 तथा धारा 23 में, करने की कोशिश की गई है। धारा 6 लड़कियों को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित करता है जबकि लड़कों को सम्पत्ति में अधिकार की गारंटी देता है। जब तक इस प्रकार का भेदभाव बना रहेगा, अर्थात हमारा व्यवहार लड़कों के पक्ष में तथा लड़कियों के विरुद्ध में होगा तब तक हम तथाकथित समानता नहीं ला सकते। भारतीय संविधान के सिद्धांत में पुरुषों और महिलाओं की समानता की जो बात कही गई है उसे तब तक हासिल नहीं किया जा सकता जब तक इस प्रकार की असमानता या भेद-भाव बना रहता है। एक परिवार की ही बात करते हैं। माता-पिता अपने लड़के तथा लड़की को वसीयत

[प्रो. एम. रामदास]

करते है लेकिन यदि आप कहते है कि लड़के का सम्पत्ति में अधिकार है और लड़की का नहीं है जबकि दोनों के माता-पिता एक ही हैं। तो क्या यह बहुत ही बुरा भेद-भाव नहीं है। क्या इसकी अनुमति दी जा सकती है? इसलिए अधिनियम में धारा 2 जोड़कर धारा 6 को संशोधित किया जा रहा है। जो सम्पत्ति में लड़कियों को भी अधिकार देता है।

यहां एक प्रश्न पूछा गया था कि क्या सम्पत्ति केवल विवाहित लड़कियों को ही मिलेगी या अविवाहित लड़कियों को भी मिलेगी। दूसरा प्रश्न यह पूछा गया कि यह प्रावधान विवाहित लड़कियों के लिए भी लागू होना चाहिए बशर्ते कि इससे बड़े पैमाने पर विवाद नहीं उठता है। लेकिन जैसा कि हम जानते है हिन्दू समाज इसे सहन नहीं कर सकता क्योंकि हम इसके लिए कोई तय समय-सीमा नहीं निर्धारित कर सकते। यदि सरकार के पास कोई समय-सीमा है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, कि लड़की की शादी 10 वर्ष के पूर्व हो जाती है या इस प्रकार किसी निश्चित तिथि हो जाती है तो हमें खुशी होगी कि सम्पत्ति में अधिकार संबंधी इस प्रावधान को विवाहित महिलाओं के लिए भी लागू किया जाए।

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): वास्तव में विवाहित महिलाओं के लिए भी यह प्रावधान है। इसके लिए राज्य सभा में मैंने एक संशोधन प्रस्ताव रखा है और इस पर कार्रवाई हुई है।

प्रो. एम. रामदास: फिर तो बहुत अच्छा है। मुझे बहुत खुशी है कि आपने हमारे सुझावों पर भी ध्यान दिया है।

सभापति महोदय: स्थायी समिति ने भी इसकी सिफारिश की है।

प्रो. एम. रामदास: मुख्य अधिनियम की धारा 23 में संयुक्त परिवार में आवासीय यूनिटों का वर्णन है। उस धारा के अंतर्गत महिलाओं को संयुक्त परिवार में किसी भी प्रकार के हिस्सेदारी का अधिकार नहीं दिया गया है। इस संशोधन द्वारा इसे समाप्त किया जा चुका है। इस संशोधन में यह कहा गया है कि किसी सह-उत्तराधिकारी की सम्पत्ति विभाजित मानी जाएगी जैसे उसका बंटवारा हो चुका है और लड़की को भी लड़के बराबर ही हिस्सा दिया गया है।

हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम इन दो विभेदकारी खंडों को समाप्त करते हुए इस विधेयक में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, जैसा कि मैंने कहा था, लड़की और लड़के को एक समानता अधिकार प्राप्त हो। इसके साथ ही दो और प्रावधान किए गए है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कृपया धारा 24 को देखें। मैं समझता हूं कि स्थायी समिति ने भी यह सिफारिश की है कि यह धारा अवश्य ही समाप्त की जानी चाहिए। इस धारा में क्या कहा गया है?

सभापति महोदय: अब सरकार ने स्थायी समिति की अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

श्री हंस राज भारद्वाज: उस धारा को पहले ही समाप्त किया जा चुका है।

प्रो. एम. रामदास: यदि उस धारा को पहले ही समाप्त किया जा चुका है तो यह बिल्कुल सही है।

सभापति महोदय: प्रो. रामदास, बात यह है कि उत्तराधिकार की कई प्रणालियां है। मिताक्षरा, सह-उत्तराधिकार, दयाभाग, अलियासताना, मरूमम्कटायम, ये सारी प्रणालियां भारत में प्रचलित हैं। हम एक समान उत्तराधिकार तथा लिंग-समानता कानून चाहते हैं। यही इस समस्या का सार है।

प्रो. एम. रामदास: मैं आपके वयोवृद्ध राजनेता के विचार का समर्थन करता हूं। पूर्व के वक्ता ने हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के बारे में कहा था तथा मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री उस पर भी विचार करें क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें भी एक प्रकार का भेदभाव है अर्थात प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी लड़का, लड़की या पति के अभाव में एक महिला की सम्पत्ति पति के उत्तराधिकारियों की होगी न कि उसके उत्तराधिकारियों की। यदि यह उसकी अपनी या अर्जित सम्पत्ति है तो हम पति के उत्तराधिकारी और उसके अपने उत्तराधिकारी में भेद क्यों कर रहे हैं? इस पर कोई संशोधन होना चाहिए।

धारा 30 के संशोधन से थोड़ा परिवर्तन आ रहा है लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं है। इसमें कहा गया है कि कोई भी अपनी इच्छा से अपना वसीयत बना सकता है जिसके लिए कोई सीमा नहीं है। यदि ऐसा होता है तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। वस्तुतः, एक व्यक्ति अपनी सम्पत्ति का किसी के नाम से किसी भी सीमा तक वसीयत कर सकता है लेकिन मुस्लिम कानून के मामले में यदि यह संभव हो, एक सीमा तय की जानी चाहिए कि इसका एक-तिहाई उत्तराधिकारियों को दिया जाए। इससे इस मामले में उत्पन्न असमानता को भी खत्म किया जा सकता है।

अपराह्न 2.42 बजे

(**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए)

भू-सम्पत्ति के मुद्दे पर कई अन्य सदस्यों के विचारों का भी मैं समर्थन करता हूं। जैसाकि आपको पता है कि भूमि उत्पादन का एक मुख्य कारक है और इससे महिलाओं और पुरुषों को भी एक विशेष सामाजिक दर्जा मिलता है। यदि भूमि-विखंडन के आधार पर या अधिकतम-सीमा के आधार पर महिलाओं को इस अधिकार से वंचित किया जाता है तो महिलाओं के लिए इन अधिकारों का लाभ प्राप्त करना संभव नहीं होगा। इतना ही नहीं अब बड़ी संख्या में महिलाएं कृषि संबंधी कार्यों में भी आगे आ रही हैं। पैतृक सम्पत्ति में से यदि कोई भूमि उन्हें नहीं दी जाती है तो इससे कृषि क्षेत्र में आने वाली महिलाएं अवसर से वंचित रह जाएंगी। इसलिए इस बिंदु पर भी अवश्य विचार किया जाना चाहिए क्योंकि न्यूनतम साझा कार्यक्रम में यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि महिलाओं को केवल मकान पर ही अधिकार नहीं होगा बल्कि भूमि पर भी उनका अधिकार होगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम कीं धारा 4(क) जब तक सांविधिक ग्रंथों में बनी रहेगी तब तक भूमि का बंटवारा या अभिधृति का प्रावधान नहीं होगा या कृषि कार्य के लिए महिलाओं को जमीन नहीं दी जा सकती। इसलिए, माननीय विधि मंत्री से मैं अनुरोध करता हूं कि वे इस पर भी विचार करें।

अंततः, आज हिन्दू समाज की बहुत सारी बुराइयों का हल हिन्दू संयुक्त परिवार प्रणाली के उन्मूलन में निहित है। केरला में यह हो चुका है, हमारे देश में केरल ने इस दिशा में एक प्रगतिशील कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि इस मुद्दे की राष्ट्रीय स्तर पर जांच होनी चाहिए तथा इस पर बहस होनी चाहिए। हमें संयुक्त परिवार प्रणाली की बुराइयों के उन्मूलन के लिए एक विधान बनाने में सक्षम होना चाहिए। यह हमारे देश के प्रगतिशील हिन्दू समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस होगा।

मेरी पार्टी इन विचारों पर चिंतन करने तथा जांच करने का कार्य विधि मंत्री के ऊपर छोड़ती है तथा इसका पूरजोर समर्थन करती है यद्यपि इस विधेयक का स्वरूप सतही ही है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, काफी लम्बे समय से ऐसा माना जाता था कि किसी समुदाय का 'पर्सनल लॉ' ऐसा मामला है जिस पर किसी राज्य द्वारा तर्क वितर्क नहीं किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप समाज के कुछ वर्गों को उन लोगों के हाथों कठिनाईयां झेलनी पड़ी जिन्होंने वास्तव में ऐसे नियम बनाए थे। अतः हमने काफी लम्बे समय से देखा कि महिलाओं को इस आधार पर पैतृक सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं हो रहा था कि किसी विशेष समुदाय के पर्सनल लॉ ने उन्हें उस अधिकार का लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी है।

हिन्दू धर्म और हिन्दू समाज के पास कई पर्सनल लॉ हैं एक मिताक्षर विचार धारा है और दूसरी दयावादा विचारधारा हैं। कई अन्य विचारधाराएं भी है। समाज का प्रत्येक वर्ग किसी न किसी विचारधारा का है और उनका अपना पर्सनल लॉ होता है। भिन्न-भिन्न विचारधाराओं के होते हुए यह कदम यह सुनिश्चित कर रहा है कि महिलाओं को दिवंगत व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति में से समान अधिकार मिलेगा। अभी कुछ देर पहले मेरे मित्र कह रहे थे कि हमें हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन लाना चाहिए। तथापि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम और पर्सनल लॉ के बीच एक बड़ा अन्तर है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु से पहले वसीयत करता है तो उसे अपनी सम्पत्ति अपनी इच्छानुसार देने का अधिकार होता है। निसन्देह यदि यह पैतृक सम्पत्ति है तो उसे वैसा ही करना पड़ेगा जैसाकि मेरे मित्र बता रहे थे।

'हिन्दू लॉ' में अत्यन्त दिलचस्प अवधारणा है जिसमें बंटवारे का वर्णन किया गया है यह वास्तव में प्रयुक्त होने वाले शब्द से बिल्कुल भिन्न है। आपको यह कहने की जरूरत नहीं कि यह मेरी सम्पत्ति है यह आप की है। यह कमरा विशेष मेरा है यह आपका है। बंटवारे की धारणा दिमाग की उपज होती है। यदि मैं सोचता हूं कि यह हिन्दू मिली-जुली सम्पत्ति अथवा सामान्य सम्पत्ति नहीं है लेकिन यह मेरी सम्पत्ति है तो सबसे पहले जो विचार मेरे मन में आता है वह यह है कि वास्तव में यह हिन्दू लॉ के अधीन बंटवारे के रूप में मान्यता प्राप्त है। वही विचार इसे जन्म देता है। हमारे पर्सनल लॉ में ऐसे विचार होने से मैं समझता हूं यह अनुचित और गलत है कि समाज में पैदा हुए ऐसे लोगों को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रखा जाए कि वह विशेष लिंग के नहीं हैं और उनके साथ भेदभाव किया जाए अतः ऐसे उत्कृष्ट और प्रशंसनीय विचारों को ऐसी चूकों के लिए जिम्मेदार न ठहराया जाए जिन्हें आजकल सृजित किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहता हूं कि भारत में एक राज्य गोवा है जो भारतीय संघ का हिस्सा

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

है। इस राज्य में अत्यन्त अद्भुत व्यवस्था है। वहां मुसलमान लोग रहते हैं वहां हिन्दू और इसाई धर्म के लोग भी रहते हैं। वे चाहे मिताक्षर विचारधारा के लोग हो अथवा दयावादा विचारधारा के लोग है इस के बावजूद वहां सम्पत्ति का विभाजन कॉमन लॉ के अनुसार होता है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इससे अवगत होंगे।

श्री हंस राज भारद्वाज: वह पुर्तगाल की बपौती है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: जी हां, अतः मैं समझता हूं कि हमें भी उस दिशा में बढ़ना चाहिए जिसमें एक राज्य ने इतना प्रगतिशील कदम उठाया है। हमें देखना चाहिए कि उस कानून, जिसमें कहा गया है कि महिलाओं यदि वे गोवा की नागरिक हैं को सम्पत्ति का जन्मजात अधिकार है को देश के सभी नागरिकों पर लागू किया जाए। यह ऐसी चीज है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी विधि आयोग की सिफारिशों को लाने के साथ-साथ ऐसी स्थितियों में समरूपता लाने का प्रयास करते हुए यह भी देखने का प्रयास करेंगे कि सभी ऐसे प्रगतिशील कदम को क्यों न अपनाएं जिसे एक राज्य ने अपनाया है। मुझे इस तथ्य की जानकारी है कि श्री भारद्वाज एक परम्परागत परिवार में जन्म लेने के बावजूद अत्यन्त प्रगतिशील विधि मंत्री हैं। अतः मुझे विश्वास है कि वह जरूर इस बात का पता लगाएंगे और विगत को छोड़ते हुए अत्यन्त प्रगतिशील कदम उठाते हुए यह सुनिश्चित करेंगे कि यह वास्तव में लागू हों।

मैं एक अन्तिम बात और जोड़ना चाहता हूं। यह एक सामान्य बात है जो मुझे हमेशा से उत्तेजित करती है। हम अब सोचते हैं कि हमने यहां कानून बनाकर महिलाओं को पर्याप्त अधिकार दे दिया है। तथापि, वास्तविकता बिल्कुल भिन्न हैं। मंत्री महोदय जानते हैं कि कानून एक सविधि है जिसे संसद द्वारा पारित किया जाता है और विभिन्न न्यायालयों में क्रियान्वयन और लागू किया जाता है। तथापि न्यायालयों में न्याय प्राप्त करने में किसी महिला को कितना समय लगेगा? मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री जी को अच्छी तरह मालूम है। अतः मैं सुझाव देता हूं कि न्यायिक व्यवस्था का सुधार किया जाए ताकि जो भी कानून बनाया जाए वह वास्तव में लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला हो तभी उसी सांविधि पुस्तिका में रखा जाए वह लक्षित वर्ग तक पहुंचे और उन्हें उनका अधिकार मिल सके।

इस प्रकार उन्हें वास्तव में अधिकार मिलेंगे अन्यथा विभिन्न राज्य हैं जो अभी कर रहे हैं कि यदि आप किसी वसीयत को अधिप्रमाण कराना चाहें अथवा आप किसी सम्पत्ति को चुनौती देना चाहे तो इसके लिए दिया जाने वाला स्टाम्प शुल्क इतना अधिक है कि मैं समझता हूं इसके लिए आपको ऐसे क्षेत्र में एक विधान लाने के बारे में सोचना पड़ेगा जहां सम्पत्ति प्राप्त करने के अधिकार के लिए अधिप्रमाण करने की आवश्यकता होती है जिसके कारण लोग सम्पत्ति का दावा नहीं कर सकते है। ऐसा करते हुए राज्य के भूमि रिकार्डों की स्थिति अत्यन्त खराब है कि सम्भवतः अधिकार प्राप्त करना अत्यन्त कठिन होता है क्योंकि हम उचित व्यक्ति को नहीं ले सकते है जिसका अधिकार वास्तव में स्थापित होता है। ये ऐसी बातें है जिन पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे कर पाएंगे।

एक रिहायशी इकाई में जहां परिवार रहता है और पुत्री की शादी हो चुकी है तो उसे रिहायशी इकाई में किस प्रकार का अधिकार मिलना चाहिए? क्या वह बंटवारे की मांग कर सकती है अथवा परिवार को सम्पत्ति बेचनी पड़ेगी? इसके लिए कुछ तरीका होना चाहिए। हमें कोई तरीका विकसित करना चाहिए जहां उसे सम्पत्ति का मूल्यांकन करके वह राशि दी जाए। सम्पत्ति को बेचने की आवश्यकता नहीं है। अन्यथा आप वहां रहने वाले परिवार को विस्थापित कर रहे हैं। इससे उस सम्पत्ति में रहने वाले व्यक्ति को चिन्ता होगी। यह एक मामला है जिसे इस विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि मेरा दल इस विधेयक का समर्थन कर रहा है। एक बात यह है कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा कही गयी बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से कुछ स्पष्टीकरण लेना चाहता हूं।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 का संशोधन करके पुत्री को सहदायाद का अधिकार मिल जाएगा। उसी प्रकार से और उसी तरके से जैसाकि सहदायाद सम्पत्ति के उत्तराधिकार में पुत्र की स्थिति होती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या अधिनियम की धारा 23 को हटाया जा रहा है जिससे महिला संयुक्त परिवार द्वारा अधिग्रहित आवास के सम्बन्ध में बंटवारे के लिए नहीं कह सकती जब तक पुरुष उत्तराधिकारी उनको उनका हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं होता। यदि आप अपने देश की स्थिति का अवलोकन करते हैं तो आप पाएंगे कि भिन्न-भिन्न समाज में भिन्न-भिन्न परिसम्पत्तियों

के आकार हैं आपने इस धारा को हटा दिया है। यह अच्छी बात है क्योंकि पुत्री अथवा महिलाओं को अपना अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन क्या इससे मुकदमेबाजी का पिटारा नहीं खुलेगा? यदि सम्पत्ति छोटी है और यदि परिवार अधिग्रहित मकान का बंटवारा करना चाहता है तो वह ले सकती है। हम सभी जानते हैं कि अब लड़की शादी के बाद अपने पति के परिवार के साथ रहने जाती है तो उसी गांव अथवा उसी मोहल्ले में नहीं होता है यदि वह वहां जाती है और दबाव में आकर अधिग्रहित मकान का बंटवारा करना चाहती है तो क्या इससे मुकदमेबाजी नहीं बढ़ेगी? हमें इस सम्बन्ध में कई चीजों का पता नहीं है। सरकार इस सम्बन्ध में क्या सावधानियां बरतने जा रही है? मैं समझता हूं कि इससे मुकदमों का पिटारा खुल जाएगा। यह एक अच्छा कदम है कि महिलाओं को अधिकार दिया गया है और लिंग असमानता नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे देश में कई अन्य समाज भी है जिनके बारे में कई सदस्यों ने जैसा कि मुसलमान समुदाय के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। हमारी सरकार क्या करने जा रही है जैसाकि हमारे संविधान में बताया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अधिदेश दिया है। सरकार को इस सम्बन्ध में आगे आना चाहिए।

मैं इस संशोधन का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन भी करता हूं। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूं कि इसका श्रेय किसी एक विशेष दल को न जाकर इस सम्माननीय सभा को दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदयः यह विधेयक सभी दलों का है।

श्री पी.एस. गढ़वीः अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस बिल के पास हो जाने के बाद हमारे समाज का ताना-बाना, जिसे हम देश की मजबूत संस्कृति कहते हैं, वह सामाजिक ताना-बाना ध्वस्त हो जायेगा। परिवारों में विवाद बढ़ेंगे। हमारे देश में अदालतें वैसे ही मुकदमे हल नहीं कर पा रही हैं। विभिन्न अदालतों में सालों से मुकदमे लम्बित पड़े हुए हैं। इसके बाद अदालतों में मुकदमों की संख्या और बढ़ जायेगी। बहन और भाई के बीच में एक अटूट रिश्ता रहता है, उस रिश्ते में इस बिल के बाद दरार आयेगी। जहां बहन राखी बांधने के लिए साल में उस तिथि का इंतजार करती थी कि रक्षा बंधन आयेगा और हम भाई के राखी बांधेंगी। इस बिल के पास होने के बाद ऐसी परिस्थितियां आयेंगी कि बहन राखी बांधने का इंतजार करने की बजाय अदालत की तारीख का इंतजार करेगी। इसलिए इस बिल में संशोधन होना बहुत जरूरी है। जिस स्वरूप में यह बिल आया है, उस स्वरूप में यह पास नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाज में बाप तरह-तरह से कर्ज लेकर, जैसे-तैसे धन जुटाकर अपनी बेटी की शादी करता है और लोग शादी के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लेकिन इस बिल के पास हो जाने के बाद लड़के वाले यह देखेंगे कि लड़की के घर दौलत है या नहीं। यदि उसके घर दौलत और जायदाद होगी तो वे शादी करेंगे, नहीं तो शादी नहीं करेंगे। पहले बाप अपनी गाढ़ी कमाई से तथा इधर-उधर से पैसा एकत्र करके अपनी बेटी की शादी कर देता था, लेकिन इसके बाद वह शादी होनी भी मुश्किल हो जायेगी। जब ऐसी स्थितियां पैदा होंगी तो लड़कियों की भ्रूण हत्याएं बढ़ेंगी और लड़कियों की समाज में अवहेलना शुरू हो जायेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बिल में संशोधन किया जाए। जो लड़कियां अपाहिज हो जाए तथा बहुत कोशिश करने पर भी उनकी शादी न हो पाती हो तो उन लड़कियों को सम्पत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी): सर, क्या मैं इस सीट से बोल सकती हूं?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः मैंने आपको इस स्थान से बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरियाः उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, 2005 का समर्थन करते हुए हम इसका स्वागत करते हैं। जैसा कि सभी को जानकारी है कि इसका नीतिगत निर्णय एन.डी.ए. सरकार ने किया था और परिपालन वर्तमान सरकार कर रही है। यह सरकार एन.डी.ए. द्वारा छोड़े गये अधूरे कार्य को पूरा करने जा रही है, इसलिए हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। हमारी पार्टी शुरू से ही महिलाओं के आत्म-गौरव, उनके अधिकारों और उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति की हमेशा पक्षधर रही है। हमारे देश में पुरातन काल से एक नियम

[श्रीमती नीता पटैरिया]

चला आ रहा है कि जब पुत्री की शादी होती है, तब पिता क्या कहता है। उस दिन जब सदन में घरेलू हिंसा पर बात हो रही थी, तब भी हमने कहा था कि पिता पुत्री की शादी में विदाई के समय कह देता है कि बेटी तुम हमारे घर से विदा हो रही हो, अब तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है। डोली हमारे घर से उठी है और अर्थी अब तुम्हारे पति के घर से उठेगी। इसके बीच में उसके जीवन में कितने झंझावात आयें, पिता कहता है कि अपने पति के घर जाओ और पति कहता है कि पिता के घर जाओ। ऐसे में अधिकारविहीन महिला कहां जाए। या तो वह हिंसा सहे या घुट-घुट कर अपना जीवन निकाले। उसे अपना पूरा जीवन बिना किसी अधिकार के निकालना होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, महिला जब आर्थिक रूप से कमजोर होती है और ऐसे में वह विधवा हो जाए और अपने पिता के घर जाए तो वह भी उसके जीवन की रक्षा करने तथा भरण-पोषण के लिए सम्पत्ति नहीं देता है और ससुराल वाले उसे यह कहकर घर से बाहर कर देते हैं कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई है। ऐसी स्थिति में महिला जाए तो कहां जाए? आज एक परित्यक्ता के सामने भी वही हालत होती है और तलाकशुदा महिला के सामने भी वही हालत होती है। आज एक स्त्री का अपने से तलाक हो जाता है तो उसे अपने पति के यहां भी शरण नहीं मिलती है, क्योंकि पति के यहां सम्पत्ति में उसकी कोई भागीदारी नहीं है।

अपराह्न 3.00 बजे

उसके पास कोई संपत्ति नहीं होती है। ऐसे में उसका जीवनयापन कैसे हो, भविष्य के बारे में सोचते ही कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता। यदि किसी लड़की की शादी नहीं होती है तो उसके साथ भी यह समस्या आती थी कि कहां जाए, क्योंकि संपत्ति तो भाई आपस में बांट लेते थे, लेकिन बहन के पास अपना जीवनयापन करने के लिए कुछ भी नहीं होता था। अगर कोई महिला विकलांग है, तो भी उसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता था और समाज में घुट-घुट कर वह अपना जीवन गुजारती थी।

माननीय उपाध्यक्ष जी, निश्चित ही पुत्री को संपत्ति में जो अधिकार दिया गया है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति इससे बहुत मजबूत होगी और उनका समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। 50 प्रतिशत महिलाएं ऐसी हैं जो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हैं। पूरे घर के कष्टों को सहकर, खुद भूखी रहकर भी परिवार को खाना खिलाती हैं, पूरे परिवार की सुबह से शाम तक देखरेख करती है। हर महिला की दिनचर्या सूरज निकलने के साथ शुरू होती है और रात को जब परिवार के सब लोग खा-पीकर सो जाते हैं तो सारा काम निपटाकर वह आधी रात में सोती है। फिर भी यदि कोई पूछे कि महिला क्या करती है तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता कि वह क्या करती है। एक घरेलू महिला कहकर उसका उपहास किया जाता है और उसने जो दिन भर की मेहनत की है, जो अपने कर्तव्य निभाए, घरेलू महिला कहकर उसके पूरे कामों को शून्य कर दिया जाता है। आज जब महिला अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसको संपत्ति में अधिकार मिलेगा तो वह अपने जीवन के निर्णय भी खुद कर पाएगी। आज घरों में खूब लड़ाइयां होती हैं और हर महिला की उस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है जब उसका पति उसको घर से निकाल देता है। ऐसी महिला के पास अपना सिर छिपाने के लिए एक मजबूत छत नहीं होती है जहां पति के घर से निकलकर वह जा सके।

मैं पुनः सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देता हूं क्योंकि इससे समाज में पुत्रियों को संरक्षण मिलेगा। लेकिन जैसे भाई साहब कह रहे थे कि पहले बहनें राखी बांधने आती थीं, तो साल भर में एक धोती या साड़ी अगर उसको विदाई के समय दे दी तो सब भाई धन्य हो जाते हैं कि बहन आई थी और राखी बांधकर गई, लेकिन उसके कष्टों में कोई भागीदार नहीं होता है। जब संपत्ति में उसकी भागीदारी होगी तो उसका जीवन सुरक्षित रहेगा और वह अपने निर्णय करने में सक्षम हो पाएगी। आज जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, हमें कठोरता से उन पर रोक लगानी पड़ेगी क्योंकि भ्रूण हत्या समाज की महिला विरोधी मानसिकता को ही दर्शाता है। यह तो कोई तर्क नहीं है कि कोई पिता अपनी कन्या अगर भ्रूण के रूप में होगी तो उसकी हत्या केवल इसलिए कराएंगे कि उनको संपत्ति में हिस्सा देना है। एक माता-पिता के लिए पुत्र या पुत्री दोनों बराबर हैं। केवल समाज की व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुत्रियों को विदा करके संपत्ति में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता था, लेकिन आज की आवश्यकता है कि पुत्रियों को उनकी सुरक्षा के लिए, सम्मान से जीवन जीने के लिए संपत्ति में अधिकार दिया जाए ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

[अनुवाद]

श्री हंस राज भारद्वाज: धन्यवाद, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं इस चर्चा को सार्थक बनाने के लिए सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं। मैंने उनकी बातों को नोट कर लिया है। उनके मुद्दों पर आने से पूर्व मैं पुन: इस सम्माननीय सभा को बताना चाहता हूं कि यह बड़े कार्य करने के लिए हमारी शुरुआत भर है। इस विधेयक में जो मूल संशोधन किए जा रहे हैं वे हैं कि इस कानून यानी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में संशोधन करके और धारा 4(2), 23 और 24 का लोप करके लिंग भेद को समाप्त कर रहे हैं।

अब, इसमें क्या कठिनाई है? महोदय, जैसा आप जानते हैं 1950 के दशक के अंतिम वर्षों में हिंदू कोड बिल के आने से पूर्व पंडित नेहरू को हिंदू समाज की निश्चित मान्यताओं के कारण कानून बनाने में बहुत कठिनाई हुई थी; हिंदू समाज परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। किंतु एक प्रगतिशील प्रधान मंत्री के रूप में वह अपनी बात पर डटे रहे और उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया जो हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और उनके समय में बने हुए अनेकों कानूनों को नियंत्रित करता है। परन्तु उस समय भी रुढ़िवादी समाज का इतना दबाव था कि पुत्री को हिंदू सहदायकी सम्पत्ति में अधिकार नहीं दिया जाता था क्योंकि वे सोचते थे कि पुत्र को ही उत्तराधिकारी होना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि पुरुष सभी प्रमुख शास्त्रों के लेखक हैं। परन्तु वे भूलते हैं कि मां शारदा ही हैं जो सबको ज्ञान देती हैं। यदि हम अपने शास्त्रों की मानें तो सबसे पहले हम मां शारदा की पूजा करते हैं। यदि मां शारदा का आशीर्वाद न हो तो यह बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। इसलिए, आप मां शारदा को नहीं भूल सकते। यदि आप धन के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको मां लक्ष्मी के पास जाना पड़ेगा और यदि आप भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको मां पार्वती के पास जाना पड़ेगा।

जिसे हम महिला शक्ति कहते हैं वह वास्तव में हर चीज को जन्म देती है - हमारे संसाधन, हमारी ताकत, हमारा ज्ञान इत्यादि। इसलिए आप इस महान शक्ति, महिला शक्ति को समानता देने से इंकार नहीं कर सकते। इसलिए, मैं इस बात के लिए आभारी हूं कि सम्पूर्ण सभा इस लिंग भेद को समाप्त करने पर सहमत है। यह भेदभाव केवल एक कष्टदायक व्यवहार ही नहीं है बल्कि असभ्य भी है।

अपने स्वयं के अनुभव से आप देखेंगे कि शास्त्रों, श्रुतियों के बारे में इस तरह की भावना है। श्रुतियों में हमारे यहां दैवीय क्रांति है परन्तु स्मृतियों में भी परिवर्तन किए जा सकते हैं। वेदों के पश्चात हमारे पास उपनिशद हैं; हमारे पास पुराण हैं और हमारे पास रामायण तथा महाभारत हैं। ये स्मृतियां बदल गईं और सिद्धांत भी बदल गए। हिंदू समाज में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि किसी रानी को कभी उसका अधिकार न दिया गया हो। यहां तक कि राजा भी जब न्याय करते थे तो रानी को अपने बगल में रखते थे। इसलिए, हमारा समाज इतना पश्चाभिमुख नहीं है जितना धन अथवा दौलत के लिए इसे आप चित्रित करते हैं।

मैं बहुत आभारी हूं कि इस सभा ने इसका सर्वसम्मति से समर्थन किया है और कोई दलगत विरोध नहीं है जिसकी मैं तारीफ करता हूं। मैं इससे सहमत हूं कि यह 2000 में शुरू किया गया था जब राजग सरकार थी। उन्होंने इस मामले पर राज्यों के साथ विचार विमर्श किया था परन्तु उनके कार्य के बिना हम इसे आज पारित नहीं कर सकते थे।

किंतु जैसा मैंने कहा सामाजिक अथवा आर्थिक सुधार जारी रहने चाहिएं और सरकार से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि देश के हितों का प्रश्न होता है और समाज के हितों का प्रश्न होता है। यही भावना है जिससे यह सभा कार्य करती है। इसलिए इस तरह के मामलों पर इस सभा में कोई मतभेद नहीं होता है और हम पूर्व सरकार के छोड़े हुए कार्यों को आगे बढ़ाते हैं; उत्तरवर्ती सरकार पूर्व सरकार के कार्यों को आगे ले जाती हैं। इस सभा द्वारा यह भाव व्यक्त किया गया है कि इस सभा की सर्वसम्मत समर्थन हासिल है। यही भाव मैंने राज्य सभा में पाया और अब यहां देख रहा हूं।

जैसा कि मैंने कहा कि यह सुधारों का अंत नहीं है। इससे स्त्रीत्व की पूरी तरह मुक्ति नहीं हो जायेगी। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसे समाज में उसका उचित स्थान मिले बहुत कार्य करना पड़ेगा। मैं यह सोचकर कांप जाता हूं कि कोई अपनी पुत्री के साथ बुरा बर्ताव कर सकता है। क्या कोई पिता कभी कल्पना कर सकता है कि चाहे कुछ भी हो किसी भी बहाने से वह अपनी पुत्री को पुत्र के समान अधिकार नहीं देगा। एक समय था जब लोग सम्पत्ति एकत्र करते थे। परन्तु अब समाज में इतना प्रकाश फैलने के पश्चात हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमें पुत्रियां पुत्रों से अधिक प्यारी होती हैं क्योंकि चाहे वे जवान हों या बूढ़ी हों वे अपने माता-पिता की देखभाल करती हैं।

[श्री हंस राज भारद्वाज]

मैंने अपने जीवन में यह महसूस किया है। जब एक पुत्र का विवाह हो जाता है तो उसका अलग परिवार होता है और उसके पास अपने वृद्ध तथा कमजोर माता-पिता के लिए कम समय होता है। किंतु एक पुत्री जहां भी हो चाहे अमरीका अथवा इंग्लैंड में हो वह यह देखने के लिए निश्चय ही भारत की यात्रा करेगी कि उसके माता-पिता कैसे हैं। इसलिए, आप ऐसी संस्था को समानता देने से कैसे इंकार कर सकते हैं?

यही अनुभव आप सबको भी हुआ होगा - पुत्रियां दोनों तरफ का ध्यान रखती हैं। जब वह अपनी ससुराल में होती है तो वह अपने पिता के घर के बारे में कुछ बुरा सुनना पसंद नहीं करेगी; जब वह अपने पिता के घर होती है तो वह अपनी ससुराल के बारे में बुरा नहीं सुनना चाहेगी। वह सौहार्द बनाती है और जीवन को जीने लायक बनाती है। यदि महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाएगा अथवा किसी भी कारण से उसे उसका अधिकार नहीं दिया जाएगा तो समाज कैसे जीवित रह सकता है। मुझे खुशी है कि हम उस अवस्था में पहुंच गए है जहां समाज द्वारा इसे समझा जा रहा है। यह एक छोटा कदम है। बहुत से सदस्यों ने अनेक विचार रखने का प्रयास किया है। हम यह छोटी सी शुरुआत कर रहे हैं। हमें इसी उत्साह के साथ इसे जारी रखना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि यह तर्कसंगत निष्कर्ष पर पहुंचे ताकि महिलाओं को समाज में उचित स्थान मिल सके। मैं चाहता हूं कि महिला आरक्षण विधेयक के बारे में भी ऐसी ही सर्वसम्मत राय बने जिसमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की बात की गई है। यह महिलाओं को और शक्ति प्रदान करेगा। उसके लिए भी हम आम सहमति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आम सहमति ही ऐसा मार्ग है जिससे हम परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अतः मैं पुनः सभा के प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहा हूं। मैं उस दर्शन पर विश्वास नहीं करता जहां किसी ने कहा है:

[हिंदी]

जब बेटी का कन्यादान हो जाता है, तब बाप कहता है कि बेटी अब तेरा यह घर नहीं है। इसे बदलना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि बेटी यह घर तेरा शुरू से ही है, जहां तू पैदा हुई। इसके साथ-साथ अब तेरा दूसरा घर भी ससुराल का है, जहां तू जा रही है। अब तेरे ये दो घर हैं। आज से तुम्हारे एक नहीं दो घर हैं। जब यह कहेंगे, तभी महिलाओं का सहयोग होगा और उन्हें मदद मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम कह दें कि अब कन्यादान कर दिया और इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है, तो बेटी क्या मुंह लेकर घर जाएगी। इसलिए हमें बेटी को आज ही कहना पड़ेगा कि यह घर भी तुम्हारा है। शादी अथवा विवाह एक संस्कार है। इसके बगैर संसार आगे नहीं बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस घर में तेरा कुछ नहीं है। जिस घर में तू पैदा हुई, वह जमीन जायदाद, घर-बार सबमें, आखिर तक तेरा अधिकार है। जब चाहो, तुम हमारे पास आओ, तुम्हारा कमरा हमेशा सुरक्षित रहेगा। जमीन में जो कुछ फायदा होगा, उसमें तुम्हारे भाई-बहिन, सबका हिस्सा साझा है। इस प्रकार की भावना से हम देश और समाज को आगे ले जाएं, तो फायदेमंद रहेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कई भाई इस सदन में छोटी-छोटी बातें करते हैं कि यह हो जाएगा और वह हो जाएगा, लेकिन जो बात मन में है, उसे स्पष्ट नहीं कहते कि हम बेटी को कुछ नहीं देना चाहते हैं। अगर यह बात है, तो इसे साफ कहो कि हम बेटी को नहीं देना चाहते हैं, हम बेटे को ही देना चाहते हैं, लेकिन बेटा कितना सुख देता है, हम सब जानते हैं। अगर बेटा और बेटी में तुलना करेंगे, तो बेटी का स्थान सबसे ऊपर आता है। इस चीज को पहचानना होगा। भाई के राखी बांधने बहन आती है। कभी कुछ नहीं मांगती है। राखी बांधती है, तिलक लगाती है और फिर मिठाई भी खिलाती है। अपने घर से इतनी दूर वह अपना घर-बार छोड़कर सिर्फ भाई के कल्याण की कामना की दृष्टि से राखी बांधने आती है और उसके खुशहाल एवं कल्याणमयी जीवन की कामना करती है। ऐसी बहन को आप अपनी जमीन में हिस्सा देने से कोताही करते हो, मुझे समझ में नहीं आता है कि इस समाज की क्या मनोवृत्ति, क्या बात है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिये। माननीय मंत्री जी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

श्री हंस राज भारद्वाज: देखिए, इस समय यहां इस

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

बात पर बहस नहीं हो रही है। बहस तो हो चुकी है। एक तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि मैं 100 बीघे जमीन के एक गांव का आदमी हूं, जो यहां से 40 कोस दूर है। मैं दिल्ली का नहीं हूं और दूसरी बात यह है कि मैंने पैदल चल कर बी.ए.एल.एल.बी. पास की है। आप मेरी बात सुनिए।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया टोका-टाकी न करें। मैंने आपको समय दिया था और आपने पर्याप्त समय ले लिया है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री हंस राज भारद्वाज: आप लोग मेरी बात सुनिए। आप लोग बोल चुके हैं। इसलिए मेरा हक है कि मैं आप लोगों की बातों का जवाब दूं। अगर आपको पसन्द न आएं, तो आप कहें कि हम इसे सपोर्ट नहीं करते हैं। जो कहना है, वह साफ कहें। आज सवाल यह है कि बेटा और बेटी में फर्क दूर नहीं करेंगे, तो कैसे काम चलेगा। हर आदमी जमीन और जायदाद अपनी औलाद के लिए बनाता है। बेटा और बेटी बराबर हैं। यही बात हम कहना चाहते हैं। इसमें मतभेद कैसा? यहां कहा गया कि इस संशोधन के पारित होने के मुकदमे होंगे। जब हिन्दू कोड बिल पास हुआ था, उस वक्त की पार्लियामेंट की पूरी डिबेट निकाल कर देख लें, यही दलीलें दी गई थीं कि इससे तो भाई-बहन में मतभेद पैदा हो जाएंगे, घर बंट जाएंगे, समाज बंट जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे भाई-बहन तब थे, वैसे ही अब हैं। आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आपके दिल में जगह होनी चाहिए और यह जैंडर बाइस तो सारी दुनिया में खत्म हो रहा है, हम कैसे रखेंगे? इसलिए यह कहना कि मुकदमे हो जाएंगे, ठीक नहीं है। मुकदमे हों या नहीं, हम यह कानून पास कर के दिखाएंगे। हम बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं देख सकते। यही कुछ बातें थीं, जिनका मुझे जवाब देना था।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं दूसरी बात पर आता हूं। मेरी कुछ बहनों ने कहा कि एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में स्टेट्स में कानून बनते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून बनाने का राज्यों को अधिकार है। इस बारे में बहुत सी राज्य सरकारों ने कानून पास किए हैं। केरल सरकार ने इस बारे में कानून पास किया, लेकिन आंध्र प्रदेश में श्री एन.टी. रामाराव गवर्नमेंट ने सबसे पहले कानून पारित किया। उसके बाद कर्नाटक गवर्नमेंट ने कानून पास किया फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस बारे में कानून पारित किया। उन राज्यों की जनता भी भारतवासी है। हम उनका अनुकरण करें, उनसे सीखें कि कैसे इसमें उन्होंने पहल की है। उत्तरी राज्यों में भाई-बहन, बेटा-बेटियों का उतना प्यार नहीं है, ये जमीन से चिपके हुए लोग हैं। जमीन इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी इस बात को समझता हूं कि जमीन को यहां लोग बहुत महत्व देते हैं। लेकिन जगत-जननी का भी जमीन में हक है, उसको भी इसमें अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं...(*व्यवधान*) हम आगे बात करेंगे। चूंकि मुझे कानून की दृष्टि से अधिकार नहीं है। यह एन्ट्री 18 लिस्ट II में जो है, वह राज्यों सरकारों के अधिकार में है। इसलिए हमने सैक्शन 4(2) एबालिश कर दिया है। हम उनसे खतो-किताबत करके अनुरोध करेंगे। आप भी अपने कानून में इस प्रकार का प्रावधान करें कि बेटियों को जमीन और मकान में हक मिले। ये दोनों चीजें करने के लिए हम राज्य सरकारों को लिखेंगे। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि आप मुझे स्पोर्ट दीजिए। इसके बाद हम राज्य सरकारों से आग्रह करेंगे कि वे इस पर मान जाएं और इसमें आगे भी पूरा अधिकार मिल सके।

मैं पुनः आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहता हूं कि आप इस बिल को पास होने दीजिए और आगे 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए तैयार हो जाइए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: क्या आप संयुक्त परिवार सम्पत्ति अधिकार को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि इसे केरल में समाप्त कर दिया गया है?

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैंने यही कहते हुए अपनी बात शुरू की थी कि यह केवल एक शुरुआत है। हम वे सभी कदम उठायेंगे जो समस्त पूर्वाग्रह समाप्त करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से संभव हैं। संयुक्त परिवार अधिकार को राज्य समाप्त कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है कि मेरी समस्या भूमि की जोत और किरायेदारी की अवधि से संबंधित होंगी। वे सूची-दो में हैं। इसलिए, कुछ राज्यों ने यह कर लिया है। मैं यह देखने के लिए कि क्या वे सहमत हैं या नहीं राज्यों से इस बारे में विचार-विमर्श करूंगा। आप इस मामले में राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह असंवैधानिक होगा। इसलिए यदि आप इस

[श्री हंस राज भारद्वाज]

विधेयक का सर्वसम्मति से समर्थन करते हैं तो मुझे आपके समर्थन से प्रोत्साहन मिलेगा। मैं यह सुनिश्चित करने का प्रयास करूंगा कि राज्य भी इस पर सहमत हों और यदि आवश्यक हुआ तो मैं इस मुद्दे पर एक बैठक बुलाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956, राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेगी।

खण्ड 2 - **धारा 4 का संशोधन**

मुझे श्रीमती सुस्मिता बाउरी और श्रीमती सी.एस. सुजाता से खण्ड 2 में संशोधन करने के लिए सूचना प्राप्त हुई है। क्या आप अपने संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर): मैं प्रस्ताव करती हूं:

कि पृष्ठ 1, -

पंक्ति 4 और 5 के स्थान पर निम्नलिखित

प्रतिस्थापित किया जाए -

2. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात:-

"(2) शंकाओं के निराकरण के लिए एतद् द्वारा घोषणा की जाती है कि कृषि जोतों के खंडकरण को रोकने का अथवा उसकी अधिकतम सीमा के नियतन का अथवा ऐसी जोतों के संबंध में अभिधारण अधिकारों के न्यागमन का उपबंध करने वाली कोई भी विधि पुत्री और पत्नी को विरासत के समान और वही अधिकार देगी जो पुत्र को दिए जाते हैं।"

श्री हंस राज भारद्वाज: महोदय, मैं उनसे अपने संशोधन वापस लेने का अनुरोध करता हूं क्योंकि मैं इस मामले पर राज्यों से विचार विमर्श करूंगा। मैंने धारा 4(2) का विधेयक से लोप कर दिया है।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी: ठीक है। मैं संशोधन वापस लेती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: क्या सभा इस बात से सहमत है कि संशोधन वापस लेने की अनुमति दी जाए?

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री हंस राज भारद्वाज: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.20 बजे

विस्थापित व्यक्ति दावे तथा अन्य विधि निरसन विधेयक, 2005

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से प्रस्ताव करता हूं:-

"कि विस्थापित व्यक्ति दावे अधिनियम, 1950 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विस्थापित व्यक्ति दावे अधिनियम, 1950 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): **उपाध्यक्ष महोदय**, यह रिपील बिल है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत से ऐसे बिल हैं जो आजादी के समय और उससे पहले के हैं और जिनकी अब कोई आवश्यकता या उपयोगिता नहीं है। पहले भी कई बार कहा गया है कि सब रिपील बिलों को एक साथ इकट्ठा करके वापिस कर लिया जाए क्योंकि बिना वजह बिल बने हुए हैं और उनका वर्षों से कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इसके बारे में विचार करें और अगले सत्र में सब बिलों को रिपील कर दें। इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। यह राज्य सभा में बिना बहस पारित हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री लाल सिंह, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: एन.डी.ए. ने सपोर्ट किया है और कहा है कि इस पर कुछ नहीं कहना चाहते।

चौधरी लाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, इस पर मेरा बोलना जरूरी है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बोलिए। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप रूलिंग पार्टी से बिलॉग करते हैं।

चौधरी लाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरी स्टेट जम्मू कश्मीर है। पहले जो एक्ट बने थे, उन्हें खत्म किया जा रहा है। हमारे राज्य में दस पाकिस्तानी पाकिस्तान से आए थे। उनको इस एक्ट के मुताबिक आज तक कुछ नहीं मिला। यह तो खत्म होने जा रहा है, लेकिन उनको कोई अधिकार नहीं मिले। सियालकोट के नजदीक जम्मू कश्मीर के साथ सरहदें लगती थीं। जब माइग्रेशन हुआ तो सब लोग अपनी-अपनी जगह पहुंच गए। हिन्दुस्तान में 1950 में एक्ट बने, उसके बाद अमैंडमैंट भी हुए। जिन लोगों को रिफ्यूजी करार दिया गया, उनकी डेवलपमैंट के लिए उन्हें जमीन दी गई, इंटरेस्ट-फ्री-लोन दिया गया और साथ ही फ्री-एजूकेशन दी गई। लेकिन आज जो 80,000 लोग जम्मू कश्मीर में हैं, उनको कुछ नहीं मिला। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार उन लोगों के लिए क्या सोच रही है। यह ठीक है कि हिन्दुस्तान में बाकी जगह यह इम्प्लीमैंट हुआ। वे लोग आज भी कहते हैं कि हमें उस राज्य से बाहर ले जाएं। वे असैम्बली का वोट नहीं डाल सकते, न वे सैंट्रल गवर्नमैंट की नौकरी ले सकते हैं क्योंकि वहां भी सर्टीफिकेट दिखाना पड़ता है, वे जमीन नहीं खरीद सकते, राशन नहीं ले सकते, आई.ए.वाई. में मकान नहीं ले सकते और न ही वे पैंशन मांग सकते हैं। वे सरपंच, नम्बरदार नहीं बन सकते। वे वोटर ही नहीं हैं तो एम.एल.ए. कैसे बनेंगे। उनकी इस तरह की पोजीशन है। हमारा एक एरिया ऐसा है जिसे आपको देखना होगा।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पी.ओ.के., माइनॉरिटी कम्युनिटी जो जम्मू कश्मीर में आकर सैटल हुई, जो सिख और हिन्दू सैटल हुए, आज भी उनकी परमानैंट प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रखी है। यह कहा गया कि यह मसला यू.एन.ओ. का है। आप यहां इस जायदाद के पक्के हकदार नहीं बन सकते। आज असेम्बली में उनकी 24 सीटें खाली पड़ी हैं। उनको उसका कोई राइट नहीं है क्योंकि वे इलैक्शन नहीं लड़ सकते हैं। आज मीरपुर में मंगला डैम बना है। वहां के मुसलमानों को उसका कम्पेनसैशन मिला है, लेकिन जो सिख, हिन्दू आदि लोग आये हैं, उनको उस मंगला डैम की जमीन का कोई कम्पेनसैशन नहीं मिला। इसी तरीके से उस जमाने का जो जे. एंड के. बैंक पाकिस्तान में था, उस बैंक में जिन लोगों के पैसे जमा थे, आज भी वे बुजुर्ग अपनी पास बुक लेकर घूम रहे हैं लेकिन उनको अपना पैसा नहीं मिल रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि हमारे यहां लोग तीन-तीन बार डिस्पलेस्ड हुए हैं। कश्मीरी पंडित की जो कम्युनिटी है, वे भी वहां से पूरे हिन्दुस्तान में चले गये हैं। हमारा कहना है कि इस कानून को हटाया जाये, लेकिन कम से कम रियायत जम्मू-कश्मीर के लिए भी आपको सोचना चाहिए कि इन लोगों का क्या किया जाये। वे भी इंसान हैं, इसलिए उनका भी ख्याल रखा जाये। आज उनके बच्चे अनपढ़ रह गये हैं। उनके पास जमीन नहीं होने के कारण न तो रोजगार है और न ही कोई और काम है। कुछ लोगों ने वहां गाड़ियां चलाकर थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया है, लेकिन आज भी काफी लोग कैम्पों में रहते हैं। उनको लोग रिफ्यूजी कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग डिस्पलेसमैंट के शिकार हुए हैं, उन्हें कब तक बेनीफिट मिलेगा? मेरा इस बिल को अपोज करने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि यह जो एक्ट बना है, जम्मू-कश्मीर में जो लोग बाहर से आये हैं, उनको इस एक्ट का कोई बेनीफिट नहीं मिला। हमारी सरकार उनको बेनीफिट देने के बारे में क्या सोच रही है?

उपाध्यक्ष महोदय: डॉ. सुजान चक्रवर्ती - अनुपस्थित।

श्री माणिकराव होडल्या गावित: उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के बारे में कुछ टिप्पणियां माननीय सदन को बताना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, हमने यह विधेयक पांच अधिनियमों अर्थात् विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950; विस्थापित व्यक्ति (दावे), अनुपूरक अधिनियम, 1954; विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा एवं पुनर्वास) अधिनियम, 1954; निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 और निष्क्रांत हित (पृथक्करण) अधिनियम, 1951; और इसके अधीन बनाये गये नियमों का निरसन करने के लिए प्रस्तुत किया है। इसका आशय इन अधिनियमों का निरसन करना है क्योंकि अब ये अपनी उपयोगिता खो चुके हैं तथा अब इनका कोई दुरुपयोग भी नहीं होगा। गृह मंत्रालय की विभागीय संसदीय स्थायी समिति ने इस विधेयक पर विचार किया तथा अपनी रिपोर्ट 27 जुलाई, 2005 को इस सदन में प्रस्तुत की है। संसदीय स्थायी समिति ने इस विधेयक को इसी रूप में स्वीकार कर लिया है तथा यह सिफारिश की है कि इस विधेयक को इसके वर्तमान रूप में पारित किया जाए। राज्य सभा ने इस विधेयक पर 12 अगस्त, 2005 को विचार किया तथा इस पारित कर दिया है। हमें आशा है कि इस विधेयक को माननीय सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा।

अभी माननीय सदस्य चौधरी लाल सिंह जी ने कश्मीर के बारे में बात की है; इस बारे में राज्य सरकारों से भी विचार लिये गये हैं। यह अधिनियम सिर्फ 17 राज्यों से संबंधित है। आठ राज्य सरकारों ने इसे निरस्त करने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है तथा हमने आठ राज्य सरकारों को लिखा था कि वे 31 जनवरी, 2003 तक इस संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करा दें लेकिन उन्होंने इस संबंध में अपना कोई अभिप्राय नहीं दिया। इसलिए ऐसा समझा गया है कि उन्होंने इस विधेयक को निरसन करने के लिए कबूल किया है। उसके कोर ग्रुप की जांच भी हुई है। हमारे विधि मंत्रालय ने भी उसकी जांच की है।...(*व्यवधान*) मैंने पहले ही बताया कि यह जो बिल है, यह 17 राज्यों के लिए है। यह अधिनियम 17 राज्यों से संबंधित था। यह जम्मू और कश्मीर पर लागू नहीं था।...(*व्यवधान*)

चौधरी लाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत अच्छी बात है लेकिन इनसे यह तो पूछा जाए कि उनके लिए फर्दर क्या करेंगे?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह जी आपने सारी बात कह दी है।

[हिन्दी]

श्री माणिकराव होडल्या गावित: मैं विधेयक को संशोधन सहित पारित करने का अनुरोध करता हूं। संशोधन में यह है कि पृष्ठ एक पर पंक्ति चार में सन् 2004 के स्थान पर 2005 किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम, 1950 और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का निरसन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री माणिकराव होडल्या गावित: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.34 बजे

आप्रवास (वाहक दायित्व) संशोधन विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 16 पर चर्चा करेगी।

माननीय मंत्री जी

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि राज्य सभा में यह बिल बिना बहस के पास हुआ था लेकिन जो उसके उद्देश्य और कारण थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सन् 2000 में एक कानून बनाया था। उस कानून के तहत यह था कि अनधिकृत रूप से जो लोग देश में आते हैं, उनके लिए कुछ सजा का प्रावधान किया गया था और सजा में एक लाख रुपये के जुर्माने की व्यवस्था की गई थी। बाद में सरकार का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के तहत हमें इसमें संशोधन करना पड़ रहा है और संशोधन के आधार पर इसमें छूट दी जा सकती है, सारी माफी दी जा सकती है। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जो भी फैसला लिया जाएगा, सभा के पटल पर दोनों सदनों में इसे रखा जाएगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है। हमारे देश के अंदर जहां पर आतंकवादी गतिविधियां कम नहीं हो रही हैं, अनधिकृत पासपोर्ट से लोग आ रहे हैं और तब एनआरआईज को हमने देश के अंदर बिना वीजा के आने की छूट दे दी है। कभी-कभी ऐसा भी देखने में आया है कि हमने बिना पासपोर्ट के भी देश के बाहर लोग भेजे हैं। इसलिए मैं सरकार से केवल यह कहना चाहता हूं कि छूट तो उन लोगों को मिल रही है, परन्तु इस बात की चिन्ता की जाए कि इसका दुरुपयोग अपराधी-तत्व इस प्रकार न कर पाएं जो हमारे देश के हित में न हो। अन्तर्राष्ट्रीय बातों को ध्यान में रखते हुए, हम लोग इस विधेयक का समर्थन करते हैं, पर सरकार की चौकसी और जिम्मेदारी इस बिल के माध्यम से और ज्यादा बढ़ गयी है कि वह किस ढंग से इसे आगे क्रियान्वित करेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री के.एस. राव बोलेंगे, कृपया संक्षिप्त में अपनी बात कहिए।

[हिन्दी]

आज हमारे पास बहुत ज्यादा काम है, संक्षेप में अपनी बात कहिए अन्यथा रात के 12 बज जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलुरू): महोदय, विपक्ष के माननीय सदस्य श्री गंगवार ने अपनी बात तीन-चार मिनट में ही पूरी कर दी है मैं भी बहुत अधिक समय नहीं लूंगा।

महोदय, वस्तुतः यह संशोधन एक बाध्यता है। विशेषकर हमारे द्वारा स्वीकार की गयी अंतर्राष्ट्रीय बाध्यता के दृष्टिकोण से यह जरूरी हो गया है। वैश्वीकरण और निजीकरण के कारण कल्पनातीत रूप से हवाई यात्राओं में हो रही वृद्धि से समय बदल गया है। पहले ऐसा नहीं था। हममें से बहुत से लोगों ने, विशेषकर मध्यम वर्ग के लोगों ने हवाई जहाज या समुद्री जहाज से विदेश यात्राओं के बारे में नहीं सोचा था। अब विदेश जाने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के खुलेपन और वैश्वीकरण के कारण बहुत से देशों के साथ विश्वस्तरीय समझौते किये गए है जिन्हें बनाये रखा जाना है...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें। माननीय सदस्य की बात ध्यान से सुनें।

श्री के.एस. राव: परन्तु वर्ष 2000 में लाये गए मूल विधेयक में इन सब लोगों को छूट दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं था जो कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं के कारण मंजूर किये गए है।

महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि इसमें देश की प्रतिष्ठा का प्रश्न शामिल है। विदेशों के बहुत से लोगों विशेषकर विकसित राष्ट्रों के लोगों की यह राय है कि हमारे आप्रवासी कानून बहुत सख्त हैं। उन्हें हवाई अड्डे आप्रवासी काउन्टरों पर घंटों रोका जाता है। इसी वजह

[श्री के.एस. राव]

से यह अधिनियम लाना पड़ा। इन बाध्यताओं के कारण हमें पांच श्रेणियों के लोगों को इससे छूट देनी पड़ी है उन्हें आने देने में देरी करने या रोकने की अनुमति नहीं है। इनमें से एक निर्वासन के उपरान्त हवाई जहाज या समुद्री जहाज से पुनः भारत भेजे गए यात्री के संबंध में है। यह एक वास्तविक मुद्दा है। उसके हवाई अड्डे के आप्रवासी काउन्टर से आने से रोकने या देरी करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार केन्द्र सरकार द्वारा पासपोर्ट या वीजा की छूट पाये व्यक्ति भी आने के लिए अनुमत्य हैं। तीसरा, छिपकर यात्रा पर गये व्यक्ति को वापिस भेजे जाने के संबंध में है। इन लोगों को सहानुभूतिपूर्वक वापिस लिया जाना चाहिए। चौथे, जहां विदेशी पर्यटकों को एक समूह के रूप में अनुमति दी गयी हो तो उनके व्यक्तिगत वीजा या अनुमति पर जोर नहीं दिया जा सकता।

अब, अंत में राजनयिक या अधिकारिक पासपोर्ट वाले विदेशियों को भी इससे छूट दी गयी है। यह छूट प्रत्येक देश के साथ किए गए समझौता ज्ञापन के अनुसार है। अतः यदि इन कारणों से वाहक को हुई देरी या दंड लगाये जाने पर अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं को पूरा नहीं किया जा सकता। अतः इस अधिनियम में शीघ्र संशोधन किये जाने की आवश्यकता है ताकि प्राधिकारी ऐसे वाहक पर दंड न लगायें और पूर्व के मूल अधिनियम में यह शक्ति प्रदान नहीं की गयी थी।

जैसा कि मेरे मित्र बता रहे थे कि आतंकवाद की समस्या तो सदा से है। परन्तु इसका मतलब यह नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा नाम खराब हो जहां कि हम ऐसा करने की सहमति दे चुके हों। ऐसी घटनाओं के होने के कारणों में गरीबी, असमानता और बेरोजगारी है। यदि हम इन बातों को तर्कसंगत बनाना चाहते हैं तो गरीबी और असमानता को दूर करना होगा तथा रोजगार की सम्भावनाओं को बढ़ाना होगा। तब ऐसे अवसर नहीं आयेंगे कि कोई धोखा देने या बिना पासपोर्ट आने की कोशिश करे। अतः मेरा माननीय मंत्री जी और सरकार से यह आग्रह है कि इन चीजों में सुधार लाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिष्ठा बनायी रखी जा सकती है।

विश्वस्तर पर देश की प्रतिष्ठा को देखते हुए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान देश के आप्रवास कानून के कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दों की तरफ दिलाना चाहूंगा।

आप्रवास प्रक्रिया बहुत दुग्राह्य और कमियों से भरपूर है कि बहुत से लोग धोखा खाते हैं। धोखाधड़ी आज की व्यवस्था बन गयी है। आप्रवास के मामले में यदि कोई प्रायोजक है तो हमारे कानून की कतिपय कमियों के कारण उसे भारतीयों से धोखाधड़ी करने का सुनहरा अवसर मिलता है। इसीलिए देखने में आता है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के अंतर्गत आपराधिक मामलों के आरोपियों में से काफी लोगों को छोड़ दिया जाता है क्योंकि कतिपय मामलों में हमारे आप्रयास कानूनों में कमियां हैं। अतः यह एक काफी समय से लम्बित मांग है कि सरकार आगे आकर वर्तमान कानून की इन कमियों को दूर करे।

इसमें बहुत सी कमियां है। मैं इसके विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाना चाहता क्योंकि हम दोषी व्यक्ति की प्रशंसा नहीं कर सकते। आप्रवास कानून की कमियों या अनिश्चितता के कारण किसी व्यक्ति की उत्तरदायिता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। कोई भी व्यक्ति आसानी से भारत में आकर वीजा प्राप्त करने का आवेदन दे सकता है। विदेशों में हमारे नागरिकों से धोखा किया जाता है। हमारे आप्रवास कानून में कमियों के कारण इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता।

केरल के बहुत से लोग रोजगार के लिए खाड़ी देशों में जा रहे हैं। उन्हें आये दिन धोखा दिया जाता है। हमारे आप्रवास कानून की कमियों के कारण ऐसे धोखेबाजों को कभी भी गिरफ्तार करके उन पर आपराधिक मामले नहीं चलाये जा सकते। अतः यह संशोधन समय की मांग है। अतः मेरा सरकार से पुनः यह आग्रह है कि इस मामले में आगे आकर यथोचित संशोधन किये जाने चाहिए। यह कोई संशोधन ही नहीं है। यह तो कुछ आदेश और विनियमन जारी करने के लिए प्राधिकारियों को अधिकार दिया जाना मात्र है। इसमें इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यह सत्य है कि प्राधिकारियों को अधिसूचना या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान करना आवश्यक हो गया था क्योंकि भारत के कुछ लोग ऐसे हैं जो यहां पैदा हुए परन्तु कुछ कारणों से उन्होंने विदेशी नागरिकता ले ली। उन्हें रोका जा रहा है। उन्हें यहां आने की अनुमति नहीं दी जा रही है, इस संशोधन से ऐसे लोगों को बचाया जा सकता है। संशोधित धारा के प्रावधान के अंतर्गत आदेश जारी करके उन्हें बचाया जा सकता है। यह ठीक है। परन्तु प्रश्न यह है हम धोखाधड़ी को कैसे रोक सकते हैं? हम छद्मवेष

को कैसे रोक सकते हैं? हम विदेशों में भारतीय नागरिकों को प्रताड़ना से कैसे बचा सकते हैं? धोखाधड़ी, छद्मवेष, प्रताड़ना की जा सकती है जिसके लिए कानून के प्रावधानों के अंतर्गत कोई प्रभावी तंत्र अथवा किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी निर्धारित करने का प्रावधान नहीं है। केरल सरकार के साथ-साथ यात्रा संबंधी संगठनों ने कानून में संशोधन की मांग की है। अतः मेरा माननीय मंत्री से आग्रह है कि भारतीय नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कुछ पहल की जाए। वीजा एक महत्वपूर्ण चीज है। हमारे कानून में खामियों के कारण इसका दुरुपयोग किया जाता है।

आखिरकार यह एक छोटा संशोधन है आप्रवास कानून में बड़े संशोधन किए जाने चाहिए थे। मैं समझता हूं कि सरकार इस प्रकार के संशोधन लाने में पीछे नहीं रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश प्रभु - उपस्थित नहीं।

अब, माननीय मंत्री चर्चा का उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं समझता हूं कि मेरे रिप्लाई से माननीय सदस्य पूरी तरह से संतुष्ट होंगे।

[अनुवाद]

महोदय, आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम, 2000, को दोनों सदनों के अनुमोदन तथा राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात विधि मंत्रालय ने 11 दिसम्बर 2000 को अधिसूचित किया था।

इस अधिनियम में वाहक (एयरलाइन्स आदि) को पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत निर्धारित नियमों के विपरीत विदेशियों को लाने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। नए कानून की आवश्यकता इसलिए महसूस की गयी क्योंकि प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर बड़ी संख्या में यात्रियों के पास मान्य यात्रा दस्तावेज नहीं पाए जाते जिसके कारण आप्रवास प्राधिकारियों के समक्ष समस्या खड़ी हो जाती है। यह पाया गया कि वाहक (एयरलाइन्स आदि) भारत में आने वाले जहाजों में चढ़ने वाले यात्रियों के यात्रा संबंधी दस्तावेजों की समुचित जांच नहीं करते हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया कि उन यात्रियों, जिनके पास मान्य यात्रा दस्तावेज नहीं होते को लाने की वैधानिक जिम्मेदारी वाहकों पर एक लाख रुपए प्रति यात्री का वित्तीय दायित्व लगाकर डाली जाए।

महोदय, इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत गृह मंत्रालय को अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए प्रारूप नियम तैयार करने पड़े। नियमों के प्रारूप तैयार करते समय बिना मान्य यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश करने वाले निम्नलिखित वर्ग के यात्रियों के लिए वाहकों को छूट देने का प्रावधान किया गया है:

(1) भारत की ओर लाए गए जहाज और पोत के यात्रियों के आगमन पर उन परिस्थितियों में जो वाहक के नियंत्रण में नहीं है और जिन्हें वापस प्रस्थान करना है;

(2) उन विदेशियों के मामले में जिनको केन्द्र सरकार द्वारा पासपोर्ट तथा वीजा से छूट दी गयी है;

(3) ऐसे यात्री जो कि विमान में छुप-कर यात्रा कर रहे हैं और वाहक ऐसे यात्रियों को वापस लाने के लिए तैयार हो;

(4) मान्यता प्राप्त भारतीय ट्रेवल ऐजेंसी द्वारा प्रायोजित चार अथवा चार से अधिक सदस्यों वाले विदेशी पर्यटक दल को जिसमें पूरे समूह को सामूहिक वीजा (लैंडिग परमिट) यात्रा की अनुमति दी गयी हो; और

(5) विदेशी राजनयिक तथा शासकीय पासपोर्ट धारकों को जिन्हें वीजा से छूट प्राप्त है।

इन नियमों में ऐसे प्रावधान किए जाने के प्रस्ताव के पीछे अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन के प्रोटोकोलों को आधार माना गया है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार तथा अन्य देशों के साथ पारस्परिक व्यवस्थाओं के अनुसार और राजनयिक तथा शासकीय पासपोर्ट धारकों को वीजा से छूट है।

जब विधि मंत्रालय से परामर्श किया गया तो यह महसूस किया गया कि अधिनियम में छूट दिये जाने के प्रावधान किए बिना छूट दिए जाने की सुविधा नहीं दी जा सकती। तदनुसार गृह मंत्रालय ने विधि मंत्रालय से नए सिरे से परामर्श कर आप्रवास (वाहक दायित्व) संशोधन विधेयक 2005 तैयार किया है, जो कि मुख्यता केन्द्र सरकार को किसी वाहक अथवा वाहकों की श्रेणी को कथित अधिनियम के सभी अथवा किसी प्रावधान के क्रियान्वयन

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

में छूट की शक्ति प्रदान करता है। इस परंतुक के अंतर्गत बनाए गए किसी भी आदेश को संसद के दोनों सदनों में रखा जाएगा।

इसलिए मैं इस सम्माननीय सभा से अनुरोध करता हूं कि राज्य सभा द्वारा दिनांक 12-8-2005 को यथापारित इस विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि आप्रवास (वाहक दायित्व) अधिनियम 2000, राज्य सभा द्वारा यथापारित में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय अब विधेयक पारित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है।

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 03.50 बजे

श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद सं. 17 पर चर्चा करेंगे। श्री कपिल सिब्बल।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 राज्य सभा द्वारा यथापारित का संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 राज्य सभा द्वारा यथापारित का संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद प्रकट करता हूं। राज्य सभा में भी यह बिल बिना किसी बहस के पारित हो गया था, क्योंकि जब बिल बना था उस समय यह समझ में नहीं आ रहा था कि हम जिन सदस्यों को इस पर रखेंगे, उनकी सदस्यता कैसे समाप्त होगी? यह बाद में समझ में आया जब यह विधेयक लाया गया। मैं श्री कपिल सिब्बल जी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह राष्ट्रीय महत्व की संस्था है और आज के समय में इसकी बहुत उपयोगिता है। जिस प्रकार से आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हिन्दुस्तान की पहचान आज दुनिया भर में हो रही है, तो मैं चाहूंगा कि इस संस्थान के जो भी एचीवमेंट्स हैं या जो अन्य बातें हैं, उनसे भी सदस्यों को अवगत कराया जाए। मेरा मानना है कि इस बिल में और कुछ नहीं है। इस बिल में पहले कुछ कमियां रह गयी थीं।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा. राम चन्द्र डोम (बीरभूम): महोदय, आपने इस विधेयक पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। महोदय, मैं इस विधेयक अर्थात, श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विधेयक, 2005 के समर्थन में खड़ा हूं।

मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। विधेयक का समर्थन करते हुए मैं इस अवसर पर इस विधेयक से जुड़े कुछ बिन्दुओं

पर चर्चा करना चाहता हूं। कृपया मुझे वर्तमान चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान तथा अपने देश में चिकित्सा सेवाओं के लिए आधुनिकतम चिकित्सा और प्रौद्योगिकी उपकरणों के प्रयोग से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर बोलने की अनुमति दी जाए। यद्यपि यह बहुत ही छोटा संशोधन है, फिर भी यह बहुत आवश्यक है, और माननीय मंत्री ने उस धारा को संशोधित करने संबंधी बहुत ही उपयुक्त प्रस्ताव किया है।

मेरा कहना है कि अपने देश में, जो एक बहुत ही विकासशील देश है, बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। वे नई समस्याओं और बीमारियों से परेशान है। नई-नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। जहां तक अनुसंधान के इस क्षेत्र के बारे में मेरी जानकारी है तो कई संस्थान है जो इस देश में चिकित्सा सेवाओं में सुधार लाने के लिए अग्रणी अनुसंधान और विकास कार्य कर रहे हैं। श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान इन अग्रणी संस्थानों में से एक है जो त्रिवेन्द्रम में स्थित है। महोदय, जहां तक एक मेडिकल प्रैक्टीशनर्स के रूप में मेरी जानकारी है, उन्होंने स्वदेशी चिकित्सा उपकरणों का आविष्कार किया जो हमारी स्थितियों के लिए बहुत उपयुक्त है। रुमेटिक हृदय रोग, जो कि एक बहुत ही घातक रोग है, में हृदय के वाल्व खराब हो जाते हैं। वर्तमान चिकित्सा विज्ञान उस वाल्व अर्थात प्रोस्थेसिस को बदल सकता है, पूर्व में एक सिंगल वाल्व प्रोस्थेसिस ऑपरेशन पर लाखों रुपये खर्च होते थे। लेकिन उस विशेष संस्थान द्वारा आविष्कृत चित्रा वाल्व नामक स्वदेशी वाल्व का धन्यवाद जो हमारी स्थिति में तथा हमारे लोगों के लिए बहुत उपयुक्त है।

इस प्रणाली में खर्च पुरानी प्रणाली की तुलना में बहुत कम है। लेकिन आज भी देश में आधुनिकतम चिकित्सा प्रौद्योगिकी के बावजूद निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों, द्वारा लोगों का शोषण जारी है और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां केवल कुछ ही लोगों को सुलभ हैं। वर्तमान चिकित्सा उपचार गरीबों तथा मध्यम वर्ग के परिवारों की पहुंच से बाहर है। तृतीय विश्व के देशों तथा हमारे देश की भी स्थिति यही है। यह विश्व व्यापार संगठन की सत्ता लागू होने का कारण है। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में जो भी नया उपकरण या नई प्रौद्योगिकी आ रही है उस पर बड़े घरानों विशेषकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण है। जीवन रक्षक दवाएं, हृदय की शल्यचिकित्सा, मस्तिष्क शल्यचिकित्सा, गुर्दा का बदला जाना, प्लास्टिक सर्जरी आदि के लिए जीवन रक्षक उपचार के तरीके इस देश के आम लोगों की पहुंच से बाहर हैं।

महोदय, हमारे देश में जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है और साथ ही देश के लोगों में लम्बी जिंदगी के लिए आधुनिक चिकित्सा उपचारों की आकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं। यही कारण है कि मैं यह बताना चाहूंगा, कि चिकित्सा क्षेत्र में हमारे संस्थानों तथा सरकार द्वारा स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए पर्याप्त धन जुटाया जाना चाहिए। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे संस्थानों में कार्य की शुरूआत की है लेकिन पर्याप्त संसाधनों के अभाव में उनके अनुसंधान और विकास कार्य में बाधा आ रही है। इसलिए, ऐसे संस्थानों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जाने चाहिए। संप्रग की सरकार आम लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं तथा आधुनिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने तथा जीवन रक्षक दवाओं की कीमत देश के गरीब लोगों के पहुंच के अंदर रखने के लिए कृत-संकल्प है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास कार्य के लिए अधिक धन आवंटित करे।

महोदय, मैं एक अन्य मुद्दा उठाना चाहता हूं यद्यपि सीधे तौर पर इस विधेयक से संबंधित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि भारत जैसे देश में एम्स जैसे संस्थानों का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और हमारे देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के उत्तम संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए। मुझे ज्ञात है कि यह सरकार इसके लिए कृतसंकल्प है। उसने इस देश के विभिन्न भागों में ऐसे छह या आठ संस्थान स्थापित किए हैं। मेरा कहना है कि प्रत्येक क्षेत्र में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसी होनी चाहिए जहां लोगों को कम कीमत पर अति-विशिष्ट उपचार मिल सके और जहां गरीब लोगों का निःशुल्क उपचार हो सके। यह बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे देश में आधुनिक चिकित्सा का निगमीकरण होता जा रहा है।

अपराह्न 4.00 बजे

कई अवसरों पर सरकार असहाय हो जाती है। यही कारण है कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।

मैं एक बात और अवश्य बताना चाहता हूं कि आजकल निजी चिकित्सा संस्थानों की भरमार हो रही है, निजी अस्पताल बन रहे हैं। यद्यपि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए बहुत से क्षेत्रों में यह जरूरी है फिर भी...

उपाध्यक्ष महोदय: क्या यह इस संशोधन से संबंधित है।

डा. राम चन्द्र डोम: महोदय, यह इस विधेयक से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है लेकिन मैं इस अवसर पर कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: राज्य सभा ने पहले ही इस विधेयक को पारित कर दिया है और यह एक संशोधन है। कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. रामचन्द्र डोम: महोदय, यह मात्र एक विभाग नहीं है, यह एक समेकित विभाग है। मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि अपने देश के विभिन्न राज्यों में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना में शीघ्रता लानी चाहिए और देश में चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा सुविधाओं के निजीकरण और व्यावसायीकरण पर नियंत्रण के लिए एक विधान बनाया जाना चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि यह सरकार देश की आम जनता के हित में न्यूनतम साझा कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध है और यह चिकित्सा-शिक्षा और अस्पतालों के बड़े पैमाने पर निजीकरण और व्यावसायीकरण पर नियंत्रण रखने के लिए भविष्य में मानकीकरण को विनियमित तथा नियंत्रित करने हेतु एक व्यापक विधान पारित करेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, यह संस्थान मेरे यहां कार्यरत है। श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में मुझे सीधी जानकारी है। इस सभा का कोई भी सदस्य इस संस्थान से उस तरह संबंधित नहीं है जिस तरह से मैं संबंधित हूं क्योंकि मैं हर रोज आते-जाते इसके पास से होकर गुजरता हूं। मैं श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान की कार्य प्रणाली से पूरी तरह अवगत हूं। मेरे मित्र सामान्य बातों के बारे में बता सकते हैं लेकिन मैं विशेष रूप से इस संस्थान के बारे में ही बोलूंगा।

इस संस्थान की स्थापना त्रावणकोर के पूर्व शासक श्री चित्रा तिरूनल महाराज के द्वारा की गई थी। वे त्रावणकोर राज्य के अंतिम शासक थे। वे अब नहीं रहे लेकिन वे एक परोपकारी राजा थे और मानवता की सेवा के प्रति उनके विचार उदार थे। इसी पृष्ठभूमि के साथ उन्होंने इस श्री चित्रा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संस्थान की शुरुआत की थी। इसके लिए कोष का निर्माण, इसका वित्त पोषण तथा इसकी शुरुआत उन्होंने ही की थी। उन मामलों में केन्द्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया था उसने इसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं किया। यह सत्य है कि 1980 में संसद के एक अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया। इसके बाद सरकार ने बहुत कुछ किया। मैं उसे भूला नहीं हूं। इसके पूर्व इसका पूरा भवन राजा के निजी कोष से बनाया गया था। वहां एक बड़ा अस्पताल भी था जिसमें लगभग सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज उपलब्ध था जिसमें कार्डियो वासकुलर उपचार भी सम्मिलित है। इस संस्थान में आपको सर्वोत्तम उपचार मिलेगा। यहां के डाक्टर बहुत ही अच्छी सेवा प्रदान करने वाले हैं। वे एम्स के डॉक्टरों जैसे नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। ये डॉक्टर भारत की जनता की बहुत सेवा कर सकते हैं। आप मेरी बात पर विश्वास कर सकते हैं। वे किसी भी समय सेवार्थ उपलब्ध हैं और वे मानवता की सेवा के लिए कार्य कर रहे हैं। मरीजों के प्रति उनका व्यवहार बहुत ही स्वागत योग्य है। श्री सिब्बल जी, आप वहां अवश्य आइए। उस स्थान को देखने के लिए मैं उस संस्थान में आपको आमंत्रित करता हूं।

श्री कपिल सिब्बल: मैं श्री राधाकृष्णन को बताना चाहता हूं कि मैं 2 तारीख को इस संस्थान का दौरा कर रहा हूं। इसलिए उस समय मैं वहां रहूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: कृपया आइए। केन्द्र सरकार अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रही है।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन, उन्होंने कहा कि वे संस्थान का दौरा करने वाले हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने सभा को आश्वासन दिया है कि वे स्वयं वहां जा रहे है।

...*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह संशोधन उस सदस्य के प्रतिस्थापन के संबंध में है जिसकी मृत्यु हो जाती है या जो पद त्याग देता है या जो मंत्री बन जाता है या जो उप मंत्री बन जाता है, जैसी भी स्थिति हो, और उसके स्थान पर चुनाव होगा। मैं इससे सहमत हूं लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा - आप लोगों को भी यह समझना चाहिए - कि आप लोग अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अब आप एक संशोधन ला रहे है। जब आप यह संशोधन ला रहे है तो मेरी आप से केवल यही प्रार्थना है कि आप लोग अपना कर्तव्य करें तथा इस संस्थान की सेवा करें। यह एक राष्ट्रीय संस्थान है। वहां कुछ शोध कार्य भी किया जाना चाहिए। इसी उद्देश्य से

इस संस्थान की स्थापना की गई थी। लेकिन धनाभाव के कारण यह कार्य नहीं हो पा रहा है। वहां अच्छे डॉक्टर हैं। वे कोई भी शोध कार्य करने में सक्षम हैं, लेकिन कोई निधि नहीं है और न ही कोई विकास हो रहा है। इसलिए मेरे विद्वान साथी श्री सिब्बल जी, यह देखना आपका कर्तव्य होना चाहिए कि इस राष्ट्रीय संस्थान के उचित विकास के लिए, धन उपलब्ध कराया जाए। वहां कोई भी शोध कार्य हो सकता है। वे इसे करने में सक्षम है। समस्या बस इतनी है कि केन्द्र सरकार उसकी मांगों पर ध्यान ही नहीं देती। इसलिए, मैं सोचता हूं कि आप मेरी बात धैर्य के साथ सुनेंगे और यथासंभव प्रयास करेंगे। मैं इस पर अगले सत्र में कुछ बोलूं, इससे पूर्व आप इस संबंध में अवश्य कुछ करेंगे ताकि अगली बार जब भी मैं बोलूं तो आप की प्रशंसा करूं। अन्यथा मैं फिर आपकी कड़ी शब्दों में आलोचना करूंगा। इसलिए, मेरा एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि आप मानवता के हित में इस राष्ट्रीय संस्थान के विकास के लिए तथा उस महान शासक की याद में, जो अब नहीं रहे, कुछ करें। वे इन सभी कठिनाइयों को समझ सकते हैं...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः उन्होंने सभा को आश्वासन दिया है कि वे स्वयं वहां जा रहे हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णनः मैं समझता हूं कि वे समय की मांग को समझेंगे और इस राष्ट्रीय संस्थान के विकास के लिए कुछ किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के.एस. राव (एलूरू): उपाध्यक्ष महोदय, यह अधिनियम 1980 में बना था। संभवतः, उस समय जिन लोगों ने इसे बनाया वे इस बात से अवगत थे कि संसद तथा विधान सभाएं पूरे पांच साल तक नहीं चलेंगी। इसलिए उन लोगों ने इस प्रकार की कल्पना की थी और कहा था कि संसद सदस्य या विधान सभा के सदस्य, जो अभी बोर्ड के सदस्य हैं, तब तक सदस्य बने रहेंगे जब तक के संसद या विधान सभा के सदस्य बने रहेंगे। जैसे ही उनकी सदस्यता समाप्त होती है यहां भी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने सार्वजनिक जीवन के गिरते मूल्यों के बारे में कल्पना नहीं की। वे यह नहीं समझ पाये होंगे कि मंत्री, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष भी संसद तथा विधान सभाओं, दोनों, में बदलते रहेंगे। इसलिए, उन्होंने इस प्रकार के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों, मंत्रियों या उप सभापतियों आदि के बारे में नहीं सोचा होगा। यही कारण है कि उन्होंने इन बातों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया। अब उन्होंने अब एक विधान बनाया है कि यह विधान उसी वक्त लागू हो जाएगा ज्यों ही एक सदस्य एक उपाध्यक्ष या अध्यक्ष या उप-सभापति या मंत्री बन जाता है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। उस समय ये इस बात को इसी में सम्मिलित कर सकते थे लेकिन उन्होंने यह कल्पना नहीं की होगी कि मूल्यों का पतन इस तरह हो जाएगा कि आये दिन परिवर्तन होते रहेंगे। हर रोज, हर महीने परिवर्तन होता रहेगा। मुझे खुशी है कि वे गिरते हुए स्तर पर ध्यान दे रहे हैं। इस संदर्भ में मैं माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं - जैसा कि श्री राधाकृष्णन कह रहे थे - कि इस संस्थान को शुरू करने के पीछे पुनीत इरादा अधिक शोध और विकास से संबंधित था।

आज हमें सुनने को मिलता है कि जैव-चिकित्सा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर शोध और विकास कार्य हो रहे हैं। हमने धार्मिक पुस्तकों में पढ़ा है कि भगवान हनुमान हजारों वर्षों तक जीवित रहे थे और हम उन वेदों या धर्मग्रन्थों पर विश्वास नहीं करेंगे। आज वैज्ञानिक लोगों को बता रहे हैं कि व्यक्ति 130 वर्षों तक जीवित रह सकता है। कुछ भी माह पूर्व हैदराबाद में एक सेमिनार में एक वैज्ञानिक ने कहा कि जीन्स पर इस प्रकार का शोध जारी है और जिससे व्यक्ति बुढ़ापे पर विजय पा लेगा। यदि आज नहीं तो 50 वर्षों या 100 वर्षों के बाद लोग बुढ़ापे को जीत लेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के बाहर शोध कार्य पर बड़ी तेजी से कार्य हो रहा है। लेकिन इस देश में उस पैमाने पर शोध कार्य नहीं हो रहा है क्योंकि इस देश में शोध और विकास कार्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। हमारे लोग बहुत ही ख्याति प्राप्त और जानकारी रखने वाले हैं और देश के बाहर विदेशों में जाकर ये सभी शोध कार्य कर रहे हैं।

कई प्रवासी भारतीय व्यापक शोध कार्य कर रहे हैं। उन लोगों ने उन देशों को ख्याति दिलाई है तथा उन्हें संपन्न बनाया है। वे यहां आने को तैयार है और वही शोध कार्य अपने देश में करने को तैयार है। हम सभी जानते हैं कि शोध कार्य प्रारंभ में जानवरों पर ही किए जाएंगे। वैज्ञानिक पहले जानवरों पर इन परीक्षणों को करेंगे, परिणाम प्राप्त करेंगे और तब मानव पर इसका प्रयोग किया जाएगा। यहां जानवरों पर परीक्षण करने का पर्याप्त अवसर है। हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। केवल भारत के ही वैज्ञानिक नहीं बल्कि भारत के बाहर स्थित वैज्ञानिक जो भारतीय हैं यहां आने को तैयार हैं, यहां पैसा, जानकारी और प्रौद्योगिकी लगाने को तैयार हैं। वे

[श्री के.एस. राव]

इसे करने के लिए न केवल स्वयं तैयार हैं बल्कि सरकार के साथ भी काम करने को तैयार हैं। प्रस्ताव पड़ा हुआ है। इसमें और देर नहीं होनी चाहिए। मैं इस सभा के माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे शीघ्र निर्णय लें और इसे नौकरशाहों के ऊपर न छोड़ें जो कई वर्ष लगा देंगे। इस देश के लिए सबसे अधिक शर्म की बात है निर्णय का नहीं लिया जाना। हम लोग तुरंत निर्णय नहीं लेते जैसा कि चीन में होता है, और यही कारण है कि वह देश तेजी से सम्पन्नता की ओर बढ़ रहा है।

माननीय मंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रवासी भारतीयों के साथ एक संयुक्त उद्यम बनाते हुए बड़े पैमाने पर जानवरों पर शोध कार्य के लिए जैव-चिकित्सा इंजीनियरिंग पर एक अनुसंधान केन्द्र शुरू करने के लिए तत्काल निर्णय लिया जाए। तथापि, मैं श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विधेयक, जिस पर आज विचार होने वाला है, का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री सी.के. चन्द्रप्पन बोलेंगे। कृपया दो मिनट में अपना सुझाव दें।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय सदस्य श्री वरकला राधाकृष्णन द्वारा दिए गए सुझावों को दोहराना नहीं चाहता।

चूंकि माननीय मंत्री वहां जा रहे हैं इसलिए मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस संस्थान के विस्तार की आवश्यकता है। यह एक बहुत अच्छा संस्थान है। लोग वहां हृदय शल्य क्रिया कराना चाहते हैं परन्तु प्रतीक्षा सूची इतनी लम्बी होती है कि रोगी को 6 या अधिक माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है और तब तक रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए, यदि आप अधिक सुविधाएं दे सकें और अधिक विस्तार किया जाता है तो यह पूरे देश के लिए बहुत अच्छी बात होगी।

दूसरी बात यह है कि देश के अन्य भागों की तरह केरल बहुत सी वायरस विषाणु जनित बीमारियों से ग्रस्त है। उदाहरणार्थ, यदि इंसेफलाइटिस अथवा जापानी बुखार केरल में आता है तो उन्हें नमूने जांच के लिए राज्य से बाहर भेजने पड़ेंगे। यदि श्री चित्रा इंस्टीट्यूट में वायरोलोजी रिसर्च खंड जोड़ दिया जाता है तो यह लोगों और विशेषकर केरल की बहुत बड़ी सेवा होगी।

अंतिम बात यह है कि सरकार ने पहले ही निर्णय ले लिया है और बहुत बार यह भी घोषणा की गई है कि केरल में एम्स जैसा संस्थान स्थापित किया जाएगा।

केरल सरकार ने पहले ही मेडिकल कालेज को एक संस्थान के रूप में बदलने की पेशकश कर दी है जो कि श्री चित्रा तिरूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज के निकट है। यदि आपको दूसरा स्थान चाहिए तो वह भी उपलब्ध है। इसलिए, जब आप वहां होंगे और यदि, आप इस बारे में सोचते हैं तो कोई निर्णय लें और इसके बारे में लोगों को बतायें। संभवतः तभी संसद में हमारे द्वारा किए गए प्रयासों का कुछ परिणाम निकलेगा। मुझे आशा है कि आप उचित निर्णय लेंगे और इसी आशा के साथ में विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, यह विधेयक उन मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किया गया है जो स्वयं बहुत प्रतिष्ठित वकील हैं। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इस सभा द्वारा विधेयक पारित किए विधेयक क्या हम एक संसद सदस्य, जो राज्य सभा का उप सभापति अथवा लोक सभा का उपाध्यक्ष या अध्यक्ष अथवा मंत्री बन जाता है, जैसे वह स्वयं बन गए हैं, को वह पद धारण करने से नहीं रोक सकते? क्या वास्तव में यह जरूरी होगा कि हमें उसे वह पद धारण करने से रोकने के लिए कानून बनाना पड़ेगा? अथवा क्या यह बहुत सावधानी का उपाय है जो वह करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या पहले के कुछ ऐसे मामले हैं जिन्होंने वास्तव में सरकार को इस तरह का विधान लाने के लिए मजबूर किया है? मैं वस्तुतः यह जानना चाहता हूं। हां, यह मौका आवश्यकता और तात्कालिकता की बात करने का नहीं है जिससे हमें विभिन्न विज्ञानों को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए और जिसके बारे में श्री के. राव ने पहले ही कहा है, परन्तु मैं वास्तव में इसके बारे में जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिए अनुरोध करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, यह विधेयक विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से आ रहा है। हम समझते हैं कि संभवतः यह स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, आप कृपया समझायें कि यह श्री चित्रा मेडिकल कालेज आपके मंत्रालय के अधीन क्यों आता है। हम इसे नहीं समझ पा रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय संसद सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेन्द्रम, अधिनियम, 1980 में संशोधन का सर्वसम्मति से समर्थन किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गए कुछ विषयों पर विचार करने से पूर्व मैं बताना चाहता हूं कि यह संशोधन वास्तव में बहुत हानिरहित संशोधन है। मेरे अच्छे मित्र श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने मुझसे पूछा है कि क्या संशोधन की कोई आवश्यकता है? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वह मंत्री अथवा राज्य मंत्री बन सकते है अथवा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद धारण कर सकते हैं फिर भी वह बिना कोई वेतन लिए किसी प्रबंध तंत्र के सदस्य बने रह सकते हैं और इसलिए कानून के अंतर्गत वह वहां बने रह सकते हैं। किंतु इससे एकरूपता आती है क्योंकि इस देश में बहुत से अन्य संस्थान हैं, उदाहरणार्थ मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक जैसे कानून हैं जिनके द्वारा यदि कोई माननीय संसद सदस्य संसद का सदस्य नहीं रहता तो वह स्वतः ही प्रबंधन अथवा बोर्ड के पद से हट जाता है। किंतु यदि वह मंत्री बन जाता है तो उन संस्थानों के कानूनों के अंतर्गत वहां विद्यमान कानून के अंतर्गत उसे बोर्ड के उस विशेष पद को छोड़ना पड़ता है।

इसलिए, यह कानून में एकरूपता लाने के लिए है क्योंकि इस तरह के अन्य सभी संस्थानों में यह एक विशिष्ट खंड है। इसलिए, हमने सोचा कि इसे लाना बेहतर होगा भले ही कोई यह तर्क दे सकता है कि एक बार कोई व्यक्ति अध्यक्ष बन जाता है तो उसे स्वतः अथवा स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देना चाहिए। किंतु किसी व्यक्ति पर भार डालने के बजाय एक समान कानून बनाना बेहतर है ताकि मामला विवाद से अलग रहे। वास्तव में इसी कारण से हमने यह कानून लाया है।

मैं स्पष्ट करता हूं कि मोटे तौर पर कानून है क्या। कानून के अनुसार मूल 1980 अधिनियम की धारा 5 जे के अतर्गत निर्वाचन के द्वारा तीन संसद सदस्य - दो लोक सभा से और एक राज्य सभा से, प्रबंधन के भाग के रूप में, संस्थान की संरचना में संस्थान में नियुक्त किए जा सकते हैं। खंड 6(2) के अंतर्गत यह बताया गया है कि वे सभी सदस्य जो संसद के सदस्य हैं जैसे ही वे संसद सदस्य नहीं रहते हैं वैसे ही वे संस्थान के भाग भी नहीं रहते। परन्तु इसमें उन संसद सदस्यों की आकस्मिकता के बारे में व्यवस्था नहीं की गई जो कि मंत्री अथवा राज्य मंत्री अथवा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अथवा राज्य सभा के उपसभापति बन जाते हैं। यद्यपि, इस तरह की आकस्मिकता के बारे में खंड 6(2) में प्रावधान नहीं किया गया था, हमने उस विशेष आकस्मिकता की व्यवस्था की है कि यदि कोई माननीय सदस्य जो लाभ के पद पर रहता है, संसद सदस्य न रहने पर भी मंत्री अथवा राज्य मंत्री अथवा अध्यक्ष बन जाता है तो वह स्वतः प्रबंधन अथवा संस्थान यानी श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेंद्रम का हिस्सा नहीं रह जाता। यह संशोधन का सीमित उद्देश्य है और मुझे यह देखकर खुशी है कि सभी सदस्यों ने इसका समर्थन किया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस संस्थान के बारे में कुछ मुद्दे उठाये हैं। मैं आपको सिर्फ यही कहता हूं कि यह हमारे देश के सबसे अच्छे संस्थानों में से एक है और इसने हम सबका सम्मान बढ़ाया है। यदि आप संस्थान के नाम पर ध्यान दें तो इसे आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है। देश में कुछ ही ऐसे संस्थान हैं जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी, दोनों के संस्थान हैं। एम्स विज्ञान का संस्थान है, प्रौद्योगिकी का नहीं। यह उन अद्वितीय संस्थानों में से एक है और इस संस्थान ने स्वदेशी तौर पर एक रिप्लेसमेंट, जिसे हर्ट वाल्व कहा जाता है, का आविष्कार किया है। यह अपनी तरह का पहला है और इस देश में एकमात्र है। वास्तव में बहुत सी शल्य क्रियाएं इस संस्थान की हर्ट वाल्व के रिप्लेसमेंट से की जा रही हैं। यह फ्रेंच हेल्थ एजेंसी द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों के रूप में प्रमाणित है और आशा है कि शीघ्र ही इसे अमरीका में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा भी प्रयोग के लिए प्रमाणित किया जाएगा। यह विशेष हर्ट वाल्व अंतरराष्ट्रीय मूल्य के एक चौथाई मूल्य पर उपलब्ध है। इसलिए, यहां इस देश में महान प्रतिभा का उदाहरण है जिसके परिणामस्वरूप इस देश में साधारण लोगों के लिए सस्ती प्रौद्योगिकियां उपलब्ध करायी जा सकती हैं। इसलिए, हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लोग इस संस्थान का भारी समर्थन करते हैं और यह हमारे क्षेत्राधिकार में आता है। हमने इसे बहुत सारा धन दिया है और इसीलिए आप केंद्र सरकार की शिकायत कर रहे थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ही है जो इस विशेष संस्थान में चल रहे महत्वपूर्ण कार्य के लिए बहुत सारा धन देता है। हमारे पास इस संस्थान में जैव-चिकित्सा प्रौद्योगिकी .खंड की परीक्षण प्रयोगशाला है जो आई.एस.ओ. 17025 से मान्यता प्राप्त है जो कि विश्वस्तरीय है।

हमारे यहां मेम्बटेन ऑक्सीजनेटर, पहली उद्योग प्रायोजित परियोजना, का वाणिज्यिक उत्पादन होता है

[श्री कपिल सिब्बल]

और अब हमने विशेषकर जैव-चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आई.आई.टी. मुम्बई के साथ कुछ विशेषज्ञता पाठ्यक्रम शुरू किये हैं। हमारे यहां एक समर्पित कंजेनिटल कार्डियक सर्जरी यूनिट है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था। मैं आपको एक और बात बताता हूं जो हो रही है। श्री राधाकृष्णन जी आज मुझे बहुत खुशी हुई कि बाम दलों की तरफ से किसी ने इस सच्चाई को स्वीकार किया कि कोई दयालु शासक हो सकता है। इसलिए, इससे मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): आप बाम दलों के केंद्र हैं...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मुझे आशा है कि आप इस देश में कुछ अन्य संस्थाओं की उदारता को भी स्वीकार करेंगे जो देश को आगे ले जाना चाहती हैं, न कि उन्हें पीछे खींचेंगे। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह होगा।

मैं कह रहा था कि इस विशेष संस्थान के पास मिर्गी का इलाज है जो कि बहुत कठिन चीज है। हमने किसी दुष्प्रभाव के विना इस संस्थान में 500 से ज्यादा आपरेशन किए हैं; कोई भी दुष्प्रभाव नहीं रहा, कोई विकृति नहीं और कोई मिर्गी संबंधी दुष्प्रभाव नहीं हुआ। यह माइक्रो-सर्जरी की प्रक्रिया से हुआ। मैं आपको एक और बात बताता हूं जो कि भविष्य से संबंधित है वह है कि ओरल इंसुलिन डिलीवरी पर आधारित नैनो पार्टिकल्स की संकल्पना का इस संस्थान में पशुओं पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। इसलिए, आने वाले समय में यह विशेष संस्थान मधुमेह के रोगियों के लिए ओरल दवाई देगी जो कि अपने प्रकार की पहली होगी।

महोदय, मैं आपसे सहमत हूं कि यह ऐसा संस्थान है जिसकी हर संभव तरीके से सहायता की जानी चाहिए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में मैं इसकी हर संभव तरीके से सहायता करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। यह सचमुच उत्कृष्ट संस्थान है।

एक माननीय डाक्टर सदस्य ने प्रौद्योगिकीय उपकरणों की बात कही और कहा कि हम में से बहुत से प्रौद्योगिकीय उपकरण भारत में बहुत महंगे हैं। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं। जैसा कि आपको पता होगा, भारत में हमारे पास प्रौद्योगिकीय उपकरणों के लिए कोई विनियामक निकाय भी नहीं है। हमारे पास सभी तरह के उपकरण हैं जो स्वदेशी तौर पर बनाये जाते हैं परन्तु कोई मानकीकरण नहीं है। इसलिए, वास्तव में हम भारत में बनाये जा रहे चिकित्सा उपकरणों के विनियमन के उद्देश्यों के लिए प्रक्रियाएं और मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि इन उपकरणों का प्रयोग करने वाले किसी डाक्टर अथवा किसी अस्पताल को पता हो कि वे उपकरण एक विशेष गुणवत्ता और एक विशेष आई.एस.ओ. मानक के हैं। वास्तव में आपने जो कहा है वह पहले से ही किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हर समय आविष्कारशीलता की कमी का विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था पर दोष नहीं लगायें। मैं मानता हूं कि कोई विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था नहीं थी; फिर भी हमारे पास चिकित्सा उपकरण नहीं हैं और हमें उन्हें निर्यात करना पड़ता था, भले ही विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था थी या नहीं। इसलिए युक्ति और नीतिगत ढांचा है, इस देश में शिक्षण वर्ग की स्वतंत्रता देना और सार्वजनिक - निजी भागीदारी की अनुमति देना क्योंकि इस देश में अनुसंधान और विकास पर भारी धनराशि खर्च करने की सरकार की क्षमता नहीं है।

मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। आपको संभवतः आंकड़े जानकर आश्चर्य होगा। इस देश में अनुसंधान और विकास पर कुल खर्च 3 बिलियन डालर है। अमरीका अनुसंधान और विकास पर 244 बिलियन डालर खर्च करता है। जापान अनुसंधान और विकास पर 109 बिलियन डालर खर्च करता है। कनाडा अनुसंधान और विकास पर 10 बिलियन डालर खर्च करता है। दक्षिण कोरिया अनुसंधान और विकास पर 8.9 बिलियन डालर खर्च करता है। इजरायल अनुसंधान और विकास पर 2 बिलियन डालर खर्च करता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर 6 बिलियन डालर खर्च करती है; और माइक्रोसोफ्ट कारपोरेशन अनुसंधान और विकास पर 8 बिलियन डालर से अधिक खर्च करता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अनुसंधान और विकास पर खर्च भारत के कुल खर्च से अधिक है। इसलिये, हमें दोष मत दीजिये...*(व्यवधान)*

लोगों को बहुत सारी बातें पता नहीं हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उन सब बातों को माननीय सदस्यों के संज्ञान में लाना चाहते हैं। यह ऐसा समय है जब हम सब लोग दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर सर्वसम्मति से इस बारे में फैसला करें। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निवेश करने के लिए यह उपयुक्त समय है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निवेश के लिए यह उपयुक्त समय है। मानव संसाधन के क्षेत्र में निवेश के लिए यह

अच्छा समय है। उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्गों जैसे भौतिक संसाधनों की स्थापना एक अच्छी बात है। आप उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम राजमार्ग बना सकते हैं। आपके पास बहुत अच्छी संस्थाएं हो सकती हैं लेकिन आपके पास जनशक्ति का अभाव भी हो सकता है।

आज मैंने टेक्नॉलाजी तथा बायोटेक्नालॉजी तथा नैनोटेक्नॉलाजी और बायो टेक्नॉलाजी की आपसी क्रिया पर काम हो रहा है। नैनो कण तथा नैनो समग्री पर चल रहा काम अंतिम चरण में है। इस देश में अनुसंधान कार्य कहां हो रहा है? कहां हैं अनुसंधान संस्थाएं? मूल मुद्दा यही है। इसलिए हमें और अधिक निवेश की जरूरत है। हम राज्यों द्वारा शत प्रतिशत निवेश की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए क्योंकि राज्यों को अंततः निवेश के लिए पैसा अर्जित करना होगा। इसलिए हमें सरकारी-निजी सहभागिता को बढ़ावा देना होगा। हमें शिक्षित लोगों के मन में विश्वास पैदा करना होगा। हमें शैक्षणिक रूप से उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं की स्थापना करनी होगी और संप्रग सरकार यही कार्य कर रही है जिसके बारे में और किसी ने नहीं सोचा।

संयुक्त मोर्चा सरकार दो वर्षों के लिए सत्ता में थी। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि उन्होंने चित्रा तिरूनाल संस्थान के विकास के लिए क्या किया? वास्तव में विगत सरकारों की अपेक्षा यह संप्रग सरकार इस दिशा में कहीं अधिक कार्य कर रही है। हमें इस बात का गर्व है और हम समझते हैं हम इस बारे में और अधिक काम कर पायेंगे। प्रश्न यह नहीं है। हम अपने उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हटेंगे।

जहां तक जीवन रक्षक दवाइयों का संबंध है, मैं इस बारे में आपको बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद में था। हमारे देश में जिस तरह की खोजें हो रखी हैं उन्हें देखकर कई बार बड़ी खुशी होती है। हैदराबाद स्थित शांता बायोटेक ने एक ऐसी संयुक्त वैक्सीन का आविष्कार किया है जो चार तरह की बीमारियों में कारगर है। इससे डिफ्थीरिया, टेटनस, काली खांसी और हेपाटाइटिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। यह वैक्सीन विश्व में अपनी तरह की दूसरी वैक्सीन है और इसकी कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के दसवें भाग के बराबर हैं। अब बच्चों के छह सुइयां लगने के बजाय केवल तीन सुइयां लगा करेंगी। हम अभी इस विषय पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि हम वर्तमान में एक संशोधन के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं पर यदि कोई माननीय सदस्य सभा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषय पर चर्चा के लिए प्रस्ताव लाना चाहें तो हम इन सब बातों पर चर्चा कर सकते है।

हम निवेश की बात करते हैं। पर कोई सदस्य यह प्रस्ताव क्यों नहीं लाता -

> "आइये हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में चर्चा करें कि यह देश कहां हैं और इसे कहां होना चाहिए।"

जब मैं त्रिवेन्द्रम जाऊंगा तो मैं निश्चित रूप से वह करूंगा जो मुझे करना है। जिस तरह से जो भी सहायता हो सकती है, मैं करूंगा। यदि मैं नहीं कर पाता हूं तो आप निःसंदेह अगले सत्र में मेरी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अगले सत्र में मेरी आलोचना कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अगले सत्र में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दे पर सभा में चर्चा का प्रस्ताव नहीं करते तो मैं निश्चित रूप से आपकी अलोचना करूंगा।...*(व्यवधान)*

डा. राम चन्द्र डोम: हम आपका समर्थन करते हैं...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: बहुत अच्छा। मैं अगले सत्र का इन्तजार करूंगा...*(व्यवधान)*

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में हमारा निवेश न के बराबर है...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइये। माननीय मंत्री के भाषण के अलावा अन्य किसी बात को कार्यवाही वृतांत में शामिल न किया जाये।

...*(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, माननीय सदस्य श्री वरकला राधाकृष्णन ने इस शानदार अस्पताल और वहां जो महत्वपूर्ण काम हो सकते हैं उन के बारे में बताया है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही दिखाया है कि हम देश के आम आदमी के लाभ के लिए एक से एक बेहतरीन प्रौद्योगिकी को अपनाने जा रहे हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि इस संस्थान का मेरे लिए काफी महत्व है और इस संस्थान की सहायता के लिए मैं बजटीय सीमाओं में रहते हुए भरसक प्रयास करूंगा। मैं बिना किसी भय या पक्षपात के अपना कर्त्तव्य निभाऊंगा।

---

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कपिल सिब्बल]

माननीय सदस्य श्री के.एस. राव ने पशुधन अनुसंधान के बारे में उल्लेख किया है। इसका उल्लेख करने के लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। वास्तव में, मैं उन्हें मात्र इतना बताना चाहता हूं कि सरकार ने पशुधन अनुसंधान सुविधा के लिए आंध्र प्रदेश राज्य में एक संस्थान स्थापित करने का निर्णय ले लिया है।

श्री के.एस. राव: महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कपिल सिब्बल: वस्तुतः हम एक ऐसी योजना निर्मित करने की प्रक्रिया में है जिसके तहत पशुधन अनुसंधान का कार्य हो सकेगा। मैं आशा करता हूं कि भाजपा और उसके पक्षधर कुछ सदस्य इस कार्य में अड़ंगा नहीं लगायेंगे क्योंकि विगत में ऐसा हो चुका है।

इसीलिए, उपाध्यक्ष महोदय मैं सभा के उन सभी सदस्यों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया। मेरी यही इच्छा है कि देश में इस तरह के उत्कृष्टता वाले दूसरे संस्थानों की भी स्थापना की जाये। मैं चाहता हूं कि यह सभा इस बात से सहमत होगी कि यदि इस देश को सकल घरेलू उत्पाद की 7 से 8 प्रतिशत की करिश्माई वृद्धि दर प्राप्त करनी है तो विज्ञान और प्रौद्योगिक के क्षेत्र में निवेश किये बिना इसे प्राप्त करना संभव नहीं है। हम एक राष्ट्र के रूप में इस बात को जितनी जल्दी पहचान लेते हैं, देश के आम आदमी के लिए उतनी ही अच्छी बात होगी।

उपाध्यक्ष महोदय आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री खारबेल स्वाई: महोदय, माननीय मंत्री जी ने समाचार पत्रों के माध्यम से यह आश्वासन दिया है कि उनके विभाग ने एक ऐसा लैपटॉप कम्प्यूटर तैयार किया है जिसकी कीमत मात्र दस हजार रुपये है। उन्होंने समाचार पत्रों के माध्यम से यह संदेश भी दिया कि इसे प्रत्येक संसद सदस्य को भी दिया जायेगा। मैं केवल इतना भर जानना चाहता हूं कि यह कम्प्यूटर बन गया है या नहीं। क्या वह हुआ है?

श्री कपिल सिब्बल: अब आपने संसद सदस्यों के वेतन संबंधी मामले को एक स्वायत्तशासी निकाय के पास भेजे जाने का उल्लेख किया है, अब जब भी वेतन में वृद्धि होगी तब मैं आप से इसे खरीदने का अनुरोध करूंगा, मुफ्त में लेने का नहीं...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: क्या इसका विपणन शुरू हो गया है अथवा नहीं?...*(व्यवधान)* क्या वह हुआ है।

[हिन्दी]

श्री कपिल सिब्बल: आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि पन्द्रह-बीस दिन पहले मैंने सॉफकॉम के लोगों से बात की थी और उनसे पूछा था कि उनका उत्पादन कब तक शुरू होगा। उन्होंने बताया कि उन्हें एक लाख पीसीज का आर्डर अमरीका से पहले ही मिल चुका है। विश्व की एक बड़ी कम्पनी है, जिसकी चीन में बड़ी भारी मौजूदगी है। उन्होंने इन्क्वायरी करके पूछा है कि हम इसको चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि सरकारी विभाग ऐसे कम्प्यूटर के आर्डर दें। वे कम्प्यूटर मार्किट में सितम्बर और 15 अक्तूबर के बीच में आ जाएंगे, तब आप खरीद सकेंगे। मेरी कोशिश होगी कि जैसे ही आपकी सैलरी बढ़े, मैं उनसे कहूंगा कि वे आपसे जाकर मिलें।

श्री खारबेल स्वाई: हम उसको दस हजार में खरीद लेंगे।...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: स्वाईं जी आप बैठ जाइए। मेरे पास आज बहुत काम है। मैंने अभी चार-पांच बिल और पास करवाने हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम अधिनियम, 1980 राज्य सभा द्वारा यथापारित का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.35 बजे

भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 18 - भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 लेंगे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि भांडागारण निगम अधिनियम, 1962 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खजुराहो): उपाध्यक्ष महोदय, यह सर्वविदित है कि भारत कृषि प्रधान देश है। यहां के किसानों की हालत काफी खराब रहती है। यह देखने में आया है कि भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण किसानों को सस्ते दामों पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। यदि भंडारण की सुविधा हो जाए तो वे अच्छे दामों पर अपनी फसल बेचकर उसका लाभ उठा सकते हैं।

अपराह्न 4.37 बजे

(**श्रीमती सुमित्रा महाजन** *पीठासीन* हुईं)

मंत्री जी जो बिल लाए हैं, हालांकि यह पुराना बिल है, लेकिन काफी दिनों से इसे नया करने की आवश्यकता थी। यह बिल किसानों के हित में होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि किसानों के पैसे की गारंटी होती है। अगर वह अपना अनाज वेयरहाउसिंग में जमा करता है तो उसे फसल का कम से कम 80 प्रतिशत पैसा मिल जाए, तो वह उस धन को खेती के खर्च और अन्य जरूरत की पूर्ति में लगा सकता है। इस बिल में इस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है।

भंडारण की व्यवस्था ग्रामीण इलाकों में बहुत आवश्यक है, क्योंकि किसानों को शहर तक जाने में अड़चन आती है। कई बार बरसात के मौसम में उन्हें परेशानी होती है क्योंकि सड़कें ठीक नहीं हैं, आवागमन के साधनों की कमी है। यदि ग्रामीण इलाकों में भंडारण की व्यवस्था हो तो किसान उसका समुचित लाभ उठा सकते हैं। इस बिल के माध्यम से मेरी अपील है कि ग्रामीण इलाकों में इसका विस्तार किया जाए।

एक योजना बनी थी जिसमें ग्रामीण भंडारण के बारे में था। कई किसानों ने निजी तौर पर भंडारण-गृह बनाए। उनका लाभ लोगों को हो रहा है। उस योजना को भी और आगे बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि किसान अपने भंडारण गृह बनाएं। इससे उनको सहूलियत होगी। अगर उनकी सब्सिडी में इजाफा किया जाए तो किसानों के लिए लाभकारी होगा।

अभी देखने में आया है कि कई प्रान्तों में बाढ़ आई और किसानों का गल्ला उनके घरों में रखा-रखा सड़ गया। वे बहुत मुसीबत में पड़ गए और खाने को मोहताज हो गए। आज फसल बोने के लिए उनके पास बीज नहीं हैं। यदि भंडार गृह की व्यवस्था होती, वेयरहाउस की सुविधा होती, तो उनकी यह दुर्दशा न होती। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इसका विस्तार ग्रामीण इलाकों में ज्यादा होना चाहिए, ताकि कभी इस प्रकार की प्राकृतिक आपदा आती है और उससे निपटने के लिए किसान ने अपनी फसल वहां रखी है, तो फिर उनको कठिनाई नहीं होगी। आपने इस बिल में प्रावधान किया है कि राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों से भी इसका सम्पर्क बनायें और ज्यादा से ज्यादा धन लेकर इसको आगे बढ़ाने का काम करें, तो यह सराहनीय कदम है। यह व्यवस्था इसलिए ठीक है क्योंकि आज के उदारीकरण, वैश्वीकरण के युग में स्पर्धा के लिए पैसे की अधिक आवश्यकता है।

सभापति महोदया, इस बिल में निदेशक मंडल और उपाध्यक्ष रखने की जो व्यवस्था की गयी है, उसमें यह ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता है कि किसानों के साथ पक्षपात न हो क्योंकि ज्यादातर वेयरहाउस का उपयोग व्यापारी लोग करते हैं और किसानों को उसका फायदा उठाने का मौका नहीं मिलता। किसान लोग ऐसे ही बैठे

[डा. रामकृष्ण कुसमरिया]

रह जाते हैं। आपने इस बिल में वैतनिक अधिकारी या जो पदाधिकारी बनाने की व्यवस्था की है, उसके तहत यह प्रबंध होना चाहिए कि किसानों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो। उनको साथ पक्षपात न किया जाये और वहां उन्हें अपनी फसल बिल्कुल न्यायसंगत तरीके से रखने की व्यवस्था हो। इसके साथ-साथ भंडार गृह बनाने के लिए सब्सिडी देने की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि यह बिल किसानों के हित में आया है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि वे इस बिल में जो सुधार करने जा रहे हैं, उससे किसानों को लाभ होगा। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को इससे काफी फायदा होगा। इसके साथ-साथ निजी तौर से वेयरहाऊसिंग का जो स्कीम है, उसमें आप इजाफा करेंगे और किसानों की सबसिडी बढ़ाने का भी काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव (एलूरू): सभापति महोदया, माननीय मंत्री द्वारा लाया गया संशोधन निश्चित रूप से बहुत मामूली है। मैं विशेषरूप से इसका इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि यह गैर-सरकारी निदेशकों की संख्या में वृद्धि करता है तथा सरकारी निदेशकों की संख्या घटाता है। इससे पहले स्थिति अलग थी। अब सरकार की नीति भी बिलकुल बदल गई है। इससे पहले सब कुछ सरकार पर निर्भर था और हम व्यवसाय, व्यापार, विनिर्माण, आदि सहित सभी मामले सरकार द्वारा करवाना चाहते थे। आज, अवधारणा बिलकुल बदल गई है और हम निजीकरण, उदारीकरण आदि की अनुमति दे रहे हैं तथा प्रोत्साहन भी दे रहे हैं।

वास्तव में, गैर-सरकारी निदेशकों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता अधिक है तथा सरकारी निदेशकों को कम करने की आवश्यकता कम है और यह बात माननीय मंत्री द्वारा लाई गई है। इसलिए मैं इसका समर्थन कर रहा हूं। अन्य संशोधन भी इसी तरह के हैं अर्थात् बहुत मामूली तरह के। इस संदर्भ में, मैं एक बात माननीय मंत्री की जानकारी में लाना चाहता हूं। पहले, जब इस देश में खाद्यान्न की कमी थी तथा हम अन्य देशों से खाद्यान्न आयात कर रहे थे - तब बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों के भण्डारण की आवश्यकता थी। लेकिन आज हम उस स्तर तक पहुंच गए है जहां हम आत्मनिर्भर हो गए है और हमारे देश में पर्याप्त खाद्यान्न हैं। जैसाकि पहले भी मैंने कहा था कि खाद्यान्न भण्डारण से खाद्य सुरक्षा मिलेगी विशेषरूप से गरीब लोगों को। यह आवश्यक है और इसे पूर्णतः अनदेखा नहीं किया जा सकता है लेकिन इसकी भूमिका को कम किया जा सकता है।

मैंने यह भी देखा है कि काफी लोग निर्वाचन क्षेत्र में मुझे शिकायत करते हैं कि हाल ही में सरकार ने गांवों में गोदाम बनाने हेतु निजी लोगों को प्रोत्साहित किया है। इसके परिणामस्वरूप सरकार से पूर्व ठेका होने के कारण बड़ी संख्या में गोदाम बन गए है। मुझे बताया गया है कि खाद्यान्न, सब्जियां, फल आदि जैसी अधिकांश वस्तुओं का केन्द्रीय भाण्डागारण निगम गोदामों अथवा भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में भण्डारण की बजाय निजी गोदामों में भण्डारण किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप केन्द्रीय भाण्डागारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) द्वारा बनाए गए काफी गोदाम खाली पड़े हैं जहां कोई आय नहीं हो रही है जबकि सरकार निजी गोदामों के मालिकों को किराया दे रही है जो राष्ट्रीय हित में नहीं है। सरकार कहती है कि क्योंकि वे निजी पार्टियों के साथ चार, पांच अथवा छह वर्ष का करार कर चुके हैं इसलिए यदि वे निजी गोदामों का उपयोग करें या न करें उन्हें किराए का भुगतान करना ही होगा। अतः, सरकार कहती है कि वे सरकारी सम्पत्ति का उपयोग न कर और इस तरह सी.डब्ल्यू.सी. और भारतीय खाद्य निगम के सरकारी कर्मचारियों को बेकार रख कर खाद्यान्न और सब्जियां निजी गोदामों को भेज रही है। मेरे विचार से मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि पहले सरकारी गोदामों में माल भरा जाए और जब वहां खाली जगह न बचे, तब निजी गोदामों का उपयोग किया जाए अन्यथा नहीं। मंत्री महोदय, को सी.डब्ल्यू.सी. अथवा राज्य भाण्डागारण निगम में कार्यरत संबंधित अधिकारियों को भी सचेत करना चाहिए कि उन्हें निजी निगम अथवा व्यक्तियों के साथ उनके गोदाम भरने का दीर्घकालिक अनुबंध नहीं करना चाहिए। इसकी कहां आवश्यकता है? समझौते में एक खण्ड होना चाहिए कि जब कभी उनके गोदामों का उपयोग करने की आवश्यकता उत्पन्न होगी, तभी उनका उपयोग किया जाएगा। ऐसा किसी बाध्यतावश नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी गोदामों को खाली छोड़कर निजी पार्टियों के गोदामों का उपयोग करने तथा उन्हें करोड़ों रुपये का किराया देने का क्या औचित्य है?

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह देश के विभिन्न भागों से आंकड़े मंगाए कि सरकारी गोदामों में कितनी जगह का उपयोग नहीं हो रहा है तथा निजी

पार्टियों को कितना किराया दिया जा रहा है। कृपया संशोधन करें तथा संबंधित पार्टियों को आवश्यक अनुदेशों के साथ पारित करें: यदि आवश्यक हो तो मौजूदा निजी पार्टियों के साथ किए गए करार समाप्त कर दिए जाएं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय राष्ट्रीय और हमारे लोगों का हित देखें और इसके लिए पहले सरकारी गोदाम भरें तथा सरकारी कर्मचारियों को काम दें जो वेतन ले रहे हैं। मंत्री महोदय को सी.डब्ल्यू.सी. तथा खाद्य निगम में कार्यरत कुली/मालियों को भी काम देना चाहिए। इन गरीब लोगों के पास कोई काम नहीं है और इसलिए वे बेकार बैठे हैं। मंत्री महोदय को ये सब बातें देखनी चाहिएं।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): सभापति महोदया, यह विधेयक बहुत सामान्य है, महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे यह विधेयक पारित करने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस विधेयक के माध्यम से सरकार ने सी.डब्ल्यू.सी. को अधिक स्वायत्तता देने का निर्णय लिया है। इसलिए इस विधेयक में यह प्रस्ताव किया किया गया है कि तीन कार्यकारी निदेशक शामिल किए जाएंगे और निश्चित रूप से ये निदेशक विशेषज्ञ होंगे जो इस निगम को वास्तव में चुस्त दुरुस्त बनाएंगे ताकि निगम लाभ कमा सके। यह निगम अब लाभ कमा करा है। इसलिए सरकार ने इस निगम को 'मिनी रत्न' घोषित किया है। इसमें विस्तार और विकास की व्यापक संभावना है। जिस देश में आर्थिक विकास हो रहा है वहां भण्डारण सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। औद्योगिक और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं से निपटने हेतु भण्डारण-सह-विपणन बुनियादी ढांचा बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम अधिकाधिक विशेष भण्डारण प्रणालियां चाहते हैं। हमारे देश में लाखों टन खाद्यान्न या तो खराब हो जाता है या फिर दूषित हो जाता है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम देश में भांडागारण सुविधाओं का अधिक विस्तार चाहते हैं। मेरा प्रस्ताव है कि ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक खण्ड में, प्रत्येक नगरपालिका में भाण्डागारण सुविधाएं होनी चाहिए। इसलिए निगम को अधिक स्वायत्तता देने की दृष्टि से सरकार ने यह विधेयक पुरःस्थापित किया है।

इस निगम को लाभप्रद बनाने के लिए वास्तव में अच्छी सेवा प्रदान करने वाले कर्मचारियों को आशंका है क्योंकि राजग सरकार के कार्यकाल में लगभग 4000 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के दौरान सेवानिवृत्त किया था। यह योजना भी है कि और लोग भी इस योजना के अंतर्गत सेवानिवृत्ति लें। इस निगम में ग्यारह हजार कर्मचारी काम कर रहे हैं। उनके अथक प्रयासों से यह निगम लाभ कमाता रहा है। अतः, जब आप कार्यकारी निदेशक शामिल करके निगम को स्वायत्तता दे रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए। आपको कर्मचारियों को विश्वास में लेना चाहिए ताकि वह राष्ट्र को अच्छी सेवा प्रदान कर सकें। हम यह कह कर कि सरकार द्वारा ही भण्डारण सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। माननीय सदस्य श्री के.एस. राव ने थोड़ी देर पहले जो कहा वह सही है। देश के विभिन्न भागों में कई सी.डब्ल्यू.सी. भाण्डागार है - दो तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में हैं लेकिन वहां करने के लिए पर्याप्त काम नहीं है। बड़े पैमाने पर निजी गोदाम बन रहे हैं। कुछ निजी गोदाम प्रणालियों का उचित रूप से रखरखाव नहीं कर रहे हैं। इन निजी गोदामों में खाद्य वस्तुओं का संदूषण, मिलावट तथा अन्य तरह गलत कार्यवाही हो रही हैं।

भाण्डागारों को शीतागार जैसी सुविधाओं से युक्त उचित रूप से बनाया जाना चाहिए। भांडागारों में विकिरणन सुविधाएं भी प्रदान की जा सकती है ताकि हम खाद्य वस्तुओं को खराब होने से बचा सकें और उत्पाद को अधिक समय तक ताजा रख सकें जिसके परिणामस्वरूप हमारे किसानों को बहुत अधिक फायदा मिलेगा। हम चाहते हैं कि सी.डब्ल्यू.सी. भांडागारों का इस तरह से आधुनिकीकरण किया जाए कि वह आज की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। यह एक स्वागत योग्य प्रस्ताव है। यह निगम अपनी पूंजी के लिए न केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों अपितु अनुसूचित बैंकों से भी ऋण ले सके। अन्यथा ये भांडागार विकसित और सुदृढ़ नहीं हो सकते हैं।

देश में लगभग 490 भांडागार हैं और मैं नहीं समझता कि ये पर्याप्त हैं। यह संख्या अपर्याप्त है। यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में अपने किसानों को अधिकाधिक फायदा देना चाहते हैं तो हमें भांडागारों के नेटवर्क का विस्तार करना चाहिए। किसान बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपने उत्पाद की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है क्योंकि उनके पास पर्याप्त भण्डारण सुविधाएं नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए मैं कहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भांडागार सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए जिसमें विकिरणन प्रणाली, शीतागार प्रणाली आदि हों। विभिन्न खाद्य वस्तुओं को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए विज्ञान हमारे लिए नई तकनीक लाया है। तथापि, हमारे भांडागारों में इस तरह की प्रणालियां शुरू नहीं की जा रही हैं।

[श्री लक्ष्मण सेठ]

केन्द्रीय भांडागारण निगम को स्वायत्तता देने के लिए इस विधेयक को लाने हेतु मैं माननीय मंत्री और मंत्रालय को बधाई देता हूं। इसके साथ ही, मैं समझता हूं कि मेरी आशंका कि यह स्वायत्तता निजीकरण में, परिवर्तित नहीं होगी को दूर कर दिया जाएगा। यह लाभ अर्जित करने वाला एक निजी रत्न संगठन है। इसे सुदृढ़ किया जाना चाहिए। यदि स्वायत्तता के नाम पर इस कम्पनी का निजीकरण किया जाता है तो यह राष्ट्र के हित में नहीं होगा। यदि इसका निजीकरण किया जाता है तो इस निगम के विकास के लिए परिश्रम करने वाले कर्मचारियों को रोजगार से वंचित किया जाएगा।

अतः, इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय, मेरे द्वारा अभिव्यक्त की गयी आशंका नोट करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए। इसके साथ ही विधेयक पारित होने के बाद मंत्रालय द्वारा एक प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश भर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक प्रणाली से विकसित भांडागारण सुविधाओं का विस्तार हो। इससे राष्ट्र को पर्याप्त सहायता मिलेगी।

देश में भांडागारण की गम्भीर समस्या है। भांडागारण सुविधाओं के अभाव के कारण लाखों टन विभिन्न वस्तुएं खराब हो रही हैं। इस विधेयक के पारित होने के उपरांत मंत्री महोदय को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और देश भर में भांडागारण अवसंरचना के विकास में सुधार पर बल दिया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदया, आपने मुझे वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन (संशोधन) विधेयक, 2005 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा अभी हमारे माननीय सदस्यों ने कहा, यह बात सत्य है कि आज पूरे देश में चाहे वह अनाज की बात हो या फलों की बात हो या सब्जियों की बात हो, हम आत्मनिर्भर हुए हैं। बहुत से ऐसे इलाके हैं, जहां पर पैदावार इतनी अधिक होती है कि वह चाहे सब्जी हो या फल हों, फेंके जाते हैं या जानवरों को खिलाए जाते हैं। हमारे यहां फर्रूखाबाद साइड में आलू का काफी उत्पादन होता है। कोल्ड स्टोरेज में जगह नहीं होने के कारण वह बोरों में पड़ा-पड़ा सड़ जाता है। हमारे नेता प्रोफेसर यहां बैठे हैं, उनके क्षेत्र में टमाटर बहुत होता है। कई बार तो वह जानवरों को खिलाया जाता है। इसलिए सरकार कम से कम ऐसे फले और सब्जियों के रखने की कोई व्यवस्था करे।

इस विधेयक में संशोधन किया गया है कि 'उपाध्यक्ष' शब्द को खत्म करके 'निदेशक मंडल' की व्यवस्था की गयी है। निदेशक मंडल में गैर सरकारी निदेशकों को बढ़ाने की बात कही गई है और सरकारी निदेशकों को कम करने की बात कही गई है। मेरा सुझाव है कि निदेशक मंडल में ज्यादातर ऐसे लोगों को स्थान देना चाहिए, जो विशेषज्ञ हों, जो गांव से आते हों और किसान तथा खेती के बारे में जानकारी रखते हों। ऐसे लोगों को आर रखेंगे तो भंडारगृहों से सम्बन्धित जो मामला है, वे उसे अच्छी तरह से देख सकेंगे और सही रूप में संचालन कर सकेंगे।

पूरे देश में करीब 500 भंडार निगम हैं। हमारे क्षेत्र में भी कुछ हैं। उनमें से कुछ निजी क्षेत्र में और कुछ सरकारी क्षेत्र में हैं। लेकिन हमने देखा है कि उनकी हालत काफी दयनीय है। फाटक की व्यवस्था नहीं है, कोई भी व्यक्ति अंदर जा सकता है। इसके अलावा दीवारें टूटी हुई हैं, सीलन है, चूहों की भरमार है और कहीं पर अनाज बोरों में पड़ा सड़ रहा है। जैसा कई माननीय सदस्यों ने कहा कि वहां आसानी से मिलावट भी होती है। लोग अच्छे अनाज के बदले खराब अनाज वहां रख देते हैं और कर्मचारी उसे डैमेज या स्क्रैप कह कर छुटकारा पाते हैं। इससे सरकार के काफी राजस्व का नुकसान होता है। मैं चाहता हूं कि भंडारगृहों की व्यवस्था अच्छी तरह से होनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया कि जब कभी बाढ़ आती है, तो किसानों के पास जो अपने घरों में अनाज का भंडारण होता है, वह बह जाता है या सड़ जाता है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता। इसकी वजह यह है कि वहां पर्याप्त मात्रा में भंडारगृह नहीं होते। हमारे उत्तर प्रदेश में मंडी परिषद हर जगह गांवों में, देहात में हाट की व्यवस्था करती है। वहां किसान अपने अनाज, फलों और सब्जियों को लेकर आता है और उसकी बिक्री होती है। वहां वह अपने उत्पाद को यातायात के माध्यम से दूसरी जगह भी भेज सकता है। सरकार को इस प्रकार की व्यवस्था दूसरी जगहों पर भी करनी चाहिए।

अगर गांवों में न कर सके, तो ब्लाक स्तर पर करे, जिससे किसान के उत्पाद का अच्छी तरह से भंडारण किया जा सके। इससे हमारे राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी।

किसानों के उत्पादों के लिए भंडारगृह बनाने के लिए सरकार को अगर सब्सिडाइज दर पर ऋण भी देना पड़े, तो वह देना चाहिए, जिससे किसान अपने गांव में ही एक जगह अपने उत्पादों को रख सके। कई जगह गांवों में धान मिलों में स्टोरेज की व्यवस्था होती है। वहां किसान अपना चावल रखते हैं, जिसकी वहीं सफाई भी हो जाती है। इसी तरह से वे आलू भी कई दिनों तक वहां रख सकते हैं। ऐसे ही अनाज रखने की व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय सदस्यों द्वारा सदन में इस संशोधन विधेयक पर कई सुझाव दिए गए हैं। निदेशक मंडल के लिए वेतन और भत्ते प्राप्त करने की व्यवस्था है, वह बहुत अच्छी की है।

अपराह्न 5.00 बजे

जब कुछ लाभ मिलता है तब लोग बड़ी रुचि लेकर काम करते हैं लेकिन जब लाभ नहीं मिलता है तब रुचि नहीं लेते हैं। आपने जो वेतन और भत्ते की व्यवस्था की है, वह बहुत अच्छा किया है, इससे निदेशक मंडल की रुचि भी बढ़ेगी और अच्छे सुझाव भी आयेंगे। इस विधेयक में जो निदेशक मंडल बनाने की व्यवस्था की गयी है, वह निदेशक मंडल बने, जिससे किसानों और कर्मचारियों के हित की बात हो सके।

मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए अपना बात समाप्त करता हूं।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचुर): सभापति महोदया, यह भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 एक संक्षिप्त विधेयक है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

जैसा कि इस विधेयक के उद्देश्य बताये गए हैं कि केन्द्रीय भांडागारण निगम के व्यवसायीकरण और इसे तर्कसंगत बनाने के लिए वे तीन और निदेशक बनाना चाहते हैं। वे सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों से और संसाधन भी जुटाना चाहते हैं। इसके उद्देश्य तो अच्छे हैं परन्तु प्रश्न यह है कि व्यवसायीकरण के नाम पर अधिकारियों को निदेशक क्यों बनाया जा रहा है। मुझे यह समझ नहीं आ रहा, क्या यह नौकरशाही का ही एक हिस्सा है?

वास्तव में यदि वे इस संस्था का व्यावसायिक प्रबन्धन करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि इसमें निदेशक बोर्ड से विशेषज्ञों को लाया जाता ताकि संस्था के व्यवसायीकरण हेतु उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सके। इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी विशेषज्ञ नहीं है। यदि वे हैं तो यह अच्छा ही है। अन्यथा, होगा शायद यही कि अधिकारियों को एक और लाभकारी क्षेत्र मिल जाएगा।

महोदया, इन तीन निदेशकों को 15 लाख रुपये वार्षिक दिये जा रहे है, जिससे अधिकाधिक लोग यहां काम करने को आकर्षित होंगे। ऐसा नहीं होगा इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें विशेषज्ञों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और इसमें विशेषज्ञ अधिकारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए।

महोदया, मेरे मित्र 'तर्कसम्मत बनाने' की ओर इंगित कर रहे हैं मुझे डर है कि अब तक इसका मतलब यही हुआ करता है कि तर्कसम्मत बनाने के नाम पर दक्ष बनाने हेतु कर्मचारियों की छंटनी करना। पिछली सरकार ने अपना कार्य किया; 4000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया। अतः तर्कसम्मत बनाने के संबंध में उनका क्या विचार है। मुझे आशा है कि चर्चा का उत्तर देते समय मंत्री महोदय इसे स्पष्ट करेंगे और बतायेंगे कि एक तर्कसम्मत संस्थान बनाने के लिए इसमें और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना या छंटनी नहीं की जाएगी।

एक नई अवधारणा भी है - बिना रोजगार के विकास। मैं समझता हूं कि संप्रग सरकार ने रोजगार के बिना विकास की अवधारणा खत्म कर दी है। यदि ऐसा है तो इसे स्पष्ट किया जाना चाहिए। अन्यथा, यह आशंका रहेगी कि वे तर्कसम्मत बनाये जाने के नाम पर कामगारों की छंटनी करेंगे।

महोदया, यह अच्छा है कि सरकार वित्तीय संस्थानों की सहायता से और संसाधन जुटायेगी। इस संस्थान को व्यावसायिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से लाभकारी बनाकर चलाने में कुछ भी गलत नहीं है। यह आवश्यक भी होगा। परन्तु इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिये कि इसमें फिजुलखर्ची न हो। अब, यदि इन बातों को ध्यान में रखा जाए तो हमें इस विधेयक का समर्थन करने में खुशी होगी। इन आशंकाओं को नोट किया जाना चाहिए और मुझे आशा है कि चर्चा का जवाब देते हुए मंत्री जी इन आशंकाओं को निर्मूल कर देंगे।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): सभापति महोदया, मैं इस भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य देश में प्रापण क्षेत्र तथा भंडारण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण है जो कि मुख्यतः किसानों के उत्पाद से संबंधित है।

[श्री बिक्रम केशरी देव]

इस विधेयक में भांडागारण निगम जो कि काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं को अधिक सुचारू और स्वीकार्य बनाने के प्रावधान है ताकि किसानों के उत्पादों को उचित समय पर खरीदा जा सके और उनका भंडारण किया जा सके।

सभापति महोदया, जैसा कि आप और यह सभा जानती है कि खेतों में फसल आने के उपरांत देश भर में कृषि संचालन की तीन महत्वपूर्ण अवस्थाएं है - प्रापण, भंडारण और वितरण। यह तीनों अवस्थाएं कृषीय अर्थव्यवस्था के निर्धारण के महत्वपूर्ण चरण हैं जिसे किसानों की आर्थिक स्थिति निर्धारित होती है। आज मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि भारत जैसे देश में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान मात्र एक प्रतिशत है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि किसानों के पास उचित भंडारण सुविधाएं नहीं है। उन्हें उनके उत्पाद की उचित कीमत नहीं मिलती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि हरित क्रांति के मामले में हमें सफलता मिली - परन्तु क्या हरित क्रांति में सफलता का मतलब किसान द्वारा चावल और गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना मात्र है? ऐसा नहीं है सभापति महोदया। इसके साथ ही इस देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपये की दालें तथा 49,000 करोड़ रुपए का खाद्य तेल आयात किया जा रहा है। हमारे पास उनके भंडारण हेतु पर्याप्त भंडारण सुविधाएं नहीं हैं।

महोदया, मैं राजग सरकार और मेरे मित्र श्री जुएल ओराम जो कि पिछली सरकार में जनजातीय कार्य मंत्री थे, को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने जनजातीय क्षेत्रों में खाद्यान्न बैंक स्थापित करने की एक नयी योजना प्रारम्भ की थी। यह किसानों के लिए काफी लाभदायक है। यह भांडागारण निगम वास्तव में किसानों के साथ न्याय करना चाहता है तो उसे गांवों और पंचायतों में जाना पड़ेगा, इसकी एकत्रित करने की सुविधा पंचायत स्तर पर होनी चाहिए। मंडी प्रणाली का अस्तित्व अभी भी है क्योंकि किसानों के पास अपना उत्पाद बेचने की कोई व्यवस्था नहीं है। महोदया, नए विश्व व्यापार संगठन समझौतों, व्यापारिक नीतियों और पेटेन्ट कानूनों के मद्देनजर यह देखा जाना चाहिए कि किसानों को उनके घर के पास ही उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्राप्त हो। यह तभी सम्भव है जबकि केन्द्रीय भांडागारण निगम सक्रिय हो। मैं समझता हूं कि संप्रग सरकार ने इस मामले में सही कदम उठाया है और इस प्रकार का विधेयक लाने के लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि भांडागारण निगम और लचीला एवं स्वायत्त होना चाहिए। मैं श्री चंद्रप्पन के इस विचार से सहमत हूं कि एक अधिकारिक निकाय बनाने के बजाय इसे और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। महोदया, पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान हमने सहकारी सोसायटी अधिनियम में ब्रह्मप्रकाश समिति के प्रतिवेदन के अनुसार संशोधन करके सहकारिता में और अधिक स्वायत्तता प्रदान की - सहकारिता जो कि निम्न स्तर एवं ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है। हम इसे सार्वजनिक उपक्रम क्यों नहीं बना सकते? हमें इस क्षेत्र में विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए और पंचायत स्तर और खाद्यान्न बैंक सृजित करने चाहिए। हमें कालाहांडी और केबीके क्षेत्रों जैसे पिछड़े इलाकों में भांडागारण विकसित करने चाहिए ताकि किसान अपने उत्पादों को ओने-पौने दामों पर बेचने के बजाय उनका उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

इसके अलावा - भारतीय खाद्य निगम में भी यह देखा गया है कि करोड़ों रुपए के खाद्यान्न नष्ट हो जाते हैं। केन्द्रीय भांडागारण निगम में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है कि भारतीय खाद्य निगम भी केन्द्रीय भांडागारण निगम से पट्टे के आधार पर गोदामों को अपनी खाद्यान्न प्राप्ति को सुरक्षित रखने के लिए लेता है।

यह एक स्वागत योग्य विधेयक है। यह एक संक्षिप्त विधेयक है परन्तु किसानों के लिए इसके प्रभाव ज्यादा है। यह देश के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां किसान कुल जनसंख्या के 60 से 70 प्रतिशत है और हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित है।

इन विचारों के अंतर्गत मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): सभापति महोदया, इस भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 2005 का समर्थन करते हुए मैं देश की कुछ महत्वपूर्ण वास्तविकताओं के बारे में बताना चाहूंगा।

भांडागारण निगम द्वारा संचालित कुछ गोदामों को बंद कर दिया गया है और दशकों से इसमें काम कर रहे कामगारों को रोजगार से वंचित कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली मुख्यतया भांडागारण के स्टॉक पर निर्भर करती है। भारतीय खाद्य निगम की भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब वस्तुएं भांडागार में रखी जाती हैं। अधिकांश नगरों में एक या दो भांडागार उपलब्ध रहते हैं जिनमें से कुछ बंद कर दिये गए हैं।

यद्यपि, इस सभा में मेरे मित्र ग्रामीण क्षेत्रों में भांडागार स्थापित करने की मांग कर रहे हैं - यह एक अच्छा प्रस्ताव है - मैं कहता हूं कि उपलब्ध भांडागारों का रख रखाव ही कठिन है और इसीलिए इन्हें बंद किया जा रहा है। इन्हें बंद करने की सूचनाएं दीवारों पर लगाये गए हैं जो वहां काम कर रहे कर्मचारियों द्वारा आंदोलन करने का आमंत्रण जैसा है। गरीब कामगार शारीरिक श्रम कर रहे है और उनकी आजीविका गोदाम में उपलब्ध काम पर निर्भर है।

जब यह बंद कर दिये जाएंगे तो आसपास के लगभग 100-200 परिवार भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इन गरीब लोगों को रोजगार से निकाल दिया गया है। यह सच्चाई है। अतः मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि इस पर विचार किया जाए। हम इस संशोधन विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं परन्तु देश के भांडागारों की यह वास्तविकता है।

हम निदेशक बोर्ड, सभापति और अन्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं; यह अच्छी बात है, मैं इसका समर्थन करता हूं। परन्तु प्रश्न यह है कि इसका रखरखाव कैसे किया जाए? उन्हें यह मामला गम्भीरता से लेना होगा क्योंकि न केवल कामगारों को निकाल दिया गया है बल्कि किसानों को भी अपनी फसल रखने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाएगा।

जैसा कि श्री के.एस. राव ने इंगित किया है निजी गोदाम बनाये जा रहे हैं। निगम के गोदाम बंद किये जा रहे हैं; इसका परिणाम यह है कि इस क्षेत्र में अघोषित निजीकरण किया जा रहा है जिसके कारण अततः निगम के सभी गोदाम बंद हो जायेंगे और यहां तक कि यह निगम ही बंद हो जाएगा। देश में धीरे-धीरे यही स्थिति आ रही है। अतः मेरा सरकार से यह आग्रह है कि वह इस क्षेत्र की वास्तविकताओं को जानकर निजी गोदामों की स्थापना को हतोत्साहित करे।

जहां तक सम्भव हो भांडागारण निगम के विद्यमान गोदामों को खाद्य वस्तुओं के भंडारण हेतु उपयोग में लाया जाए और भारतीय खाद्य निगम द्वारा यहां खाद्य वस्तुएं भंडार किये जाने के सख्त निर्देश दिये जाएं। अन्यथा स्थिति गंभीर हो जाएगी। अतः मैं समझता हूं कि सरकार इन मुद्दों पर गम्भीरता से विचार करेगी और बिना देरी किये आवश्यक कदम उठायेगी ताकि कामगारों के प्रस्तावित आंदोलन आदि से देश में असंतोष की स्थिति उत्पन्न न हो।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति महोदया, वैसे इस बिल में बहुत थोड़ा प्रावधान है। सरकार ने सैंट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन के काम को और सक्रिय बनाने के लिए फंक्शनल डायरैक्टर्स बनाने का फैसला लिया है। मैं बहुत अधिक नहीं कहना चाहूंगा। इसका काम कैसा है? इस बारे में मैं माननीय मंत्री जी से दो-तीन एक्सप्लेनेशन्स जरूर जानना चाहता हूं। दसवीं पंचवर्षीय योजना में कितना भंडार करने का लक्ष्य रखा हुआ है? जब कभी हम सड़क पर जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो हमें सड़क पर तिरपाल के नीचे ढका हुआ अनाज मिलता है। हरित क्रांति के बाद अनाज की पैदावार निरंतर बढ़ी है लेकिन दुर्भाग्य है कि उसकी देखभाल हम नहीं कर पाते हैं। जो किसान अपना अनाज बेचना चाहता है, उसे सरकार के बजाय बिचौलिया या व्यापारी ले जाता है, जिसका सही पैसा किसान को नहीं मिलता है। अब आप नये तरीके से काम करना चाहते हैं ताकि किसानों को सही मूल्य मिले, वैज्ञानिक तरीके से उसकी उपज का भंडारण हो, जिसका उसे सही लाभ मिल सके। अगर लक्ष्य दस मीट्रिक टन का है तो मैं केवल यह जानना चाहता हूं दसवीं पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य है और उसमें आप कितनी उपलब्धि प्राप्त कर पाएंगे?

मैं उत्तर प्रदेश की बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में लेवी चावल का प्रोक्योरमैंट यू.पी. में न करके आप राज्य सरकार के खाद्य विभाग से करवाते हैं। इस कारण से बहुत सी समस्याएं पैदा होती है। इससे किसानों को भी परेशानी होती है जबकि व्यापारी और बिचौलिए लाभ उठाते हैं। दूसरे राज्यों में आपके द्वारा इसका परचेज सीधा होता है। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दें कि लेवी चावल सीधा लें बजाय इसके कि राज्यों के माध्यम से लें। जैसा कि आप अन्य राज्यों में करते हैं, पंजाब, हरियाणा या अन्य स्थानों पर निगम के माध्यम से परचेज करते हैं, उसी हिसाब से करेंगे तो खाद्यान्न की सुरक्षा भी होगी और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य भी मिलेगा। आपका बिल बहुत छोटा सा है, हम चाहते हैं कि अच्छे ढंग से निगम काम करे, इसे काम की प्रतिष्ठा भी मिले, काम की सही ढंग से पहचान बने और फाइनेंशियल डायरेक्टर्स को जिस रूप में रखने का फैसला लिया गया है, उसी रूप में निगम काम करे। इसी अपेक्षा के साथ हम इसका समर्थन करते हैं।

श्री वृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय सभापति महोदया, मैं वेयरहाउसिंग कारपोरेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2005 का स्वागत करता हूं और इसका समर्थन कर रहा हूं। यह छोटा सा बिल है। सरकार ने पार्लियामेंट में परिचालित किया था कि कैसे फूड कारपोरेशन और केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को बढ़ाना है इसके लिए ज्यादा संशोधन लाएंगे, उनकी एक्टीविटीज को बढ़ाएंगे, एक कॉम्प्रिहेन्सिव बिल लाएंगे, लेकिन सरकार वे संशोधन नहीं कर रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह कब कॉम्प्रिहेन्सिव अमेंडमेंट बिल लाएगी? देश में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे देश में अनाज का उत्पादन हो रहा है। अधिक से अधिक फूड स्टोरेज हम कैसे कर सकते हैं? कैपिसिटी बढ़ाने के लिए, एक्टीविटीज बढ़ाने के लिए, किसानों को सुविधाएं देने के लिए, जो जरूरतें हैं, उनके लिए कॉम्प्रिहेन्सिव बिल लाने की जरूरत है, जो माननीय मंत्री जी नहीं लाए। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह ऐसा बिल कब लाएंगे?

अनाज की खेती का नुकसान हो रहा है, माननीय मंत्री जी ने 29 जुलाई, 2005 को राज्य सभा में उत्तर दिया था कि वर्ष 2002-03 में अनाज का उचित स्टोरेज नहीं होने के कारण, लॉस हो गया और वह अनाज स्पाइल हो गया। टोटल स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स में 1.135 लाख टन का लॉस हुआ, जिसकी वैल्यू 49.9 करोड़ रुपए थी। वर्ष 2003-04 में 0.76 लाख टन का लॉस हुआ, जिसकी वैल्यू 29.19 करोड़ रुपए थी और वर्ष 2004-05 में 0.97 लाख टन लॉस का प्रोवीजनल ब्यौरा था और 48.2 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। स्टोरेज कैपिसिटी न होने की वजह से देश का जो अनाज बरबाद हो रहा है, इसके रखरखाव की जरूरत है। सरकार ने उत्तर दिया है कि ज्यादा लॉस हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की क्या मंशा है, इसे कैसे सेव करेगी? खेतों में जो अनाज पैदा होता है, स्टोरेज कपैसिटी न होने के कारण उसका 10 प्रतिशत लॉस हो जाता है। इसलिये यह जरूरी है कि स्टोरेज की व्यवस्था अच्छी तरह से की जाये।

सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं लेकिन बिल में जो बातें बताई गई हैं, वे काफी नहीं हैं, इसलिये एक कम्प्रिहैंसिव बिल लाना चाहिये, यह मेरी मंत्री जी से रिक्वैस्ट है।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): सभापति महोदया, भांडागारण निगम अधिनियम में अमेंडमेंट करने के लिये माननीय मंत्री जी जो बिल लाये हैं, मैं उसकी पक्षधर हूं। मैं दो बातें माननीय मंत्री जी की जानकारी में लाना चाहूंगी। जहां भी फल या सब्जी की बम्पर क्रॉप आती है, वहां उसके भंडारण की व्यवस्था नहीं होने के कारण, बाजार में जब माल आता है तो उसके दाम गिरते हैं। इस कारण किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारे यहां आलू की अच्छी फसल होती है। श्री राठवा जी बैठे हुये हैं, उनके क्षेत्र में टमाटर की बम्पर क्रॉप होती है। वह देखते होंगे कि रोड पर टमाटरों के ढेर पड़े रहते हैं। उनके भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं होने से किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। मेरा सुझाव है कि चाहे वह आदिवासी एरिया में हो या सीजनल क्रॉप हो, उसके भंडारण की व्यवस्था का कार्य एक अच्छे पब्लिक सैक्टर यूनिट को देना चाहिये। इस यूनिट में किसानों को सदस्य बनाया जाना जरूरी है। हालांकि फूड प्रोसैसिंग यूनिट्स इसमें नहीं आती है लेकिन सरकार द्वारा हो रही व्यवस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है। जैसे टमाटर से कैच अप बनाया जा रहा है, जिसे भंडारण करके रखा जाता है। अगर किसान उस यूनिट का सदस्य होगा तो वहां बैंक की व्यवस्था हो सकती है। इससे एक ऐसी सुविधा तैयार होगी। अगर हमारी जी.डी.पी. औसत से कम पड़ती है, किसान इतना काम करते हैं, फसल ज्यादा उगाते हैं, उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिये मेरी मांग है कि उन्हें सब्सिडी भी मिलनी चाहिये।

चौधरी लाल सिंह (ऊधमपुर): सभापति महोदया, माननीय मंत्री जी जो बिल में अमेंडमेंट लेकर आये हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमारे जम्मू कश्मीर के लिये 2-3 बातें प्रेक्टिकली जरूरी हैं। वहां स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाना या कोल्ड स्टोरेज या दूसरे स्टोरेज बनाना जरूरी है। हमारे जम्मू क्षेत्र के आर.एस. पुरा, कठुआ और हीरा नगर के कुछ एरियाज में पेडी की बम्पर क्राप होती है। इस बम्पर क्राप के लिये हमारे किसानों ने, जो भी सरकार आई, उससे रिक्वैस्ट की कि पैडी का प्रोक्योरमेंट किया जाये ताकि किसानों को उनके उत्पादन का मूल्य मिल सके और जो बाहर से पैडी मंगाई जाती है, उस पर रोक लगे। हमारे किसान हजारों टन पैडी पैदा करते हैं जिन्हें बिचौलिये लूटकर ले जाते हैं। मेरा मंत्री जी से सबमिशन है कि एफ.सी.आई. के जितने दफ्तर हैं, वहां टोटल इनफ्रास्ट्रक्चर है, सिर्फ प्रोक्योरमैन्ट का ऑर्डर करना है। रूरल एरिया के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकारों ने वहां कुछ स्टोर्स बनाये हैं। लेकिन जहां पैडी और गेहूं नहीं होता, ऐसी

जगहों पर स्टोर्स बनाये गये हैं। जहां इन चीजों की पैदावार होती है, वहां कोई स्टोर नहीं है। वहां महज कैरिज वगैरह का चक्कर पड़ा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारी पैडी और गेहूं का प्रोक्योरमैंट करें। हम इसका समर्थन करते हैं और मुझे आशा है कि मंत्री जी अपने जवाब में खुलकर कहेंगे कि वह जम्मू-कश्मीर में इनका प्रोक्योरमैन्ट करायेंगे।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का हृदय से धन्यवाद करता हूं तथा जो माननीय सदस्य बोले हैं, मैं उनका भी तथा पूरे सदन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक स्वर में इस संशोधन विधेयक का समर्थन किया। पिछले सप्ताह राज्य सभा में जब यह संशोधन विधेयक पास हुआ था, उस समय हमने उस सदन में कहा था कि सी.डब्ल्यू.सी. भारत सरकार की एक लब्धप्रतिष्ठित संस्था है और अपने स्थापना काल से ही यह लगातार मुनाफा कमा रही है। यदि पहले नौ साल छोड़ दिये जाएं तो उसके बाद से हमेशा भारत सरकार को यह डिविडैन्ड देने का काम करती रही है।

सभापति महोदया, सी.डब्ल्यू.सी. की स्थापना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डवलपमैन्ट एंड वेयरहाउसिंग एक्ट, 1956 की धारा 17 के अंतर्गत वर्ष 1956 में हुई थी। जिसे 1962 में रिपील कर संसद में वेयरहाउसिंग कारपोरेशन एक्ट 1962 में इनैक्ट हुआ था। लगभग 43 साल के बाद हम लोग यह संशोधन विधेयक सदन में लाये हैं, जबकि यह पूर्व की सरकारों द्वारा इससे पहले लाया जाना चाहिए था। इस कारपोरेशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पाद को साइंटिफिक स्टोरेज प्रदान करना, बाद में कृषि क्षेत्र को यह सुविधा सस्ती दर पर उपलब्ध कराना एवं मुनाफे में वृद्धि करना था और सी.डब्ल्यू.सी. ने निश्चित रूप से अपने कार्य क्षेत्र का विसतार किया है तथा डाइवर्सिफाई करने का काम किया है। इस देश में मुख्य तौर पर 501 वेयरहाउस काम कर रहे हैं, जिनकी भंडारण क्षमता 104.35 लाख मीट्रिक टन है। हम लोग जब पिछले साल सरकार में आये थे तो मुझे याद है कि तब इस कारपोरेशन का पहला प्रजेन्टेशन हुआ था। उस समय श्री शरद पवार जी की सबसे बड़ी चिंता थी कि वर्ष 2001 में इस कारपोरेशन का प्रोफिट लगभग 90 करोड़ रुपये था, जो घटकर 22 करोड़ रुपये पर आ गया। उसके बाद हमारी सरकार ने कारपोरेशन के काम का ठीक ढंग से रिव्यू तथा मॉनिटरिंग की। मैं सभापति महोदया आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि एक साल के बाद हमारा मुनाफा पचास प्रतिशत बढ़ा है। पिछले वर्ष जहां यह 22 करोड़ रुपये था, आज वह प्रोफिट बढ़कर 37 करोड़ पर पहुंचा है।

आदरणीय त्रिपाठी जी की चिन्ता थी और सरकार की भी चिन्ता है कि कैसे हमारे किसान भाइयों की उपज का ठीक से रखरखाव किया जाए। हम आपको बताना चाहते हैं कि जहां सैन्ट्रल वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 2004 में हमारी सरकार बनने से पहले 60 प्रतिशत थी, वह आज 67 प्रतिशत तक पहुंचाने में हमें कामयाबी मिली है। जो स्टोरेज लॉस 0.38 प्रतिशत था, वह घटाकर 0.02 प्रतिशत तक लाने में हमें कामयाबी मिली है। सी.डब्ल्यू.सी. एक आई.एस.ओ. 9001, आई.एस.ओ. 14000 सर्टिफाइड ऑर्गनाइजेशन है, जिसे शैड्यूल बी मिनी रत्ना कैटैगिरी-I पब्लिक सैक्टर एन्टरप्राइज की श्रेणी में रखा गया है। जब तक यह संशोधन पास नहीं होता, मिनी रत्ना की जो सुविधाएं इस कंपनी और कार्पोरेशन को मिलनी चाहिए, वे नहीं मिल पा रही हैं। इसी उद्देश्य से हमारी सरकार यह संशोधन विधेयक इस सदन में लाई है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज ने समय-समय पर इस तरह के सुझाव दिये हैं, खासकर 1992 में कि फुल टाइम फंक्शनल डायरैक्टर्स बोर्ड में रखे जाएं, जैसे डायरैक्टर पर्सोनल, डायरैक्टर फाइनैंस एवं अन्य क्षेत्र जैसे प्रोडक्शन, मार्केटिंग, प्रोजैक्ट्स और प्लानिंग में भी रखे जाएं। इस विधेयक में ऐसे तीन फंक्शनल डायरैक्टर्स - डायरैक्टर फाइनैंस, डायरैक्टर पर्सोनल तथा डायरैक्टर मार्केटिंग एवं कार्पोरेट प्लानिंग का प्रावधान बोर्ड में किया जा रहा है। डिपार्टमैंट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज का दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह था कि गवर्नमैंट डायरैक्टर्स की संख्या बोर्ड की कुल सदस्यों की संख्या का 1/6 या 2, जो भी कम हो, उतनी रहनी चाहिए। तीसरा सुझाव उनके नॉन ऑफिशियल डायरैक्टर्स के बारे में था। इनकी संख्या बोर्ड के कुल सदस्यों की संख्या का कम से कम एक तिहाई होनी चाहिए। इसका चयन डिपार्टमैंट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज के माध्यम से पैनल तैयार करके किया जाएगा। पब्लिक सैक्टर एन्टरप्राइजेज मिनी रत्ना को और ऑटोनॉमी देने तथा प्रोफैशनल कार्य प्रणाली लाने के लिए डिपार्टमैंट ऑफ पब्लिक एन्टरप्राइजेज ने 1997 में यह निर्णय लिया कि वैसे पब्लिक सैक्टर एन्टरप्राइजेज जो लाभ में है, उनको और ऑटोनॉमी दी जाए एवं उन्हें और कंपीटीटिव एवं एफीशियेंट बनाया जाए, यदि किसी पी.एस.ई. का

[डॉ. अखिलेश प्रसाद सिंह]

पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में लाभ 30 करोड़ रुपये से अधिक हो तथा उसकी नैट वर्थ पॉजिटिव हो तो इन्हें और ऑटोनॉमी दी जाएगी। इसके तहत ये पी.एस.ईज बिना सरकार की एप्रूवल के कैपिटल एक्सपैंडीचर, जैसे नये प्रोजैक्ट्स, आधुनिकीकरण इत्यादि के लिए 300 करोड़ या अपने नैट वर्थ, जो भी कम हो, उतना खुद व्यय कर सकेंगे। ये पी.एस.ईज जॉइंट वैन्चर्स या सब्सीडियरीज भारत में स्थापित कर सकेंगे। पी.एस.ईज का इनवैस्टमैंट सौ करोड़ रुपये तक या नैट वर्थ का पांच प्रतिशत, जो भी कम हो, तक सीमित होगा। ऐसे सभी जॉइंट वैन्चर्स में कुल पी.एस.ई. की हिस्सा-पूंजी नैट वर्थ के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त अन्य मामलों में आटोनोमी दी जाएगी, परन्तु आटोनोमी देने के पूर्व कुछ शर्तें रखी गई हैं, जैसे इन पी.एस.ईज के बोर्ड को रिस्ट्रक्चर किया जाए तथा कम से कम तीन नॉन आफिशियल डायरेक्टर्स इनमें हों। इन्हीं शर्तों को पूरा करके सी.डब्ल्यू.सी. को और ज्यादा आटोनोमी देने और प्रोफेशनली मैनेज्ड एवं कम्पीटीटिव पी.एस.ई. बनाने हेतु यह अमेंडमेंट बिल सदन में सरकार ला रही है। धारा 7-8 में प्रासंगिक संशोधन का बिल में प्रावधान है। सभी बैंकों से ऋण लेने हेतु भी एक संशोधन लाया जा रहा है। पूर्व एक्ट में निहित प्रावधान के अनुसार वेयर हाउसिंग कारपोरेशन केवल आर.बी.आई. एस.बी.आई. तथा नेशनलाइज्ड बैंक्स अथवा इंश्योरेंस इंवेस्टमेंट ट्रस्ट अथवा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जो सैंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड हों, उसी से ऋण ले सकता था। उसमें संशोधन करके यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि सभी शेड्यूल्ड बैंकों से ऋण लेने में वेयर हाउस कारपोरेशन सक्षम हों। इसके लिए आर.बी.आई. तथा मिनिस्टरी के फाइनेंस बैंकिंग डिवीजन के साथ 25 अप्रैल, 2005 को बैठक कर सर्वसम्मति से संशोधन करने हेतु निर्णय लिया गया, जिससे वेयर हाउसिंग कारपोरेशन को कम्पीटीटिव ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध हो सके।

माननीय सदस्य श्री सेठ साहब ने वोलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम के बारे में जो सवाल उठाया है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि वर्ष 2001-02 के बाद कार्पोरेशन के फायदे में कमी आना निश्चित रूप से सरकार के लिए चिंता का विषय था। इस गिरावट को रोकने के लिए तथा कार्पोरेशन की प्रोफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें खर्च को कम करने के रास्ते को ढूंढना पड़ा। एस्टेब्लिशमेंट कास्ट, जो कि टोटल कास्ट का एक बड़ा हिस्सा था, को कम करने के लिए वर्ष 2002 में वोलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू की गई। इसका मतलब यह नहीं था कि सरकार ने जबरदस्ती किसी की छंटनी करने का काम किया है। वर्ष 2002 में वोलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम लागू होने के बाद 1301 कर्मचारियों ने वी.आर.एस. ओप्ट किया, जिससे वर्ष 2002-03 में जो एस्टेब्लिशमेंट कास्ट 65.39 परसेंट था, वह एस्टेब्लिशमेंट कास्ट घटकर 56.71 परसेंट हो गई। वी.आर.एस. वैसे भी उन क्षेत्रों में लागू की गई है, जहां कर्मियों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी। जहां तक कर्मचारियों द्वारा वी.आर.एस. लेने का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं कि यह कर्मचारियों का अपना फैसला है। उन्हें बाध्य नहीं किया गया और बाध्य किया भी नहीं जाएगा। नौकरी में बने रहने की तुलना में यदि उन्हें वी.आर.एस. लेना ज्यादा आकर्षित लगता है, तभी वह इस स्कीम को ओप्ट कर सकते हैं।

सभापति महोदया, श्री रामकृष्णा जी चले गए हैं, लेकिन उन्होंने जो सवाल उठाया था, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान में भंडारण की सुविधा पर्याप्त है। किसानों को अपने उत्पाद के भंडारण तथा सुरक्षित रखने के लिए लोने लेने की सुविधा देने हेतु एक बिल संसद के इसी सत्र में हम लाना चाहते थे, लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते वह बिल हम इस सत्र में नहीं ला पाए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संसद के अगले सत्र में निश्चित रूप से वह बिल आएगा। किसानों को 30 परसेंट सब्सीडी दी जाती है। किसानों को न केवल वेयर हाउस में अपना सामान रखने में सुविधा होगी, बल्कि उनका जो भी उपज का मूल्य होगा, उनको जो वेयर हाउस रिसीट मिलेगी, उस रिसीट के माध्यम से 80 परसेंट तक वे इंस्टीट्यूशन से लोन लेने में सक्षम होंगे।

सभापति महोदया, मैं बताना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): यह विधेयक कब आएगा?...*(व्यवधान)*

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: अगला सत्र जब भी चलेगा, तब आएगा।

सभापति महोदया, श्री के.एस. राव, माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने वर्ष 2001-02 में अधिक अनाज की उपज के कारण लगभग 6 लाख टन अनाज रखने के लिए 7 वर्षीय

गारंटी योजना के अंतर्गत गोडाउन्स बनवाए हैं। अब स्टॉक में कमी के कारण गोडाउन की ऑक्युपेंसी में थोड़ी कमी आई है। श्री लाल सिंह, माननीय सदस्य, जम्मू-कश्मीर से आते हैं, उन्होंने भी अपने प्रदेश के बारे में पूछा है। मैं बताना चाहता हूं कि पूरे देश में गोडाउन्स बनाने की 7 वर्षीय गारंटी योजना नहीं चल रही है, लेकिन उनकी स्टेट में अभी भी यह योजना चल रही है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अभी भी बिजनैस गारंटी योजना चल रही है। इस योजना के तहत वहां गोडाउन्स बनवा सकते हैं।...(*व्यवधान*)

चौधरी लाल सिंह: सभापति महोदया, मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मैंने गोडाउन्स बनवाने की बात नहीं की थी। मैंने प्रोक्योरमेंट करने के बारे में पूछा था। वह आप शुरू करा दें। गोडाउन्स तो हम बनवा लेंगे।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: चलिए, वह भी कराया जाएगा।

सभापति महोदया, श्री संतोष गंगवार जी ने एक सवाल पूछा था कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्टोरेज कैपेसिटी कंस्ट्रक्शन का लक्ष्य क्या था। मैं बताना चाहता हूं कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में 9.37 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य था, जिसे दिनांक 31-06-2006 तक निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाएगा। हमें आशा है कि यह कार्य लक्ष्य से एक वर्ष पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा।...(*व्यवधान*)

श्री संतोष गंगवार (बरेली): सभापति महोदया, मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैंने लेवी चावल की परचेजिंज केन्द्र सरकार द्वारा कराने का निवेदन किया था। इस समय राज्य सरकार द्वारा परचेजिंग की जा रही है। मेरा निवेदन है कि वह केन्द्र सरकार द्वारा की जाए।

[हिन्दी]

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: यह केवल आपके प्रदेश में नहीं है। एफ.सी.आई. भी प्रोक्योरमेंट का काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट्स भी प्रोक्योरमेंट का काम करती हैं। हमने पिछले साल प्रोक्योरमेंट पालिसी का डिसेंट्रिलाइजेशन किया था और सारी स्टेट्स से कहा था। इस योजना को 11 राज्यों ने ऑप्ट किया है। बाकी राज्यों से भी हमारा निवेदन है कि वे इसे ऑप्ट करें। उत्तर प्रदेश के लिए जो भी सुविधा प्रोक्योरमेंट के मामले में भारत सरकार की ओर से अपेक्षित है, हम निश्चित रूप से उसमें सहयोग करेंगे।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ मैं फिर से आप सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति व्यक्त की।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब प्रश्न यह है:

"कि भंडागारण निगम अधिनियम 1962 राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया: सभा अब विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 5 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 5 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदया: अब मंत्री महोदय प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

डा. अखिलेश प्रसाद सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदया: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: मद सं. 19 और 20 पर एक साथ विचार किया जाएगा। इसलिए, मैं समझती हूं कि सभा इससे सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य: जी, हां।

सभापति महोदया: अब, माननीय मंत्री सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

अपराह्न 5.45 बजे

रेल अभिसमय समिति के दूसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अनुमोदन के बारे में संकल्प

और

रेल (संशोधन) विधेयक, 2005

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व, आदि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने हेतु गठित रेल अभिसमय समिति (2004) के दूसरे प्रतिवेदन, जो 28-4-2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

सभापति महोदया: माननीय मंत्री रेल (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री आर. वेलु: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि रेल अधिनियम, 1989, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदया: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि यह सभा रेल उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व, आदि को देय लाभांश की दर की समीक्षा करने हेतु गठित रेल अभिसमय समिति (2004) के दूसरे प्रतिवेदन, जो 28-4-2005 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था, के पैरा संख्या 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46 में अंतर्विष्ट सिफारिशों का अनुमोदन करती है।"

"कि रेल अधिनियम, 1989, राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति महोदया, हम रेलवे से संबंधित जो लाभांश का मामला है तथा रेलवे की हजारों एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ विधेयक है, हम उसके उपयोग के बारे में चर्चा शुरू कर रहे हैं। जहां तक लाभ का प्रश्न है, लाभ का समुचित उपयोग राष्ट्रीय हित में हो सके, सिफारिशों के मुताबिक लाभांश राज्यों को भी मिले उसकी उपादेयता बढ़े और हम इसका राष्ट्र के लिए समुचित उपयोग कर सकें। जहां तक इस लाभांश को बढ़ाने का प्रश्न है, इसे बढ़ाया जा सकता है। उसके बारे में समुचित ढंग से विचार-विमर्श करके, समुचित कार्यविधि अपनायी जानी चाहिए ताकि उस लाभांश का हम अधिकाधिक दोहन कर सकें, उसका समुचित उपयोग कर सकें। रेलवे कंनवेंशन कमेटी की अन्य सिफारिशों पर भी पूरा विचार हो, उसका कार्यक्षेत्र बढ़े। इस संकल्प और विधेयक पर दूसरे सदन में चर्चा हो चुकी है, यह विधेयक और संकल्प वहां पारित हो चुका है तथा इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत हुआ है। संकल्प और विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। विधेयक और संकल्प देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन इनके दूरगामी प्रभाव और परिणाम होंगे। यदि हम उनको देखें तो कई विचारणीय प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। रेलवे से संबंधित, रेलवे के क्षेत्र में आने वाली जमीन हजारों एकड़ है, लगभग 43 हजार हेक्टेयर जमीन है जो रेलवे की सम्पत्ति मानी जाती है। मेरा निवेदन है कि जिस शब्दावली का इसमें उपयोग किया गया है, उसमें कहा गया है कि जो रेलवे की सम्पत्ति हो, जिस पर रेलवे का हक हो और जिसमें रेलवे का हित हो, मुझे इस पर आश्चर्य है कि "जिसमें रेलवे का हक हो", हित हो अगर मेरा किसी जमीन में इंटरेस्ट है, भले ही वह मेरी जमीन नहीं है, तो मैं उस जमीन को अपनी कैसे मानूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस शब्दावली को देखें और विचार करें। जिसमें रेलवे का हित हो - रेलवे का हित उस दृष्टि से नहीं है कि हम उसका व्यवसायीकरण करके उसमें व्यवसाय लगाएं, रोजगार खोलकर, होटल खोलकर या किसी को लीज पर देकर उसका उपयोग करें। इसका उद्देश्य यह नहीं है। लेकिन किस प्रकार से आय अर्जित की जा सकती है?

दूसरे, इसमें कुछ मानवीय पहलू भी जुड़े हुए हैं। मानवीय पहलू से मेरा तात्पर्य है कि रेलवे की हजारों एकड़ जमीन पर कब्जे हैं, आप उन्हें अनधिकृत कह सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वर्षों से, पांच-छः वर्षों से नहीं बल्कि 50-60 वर्षों से या उससे भी पहले से उन जमीनों पर कब्जे चले आ रहे हैं। उन पर भवन और व्यवसायिक संस्थान खड़े हुए हैं। हजारों एकड़ जमीन पर गरीबों, दलितों और निःसहायों के मकान बने हुए हैं। आखिर आप उनको क्यों बेदखल करने जा रहे हैं। आज उनके पास रोजी-रोटी के साधन नहीं हैं, मकान के साधन

नहीं हैं। जो दलित हैं, पिछड़े हैं, जिनके पास आज किसी प्रकार के साधन नहीं हैं, वे जैसे-तैसे वहां अपना आश्रय बनाकर रह रहे हैं। इस प्रकार जमीन लेकर आप उन्हें विस्थापित करने जा रहे हैं। विस्थापन की दशा में किस प्रकार कार्यवाही करेंगे, यह भी विचारणीय प्रश्न है क्योंकि यह मानवीय पहलू है और इससे हजारों लोग विस्थापित हो सकते हैं या होंगे, कृपया इस बारे में भी देखें।

आपने इस विधेयक में दो-तीन बातें कही हैं, मैं उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस विधेयक में आपने आगे कहा है कि एक प्राधिकरण बनाया जाएगा। आपने प्राधिकरण की शक्तियों के बारे में भी उल्लेख किया है कि उसकी पावर्स क्या होंगी? यह बताते हुए पावर्स असीमित दी गई हैं। प्राधिकरण जो चाहे कर सकता है, इसकी भाषा से इस तरह प्रतीत होता है। प्राधिकरण अगर चाहे तो जमीन देने के लिए ग्लोबल टैंडर भी आमंत्रित कर सकता है। इसमें शब्द उपयोग किया गया है - भूमि और सम्पत्ति के विकास के संबंध में भारत या विदेश में - भारत में ही बहुत परामर्शदाता हैं, आप विदेश से परामर्श करेंगे, भारत में बहुत सारे बिल्डर्स मिल जाएंगे, विदेशी बिल्डर्स से क्या ग्लोबल टैंडर कॉल कर उनका उपयोग करेंगे। इस दृष्टि से इसका दुरुपयोग करने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसे ठीक कीजिए।

इसमें आगे कहा गया है कि केन्द्र सरकार जो करार करेगी। कई माननीय सदस्यों ने दूसरे सदन में भी इस बारे में प्रश्न उठाए हैं। मैं यहां उनका उल्लेखमात्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि क्या जमीन रेलवे की है, इसे आप किस प्रकार रेलवे की सम्पत्ति कहते हैं। रेलवे के पास जो जमीनें हैं, वह राज्य सरकार या पूर्ववर्ती सरकारों द्वारा दी गई जमीनें हैं, आपकी अपनी जमीनें नहीं हैं। बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जिन्हें आपने अधिग्रहित किया है, पैसा दिया है, लेकिन बहुत सी जमीनें ऐसी हैं जिनका पैसा भी नहीं दिया और उन पर जबरन कब्जा कर रखा है। इस बिल के आने से जबरन कब्जे को भी अपना मानकर आप लोगों को विस्थापित कर देंगे। कृपया इसे स्पष्ट करें।

मैंने कहा कि यह बिल दिखाने में बहुत सरल और सहज लगता है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। कृपया इसे देखें। मैं जानता हूं कि इस बारे में स्थायी समिति में विचार हुआ है और रेलवे की स्थायी समिति ने भी इसे गंभीरता से विचार लिया होगा। फिर भी सदन को अधिकार है कि स्थायी समिति द्वारा किए गए विचार पर पुनः विचार करे और यदि कोई कमी है, तो उसके बारे में निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्षित करे। मैं इस दृष्टि से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

यह बात ठीक है कि रेलवे की आय के अन्य स्रोतों में आप एक नई आय का स्रोत जोड़ रहे हैं। लेकिन आप एक तरफ कहते हैं कि हम रेलवे का विस्तार करना चाहते हैं, कुछ दिन पहले रेल मंत्री जी का वक्तव्य था कि हम मुम्बई और दिल्ली के मध्य एक नई रेलवे लाइन डालना चाहते हैं, तीसरी लाइन डालेंगे ऐसे तो दिल्ली और चेन्नई के बीच रेलवे लाइन डालना चाहते हैं, तीसरी रेलवे लाइन के लिए अन्य जमीन कहां से आएगी। वह यही जमीन है, जो जमीन आप ले रहे हैं, उसका उपयोग व्यवसाय के लिए करेंगे, दूसरे धंधे खोलेंगे, बड़े-बड़े फाइव स्टार होटल खोलेंगे या तीसरी लाइन डालेंगे, कृपया इसे स्पष्ट कीजिए कि आखिर आप क्या करने जा रहे हैं। आप या तो तीसरी रेलवे लाइन डालना नहीं चाहते, आपने दिल्ली-चेन्नई के मध्य रेलवे लाइन डालने की जो बात कही है, वह निरर्थक है, केवल आश्वासन मात्र या घोषणा मात्र है। मुम्बई और दिल्ली के मध्य रेलवे लाइन की बात भी घोषणा मात्र है या दिल्ली और पटना के मध्य रेलवे लाइन की बात हो सकती है या और भी जहां-जहां तीसरी लाइन डालने या विस्तारित किए जाने की योजना है उसे भी इसके साथ देखा जाना चाहिए।

आप दिल्ली, मुम्बई या बड़े-बड़े शहरों में देखिए। पहले तीन प्लेटफार्म थे, फिर चार बने, छः बने, सात बने, दस बने, बारह बने और बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, जहां आपने दूसरे और टर्मिनल्स कायम किए, उनकी हालत इतनी खराब है कि वे बढ़ते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के आस-पास जो इतनी भूमि पड़ी हुई है, उसका भी उपयोग हो रहा है, क्योंकि जैसे-जैसे आप यात्री गाड़ियों का विस्तार कर रहे हैं, यानी यात्री गाड़ियों में लगने वाले सवारी डिब्बों का विस्तार कर रहे हैं, प्लेटफार्म का विस्तारीकरण हो रहा है और जो जमीनें आपको खाली दिखती थीं, उनमें लम्बे प्लेटफार्म बनते जा रहे हैं, वह जमीन रेलवे के काम आ रही है, उससे और कौन से आय के स्रोत बनाने जा रहे हैं। यह बहुत ज्यादा कॉमप्लीकेटेड बिल है, सामान्य बिल नहीं है। कृपया इस बारे में विचार करेंगे और अपने भाषण के समय इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसा मैंने अभी कहा कि आपकी जो जमीन है, जो राज्य सरकारों द्वारा आपको दी गयी है या राज्य सरकारों से आपने किसी प्रकार से प्राप्त की है, उस जमीन के बारे में आज आपकी किस प्रकार की स्थिति है?

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय]

मैं एक बात की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आप व्यावसायीकरण की जो बात कर रहे हैं, हजारों एकड़ ज़मीन की बात कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसी जमीनें हैं जो रेलवे की है ही नहीं। वह जमीन या तो निगमों को स्थानांतरित हो चुकी है या दूसरे कार्यों के लिए दी जा चुकी है। आपने 43 हजार हेक्टेयर के जो आंकड़े दिये हैं, उसमें आपने ऐसी जमीन को भी शामिल कर दिया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस देखिये।

आपने बिल की धारा चार में प्राधिकरण की बात कही है। धारा चार के 'ग' भाग में कहा गया है कि इसकी क्या प्रक्रिया होगी - हम विहित रीति में आगे चलकर बनायेंगे, नियमों में विहित करेंगे, नियमों में जोड़ेंगे, नियम आगे चलकर बनेंगे, इसका वाणिज्यिक उपयोग किस प्रकार से होगा, आदि। इस वाणिज्यिक शब्द के उपयोग को थोड़ा स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्राधिकरण उसे स्वयं करेगा? इस प्राधिकरण की स्थिति क्या होगी? इस प्राधिकरण में आप जिन लोगों को लेने वाले हैं, जिन लोगों को नियुक्तियां देने वाले हैं या नाम निर्दिष्ट करने वाले हैं, उनका कार्यकलाप किस प्रकार का होगा, उनका नियंत्रण किस प्रकार से होगा, इन सबके बारे में आप विचार करके हमें अपने उत्तर में बतायें। उसकी पारदर्शिता के बारे में भी स्पष्ट करें।

कुछ समय पहले मंत्री जी ने एक उत्तर दिया था, जिसमें कहा गया था कि रेलवे के अंदर डीजल की खपत काफी बढ़ रही है। कुछ दिन पहले जब यहां पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की बातचीत चल रही थी, उसमें एक सुझाव आया था कि रतनजोत को काफी बड़ी मात्रा में पैदा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ राज्य तथा अन्य कुछ राज्यों में उसका उत्पादन शुरू हो चुका है। क्या रतनजोत के उत्पादन को, जिससे आप जमीन का विकास करना चाहते हैं, आय का स्रोत बनाना चाहते हैं, क्या रेलवे के सामांतर रूप से इसे लगाकर, हमारी डीजल की जो कमी है, उसके सामांतर दूसरे उत्पादन द्वारा पूरा करने का आप निश्चय ही नहीं कर सकते, बजाय इसके कि आप वाणिज्यिक उपयोग करें। इस प्रकार का उपयोग करने से आपकी जो आवश्यकता है, उसकी आप पूर्ति कर सकेंगे और एक सामांतर ईंधन व्यवस्था कायम कर सकेंगे ताकि आपको आगे चलकर कठिनाई पैदा न हो। मैं चाहता हूं कि आप इन सारी बातों पर विचार करके उन्हें अपने उत्तर में बताने की कृपा करें।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि जहां रेलवे के बारे में मंत्रालय की तरफ से यह कहा जाता है कि हमारे ऊपर सोशल आब्लीगेशन है, यानी हमारा सामाजिक दायित्व है। इस सामाजिक दायित्व को निभाने की दृष्टि से भले ही हमको गुड्स. में लाभ हो, लेकिन यात्रियों को ढोने में कभी-कभी हम घाटा भी भुगतते हैं, लेकिन हम उधर से लाभ ले रहे हैं। सामाजिक दायित्व निभाने की दृष्टि से क्या उन गरीब, दलित, पिछड़े वर्ग या जो लोग बेरोजगार हैं, उनकी तरफ भी देखते हैं? एक तरफ हम रोजगार गारंटी विधेयक लाकर, उसको विधान बनाकर रोजगार की गारंटी देने की बात करते हैं चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो या ग्रामीण क्षेत्र में हो, हम उन नौजवानों को, जो असहाय हैं, रोजगार हीन हैं, उनको रोजगार देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम उन लोगों को बेसहारा करने की बात कर रहे हैं जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, क्या इसमें आपका सामाजिक दायित्व नहीं आता है? इस सामाजिक दायित्व को निभाने की दृष्टि से आपने इस बारे में क्या विचार किया है? उनके विस्थापन को लेकर, आप किस प्रकार से उनको स्थापित करने का कार्य करेंगे या उनके बारे में कौन सा विचार रखते हैं आदि, कुछ शंकाएं हैं, उन शंकाओं का निराकरण हम आपसे करवाना चाहते हैं।

जैसा मैंने प्रारंभ में कहा कि लाभ और लाभांश के बारे में, आपने रेलवे डिवीडेंड की बात की है, रेलवे कन्वेंशन कमेटी की जो सिफारिशें हैं, उसकी सिफारिशों में जो बातें कही गयी हैं, उसके अनुरूप क्या आप कार्रवाई करेंगे, जिससे कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों का हित हो।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं आपसे पुनः निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल को आप एक बार फिर देखिये और इसे जल्दबाजी में पास मत कीजिए। अगर आपको बिल लाना है तो एक कम्प्रीहैन्सिव बिल, समेकित बिल लाइये ताकि इन सब बातों पर सही तरीके से विचार हो सके। हम जल्दी में इस बिल को लाकर और प्राधिकरण की स्थापना करने से कार्य नहीं कर पायेंगे। हमने बहुत सारे प्राधिकरण स्थापित किये हैं। आप प्राधिकरण स्थापित करने की परम्परा छोड़िये और निश्चित रूप से एक ऐसा समेकित बिल लाइये जिसके अन्तर्गत इन सभी बातों का समावेश हो सके और हमारी जो शंकाएं हैं, उनका निराकरण हो सके। चूंकि ये सामान्य बातें नहीं हैं, आप इस प्राधिकरण को असीमित शक्तियां देने जा रहे हैं, उनके कार्यकलाप के बारे में, उनके नाम निर्देशन के बारे में, नियम बनाने की प्रक्रिया निहित करने और ट्रांसपेरेंट बनाने के बारे में

कि वह कितना पारदर्शी होगा, यह स्पष्ट होना चाहिए।

सायं 06.00 बजे

उसके कार्यकलाप के बारे में आपने कोई निर्णय नहीं दिया है। कृपया इन सब व्यवस्थाओं के बारे में आप स्पष्ट करने की कृपा करेंगे तो मैं समझता हूं कि इस विधेयक का सही लाभ हो सकेगा और जिस मूल उद्देश्य से यह बिल लाया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी अन्यथा मूल उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में यह बिल आधा-अधूरा है या अपूर्ण है।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब छह बज चुके हैं। यदि सभा की सहमति हो तो मैं इस चर्चा को जारी रखने के लिए समय बढ़ा सकती हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: सभापति महोदया, कल चर्चा कराइए। अब जीरो ऑवर ले लीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: ठीक है। लेकिन मैं विशेष उल्लेख के लिए सभा की बैठक का समय बढ़ा रही हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे जो सिख समुदाय के लोग हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, उनका धार्मिक पहनावा पगड़ी है और यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। कनाडा में पगड़ी पहनने पर रोक लगा दी गई है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और कहा गया है कि वे हैलमेट पहनेंगे। सिख समुदाय के जो भाई हैं, उनके धर्म में हैलमेट पहनना अशुभ माना जाता है या कोई ऐसी परम्परा नहीं है कि वे हैलमेट पहनें। चूंकि यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मामला है कि जब हमारे सिख भाई के यहां इकलौता लड़का, पहला बच्चा होता है तो यह धार्मिक भावना से जुड़ी हुई बात होती है और पगड़ी, कृपाल, कड़ा इत्यादि चीजें जो होती हैं, उनसे जोड़कर इसे पहनावे के रूप में धार्मिक भावना से जोड़ा जाता है। इस विषय में कनाडा के जो तमाम रेलवे अधिकारी और रेलवे कर्मचारी हैं, विशेषकर उनके ऊपर रोक लगाई गई है। एक बार जब हमारे सिख सैनिक जो वहां हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया था तो कनाडा और लंदन की सरकार को झुकना पड़ा था और विवश होकर पगड़ी पहनने दिया गया था। इसलिए मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार और भारत सरकार से कहना चाहूंगा कि इस ओर भारत सरकार ध्यान दे। कनाडा और लंदन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे हमारी सरकार बात करे। यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ मसला है, सिखों का पगड़ी पहनना बरकरार रहे जिससे उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): सभापति महोदया, मैं श्री शैलेन्द्र कुमार द्वारा उठाए गए इस विषय के साथ स्वयं को संबद्ध करता हूं।

सभापति महोदया: ठीक है। आप अपने को इसके साथ संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): सभापति महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र सम्भाजीनगर (औरंगाबाद) में साइबर क्राइम से जुड़ी एक बड़ी घटना का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है और लगभग 5-6 महीने के परिश्रम के बाद क्राइम ढूंढ़ निकाला है। शहर की लगभग 250 लड़कियों के विकृत अश्लील छाया चित्र yahoo.com पर पाए जाने से इस संबंध में शहर में हड़कम्प मच गया है। सारे इलैक्ट्रॉनिक माध्यम और न्यूज पेपर में, महाराष्ट्र में और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में यह खबर आई है। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि 250 में से एक छाया चित्र सी.ई.डी.टी. नामक सरकारी संस्था में उपलब्ध सुविधाओं का दुरुपयोग कर अपलोड किया गया है, ऐसा आरोप है। वहां के सी.ई.डी.टी. संस्था के कुछ बच्चों ने या कर्मचारियों ने या किसी ने रात भर काम करने के बाद पूरे अश्लील छाया चित्र yahoo.com से निकाले गये हैं।

सभापति महोदया, मैं पहले भी सदन में इस तरह के साइबर क्राइम्स को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग की थी लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसे रोकने के लिए सख्त कानून बनाने और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। इस तरह के साइबर क्राइम्स को रोकना आवश्यक है। साइबर क्राइम्स अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय ऑफेन्स हैं। इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय वेबसाइट्स

[श्री चंद्रकांत खैरे]

की प्रतिदिन मॉनीटरिंग की जानी चाहिए और जो विषय भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं हैं या जो संदिग्ध हैं, उन्हें तुरन्त ब्लॉक कर देना चाहिए।

महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय गृहमंत्री जी और माननीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन सारी चीजों पर निगरानी रखने के लिए एक संस्था की स्थापना करनी चाहिए, जो साइबर क्राइम्स को इमिडिएटली कैच कर सके। यह एक बड़ी घटना है, जिसमें 250 लड़कियों के अश्लील चित्र आए हैं। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि ऐसी संस्था की स्थापना करके, उस संस्था के माध्यम से वेबसाइट्स और जो साइबर कैफे एवं इन्टरनेट कैफे चलते हैं, उन पर नजर रखकर, साइबर क्राइम को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं। ऐसे अश्लील चित्र वेबसाइट्स पर न दिखाए जा सकें, उसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

सी.डी.टी. एक उपयोगी और अच्छी संस्था है, इसे बनाए रखा जाए। इसमें देश भर से लोग आते हैं, बच्चे आते हैं। सी.डी.टी. महाराष्ट्र में एकमेव ऐसी संस्था है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि सी.डी.टी. में केवल महाराष्ट्र के ही बच्चों को प्रवेश दिया जाए ताकि बाहर से आने वाले अन्य बच्चों के माध्यम से कोई साइबर क्राइम न फैल सके और साइबर क्राइम्स पर कंट्रोल किया जा सके।

इसके साथ ही मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस घटना की जांच होनी चाहिए।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर): सभापति महोदया, मैं आपका ध्यान छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले की अर्पा भैसा झाल सिंचाई परियोजना की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो पिछले लगभग 10 वर्षों से लम्बित है। बिलासपुर जिले के ग्राम सकरी में सिंचाई विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक कालोनी का भी निर्माण किया जा चुका है और इन कामों में अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस परियोजना से लगभग एक लाख किसान लाभान्वित होंगे और लगभग पांच लाख हेक्टेअर कृषि भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इस परियोजना के बनने से किसानों को लाभ मिलेगा। उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ रहा है और पानी की कमी की वजह से किसानों की हालत जर्जर हो चुकी है। इस परियोजना के बनने से सिंचाई क्षेत्र में तख्तपुर विधानसभा क्षेत्र, नागपुर जिले के जरहागांव, बिलासपुर जिले के सकरी गांव क्षेत्र, बिलहा क्षेत्र आदि के किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी।

अतः मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि बिलासपुर जिले के अर्पा भैसा झाल सिंचाई परियोजना, जो कई वर्षों से केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए विचाराधीन है, को अविलम्ब स्वीकृति दी जाए जिससे किसानों के हितों में यह योजना पूरी हो सके और किसानों को लाभ मिल सके।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): सभापति महोदया, आपका धन्यवाद। मैं आपका ध्यान सैनिक नर्सिंग अधिकारी वर्ग के उन 3,500 अधिकारियों के साथ किए जा रहे विभिन्न प्रकार के भेदभाव, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना, परेशानियों और बेइज्जती से संबंधित गंभीर और अतिमहत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जो घायल और बीमार सैनिकों तथा उनके परिवार के सदस्यों को 78 वर्षों से, इसकी शुरुआत के दिन से ही, प्रशंसनीय सेवा प्रदान कर रहे हैं।

सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनको इस संबंध में महामहिम राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक पार्चमेंट प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। उनकी नियुक्ति एक अखिल भारतीय चयन प्रवेश परीक्षा तथा भारतीय सेना के अन्य अधिकारियों के समकक्ष एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद की जाती है। उन पर सैनिक नर्सिंग सेवा अध्यादेश, 1943, सैनिक नर्सिंग सेवा नियम, 1944 और रक्षा सेवा विनियम लागू होता है।

इन सभी तथ्यों के बावजूद सैनिक प्राधिकारी नर्सों को अधिकारी मानने से इनकार करते हैं। वे जानबूझकर विरोधाभाषी पत्रों तथा बयानों को परिचालित कर सशस्त्र कार्मिकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं जो कुछ सैनिक चिकित्सा अधिकारियों की पक्षपातपूर्ण सोच को दर्शाता है।

उनके बीच पैदा की गई इस प्रकार की भ्रम की स्थिति का उपयोग कुछ चुने हुए अधिकारियों के विरुद्ध उनके साथ भेद-भाव करने, उन्हें परेशान करने तथा उन्हें नीचा दिखाने तथा उनको उनके उचित हक और अन्य सुविधाएं न देने के लिए किया जाता है। ऐसा देखा गया है कि एम.एन.एस. को सैनिक अधिनियम, 1950 में सम्मिलित नहीं किया गया है जो भेद-भाव का कारण बना हुआ है।

लेकिन इस सैनिक अधिनियम का उपयोग कुछ चुने हुए लोगों के विरुद्ध उनको दंडित करने तथा अनुशासित करने के लिए किया जाता है न कि उनको विशेषाधिकार देने के लिए।

यह भेदभाव वर्दी में बदलाव से लेकर वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन के संशोधित प्रारूप को जबरन पेश करवाने तक होता है। इसके अतिरिक्त सैनिक नर्सिंग सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी अर्थात, एम.एन.एस. के अपर महानिदेशक तक को अपने सरकारी वाहन में स्टार प्लेट या ध्वज लगाने की अनुमति नहीं दी जाती। इसलिए, महोदया, इन सैनिक नर्सिंग अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का निवर्हन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि सैनिक नर्सों को अपमानित करने की घटनाएं भी हुई हैं। समाचार पत्रों में अनेकों ऐसी रिपोर्टें आई हैं।

इस तथ्य को देखते हुए एम.एन.सी. के उच्च अधिकारी ही पूरे एम.एन.एस. संवर्ग को धमकाने और डराने की पीछे है। मेरा निवेदन है कि एम.एन.एस. के नर्सिंग अधिकारियों, जिसमें एम.एन.एस. की नर्सिंग सेवा के अपर महानिदेश, जो इस सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी है और इस सेवा के प्रमुख हैं भी सम्मिलित हैं, की शिकायतों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच के लिए रक्षा मंत्री स्वयं जांच करें और एम.एन.एस. अधिकारियों की शिकायतों - या प्रार्थनाओं - का यथाशीघ्र समाधान किया जाए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदया, केरल विधान सभा ने सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया है जिसमें केन्द्र सरकार से त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना के लिए अनुरोध किया गया है। वहां यह पीठ बहुत पहले से कार्य कर रही थी लेकिन मुख्य न्यायाधीश के एक निर्देश के तहत इसे बंद कर दिया गया। अब केरल के मुख्यमंत्री ने भी त्रिवेन्द्रम में एक पीठ की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार को लिखा है।

त्रिवेन्द्रम ही एकमात्र ऐसी राज्य-राजधानी है जहां पर उच्च न्यायालय की पीठ नहीं है। यह कहा जा सकता है कि तमिलनाडु और कर्नाटक में अलग-अलग पीठों की स्थापना की स्वीकृति मिल गई थी मुदुरै में मद्रास उच्च न्यायालय का पीठ तथा हुबली में कर्नाटक उच्च न्यायालय का पीठ। यह केन्द्र सरकार की स्वीकृति के तहत हुआ। इसलिए यह न्यायोचित और सही है कि त्रिवेन्द्रम में केरल उच्च न्यायालय की एक पीठ की स्थापना की जाए। यह केवल पुनः चालू करने की बात है। वहां पूर्व में भी पीठ काम कर रही थी। इसके लिए अलग से किसी वित्तीय प्रतिबद्धता की जरूरत नहीं है।

इसलिए, केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर गंभीरता से विचार करे और आदेश जारी करे।

इसका कारण है कि केरल सरकार सभी खर्चों को वहन करने के लिए तैयार है। केन्द्र सरकार से मेरा विनम्र निवेदन तथा मांग है कि वह त्रिवेन्द्रम में उच्च न्यायालय की पीठ की स्थापना की दिशा में तत्काल कदम उठाये। ऐसा करके केन्द्र सरकार कोई वित्तीय प्रतिबद्धता की वचन नहीं दे रही है। इसलिए मैं सोचता हूं कि वह केरल विधान सभा तथा सरकार के अनुरोध पर तत्काल कार्रवाई करेगी।

[हिन्दी]

सभापति महोदया: श्री किशन सिंह सांगवान, आप संक्षेप में अपनी बात कहें, क्योंकि ड्राउट पर सदन में पहले ही डिसकशन हो चुका है।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): सभापति महोदया, मैं एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वैसे तो उत्तर भारत के कई प्रदेशों में, लेकिन हरियाणा में खासकर सूखे की भयंकर स्थिति है। मानसून सैशन में हमें उम्मीद थी कि बरसात होगी, लेकिन वह नहीं हुई। प्रदेश सरकार गूंगी, बहरी है और सो रही है। वहां पानी नहीं मिल रहा है, पशु प्यासे हैं, बिजली का इतना बुरा हाल है कि हमने अपनी जिंदगी में इतना बुरा हाल नहीं देखा। किसान मर रहा है, उसकी सारी फसल सूख गई है। गन्ना, जीरी, ज्वार, बाजरा आदि सब फसलें पीली पड़ गई हैं और उनमें बीमारियां लग गई हैं। हरियाणा सरकार तो गूंगी-बहरी है, वह सिर्फ अपने स्वागत अभिनन्दन में ही लगी हुई है। उसे जनता से कुछ लेना-देना नहीं है। बिजली नहीं होने के कारण ट्यूबवैल्स फेल हो गए हैं। इसके अलावा हमने एक और चीज देखी कि हरियाणा में मच्छरों का प्रकोप बहुत हो गया है। उनकी सारे प्रदेश में भरमार हो गई है।

सभापति महोदया: ड्राउट का विषय आपने दिया था। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

श्री किशन सिंह सांगवान: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पूरे हरियाणा प्रदेश को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाए। इसके अलावा केन्द्र से एक टीम वहां जाए और सर्वे करे, जिससे किसानों को उचित मुआवजा मिले, नहीं तो किसान बर्बाद हो जाएंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: अब श्री जी. करुणाकर रेड्डी बोलेंगे। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

***श्री जी. करुणाकर रेड्डी** (बेल्लारी): सभापति महोदया, मेरे चुनाव क्षेत्र, बेल्लारी, में रसोई गैस की भारी कमी है। इस कमी के कारण हमारी बहनों, विशेषकर गृहणियों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनको रसोई गैस की आपूर्ति के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। 2004 तक बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र में इस प्रकार की कोई कमी नहीं रहती थी। अब अचानक इस संकट ने पूरे चुनाव क्षेत्र में सभी परिवारों के समक्ष संकट खड़ा कर दिया है। इसलिए मैं माननीय प्राकृतिक गैस मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे चुनाव क्षेत्र में समय-समय पर पर्याप्त मात्रा में रसोई गैस उपलब्ध कराकर गृहणियों की मदद करें।

महोदया, एक और महत्वपूर्ण मामला उर्वरकों की कमी का है। कर्नाटक के बेल्लारी जिले के किसान बार-बार उचित मात्रा में उर्वरकों की आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, केन्द्र सरकार अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं और इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य है कि हम उन्हें इस संकट से उबारें।

इसलिए, मैं माननीय केन्द्रीय उर्वरक मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे बेल्लारी क्षेत्र के किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध करायें।

बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र में किसानों को उर्वरकों की कमी तथा वहां रहने वाले लोगों को रसोई गैस की कमी के संबंध में यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया इसके लिए आपका धन्यवाद और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिंदी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): सभापति महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र अलवर के बहरोड़ उपखंड पर गत 32 वर्षों से चल रही ट्रक यूनियन को फैक्ट्री मालिकों तथा स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत व साजिश के अंतर्गत तोड़ा जा रहा है।

सभापति महोदया, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर बसे बहरोड़ उपखंड के किसानों की जमीनें औद्योगीकरण के लिए अधिग्रहित की गयी थीं। बहरोड़-नीमराणा के औद्योगिक क्षेत्र के लिए अपनी जमीनें अधिग्रहित हो जाने से मुआवजे में मिली राशि से वहां के छोटे किसानों ने ट्रक लेकर अपने रोजगार चालू किये। ये ट्रक मालिक स्वयं किसान थे जिनके बेटे ट्रक चलाते हैं और खलासी का काम करते हैं और अपनी यूनियन बनाकर उन्होंने स्थानीय फैक्ट्रियों के साथ एक समझौता किया था कि उन फैक्ट्रियों से सारा माल ट्रक यूनियन वाले लेकर के जायेंगे और यह काम पिछले 20-25 वर्षों से शांतिपूर्ण चल रहा था, लेकिन गत दो माह से फैक्ट्री मालिकों और प्रबंधन ने पुलिस प्रशासन के प्रभाव से ट्रक यूनियन को तोड़ने का काम किया है। पुलिस के पहरे में दिल्ली और हरियाणा की बड़ी-बड़ी ट्रक कंपनियों के ट्रक इन फैक्ट्रियों से सामान लदाकर लेकर जाते हैं और स्थानीय ट्रक मालिक बेरोजगार होकर देखते रहते हैं और विडम्बना यह है कि दिल्ली और हरियाणा की इन बड़ी-बड़ी ट्रक कंपनियों को स्थानीय ट्रक यूनियन से अधिक भाड़ा दिया जा रहा है। उदारीकरण के नाम पर गरीब किसानों की जमीनें फैक्ट्रियों के लिए अधिग्रहित हो गयीं और इन फैक्ट्रियों में न तो स्थानीय बेरोजगारों को नौकरी दी जाती है और खेती छोड़कर ट्रक का रोजगार करने वाले भी अब बेरोजगार हो रहे हैं। स्थानीय प्रशासन ने एक ऐसी मंशा बना ली है कि यूनियन शब्द को ही डिक्शनरी से हटा दिया जायेगा, ऐसी मानसिकता रखने वाला प्रशासन राज्य में है। आपसे मेरा निवेदन है कि यहां के श्रम मंत्री जी इस पर ध्यान दें और जायज यूनियन एक्टीविटी को पनपने दें और बेरोजगारी न बढ़े, इसलिए वहां की ट्रक यूनियन को यथासंभव बनाकर रखें जिससे कि इन ट्रक मालिकों को, जो कि बड़े कारपोरेशन वाले नहीं हैं, ट्रक इन्होंने अपनी जमीन बेचकर खरीदा है, उसका एक बेटा खलासी है और दूसरा बेटा ड्राइवर है, उनको रोजगार मिलता रहे, यही आपसे प्रार्थना है।

श्री सुरेश चन्देल (हमीरपुर, हि.प्र.): सभापति महोदया, मैं सरकार का ध्यान भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब हिमाचल प्रदेश में चार राष्ट्रीय राजमार्गों को बनाने की बात हुई थी, और उनके विकास के लिए ध्यान भी दिया गया, लेकिन तब से उन राजमार्गों के उन्नयन के क्षेत्र में जो प्रगति होनी चाहिए थी वह ठीक ढंग से नहीं हो रही है और इस कारण यहां बहुत से

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

लोगों को सफर करना पड़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में रेलों का समुचित विकास नहीं हुआ। आजादी के बाद से अब तक केवल एक ब्राडगेज लाइन बनी है, जो अभी तक कम्पलीट नहीं हुई है इसलिए वहां केवल सड़कों द्वारा यातायात का काम होता है। सड़कों के महत्व को देखते हुए ही पिछली सरकार ने वहां राजमार्ग बनाने की घोषणा की थी।

महोदय, इसी राजमार्ग संख्या 21 के नजदीक 800 मेगावाट की कोल डैम जल विद्युत परियोजना बनी है। वहां बड़ी मशीनरी जाती है, लेकिन वहां जो घाघस नामक स्थान पर पुल है, वह बहुत जर्जर अवस्था में है, टेक्नीकल दृष्टि से वह ठीक स्थिति में नहीं बताया गया है। मेरा सरकार से निवेदन है कि उस पुल को जल्दी बनाने की आवश्यकता है अन्यथा वहां कोई बड़ा हादसा घट सकता है। इसके अलावा जो पिंजौर-स्वारघाट मार्ग है, उस नेशनल हाईवे की हालत तो कच्ची सड़क से भी खराब है। उस पर बिलकुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा निवेदन है कि उस सड़क के ऊपर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। मेरा एक निवेदन यह भी है कि हिमाचल में अंतर्राज्यीय महत्व की जो सड़के हैं, हिमाचल सरकार ने उन सड़कों के लिए सैन्ट्रल रोड फंड से धन देने का आग्रह किया है। ऊना से होशियारपुर सड़क, नंगल-ऊना-मुबारकपुर-तलवाड़ा सड़क, थाना गल्ला मण्डी-भाखड़ा नांगल सड़क और ज्वालामुखी-देहरा-नैहरन-पुखर-परागपुर-पुलवा सड़क, इन सड़कों के महत्व को देखते हुए भी धन देने की मांग की गई है। मेरा निवेदन है कि सरकार इसे ध्यान में रखे, वहां बड़े हवाई अड्डे नहीं होने के कारण, रेलों का अधिक विकास न होने के कारण, इनको अधिक महत्व देकर सरकार अनुग्रहित करे। धन्यवाद।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र सागर, मध्य प्रदेश के पास आगासौत में स्थापित होने वाली बीना रिफाइनरी, जो भारत और ओमान के सहयोग से स्थापित की जा रही है, उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। एन.डी.ए. सरकार के समय इसे एनओसीज प्रदान की जा चुकी थीं, चाहे वह केन्द्रीय पर्यावरण विभाग की हों, गुजरात सरकार की हों या समुद्रतटीय पर्यावरण की स्वीकृति हो, सारी एनओसीज उस समय प्रदान की जा चुकी थीं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी इस संबंध में सभी तरह के सहयोग का आश्वासन दिया जा चुका है। पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री की मुम्बई में भारत पेट्रोलियम के अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा सभी तरह का सहयोग देने का आश्वासन दिया गया। पिछले दिनों समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ था कि बीना रिफाइनरी को मध्य प्रदेश से किसी अन्य प्रदेश में, किसी अन्य स्थान पर ले जाया जा रहा है, जबकि इस संबंध में किसानों से भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है और उसका मुआवजा भी दिया जा चुका है तथा बीना रिफाइनरी की बाउंड्री का निर्माण कार्य भी हो चुका है। यह रिफाइनरी मध्य प्रदेश के विकास की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें लगभग नौ हजार करोड़ रुपये की लागत आएगी और इससे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे क्योंकि बीना रिफाइनरी में बेरोजगारों को रोजगार मिलने के साथ-साथ बहुत से बाइ-प्रोडेक्टस का भी निर्माण होगा, जिसमें बड़ी संख्या में युवकों को रोजगार मिलेगा। अतः मेरा केन्द्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय से अनुरोध है कि शीघ्र बीना रिफाइनरी के संबंध में स्थिति स्पष्ट करके रिफाइनरी के काम को शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाए।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। एक ओर तो केंद्र सरकार यह घोषणा कर रही है कि सन 2009 तक देश के सभी गांव विद्युतीकृत हो जाएंगे, इसके लिए केंद्र सरकार राज्यों को आवश्यक धन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है, उत्तर प्रदेश राज्य को भी इस संदर्भ में केंद्र सरकार सहायता दे रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उत्तर प्रदेश में बिजली की हालत दिन-प्रतिदिन खराब होती जा रही है और जो धन केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को देती है, उसका भी सदुपयोग नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश की सरकार दस हजार करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बिजली के संदर्भ में लगाने की बात कह रही है। आज भी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि दो सालों में हम प्रचुर बिजली देने लगेंगे, जबकि हो इसके बिलकुल विपरीत रहा है।

मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्री से आग्रह करूंगा कि इस क्षेत्र को मॉनीटर करें और उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ बैठक करके, जो उत्तर प्रदेश की आवश्यकता हो, उसे पूरा करें और समयबद्ध तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली मिल सके, इस ओर ध्यान दें।

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदया, मेरा निवेदन ग्रामीण क्षेत्रों से युवकों के हो रहे पलायन के संबंध में है। पिछले दिनों संसद ने ग्रामीण रोजगार गारंटी बिल को मंजूरी दी है, जो स्वागतयोग्य कदम है। इस योजना में देश के दो सौ जिलों में एक साथ कार्य प्रारंभ करने

[श्री गणेश सिंह]

का निर्णय लिया गया है। इनमें 150 जिले ऐसे हैं, जहां काम के बदले अनाज योजना पहले से चल रही है।

देश के अन्दर सैकड़ों ऐसे जिले हैं, जहां अत्यन्त गरीबी है। वहां से लाखों युवक वर्ष भर काम की तलाश में बाहर जाने के लिए मजबूर हैं। ऐसे जिलों को इस योजना में शामिल किया जाना ही इस विधेयक का असली मकसद है। मध्य प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं, जिन में सतना, कटनी, जहां लगभग 40 परसैंट से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने पर मजबूर हैं, ऐसा शायद ही कोई परिवार होगा, जिन के वयस्क युवक काम की तलाश में जिले से बाहर जाने के लिए मजबूर न होते हों। अतः मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सतना एवं कटनी जिले को इस योजना में अवश्य शामिल किया जाए।

[अनुवाद]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदया, आपके माध्यम से मैं सरकार, विशेषकर कोयला मंत्रालय का ध्यान एक बहुत गम्भीर स्थिति, जो उड़ीसा में ईब घाटी में पैदा हो गई है, की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

सम्बलपुर विश्वविद्यालय, जो कि राज्य में प्रमुख विश्वविद्यालय है ने एक अध्ययन कराया है और एक बहुत चिंताजनक रहस्योद्घाटन किया है। अध्ययन में कहा गया है कि महानदी कोल्फील्डस लि. (एम.सी.एल.) द्वारा नियमों का पालन किए बिना खुला कास्ट खनन का कार्य जारी रखने के कारण ईब घाटी एक रेगिस्तान में परिवर्तित हो जायेगी। क्षेत्र में वर्षा की कमी, तापमान की वृद्धि और आर्द्रता की कमी की रिपोर्ट हैं।

कई टन कोल डस्ट निकलने और खुली कास्ट खान के अधिक दोहन होने के कारण गम्भीर वायु प्रदूषण हो रहा है। क्षेत्र में खनन कार्य के कारण जल प्रदूषण, जो कि अनेक दशकों से चल रहा है, की रिपोर्ट है। एम.सी.एल. के प्राधिकारी खनन क्षेत्र में संतोषजनक रूप से पौधारोपण का कार्य नहीं करा रहे हैं और पर्याप्त रेत भराव भी नहीं किया गया है।

अतः महोदया, गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूकंप विज्ञानियों द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया था जिससे पता चलता है कि उड़ीसा भूकंप क्षेत्र जोन-चार के अंतर्गत आता है। ईब घाटी, तालचेर क्षेत्र, बडरामा क्षेत्र जो कि पश्चिम उड़ीसा में वन क्षेत्र है, रायमल क्षेत्र और विशेषकर हीराकुड बेसिन, जहां प्रसिद्ध और सबसे लम्बा हीराकुड बांध स्थित है, इस जोन के अंतर्गत आते हैं। सबसे चिंताजनक चीज यह है कि भूमि की बहुत गहराई में इस बेल्ट में एक दरार पड़ गई बताई जाती है। भूकंप से इस क्षेत्र में तबाही हो सकती है।

इसके अलावा जिस क्षेत्र में एम.सी.एल. खनन कार्य कर रही है वहां के लोग फेंफड़ों की बहुत सी बीमारियों, जैसे टी.बी., रक्तचाप, हाइपरटेंशन इत्यादि से पीड़ित हैं।

मेरा केंद्र सरकार, विशेषकर कोयला मंत्रालय से अनुरोध है कि उन्हें इस पर गम्भीरता से ध्यान देना चाहिए और एम.सी.एल. प्राधिकारियों को कहना चाहिए कि खनन कार्य करते हुए कम से कम सभी नियमों, खनन सुरक्षा नियमों का पालन करें।

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल (बिल्हौर): सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत गम्भीर विषय की ओर इस सदन और भारत के प्रधान मंत्री तथा सदन का ध्यान दिनांक 29-8-2005 को दैनिक समाचार पत्र में छपे उस संस्करण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिस में "फर्जी मुठभेड़ के खुलासे के मामले में रक्षा मंत्रालय में हड़कंप" जैसा शीर्षक प्रकाशित हुआ है। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर में जो सेना तैनात है, उसने जम्मू से चार मजदूरों को उठा कर उत्तर कश्मीर ले जाकर फर्जी मुठभेड़ दिखा कर चारों मजदूरों को मौत के घाट इसलिए उतार दिया कि सस्ती लोकप्रियता हासिल की जा सके और मैडल लेकर पदोन्नति प्राप्त की जा सके। उन्होंने इनके लालच में जो कार्य किया है, और उस पत्र के माध्यम से रक्षा मंत्रालय द्वारा जो नोटिस लिया गया, उसमें सामाजिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिज्ञों और सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने उस घटना पर पड़े पर्दे को हटाने के लिए निवेदन किया गया है। अगर इस तरह की...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: आप थोड़े शब्दों में अपनी बात को रेज करिए। लंबा भाषण नहीं देना है।

...*(व्यवधान)*

श्री राजाराम पाल: यह बहुत गंभीर मामला है...*(व्यवधान)* जब सेना में ऐसे लोग मौजूद होंगे तो ऐसे इलाकों में जहां आतंकवाद बड़े पैमाने पर है, उससे देश

को कभी भी खतरा हो सकता है। यह सेना का मामला है। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर ऐसे गरीब मुजलिमों को घर से उठाकर एनकाउंटर दिखाने का काम पुलिस कर रही है। दिनांक...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: जम्मू-कश्मीर की बात कह दी है, उसे बाद में देखेंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: नहीं। आपने पहले ही अपना मामला उठा लिया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजाराम पाल: दिनांक 25-8-2005 को जिस तरह से...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आपने जिस बात के लिए अनुमति मांगी थी, वह बात हो गई है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया: रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। आप किसलिए बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: यह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

सभापति महोदया: कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। आप किसलिए बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

सभापति महोदया: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया अपने स्थान पर बैठिये।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदया: श्री एम. शिवन्ना।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): सभापति महोदया, केंद्र सरकार के कर्मचारी और कर्नाटक राज्य सरकार के कर्मचारी 6ठा वेतन आयोग गठित करने की मांग कर रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि 5वें वेतन आयोग की सिफारिशें आज तक लागू नहीं की गई हैं जबकि सिफारिशें 10 वर्ष पुरानी हैं।

सरकारी कर्मचारियों को 24 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने के बाद दूसरा सुनिश्चित पदोन्नति (ए.सी.पी.) दी जानी होती है। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। केवल गृह मंत्रालय में इसे लागू किया जा रहा है। परन्तु अन्य सभी मंत्रालयों और स्वायत्त निकायों में आज भी भ्रम बना हुआ है। वे अपने कर्मचारियों को पहली सुनिश्चित पदोन्नति (ए.सी.पी.) प्राप्त करने के लिए अपनी पहली पदोन्नति के पश्चात 12 वर्ष प्रतीक्षा करने के लिए कहते हैं। यदि किसी कर्मचारी को 20 वर्ष के बाद पदोन्नति मिलती है तो उसे अपनी पहली ए.सी.पी. 32 वर्ष के पश्चात मिलेगी। यह व्याख्या गलत है। उसे अपना दूसरा ए.सी.पी. 4 वर्ष बाद मिलना चाहिए अर्थात 24 वर्ष की कुल सेवा के पश्चात।

अतः मेरा माननीय प्रधान मंत्री से आग्रह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ न्याय करने के लिए कार्मिक मंत्रालय को इस संबंध में परिपत्र जारी करने का निर्देश दें।

सभापति महोदया: अब सभा कल 30 अगस्त, 2005 को पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.35 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 30 अगस्त, 2005/8 भाद्र, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

*मूलतः कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी-लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/13/23/2005 (एन.)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्ग
और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौज पुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।